दशम भाषा, खंड 5, अंक 47

सोमवार 16 सितम्बर, 1991
25 भाद्र 1913 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

पहला सत्र

(दसवीं लोक सभा)

(खंड 5 में अंक 41 से 49 तक है)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

(मूल्य : चार रुपये)

[अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रमाणिक नहीं माना जावेगा।]

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

सोमवार, 16 सितम्बर, 1991 / 25 भाद्र, 1913 (शक)

का

शुद्धि - पत्र

पृष्ठ	पंक्ति	शुद्धि
विषय सूची (i)	नीचे से पंक्ति 2	"श्री भगवान सिंह रावत" के स्थान पर "श्री भगवान शंकर रावत" पढ़िये।
विषय सूची (iii)	9	1991 के स्थान पर 1991-92 पढ़िये।
विषय सूची (iii)	18	"श्री के.डी. सुल्तानपुरी" के स्थान पर "श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी" पढ़िये।
विषय सूची (iv)	7	पंक्ति में , 1991-92 जोड़िए।
विषय सूची (iv)	8	पंक्ति में , 1991 जोड़िए।
55	4	"संसदीय" के पश्चात् "समिति" शब्द जोड़िए।
111	2	"पंजाब में सामान्य निर्वाचन" के स्थान पर "पंजाब साधारण निर्वाचन" पढ़िये।
111	3	"पंजाब बजट" के पश्चात् "1991-92" जोड़िये।
155	नीचे से पंक्ति 2	"पंजाब विनियोग (लेखानुदान) संख्या 2" के स्थान पर "पंजाब विनियोग (लेखानुदान) संख्या 2" पढ़िये।
158	नीचे से पंक्ति 10	"विकास" के स्थान पर "विकसित" पढ़िये।
160	7	"वायु सेवा" के स्थान पर "विमान सेवा" पढ़िये।

विषय-सूची

दशम माला, खण्ड 5, पहला सत्र, 1991/1913 (शक)

अंक 47, सोमवार, 16 सितम्बर, 1991/25 भाद्र, 1913 (शक)

विषय	पृष्ठ
असम में सेना तैनात किए जाने से उत्पन्न स्थिति	14—48
सभा पटल पर रखे गए पत्र	48—54
राज्य सभा से सन्देश	54
याचिका	
महाराष्ट्र के पुणे जिले में डोंड में रेल फाटक की व्यवस्था किए जाने की आवश्यकता के बारे में	54
संकल्प	
रेलवे उपक्रमों द्वारा सामान्य राजस्व में देय लाभांश की दर की समीक्षा के लिए संयुक्त संसदीय समिति नियुक्त करने के बारे में	55
संविधान (बहत्तरवां संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित	56—64
पुरःस्थापित करने के लिए प्रस्ताव	
श्री जी० वेंकटस्वामी	56
श्री गुमानमल लोढा	56
श्री चित्त बसु	57
श्री सोमनाथ चटर्जी	58
श्री शरद दिघे	59
श्री पवन कुमार बंसल	59
श्री रंगराजन कुमारमंगलम	59
श्री भगवान सिंह रावत	61
डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय	64

संविधान (तिहत्तरवां संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित	64—65
पुरःस्थापित करने के लिए प्रस्ताव	
श्रीमती शीला कौल	64
श्री गुमानमल लोढा	64
डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय	65
प्रसवपूर्व निदान तकनीक (विनियमन और दुरुपयोग निवारण) विधेयक	
संयुक्त समिति को सौंपने के लिए प्रस्ताव	66—68
वन्य जीव (संरक्षण) संशोधन विधेयक	68—98
राज्य सभा द्वारा यथापारित	68
विचार करने के लिए प्रस्ताव	
श्री कमल नाथ	68
प्रो० रासा सिंह रावत	72
श्री लाईता उम्ब्रे	74
श्री सैयद शाहाबुद्दीन	76
श्री जी० एम० सी० बालयोगी	78
श्री सुखेन्दु खां	78
श्री विजय कुमार यादव	80
श्रीमती वसुन्धरा राजे	81
श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही	83
श्री बासिन कुली	86
श्री अयूब खां	86
श्री विजय एन० पाटिल	88
श्रीमती गिरिजा देवी	88
डा० असीम बाला	89
श्री गोपीनाथ गजपति	90
श्री मोहन लाल झिकराम	92

विषय पृष्ठ

खण्डवार विचार

पारित करने के लिए प्रस्ताव

श्री कमल नाथ 97—98

मंत्री द्वारा वक्तव्य

असम के कतिपय जिलों में नागरिक प्रशासन की सहायता के लिए सेना को तैनात करना

श्री एस० बी० चव्हाण 109—110

पंजाब साधारण निर्वाचन रद्दकरण विधेयक

पंजाब बजट-1991—सामान्य चर्चा

और

लेखानुदानों की मांगें (पंजाब) 98—109 और 111 से 155

विचार करने के लिए प्रस्ताव

श्री के० विजय भास्कर रेड्डी 98

श्री मदन लाल खुराना 101

श्री पवन कुमार बंसल 107

श्री चन्द्र शेखर 115

श्री जार्ज फर्नान्डीज 117

श्री के० डी० सुल्तानपुरी 125

श्री सैफुद्दीन चौधरी 128

प्रो० प्रेम धूमल 130

श्री भोगेन्द्र झा 133

श्री के० पी० रेड्डय्या यादव 137

श्री अम्मा जोशी 141

श्री चित्त बसु 142

श्री शांताराम पोतदुखे 144

श्री रंगराजन कुमारमंगलम 147

पंजाब साधारण निर्वाचन रद्दकरण विधेयक

खण्डवार विचार

पारित करने के लिए प्रस्ताव

श्री रंगराजन कुमारमंगलम 154

श्री भोगेन्द्र झा 155

डा० कार्तिकेश्वर पात्र 155

लेखानुदानों की मांगें (पंजाब) 155

पंजाब विनियोग (लेखानुदान) संख्यांक 2 विधेयक 155—157

पुरःस्थापित करने के लिए प्रस्ताव

श्री शांताराम पोतदुखे 155

विचार करने के लिए प्रस्ताव

श्री शांताराम पोतदुखे 156

खण्डवार विचार

पारित करने के लिए प्रस्ताव

श्री शांताराम पोतदुखे 157

नियम 377 के अधीन मामले 157—160

(एक) उड़ीसा में बृजराज नगर स्थित ओरियन्ट पेपर मिल्स के श्रमिकों की शिकायतों की जांच करने की आवश्यकता

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही 157

(दो) मध्य प्रदेश के बस्तर जिले में नक्सलवादियों द्वारा मारे गए आदिवासियों तथा अन्य लोगों को मुआवजा देने की आवश्यकता

श्री मनकूराम सोढी 157

(तीन) बरेली जंक्शन (उत्तर प्रदेश) के रेलवे प्लेटफार्मों पर शेडों का निर्माण करने की आवश्यकता

श्री राजवीर सिंह 158

(चार) सीतामढ़ी को राष्ट्रीय महत्व के पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने की आवश्यकता

श्री नवल किशोर राय 158

(पांच) श्रमिकों के आश्रितों को परिवार पेंशन योजना के अन्तर्गत परिवार पेंशन की अदायगी सुनिश्चित करने की आवश्यकता

श्री हाराधन राय 159

(छः) हरिजलाकुडा में कडुपिस्सरी में एक शाखा डाकघर खोलने की आवश्यकता

प्रो० सावित्री लक्ष्मणन 159

(सात) राजकोट और दिल्ली के बीच नियमित विमान सेवा की आवश्यकता

श्रीमती भावना चिखलिया 160

लोक सभा

सोमवार, 16 सितम्बर, 1991/25 भाद्र, 1913 (शक)

लोक सभा 11 बजे म० पू० पर समवेत हुई ।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना (दक्षिण दिल्ली) : अध्यक्ष जी, आडवाणी जी के घर के बाहर जो गोली चली है, इसी तरह की गोली दो दिन पहले मुख्य न्यायाधीश के घर के बाहर भी चली थी । (व्यवधान) मेरा कहना यह है कि यह गोली जिसने चलाई वह शराब पीए हुए था'''(व्यवधान)

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (लखनऊ) : अध्यक्ष जी, आप एक-एक को एलाऊ कीजिए ।

अध्यक्ष महोदय : मैं एक-एक करके सबको एलाऊ करूंगा और आज मैं पीछे के मेम्बरों से शुरू करूंगा ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाएं । आपका कुछ रिकार्ड में नहीं जाएगा । मैं बाद में आपको बुलाऊंगा, उस समय आप बोल लीजिएगा । (व्यवधान) आप बैठ जाएं । आप देखिए, मुझे बहुत बोलने के लिए मजबूर मत कीजिए, मैं एक-एक करके सबको बुलाऊंगा ।

[अनुवाद]

मैं आपको बुलाऊंगा ।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री रामनारायण बैरवा (टोंक) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान टोंक जिले की ओर दिलाना चाहता हूं । प्राकृतिक एवं मानवीय संसाधनों की उपलब्धता होते हुए टोंक जिला औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े जिलों में आता है जिसके विकास हेतु वांछनीय प्रयास किए जा सकते हैं । (व्यवधान) टोंक जिले में वृहद एवं मध्यम उद्योग नगण्य होने के कारण प्रति व्यक्ति आय बहुत कम है अधिकांश जनसंख्या गरीबी व बेरोजगारी का सामना कर रही है । वृहद और मध्यम उद्योगों के अभाव में जिले में, उनके सहायक (इन्सोलेरी) उद्योग स्थापित नहीं हो सकते हैं और न ही लघु उद्योगों का विकास हो सकता है । वर्तमान में औद्योगिककरण के नाम पर नमदा, गलीचा व बीड़ी उद्योग के आर्टीजंस व हस्तशिल्पी हैं जोकि अपना कार्य बिचौलियों के माध्यम से करने के कारण सिर्फ रोजी-रोटी ही कमा पाते हैं । यद्यपि

यहां पर गलीचे व नमदे के कारीगर विख्यात हैं व चर्मरंगाई व जूती बनाने वाले दस्तकार भी राजस्थान स्टेट टेनरीज टोंक के बन्द हो जाने के कारण आर्थिक कठिनाई महसूस कर रहे हैं।

अतः श्रीमान् मैं निवेदन करूंगा कि टोंक जिले में ग्रोथ सेंटर कार्यालय की स्थापना की जाए ताकि वहां के उद्यमियों की विशेष सुविधा सुलभ हो सके और इस जिले का औद्योगिक दृष्टि से विकास हो सके।

श्री राम सागर (बाराबंकी) : मैं आपके माध्यम से एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना देना चाहता हूं। मान्यवर, पिछले दिनों इसी सदन में हमारे दल के माननीय उदय प्रताप सिंह जी की ओर से माननीय मुलायम सिंह यादव जी की सुरक्षा का मामला उठाया गया था और गृह मन्त्री जी की ओर से यह आश्वासन दिया गया था कि उनके जो राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड हैं वह वापस नहीं लिए जाएंगे। लेकिन आज अखबारों में यह आया है कि भारत सरकार ने सुरक्षा गार्ड वापस लिए जाने के बारे में यह निर्देश कर दिया है और यह भी कहा है कि मैं 15 दिन में इस पर विचार करूंगा।

मान्यवर, उन दिनों सदन नहीं होगा और उस समय जब फैसला लेंगे, तो उस फैसले पर हम लोग आपसे कोई भी निवेदन नहीं कर सकेंगे। इसलिए हम आपके माध्यम से इस सदन में स्पष्ट रूप से यह आश्वासन चाहते हैं कि यह जो राजनीतिक लोग हैं उनकी सुरक्षा भारत सरकार की तरफ से सुनिश्चित होने के लिए आप क्या कदम उठाने जा रहे हैं ?

मान्यवर पिछले दिनों उत्तर प्रदेश में शारदा प्रसाद रावत, पूर्व मन्त्री की हत्या हो गई, पूर्व मन्त्री का कत्ल कर दिया गया। अब वहां के पूर्व सांसदों की सुरक्षा व्यवस्था हटाई जा रही है, पूर्व विधायकों की भी सुरक्षा व्यवस्था कम की जा रही है। उत्तर प्रदेश में बदले की भावना से सरकार कार्यवाही कर रही है। भारत सरकार श्री मुलायम सिंह की सुरक्षा व्यवस्था के बारे में स्पष्ट हम लोगों को यहां बताए कि सरकार कौन से कदम उठा रही है, ताकि नेता सुरक्षित रह सकें। इस बात का हमको सरकार की तरफ से सदन में स्पष्ट आश्वासन चाहिए। सरकार इस मामले में स्पष्ट हमको बताए कि क्या फैसला कर रहे हैं। (व्यवधान)

हम सरकार की प्रतिक्रिया जानना चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय : आपको बोलने का समय दिया गया था, अब आप दूसरों को भी बोलने दीजिए।

श्री राम सागर : अध्यक्ष महोदय, यह मामला पहले भी सदन में उठाया गया था, अब परसों से इस सदन की बैठक नहीं होगी, तो हमें कैसे पता लगेगा। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप ज्यादती कर रहे हैं। आपको बोलने का चांस दिया गया, अब आप दूसरों को नहीं बोलने दे रहे हैं।

श्री राम सागर : अध्यक्ष महोदय, मुझे और उदय प्रताप सिंह तथा छोटे सिंह यादव को भी धमकी भरे पत्र प्राप्त हो रहे हैं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपको जो बोलने का चांस दिया गया, उसका आप दुरुपयोग कर रहे हैं। ऐसा आपको नहीं करना चाहिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप आप बैठ जाइए, दूसरों को बोलने दीजिए। इस बारे में होम मिनिस्टर से बात कर लीजिए।

11.08 म० पू०

श्री संघव मसूदल हुसैन (मुर्शिदाबाद) : अध्यक्ष महोदय, पश्चिम बंगाल में बाढ़ की गंभीर स्थिति की ओर मैं मदत का और आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। पश्चिम बंगाल के 5 जिले, खासकर मुर्शिदाबाद, मालदा और पश्चिम दीनाजपुर भयंकर बाढ़ की चपेट में हैं। लगभग 40 लाख लोग बाढ़ की चपेट में आए हुए हैं और कितने लाख एकड़ जमीन पर फसल बरबाद हुई है, इसको बताना अभी मुश्किल है। कुछ जानें भी गई हैं। रिलीफ के लिए गेहूं की जरूरत है, जिसका स्टाक बहुत कम है। खाद्य मन्त्री जी से परसों बात हुई थी और गेहूं भेजने के लिए विशेष प्रयास करने के लिए उनको कहा गया था। मन्त्री महोदय यहां मौजूद हैं, वे बताएं कि क्या प्रयास कर रहे हैं। यहां पर गेहूं का स्टाक बहुत कम है, जिसकी वजह से रिलीफ का काम रुका हुआ है। पानी उतरने के बाद घर बनाने की भी जरूरत पड़ेगी, उसके लिए भी सहायता चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, सबसे मुश्किल बात यह है कि सभी नदियों के किनारों पर इरोजन हो रहा है, पश्चिम की तरफ बहुत इरोजन हो रहा है। सबसे ज्यादा मुर्शिदाबाद में फरक्का से लेकर जंगीपुर तक, सबसे ज्यादा आखिरीगंज में इरोजन हुआ है, वह बहुत खतरनाक शेप हो रही है। ऐसी हालत में केन्द्र सरकार की सहायता की आवश्यकता है। इसके लिए मेरा निवेदन है कि केन्द्र सरकार की तरफ से एक टीम वहां पर भेजी जानी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, अखबारों में एक खबर छपी है, जिस पर मैं पूरा यकीन नहीं करता हूं। मैं प्रधानमन्त्री जी की बहुत इज्जत करता हूं। अखबार में यह खबर आई है कि प्रधानमन्त्री जी की तरफ से कुमारी ममता बनर्जी वहां कुछ राशि ले कर गई हैं। यदि यह रिपोर्ट सही है तो यह तरीका ठीक नहीं है। मैं चाहूंगा कि जो भी पैसा जाए वह स्टेट गवर्नमेंट के जरिए से जाए, ताकि उसका वितरण सही तरीके से हो सके। इस तरह से अगर पैसा दिया जाए तो उससे उसको फायदा पहुंच सकेगा। (व्यवधान)

[अनुवाद]

यह किसी सदस्य अथवा मन्त्री के विरुद्ध लांछन नहीं है।

[हिन्दी]

अध्यक्ष जी, मैं यह कहूंगा कि जो सैंट्रल असिस्टेंस जाएगी वह स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में दी जाए और तुरन्त सैंट्रल टीम वहां भेजी जाए यह असैसमेंट करने के लिए कि वहां कितनी क्षति हुई है, कितने रिलीफ की जरूरत है और बाढ़ का पानी उतरने के बाद वहां नये तरीके से, नये सिरे से आबाद करने के लिए, फसल लगाने के लिए, टूटे हुए घर बनाने के लिए जो पैसा दिया जाना चाहिए वह तुरन्त वहां भेजा जाए।

[अनुवाद]

श्री अनुदेव आचार्य (बांकुरा) : महोदय, खाद्य मन्त्री यहां उपस्थित हैं। (व्यवधान) उन्हें इस सभा को आश्वासन देना चाहिए कि पश्चिम बंगाल में खाने की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी।

खाद्य मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गोगोई) : मैं आपसे बातचीत करूंगा। (व्यवधान)

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य और खेलकूद विभाग तथा महिला और बाल विकास विभाग) में राज्य मंत्री (कुमारी ममता बनर्जी) : महोदय, मैं पहली संसद सदस्य हूं जिसने मन्त्री की हैसियत से नहीं बल्कि एक सांसद की हैसियत से प्रधानमन्त्री महोदय से बातचीत की है। मैंने उन्हें बताया था कि पश्चिम बंगाल में कुछ जिले बाढ़ के कारण पूरी तरह से अलग-थलग पड़ गये हैं। कुछ व्यक्तियों को तो भोजन तक भी नहीं मिला। भोजन, चिकित्सा सहायता और अन्य चीजों की कमी के कारण लोग कष्ट झेल रहे हैं। 50 से अधिक लोग मर चुके हैं। मुझे जब यह सूचना मिली तो मैंने प्रधानमन्त्री महोदय को तुरन्त सूचित किया। तत्पश्चात, मैं उनसे मिली। उन्होंने पीड़ितों के लिए कुछ राशि दी। परन्तु मैंने यह राशि जिला मजिस्ट्रेटों के सुपुर्द कर दी न कि पार्टी के किसी व्यक्ति को। जिला मजिस्ट्रेट सरकार का ही एक अंग होता है।

मैं स्वयं उस जिले में गई और इस राशि को जिला मजिस्ट्रेट के सुपुर्द कर दिया ताकि लोग इसे जिला मजिस्ट्रेट से प्राप्त कर लें। उन्हें यह राशि शीघ्र प्राप्त कर लेनी चाहिए। यदि हम इस राशि को मुख्य सचिव अथवा मुख्यमन्त्री को देते हैं तो इस प्रक्रिया में अधिक समय लगेगा। इसके अतिरिक्त, वे विदेश गए हुए हैं। क्या मुख्यमन्त्री को यह राशि देने के लिए मुझे विदेश जाना चाहिए? उन्हें वापस आना चाहिए। (व्यवधान)

श्री निर्मल कांति चटर्जी (दमदम) : हम पश्चिम बंगाल का प्रतिनिधित्व करने वाली अपनी मन्त्री महोदया की चिन्ता को समझते हैं। परन्तु उन्हें दो बातें याद रखनी चाहिए। उनसे यह निवेदन है। उन्होंने कोई पक्षपात किए बिना यह धनराशि जिला मजिस्ट्रेट को देकर अच्छा ही किया।

परन्तु असल बात तो यह है कि पश्चिम बंगाल में पंचायती प्रणाली है और हम इस प्रकार से निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से प्रशासन चलाने का प्रयास कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : श्री निर्मल कांति चटर्जी, कृपया आप अपने पीछे बैठे सदस्यों को भी बोलने का अवसर दीजिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप शून्यकाल में, प्रश्नकाल में तथा प्रत्येक जगह बोलते आ रहे हैं। अतः अब ऐसा करना आवश्यक नहीं है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह समय का समान वितरण नहीं है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाएं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री पाल जब मैं बोल रहा हूं तो आपको बैठ जाना चाहिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब कृपया बैठे जाइए । श्री वसुदेव आचार्य, आपने मुझसे वायदा किया था कि आप अपने केवल एक सदस्य को बोलने देंगे ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह कोई तरीका नहीं है । यहां अनेक ऐसे सदस्य हैं जो बोलना चाहते हैं।

यदि हालात नाजुक हैं तो खाद्य मन्त्री ने कह ही दिया है कि वे आपसे बातचीत करेंगे और वे निश्चित रूप से आपसे बात करेंगे ।

कुमारी ममता बनर्जी का राशि देने का तरीका अच्छा रहा है । शायद उन्होंने संसद में सदस्य के रूप में अपना कार्यकाल याद रखा है और इसलिए उन्होंने ऐसा कहा । इसका भी स्वागत किया जाना चाहिए ।

[हिन्दी]

श्री विश्वेश्वर भगत (बालाघाट) : अध्यक्ष महोदय, बालाघाट जिले में आदिवासी क्षेत्रों में कापर प्रोजैक्ट मलाछखण्ड स्थित है । प्रोजैक्ट एरिया के पास से बन्जर नदी बहती है । इस नदी के द्वारा आसपास के आदिवासियों का जीवन-निर्वाह होता है । मलाछखण्ड कापर प्रोजैक्ट द्वारा पिछले दिनों में दूषित पानी को नदी में बहाए जाने से आदिवासियों के जानवर एवं जीव-जन्तु मर चुके हैं । प्रोजैक्ट द्वारा प्रदूषण निवारण संयंत्र न लगाने के कारण यह स्थिति निर्मित हुई है ।

मेरा निवेदन है कि तत्काल प्रदूषण निवारण संयंत्र लगाया जाए एवं जो वर्तमान में कृषकों की फसल एवं जानवरों की क्षति हुई है उसका मुआवजा तत्काल कॉपर प्रोजैक्ट द्वारा दिलाया जाए ।

श्री राम टहल चौधरी (रांची) : अध्यक्ष महोदय, बिहार अन्तर्गत छोटानागपुर और संथाल परगना हर प्रकार की खनिजों से जैसे—कोयला, अबरख, तांबा, लोहा, बाक्साइड इत्यादि से भरा पड़ा है । परन्तु खेद है कि इस क्षेत्र में किसी तरह के विकास का कार्य नहीं हो सका । जिससे आम लोगों में काफी क्षोभ है । इसका क्षेत्रफल बिहार के कुल क्षेत्र का 46 प्रतिशत है । इस क्षेत्र की जनसंख्या लगभग 12 करोड़ है । पूरे देश में उपलब्ध खनिज का 40 प्रतिशत खनिज इसी क्षेत्र से उपलब्ध होता है । यह क्षेत्र वनसम्पदा से भरा पड़ा है । पहाड़ी नदियों के जल स्रोतों का इस क्षेत्र में जाल-सा बिछा पड़ा है । परन्तु यह खेद है कि सारी प्राकृतिक सम्पदा से भरा पड़ा होने के बावजूद भी सर्वाधिक दरिद्र बना हुआ यह क्षेत्र है । और इसलिए प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की ओर से 17-9-1990 को राष्ट्रपति को एक ज्ञापन दिया गया था जिसमें यह मांग की गई थी कि छोटानागपुर एवं संथाल परगना को मिलाकर एक अलग राज्य का दर्जा दिया जाए । जिसमें भाजपा के छह सांसद एवं 22 विधायक के हस्ताक्षर युक्त ज्ञापन दिया गया था । उस क्षेत्र में मात्र पांच प्रतिशत विद्युतीकरण की गई हैं । बोकारो इस्पात कारखाना, हटिया, सिंदरी, जमशेदपुर, पतरातु आदि कारखानों में स्थानीय एवं अनुसूचित जन-जातियों का समायोजन नगण्य है । इस क्षेत्र में सात प्रतिशत ही मात्र व्यवस्था की गई है । विद्यालय, महाविद्यालय की कमी रही है । यातायात की कोई सुविधा नहीं की गई है । इसी प्रकार, रांची, हजारी बाग, कोडरमा, गिरिडीह को रेलवे लाईन से नहीं जोड़ा गया है । इस क्षेत्र को अंग्रेजों के समय से ही अलग माना गया है । इस क्षेत्र की संस्कृति भी भिन्न है । उपरोक्त सभी कारणों से ही छोटानागपुर,

संथाल परगना को अलग राज्य बनाने की मांग होती रही है। परन्तु खेद है कि भारत सरकार अलग राज्य का दर्जा देने में रुचि नहीं ले रही है जबकि इससे पीछे मांग की गई कई अन्य को राज्य का दर्जा दे दिया गया है। यहां की जनता अलग राज्य के लिए सड़क पर उतरने के लिए बाध्य हो जाएगी जिससे समस्या गंभीर हो सकती है। मेरा अनुरोध है कि स्थिति को बिगड़ने से पहले छोटानागपुर संथाल परगना को मिलाकर अलग राज्य बनाने की घोषणा करें अन्यथा भारतीय जनता पार्टी कोई संवैधानिक कदम उठाने के लिए बाध्य हो जाएगी। छोटानागपुर को जाम भी किया जा सकता है जिसकी सारी जिम्मेदारी सरकार पर होगी। हैजे में सैंकड़ों लोग रांची एवं छोटा नागपुर में मर गए एवं मर रहे हैं जिसकी ओर सरकार का कोई ध्यान नहीं है। अतः बीमारी की रोकथाम के लिए सरकार शीघ्र कदम उठाए।

मैं एक बात की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि वहां पर बिजली, पानी, रंगदारी टैक्स और गुंडा-गर्दी की वजह से कल कारखाने बन्द हो चुके हैं इसलिए मैं चाहता हूं कि इस मामले में हस्तक्षेप करते हुए बिजली, पानी की व्यवस्था करने का कष्ट करें। गोला से इचागढ़ तक बाया सिल्ली तक जो 23 नम्बर राष्ट्रीय राजमार्ग है वह 25 वर्षों से बन रहा है, लेकिन अभी तक नहीं बन पाया है। आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद देता हूं।

[अनुवाद]

प्रो० के० वी० थामस (एरणाकुलम) : महोदय, भारतीय वायुयानों की तीन उड़ानों द्वारा डाक सम्बन्धी सामग्रियां मुम्बई से कोचीन ले जाई जाती है। परन्तु पिछले एक माह से यह एक डाक सामग्री वायुयानों द्वारा मुम्बई से त्रिवेन्द्रम और बाद में कोचीन ले जायी जाती है। इस प्रकार से इसमें तीन से चार दिन का विलम्ब हो जाता है। अतः सरकार से मेरा निवेदन है कि पूर्ववर्ती प्रक्रिया के अनुसार डाक सामग्री मुम्बई से कोचीन को सीधे ले जायी जानी चाहिए ताकि डाक सामग्री या तो उसी दिन अथवा अगले दिन वितरित की जा सके।

[हिन्दी]

श्री हरि सिंह चावड़ा (बनासकांठा) : माननीय अध्यक्ष जी, मेरा क्षेत्र बनासकांठा पाकिस्तान के बार्डर से जुड़ा हुआ है जहां बिल्कुल बारिश नहीं हुई। इस कारण न ही वहां खेती हुई है और न कुछ पैदा हुआ है। एक विषम स्थिति पैदा हो गयी है। हमारे क्षेत्र की वाव, थराज, राधनपुर, सांतलपुर, दियोदर, धनेरा तहसील में पानी बिल्कुल नहीं गिरा। भूतल में एकदम से खारा पानी है जो कुओं या ट्यूबवैल से आता है, वह पीने योग्य नहीं है। राज्य सरकार ने पाईपलाईन द्वारा पीने के पानी को देना शुरू किया है लेकिन हर एक गांव में ऐसी व्यवस्था नहीं हो पायी है। इसलिए महीनों तक न तो पीने के लिए पानी मिलता है और न ही स्नान के लिए पानी ही उपलब्ध है। इसलिए वहां पीने के पानी की बहुत आवश्यकता है।

अध्यक्ष महोदय, हमारे क्षेत्र में कोई उद्योग नहीं है, बेरोजगारी बहुत है। पशुओं के लिए चारा नहीं है। ऐसी स्थिति में राज्य सरकार या भारत सरकार को पशुओं के लिए चारा और मनुष्यों के लिए पीने के पानी की व्यवस्था करनी होगी। लोगों को रोजगार देना पड़ेगा। यदि यह मुश्किल हो गई तो लोगों के लिए भुखमरी की हालत हो जाएगी। इसलिए मैं आपसे माध्यम से भारत सरकार से

विनती करता हूं कि जल्द से जल्द वहां पीने के पानी का इंतजाम किया जाए और ऐसी व्यवस्था की जाए कि बेरोजगारों को रोजगार मिल सके और वे भुखमरी का शिकार न हों।

श्री हाराधन राय (आसनसोल) : अध्यक्ष महोदय, मेरा निर्वाचन क्षेत्र आसनसोल में 150 से अधिक कोयला खदानें हैं। इसमें सात असेम्बली सेगमेंट हैं जहां पर आयरन, स्टील, रेल कारखाने के सरकारी उद्योग हैं। इस तरह यह एक भारी कर्मशिल औद्योगिक काम्पलेक्स है लेकिन वहां पर टेलीफोन की व्यवस्था ठीक नहीं है। कई महीनों से टेलीफोन काम नहीं कर रहे हैं, इसलिए सब कार्य चौपट हो गया है। इस हेतु मैंने मन्त्री महोदय से पत्र-व्यवहार किया और उन्होंने वहां पर डिजिटल एक्सचेंज बनाए जाने का संकेत दिया कि जल्दी ही वहां काम शुरू हो जाएगा परन्तु यह कार्य अभी तक शुरू नहीं हुआ है। यह डिजिटल एक्सचेंज शुरू न होने से टेलीफोन व्यवस्था में सुधार नहीं हो रहा है। इसलिए मेरा अनुरोध है कि वहां पर जल्दी से जल्दी डिजिटल एक्सचेंज की स्थापना की जाए। जब तक यह नहीं बनाया जाएगा, तब तक वहां टेलीफोन की व्यवस्था में सुधार नहीं हो सकता है। साथ ही आसनसोल, दुर्गापुर और बर्द्धवान जिलों में भी टेलीफोन व्यवस्था में सुधार किया जाए, यही मेरा निवेदन है।

श्री लक्ष्मी नारायण मणि त्रिपाठी (कैसरगंज) : माननीय अध्यक्ष जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे बोलने का समय दिया। मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश के जनगणना विभाग में जो कर्मचारी बहुत दिनों से काम कर रहे हैं, उनको स्थायी नहीं किया जा रहा है। वे उच्च न्यायालय में चले गए और उच्च न्यायालय से आदेश प्राप्त हुआ परन्तु गृह मन्त्री के कार्यालय जनगणना विभाग में उनको स्थायी नहीं किया जा रहा है। उनको बंधुआ मजदूरों की तरह 20/- रुपए प्रति दिन की दर से रखा हुआ है। इस प्रकार नयी भर्ती करने जा रहे हैं। लेकिन जो पुराने कर्मचारी हैं, उनको वहां भर्ती नहीं किया जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय गृह मन्त्री जी से पुरजोर मांग करूंगा कि ऐसे कर्मचारी जो बहुत दिनों से कार्य कर रहे हैं और बंधुआ मजदूरों की तरह जी रहे हैं, उनको तत्काल स्थायी किया जाये। पहले उनकी नियुक्ति की जाए और उसके बाद यदि स्थान रिक्त पड़ता हो तो नयी भर्ती करें।

[अनुवाद]

श्री हारिका नाथ दास (करीमगंज) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि गत 8 वर्षों से असम के करीमगंज जिले के निचले क्षेत्रों 'बूरोधान' के उत्पादन पर सूखा और बाढ़ के कारण प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है; विशेष कर वर्ष 1990-91 में इतना भारी नुकसान हुआ है कि किसान इसे 'बरदास्त' नहीं कर सकते और इसके परिणामस्वरूप उनकी दयनीय स्थिति हो गई है। यह मामला आरम्भ में 11-7-1990 को माननीय प्रधान मंत्री भारत सरकार के पास तथा उसके बाद असम सरकार, दिसपुर के पास उचित कार्यवाही के लिए भेजा गया था। परन्तु आज राज्य सरकार ने किसानों की दशा सुधारने के लिए कुछ भी नहीं किया है। यद्यपि कृषि मुख्य रूप से राज्य का विषय है, फिर भी केन्द्र अपने दायित्व से बच नहीं सकता। मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस सम्बन्ध में एक गहन सर्वेक्षण किया जाये। क्या माननीय कृषि मंत्री इस मामले को देखने और उचित कार्यवाही करने की कृपा करेंगे ताकि असम के करीमगंज जिले के किसानों की कठिनाईयों को दूर किया जा सके?

[हिन्दी]

श्री चंदूलाल चंद्राकर (दुर्ग) : अध्यक्ष महोदय, मैं दुर्ग जिला मध्य प्रदेश से संसद सदस्य हूं और मेरे निर्वाचन क्षेत्र में कल लोकतंत्र की हत्या हो गई। वह इस तरह से कि मेरे जिले में एकमात्र समाचार पत्र जिसका नाम है "अमर किरण", उसकी बिल्डिंग को वहां की म्यूनिसिपल कारपोरेशन ने रोलर लगाकर गिरा दिया है। पहले उनको शक था कि ये अनरजिस्टर्ड है, यह इल्लीगल कब्जा है और बाद में उन्होंने देखा कि लीगल परमीशन के साथ था। उनको गिरा दिया। वह एकमात्र पेपर है। उसके प्रधान संपादक को गिरफ्तार किया और उनको 5,000 की बेल पर छोड़ा है। इतना जबर्दस्त अन्याय हुआ है, यह मैं समझता हूं कि मेरे जिले में लोकतन्त्र की बहुत बड़ी हत्या हुई है।

श्रीमती शीला गौतम (अलीगढ़) : अध्यक्ष जी, अलीगढ़ के ताला उद्योग के बारे में एक खबर छपी है। इसका बहुत बड़ा-बड़ा हैडिंग निकला हुआ है। इसी शीर्षक के अन्तर्गत आज दिनांक 16-9-91 के समाचार पत्र "जनसत्ता" में लेख "खास-खबर" में छपा है। इस सम्बन्ध में मैं सरकार से पूछना चाहती हूं कि अलीगढ़ का यह विश्व विख्यात 130 वर्ष पुराना उद्योग आज अपनी अन्तिम सांसें गिन रहा है। इस उद्योग को बन्द होने के कगार पर पहुंचाने में जहां अलीगढ़ के साम्प्रदायिक दंगे जिम्मेदार हैं, वहीं दूसरी ओर सरकार की असफल उद्योग नीति जिम्मेदार है। अलीगढ़ विश्व-विख्यात ताला उद्योग के विकास के लिए सरकार ने कोई भी ठोस कदम आज तक नहीं उठाए हैं। इसके कारण इस उद्योग से सम्बन्धित मजदूर अन्य उद्योगों की ओर पलायन कर रहे हैं। यह उद्योग घरों की चारदीवारी में ही बंधकर रह गया है जिसके कारण मजदूर विभिन्न बीमारियों से ग्रस्त हैं। इसमें बाल-श्रमिकों और महिला श्रमिकों की संख्या भी काफी अधिक है। बाल-श्रमिकों और महिला श्रमिकों को ठेकेदार लोग पूरी मजदूरी नहीं देते। आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण इन मजदूरों को कम मजदूरी में ही काम करना पड़ता है। अलीगढ़ से साम्प्रदायिक दंगे जो कि समय-समय पर होते रहते हैं जिससे शहर में कर्फ्यू लगा रहता है। छोटे कारीगर लोग अपना माल स्वयं बनाते हैं। कर्फ्यू के कारण वे अपना माल नहीं बेच पाते और सस्ते दामों पर ठेकेदार और पूंजीपतियों को बेच देते हैं, और ये उद्योगपति अपना मार्का लगाकर ऊंचे दामों पर बेचते हैं। अतः सरकार से मेरा अनुरोध है कि अलीगढ़ के विश्व-विख्यात ताला उद्योग को जीवित रखने के लिए शीघ्र निम्नलिखित ठोस कदम उठाएं :

1. ताला उद्योग के लिए शहर से अलग एक नगर स्थापित किया जाए।

2. ताला उद्योग को कुटीर उद्योग के रूप में घोषित किया जाए।

3. ताला उद्योग के लिए आसान किश्तों व कम ब्याज दर बैंकों से लोन उपलब्ध कराए जाएं।

4. उद्योगों के समीप ही सस्ते दामों पर मजदूरों को आवास की सुविधा उपलब्ध कराएं।

श्री उपेन्द्रनाथ वर्मा (चतरा) : अध्यक्ष महोदय, मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिला के पिपराही तहसील के बनखेड़ी के पास पलिया-पिपरिया गांव के आदिवासियों की 9 सितम्बर को पुलिस एवं अन्य सरकारी कर्मचारियों तथा जंगल माफियों के लठैतों द्वारा जो मारपीट की गई है, तथा जिस सिलसिले में 24 आदिवासी जेल में बन्द हैं, वहां घटना के पांच दिनों के बाद भी कलक्टर, एस० पी०, कमिश्नर, विधायक, सांसद कोई नहीं जा सका है। किसान आदिवासी संगठन, समता संगठन जो बहुत दिनों से

आदिवासियों के बीच काम कर रहा है, पुलिस उन्हें नक्सलवादी कह रही है। जंगल माफियों के द्वारा जंगल की अवैध कटाई, सरकारी अफसरों के साथ साठ-गाँठ के कारण वर्षों से चल रही है। इन माफियों को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है और सरकारी कुर्सियों तक उनकी पहुंच है। वह इलाका अशांत है और बाहरी लठैत हमला करने से बाज नहीं आ रहे हैं। क्या सरकार लोक सभा सदस्यों की एक समिति बनाकर उसकी जांच कराने को तैयार है ?

श्री सूर्यनारायण यादव (सहरसा) : अध्यक्ष श्री, यहां की मैडिकल यूनिवर्सिटी में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों पर अत्याचार हो रहा है, अन्याय हो रहा है, ऐसी सूचना हमें प्राप्त हुई है। अध्यक्ष जी, यह एक गम्भीर विषय है···

अध्यक्ष महोदय : नहीं नहीं, ऐसे नहीं।

(व्यवधान)

श्री सूर्यनारायण यादव : क्या इससे भी महत्वपूर्ण कोई और विषय हो सकता है।

(व्यवधान)

श्री सुकदेव पासवान (अररिया) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आये दिन दिल्ली से बाहर, पूरे हिन्दुस्तान के कोने कोने में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों पर अत्याचार की घटनाएं तो रोजाना प्रकाश में आती रही हैं लेकिन 12 तारीख को यहां दिल्ली में ही, दिल्ली के प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी कालेज आफ मैडिकल साइन्सेज में कुछ छात्रों ने, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों पर अत्याचार किया। एक छात्र के नाक कान काट दिये गये, उसको नंगा किया गया और बुरी तरह पीटा गया। बजंनों छात्र घायल हैं। मैं सरकार से मांग करना चाहता हूं कि इस पर गम्भीरता से विचार करे और जो छात्र ऐसे कर्म में संलग्न हैं, जिन छात्रों ने ऐसे अत्याचार किये हैं, उनके विरुद्ध कठोर से कठोर कार्यवाही की जाये और जिस छात्र के नाक कान काटे गये है, उसे सरकार की ओर से समुचित सहायता प्रदान की जाये। (व्यवधान)

श्री सूर्य नारायण यादव : अध्यक्ष जी, यह बहुत गम्भीर और महत्वपूर्ण घटना है। सरकार को तुरन्त सदन में वक्तव्य देना चाहिए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री भीकान्त जेना (कटक) : महोदय, हम चाहते हैं कि मंत्री महोदय इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें। (व्यवधान)

श्री चन्द्रजीत यादव (अजमगढ़) : महोदय, विशेषकर समाज के कमजोर वर्ग के प्रति इस प्रकार का भेदभाव बन्द किया जाना चाहिए। इस दिशा में कुछ कदम उठाने आवश्यक हैं। (व्यवधान)

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : महोदय, यह एक बहुत ही दुखद समाचार है। आप हमारी बातों को क्यों नहीं सुनते ?

श्री श्रीकांत जेना : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इस सम्बन्ध में मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित किया गया है या नहीं । (व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : देखिये, आप दूसरे मैम्बर्स को भी बोलने दीजिए । प्लीज ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : न बोलने वाले मैम्बर्स के खिलाफ यह एक प्रकार का अत्याचार है, अन्याय है कि आप उन्हें बोलने नहीं दे रहे हैं । प्लीज ऐसा मत करिए ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइये । अगर मैं आपको नहीं बुलाता हूं तो दूसरों को बुला लेता हूं । इसमें क्या है ।

श्री सूर्य नारायण यादव : यह दिल्ली में सरकार की नाक के नीचे ऐसी घटना हुई है जो हम सबके लिए शर्मनाक है । (व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया अन्य सदस्यों की भावनाओं का आदर करें । कल्पना कीजिए, आपने कोई मुद्दा उठाया है, और अनेक सदस्य उस मुद्दे पर बोलना चाहते हैं और आप इस पर उनका जवाब भी चाहते हैं, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि आप इस प्रकार के व्यवहार से सभा का समय नष्ट कर रहे हैं । इससे सहज ही अन्य सदस्यों को बोलने का समय नहीं मिलता तथा उनकी शिकायत है कि केवल उन्हीं सदस्यों को बोलने का मौका मिलता है जो अपनी आवाज उठाते हैं तथा इस कारण अन्य सदस्यों को बोलने का अवसर नहीं मिल पाता । कृपया, अन्य सदस्यों की भावनाओं का भी आदर करें । यहां एक ऐसे सदस्य हैं जो पहली बार बोलने के लिए खड़े हुए हैं । आपको उन्हें बोलने देना चाहिए । यह उचित नहीं है ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इस सभा में कम से कम हमें ऐसे सदस्यों की भावनाओं का आदर करना चाहिए जो नियमों का पालन करते हैं और तब तक नहीं बोलते जब तक कि उन्हें बोलने को न कहा जाए । यदि आप उन्हें बोलने नहीं देंगे तो आप अपनी किस तरह की छवि प्रस्तुत करेंगे ?

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : केवल श्री चौधरी का वक्तव्य की कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल किया जाएगा ।

(व्यवधान)*

*कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया ।

अध्यक्ष महोदय : श्री चटर्जी, सदस्यों के हित में आपका खड़ा होना और बोलना उचित नहीं है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री चटर्जी, मैंने आपके खड़े होने तथा बोलने को गम्भीरता से लिया है। आपको अन्य सदस्यों की भावनाओं का भी ध्यान रखना चाहिए। यदि आप सरकार से किसी तरह का जवाब चाहते हैं तो आप नियम के अधीन ऐसा करें और तभी मैं सरकार से आपके सवालों और अन्य बातों का जवाब देने को कहूंगा। कृपया अन्य सदस्यों की भावनाओं का आदर करें। अब मात्र दो दिन का समय शेष रह गया है। अन्तिम दिन, मैं उन सदस्यों को बोलने की अनुमति दे रहा हूं जिन्होंने कभी भी नहीं बोला और फिर भी आप उनकी भावनाओं की कोई कद्र नहीं कर रहे हैं। यह उचित नहीं है। कृपया ऐसा न करें।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : सभा में पीछे बैठने वाले सदस्यों के बोल लेने के पश्चात हम इस मुद्दे को पुनः उठाएंगे।

अध्यक्ष महोदय : आप इसे नियमानुसार उठा सकते हैं नियम के बिना नहीं।

(व्यवधान)

श्री के० वी० आर० चौधरी (राजामुन्दरी) : अध्यक्ष महोदय, हमारे निर्वाचित क्षेत्र सभी समुदाय के करीब-करीब सभी ग्रामवासियों में अन्तरजातीय झगड़े होने का भय व्याप्त है जोकि आजकल एक आम बात है। कुछ लोग इन जातीय झगड़ों को बढ़ावा दे रहे हैं। जब तक हम इन्हें सबसे निचले स्तर पर रोकने में सफल नहीं होते तब तक तुसुन्दर में हुए जैसे अत्याचार होते रहेंगे। सरकार को लोगों को सुरक्षा प्रदान करने के मामले में सख्त रवैया अपनाना चाहिए तथा गुनाहगारों—चाहे वे किसी भी जाति या धर्म के हों—पता लगाकर उन्हें कड़ी सजा देनी चाहिए। हमें यह बात कहने से कुछ नहीं हासिल होगा कि इस समुदाय या उस समुदाय के लोगों पर अत्याचार किया गया है। हमारे गांव में, एक हरिजन लड़के ने कपु जाति की एक लड़की को बिन-बहाड़े आलिंगन किया जिसका अन्य जाति के लोगों ने विरोध किया। शांतिपूर्ण वातावरण को बिगाड़ा गया और तनाव पैदा किया गया।

मैं सभा से शांतिपूर्ण वातावरण तुरन्त बहाल करने का विनम्र निवेदन करता हूं।

[हिन्दी]

श्री सत्यपाल सिंह यादव (शाहजहांपुर) : अध्यक्ष जी, उत्तर प्रदेश सरकार की गलत नीतियों के कारण हमारे यहां फर्टिलाइजर का अकाल पड़ गया है। जितने भी मुनाफाखोर और बड़े काश्तकार हैं, उन्होंने फर्टिलाइजर को डम्प कर रखा है जिसके कारण वहां के जरूरतमन्द लोगों को फर्टिलाइजर नहीं मिल रहा है। शाहजहांपुर में बिन्दल एग्रो फर्टिलाइजर लिमिटेड का एक फर्टिलाइजर का कारखाना लगना था, जिसका तीन वर्ष पूर्व श्री राजीव गांधी द्वारा शिलान्यास किया गया था और फारेन एक्सचेंज न मिलने के कारण इंपोर्ट लाइसेंस उसको नहीं मिल सका, जिसका अंजाम यह हुआ है कि किसानों की हजारों एकड़ जमीन जो उस कारखाने के लिए अधिग्रहीत की गई थी वह वैसे ही बेकार पड़ी है और किसानों को खेती करने से महरूम होना पड़ रहा है तथा उस भूमि का मुआवजा अभी तक उन हजारों

किसानों को नहीं मिला है जिसके कारण उन्होंने जिलाधीश के कार्यालय के सामने धरना दे रखा है।

अध्यक्ष जी, मेरा आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से निवेदन है कि वहां पर जो फर्टिलाइजर का अकाल पड़ा हुआ है, उसको समाप्त करने में सरकार सहयोग दे और बिन्दल एग्रो फर्टिलाइजर लिमिटेड, शाहजहांपुर को फारेन एक्सचेंज की व्यवस्था करे ताकि वह कारखाना बन सके और उन किसानों को जिनकी जमीन अधिग्रहीत हुई है, मुआवजा मिल सके। यदि वह कारखाना बन जाता तो किसानों को मुआवजे के साथ-साथ उनके परिवार के एक-एक सदस्य को नौकरी मिलती, जिससे उनको रोजगार मिलता और उनकी दुर्दशा न होती। आज वे लोग बेरोजगार घूम रहे हैं और उत्तर प्रदेश की सरकार बहरी और गूंगी हो गई है। वह इस पर बिलकुल विचार नहीं कर रही है। अब तक तो उस कारखाने को पूर्ण बनकर तैयार हो जाना चाहिए था और फर्टिलाइजर का उत्पादन भी शुरू हो जाना चाहिए, लेकिन वह कारखाना नहीं बना है, उसका काम रुका पड़ा है। मेरा पुनः निवेदन है कि बिन्दल एग्रो फर्टिलाइजर को फौरन इम्पोर्ट लाइसेंस दिलाने का कष्ट करें।

डा० कार्तिकेश्वर पात्र (बालासोर) : अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं इस गरिमापूर्ण सभा का ध्यान, उड़ीसा के कटक जिले के कोराई पुलिस स्टेशन के अधीन एक राजनीतिक हत्या तथा अनुसूचित जाति के लोगों पर हो रहे अत्याचार, की ओर दिलाना चाहता हूं।

8-8-1991 की संध्या को तुलसीपुर जो कि कोराई पुलिस स्टेशन के अधीन आता है, के निवासी श्री आनन्द चन्द्र पलेय की उस समय जघन्य हत्या कर दी गई जब वह अपने मामले 107 की सुनवाई के पश्चात् जाजपुर रोड से लौट रहे थे। रास्ते में उन पर तेज हथियार से हमला किया गया और उनकी जघन्य हत्या कर दी गई। शोरगुल सुनने पर उसकी मां मदद के लिए गई। वहां पर अनेक चश्मदीद गवाह मौजूद थे। लेकिन आज तक कोराई पुलिस स्टेशन की पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की। उसने गुनाहगारों को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया है।

अध्यक्ष महोदय : कृपया आप अपनी जगह पर बैठ जाएं।

डा० कार्तिकेश्वर पात्र : उसकी पत्नी सुन्दरा देवी ने इस मामले में अनेक अधिकारियों से संपर्क किया। लेकिन इस दिशा में अभी तक कुछ भी नहीं किया जा सका है।

अध्यक्ष महोदय : यह समझ में नहीं आता कि यह मामला संसद के अधिकार क्षेत्र में कैसे आता है। कृपया बैठ जायें।

[हिन्दी]

श्रीमती सुमित्रा महाजन (इन्दौर) : अध्यक्ष महोदय, मैं सदन का और सम्बन्धित मंत्री जी का ध्यान एक बहुत ही गम्भीर मसले की ओर दिलाना चाहती हूं। मुम्बई-आगरा राजमार्ग नेशनल हाईवे नम्बर-3 इन्दौर शहर से होकर गुजर रहा है। अब इन्दौर इतना डेवलप हो गया है कि इस राजमार्ग में कई स्कूल, कालोनी आ गई हैं और इसको दृष्टिगत रखते हुए इंदौर के बाईपास की योजना कई सालों से बन चुकी है। इसके साथ-साथ इन्दौर-देवास फोर लेन की भी योजना बन चुकी है लेकिन मंत्रालय की तरफ से उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। मैं बार-बार इस प्रश्न

को उठा रही हूं, बार-बार मंत्री जी से मिलती आ रही हूं। इस पर ध्यान न दिए जाने के कारण करीब रोज एक ऐक्सीडेंट उस मार्ग पर हो रहा है, रोज एक मां की गोद सूनी हो रही है, रोज एक पत्नी का सिन्दूर उजाड़ा जा रहा है और एक प्रकार से वह राजमार्ग किलर्स कौर्नर के नाम से प्रसिद्ध हो रहा है। मेरे क्षेत्र में इसको लेकर बड़ा रोष पैदा हो गया है। दो दिन पहले वहां पर एक छोटे से छात्र की मृत्यु हो गई है। यह भी आम बात हो गई है कि दो दिन चक्का जाम होता है लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। आज भी वहां पर छात्र भूख हड़ताल पर बैठे हैं। यह पैकेज टू में सम्मिलित है। मुझे बार-बार जवाब मिल रहा है कि पैकेज टू में सम्मिलित है, वर्ल्ड बैंक के अन्तर्गत यह आएगा, काम शुरू होगा लेकिन इसमें देर लगेगी। मैं चाहूंगी कि उस मार्ग का कम से कम चौड़ीकरण हो जाए और पैकेज टू का जो अनुबंध है जो वर्ल्ड बैंक के साथ होना है, उसे भी जल्द से जल्द पूरा करके बाई-पास का काम प्रारम्भ किया जाए। मंत्री महोदय इसे सहानुभूतिपूर्वक देखें।

[अनुवाद]

प्रो० वेंकटेश्वरालु उमारेड्डी (तेनाली) : अध्यक्ष महोदय, मैं पिछले पांच दिनों से सरकार के सम्मुख तक महत्वपूर्ण मुद्दा लाने की कोशिश कर रहा हूं परन्तु ऐसा करने का मुझे अवसर नहीं मिल पाया। यह दुर्भाग्य की है कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र के चुंदुर गांव में 10 सितम्बर को एक दलित युवक श्री के० अनिल कुमार की हत्या कर दी गई जोकि 6 अगस्त, 1991 के जघन्य हत्याकांड के बाद चर्चा का विषय बनी हुई है।

पुलिस पर यह आरोप लगाया गया कि 6 अगस्त के हत्याकांड में उसकी मिलीभगत थी और 10 अगस्त की घटनाओं के बारे में उसने कोई कार्यवाही नहीं की तथा पीड़ित व्यक्तियों को न्याय दिलाने की मांग करते हुए भूख हड़ताल पर बैठे श्री अनिल कुमार को, गोलीबारी में मारने की घटना में स्वयं वह शामिल थी। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि पुलिस प्रशासन लोगों की रक्षा करने में पूर्णतया असफल रहा है और राज्य सरकार एक मूकदर्शक बन कर रह गई है तथा उसमें निष्क्रियता आ गई है।

मैंने इस गरिमापूर्ण सभा में यह मामला लगातार 8, 9, 12 और 14 अगस्त, 1991 को उठाया और इन घटनाओं की तत्काल जांच कराने और अपराधियों के विरुद्ध कार्यवाही करने की मांग करते इस हत्याकांड पर चिंता व्यक्त की। मैं 10 अगस्त, 1991 को उस गांव में गया, शोक संतप्त परिवारों के सदस्यों से मिला और मैंने इस बर्बर कृत्य की निंदा की।

मैंने सो इतनी चिंता व्यक्त की है, परन्तु दूसरे सदन के मेरे एक माननीय साथी ने कुछ दिनों पहले एक गैर-जिम्मेदाराना और आधारहीन वक्तव्य दिया और कहा कि चुंदूर हत्याकांड में मैंने अपने रिश्तेदारों का प्रयोग किया है। यह केवल एक राजनीति प्रेरित षडयंत्र है और जानबूझकर मुझे फंसाने का प्रयास किया गया है और मैं इसकी निन्दा करता हूं।

चूंकि अब यह बिना किसी संदेह के सिद्ध हो गया है कि राज्य में कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए आन्ध्र प्रदेश की वर्तमान राज्य सरकार के पास राजनीतिक कुशलता और प्रशासनिक पकड़ नहीं है, इसलिए वह राज्य का शासन चलाने के लायक नहीं है। अतः मैं पुनः यह मांग करता हूं कि इससे पूर्व कि आन्ध्र प्रदेश में सामाजिक ताना-बाना नष्ट हो, कानून और व्यवस्था की स्थिति और बिगड़े

तथा कुछ और निर्दोष लोगों की जानें जाएं और सरकारी तथा गैर-सरकारी सम्पति नष्ट हो, राज्य सरकार को तत्काल बरखास्त किया जाए और नए सिरे से चुनाव कराए जाएं।

मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि चुंदूर में 6 और 10 अगस्त को हुई घटनाओं और हाल ही में 10 सितम्बर को पुलिस द्वारा गोली चलाए जाने के कारण श्री के० अनिल कुमार की मृत्यु की घटना के जांच कार्य में तेजी लाने के अतिरिक्त, सामान्य स्थिति बहाल करने और सभी वर्गों के लोगों में विश्वास पैदा करने के लिए शांति समितियों का गठन किया जाना चाहिए।

शोक संतप्त परिवार के प्रति अपनी सहानुभूति व्यक्त करते हुए मैं मृतकों के निकट संबन्धियों को अनुग्रह राशि दिए जाने की मांग करता हूं।

असम में सेना तैनात किए जाने से उत्पन्न स्थिति

11.53 म० पू०

डा० जयन्त रंगपी (स्वशासी जिला) : अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं असम में सेना तैनात करने से उत्पन्न स्थिति के बारे में सरकार और सभा का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

महोदय, शायद आपको भी इसकी जानकारी है कि अब उल्फा के पास सात बंधक हैं और सेना तैनात होने से उन बंधकों का जीवन खतरे में पड़ जाएगा। हमें मुख्य रूप से इस बात की चिंता है कि बंधकों को सुरक्षित मुक्त कराया जाए। सेना को तैनात किए 32 घंटे हो गए हैं। अभी तक सेना बंधकों को नहीं छुड़ा पाई है। महोदय आज का यह समाचार है कि उल्फा ने बंधकों को मारने की पुनः धमकी दी है। मैं सरकार से यह जानना चाहूंगा कि क्या सेना की तैनाती से बंधकों की सुरक्षित रिहाई सुनिश्चित हो जाएगी।

महोदय, समाचार पत्रों में छपी रिपोर्ट के अनुसार असम सरकार ने असम विधान सभा के भारतीय साम्यवादी दल के एक माननीय सदस्य, श्री प्रमोद गोगोई को उल्फा से वार्ता करने के लिए कहा था। वह ऊपरी असम में थे। अब उक्त वार्ताकार से बिना कोई परामर्श किए अचानक सेना तैनात कर दी गई है। महोदय, आज प्रातः गुवाहाटी से मुझे फोन आया है कि अभी भी भारतीय साम्यवादी दल के माननीय सदस्य की स्थिति खतरे में है।

महोदय, आपके माध्यम से मैं दूसरी बात सरकार के ध्यान में यह लाना चाहता हूं कि इससे असम की जनता मुख्यधारा से और भी विमुख हो जाएगी। मैं अपनी इस बात पर पुनः बल देना चाहता हूं कि हम एकजुट और लोकतांत्रिक भारत के पक्षधर हैं। इसे सुनिश्चित करने के लिए हमें सेना तैनात नहीं करनी चाहिए क्योंकि ऐसा करने से असम की जनता मुख्यधारा से विमुख ही होगी। सरकार को इसका राजनीतिक समाधान खोजना चाहिए। सेना की तैनाती से शांतिप्रिय नागरिकों को कष्ट होगा।

यदि हम "आपरेशन बजरंग" के दौरान हुए अनुभव को देखें तो पाएंगे कि उस दौरान 3,596

व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था। प्रतिदिन राष्ट्र को बताया जाता था कि यह आपरेशन बहुत सफलतापूर्वक किया गया है। महोदय, सरकार कह रही थी कि अनेक उल्फा काडरों को गिरफ्तार किया गया है। अकेले राष्ट्रपति शासन के दौरान 3,596 गिरफ्तार व्यक्तियों में से 2,833 व्यक्तियों को छोड़ दिया गया था क्योंकि उनके विरुद्ध कोई पर्याप्त कारण नहीं बनता था। इससे सैनिक आपरेशन की गुणवत्ता का पता चलता है। आपरेशन बजरंग के दौरान राज्यपाल को इन व्यक्तियों को छोड़ना पड़ा···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपनी बात संक्षेप में कहिए। आप बहुत लम्बा भाषण दे रहे हैं।

डा० जयन्ती रंगपी : महोदय, पर गम्भीर स्थिति है। इससे असम की शांतिप्रिय जनता मुख्य-धारा से और अलग-थलग पड़ जाएगी। इसलिए, सेना को शीघ्र वापस बुला लेना चाहिए और भारत सरकार को राजनीतिक समाधान के लिए प्रयास करना चाहिए।

महोदय, इस समय जो स्थिति उत्पन्न हुई है वह केवल उल्फा के कारण नहीं है बल्कि राज्य सरकार द्वारा स्थिति से अकुशलता से निपटने के कारण है। चुनाव के परिणाम 16 जून को घोषित हो गए थे, परन्तु मुख्यमन्त्री ने शपथ 30 जून को ली। इस प्रकार 14 बहुमूल्य दिन गंवा दिए गए और इस दौरान इस ग्रुप को पुनः एकत्र होने का समय मिल गया और जिस दिन सैकिया सरकार ने शपथ ली थी, उन्होंने उसी दिन अनेक लोगों का अपहरण कर लिया। अपहरण 1 जुलाई को किया गया और 5 अगस्त तक सरकार उल्फा के लोगों से सम्पर्क नहीं कर पाई। इस आशय का वक्तव्य मुख्यमन्त्री ने विधान सभा में दिया था। अतः एक मास और चार दिन तक सरकार उल्फा से सम्पर्क नहीं कर पाई।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपको उस अवसर का सदुपयोग करना चाहिए जो आपको दिया गया है। आपको इसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए।

डा० जयन्त रंगपी : मैं इसका सदुपयोग कर रहा हूं। यह एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक मास और चार दिन तक सरकार उल्फा के लोगों से सम्पर्क नहीं कर पाई। परन्तु उसी समय केन्द्रीय सरकार प्रतिदिन उस मुख्यमन्त्री में अपना विश्वास व्यक्त कर रही जो एक मास·····तक बंधकों की रिहाई के लिए उल्फा से सम्पर्क नहीं कर पाए (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं कहना चाहता हूं कि यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। मैं प्रत्येक दल के एक-एक सदस्य को बोलने की अनुमति दे रहा हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने कहा है कि मैं प्रत्येक दल के एक सदस्य को बोलने की अनुमति दे रहा हूं। कृपया मेरी बात सुनिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मुझे पता नहीं आप बोलना चाहते हैं या शोर मचाना चाहते है। मैं कह रहा हूं कि मैं आपको बोलने की अनुमति दे रहा हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : ऐसा लगता है कि आप अत्यधिक उत्तेजित हैं। जब मैं कहता हूं कि बैठ जाइए तो कृपया बैठ जाइए।

श्री महीराम सेकिया (नोगोंग) : असम की समस्या राजनैतिक है और इसे राजनैतिक ढंग से ही हल किया जाना चाहिए। लेकिन इस समस्या को हल करने के लिए राजनैतिक प्रक्रिया आरम्भ करने की बजाय भारत सरकार ने असम सरकार के साथ सांठ-गांठ करके "आपरेशन राइनो" नामक एक सशस्त्र बल आपरेशन शुरू किया। स्वतन्त्रता प्राप्ति के समय से ही भारत सरकार असम के लोगों को दबाना चाहती है। हर बार कोई न कोई तर्क देकर सेना की सहायता ली जाती है। आतंकवाद और कुछ नहीं एकत्रित हुई शिकायतों की अभिव्यक्ति मात्र है। इस समस्या का समाधान करने के लिए वे इस रोग के कारणों का पता न लगाकर इसके लक्षणों का उपचार कर रहे हैं। यही तो समस्या है।

इस अवधि के दौरान कानून और व्यवस्था की स्थिति और बिगड़ गई है और 39 गणमान्य व्यक्तियों का अपहरण किया गया है। उनकी जान को खतरा है। अतः मैं राज्य सरकार के त्याग पत्र की मांग करता हूं क्योंकि विगत में ऐसी ही परिस्थितियों में कानून की व्यवस्था की असफलता का तर्क देकर पंजाब में बरनाला सरकार को बर्खास्त किया गया था। इसी प्रकार कश्मीर के मामले में भी इसी तर्क पर फारूख अब्दुल्लाह सरकार को बर्खास्त किया गया था और विधान सभा को स्थगित कर दिया था।

पंजाब के लोगों ने और कुछ राजनैतिक दलों ने प्रशासन को सशस्त्र बलों को एक बार फिर से सौंपने की मांग की है लेकिन भारत सरकार में ऐसा करने का साहस नहीं है। लेकिन असम के मामले में भारत सरकार शर्मनाक ढंग से सेना की मदद लेना चाहती है ताकि वहां के लोगों को दबाया जा सके। दूसरे दिन गृह मन्त्री जी ने असम के संसद सदस्यों को अपने कक्ष में आमंत्रित किया था और उनसे सलाह तथा सुझाव देने के लिए कहा था। हमने बार-बार उनसे पूछा था कि क्या उनके मन में असम में सेना भेजने की कोई बात है। इस सम्बन्ध में उन्होंने इन्कार कर दिया था। बल्कि उन्होंने यह कहा था कि वह उनकी सलाह और सुझावों पर विचार करेंगे। लेकिन उसी दिन आधी रात को चोरों और डाकूओं की भांति असम सरकार के साथ सांठ-गांठ करके असम में सेना का आपरेशन शुरू कर दिया गया।

महोदय, यह एक राष्ट्रीय और राजनैतिक समस्या है। यह कांग्रेस दल की समस्या नहीं है। कठिनाई यह है कि भारत सरकार ने इस समस्या को दलगत समस्या माना है और वे इसे सेना की मदद से हल करना चाहते हैं। महोदय, आपके माध्यम से मैं भारत सरकार से यह कहना चाहता हूं कि वह

इस बात को महसूस करे और आप सहमति के लिए सर्वदलीय बैठक बुलायें और इस समस्या को प्रशासनिक ढंग से हल करने की बजाय राजनैतिक ढंग से हल करें; अन्यथा आपरेशन राइनो असम के लोगों को राष्ट्रीय मुख्यधारा से और अलग कर देगा। इससे देश की एकता और अखंडता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। मैं आपके माध्यम से भारत सरकार को पुनः स्मरण कराना चाहता हूं कि वह इस समस्या को दलगत समस्या न मानकर एक राजनैतिक समस्या माने और उग्रवादियों के साथ सीधे बातचीत की पहल करके इसे हल करे।

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़) : महोदय, असम से आए मेरे सहयोगियों द्वारा व्यक्त की गई भावनाओं की मैं सराहना करता हूं। मैं समझता हूं कि असम में स्थिति उतनी ही गम्भीर है जितनी कि पंजाब और जम्मू-कश्मीर में। यहां तक की यह अधिकाधिक गम्भीर होती जा रही हैं। मेरी केवल यह चिन्ता है कि वर्तमान असम सरकार और मुख्यमन्त्री ने विगत अनुभव से भी कोई सबक नहीं सीखा है। असम में आपरेशन बजरंग पहले ही असफल रहा है। स्थिति अभी भी गम्भीर बनी हुई है। लोगों का अपहरण किया जा रहा है, अभी भी उनको बंधक बनाया हुआ है। वहां भय का वातावरण व्याप्त है। सभा में यह बात पहले ही उठाई जा चुकी है कि देश के किसी भी भाग से असम में जाने वाला गैर-असमी 'अल्फा' आतंकवादियों का विशेषतौर पर निशाना बनता है।

गत चुनावों के पश्चात् असम के नए मुख्यमन्त्री ने शायद नेकनीयती से कुछ काम शुरू किए थे और असम के सभी राजनैतिक दलों को विश्वास में लिया था। यह एक स्वागतयोग्य कदम था। वह सभी राजनैतिक दलों की सहमति से कुछ प्रयास भी कर रहे थे। लेकिन स्थिति हाथ से निकल गई। और मैं समझता हूं कि अचानक ही असम सरकार आतंकित हो गई। मेरी आपत्ति यह है कि जब सभी दल इस गम्भीर राष्ट्रीय समस्या का हल निकालने के लिए असम के मुख्यमन्त्री के साथ सहयोग कर रहे थे तो उन्होंने सेना की सहायता क्यों ली ? हमने समाचारपत्रों में यह पढ़ा था कि उनके अनुरोध पर भारत सरकार ने सेना भेजने का फैसला किया था। मेरी आपत्ति यह है कि जब सभी राजनैतिक दल ऐसे गम्भीर विषय पर उनको सहयोग दे रहे थे तो उन्होंने सभी राजनैतिक दलों को विश्वास में क्यों नहीं लिया ? भारत सरकार ने यहां दिल्ली में राजनैतिक नेताओं को विश्वास में लिए बिना, जबकि असम में हमारी इकाईयां एक ऐसे गम्भीर राष्ट्रीय मामले पर मुख्यमन्त्री के साथ सहयोग कर रही थीं, सेना क्यों भेजी, जैसे 'आपरेशन राइनो' नाम दिया गया। जब आपरेशन बजरंग सफल नहीं हुआ था तो यह सही कहा गया था कि यह एक राजनैतिक समस्या है। हम स्थिति की गम्भीरत से पूरी तरह अवगत हैं। दुर्भाग्यवश हमारे देश में ऐसी स्थितियां हो सकती हैं जब सेना भेजनी पड़े। लेकिन जब एक प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी और जब सभी राजनैतिक दल सहयोग कर रहे थे और जब एक सहमति बन चुकी थी तो उनके इस प्रकार की कार्रवाई, राजनैतिक कार्रवाई से अचानक मुकर जाने से स्थिति और जटिल हो गई है।

12.00 मध्याह्न

अतः मेरा अनुरोध है कि प्रधानमन्त्री जी को अब एक और पहल करनी चाहिए और तुरन्त आज या कल सभी राजनैतिक दलों के नेताओं की एक बैठक बुलानी चाहिए और उन्हें विश्वास में लिया जाना चाहिए। मेरी आशंका यह है कि 'अल्फा' ने एक और यह अल्टीमेटम दे दिया है कि वे आज 6.00 म०प० तक सभी बंधकों को जो उनके पास बंधक हैं फांसी दे देंगे। यह बहुत गम्भीर बात

हो जाएगी। मैं समझता हूं कि यदि आज 6.00 म०प० से पहले प्रधानमन्त्री जी एक बैठक बुलाते हैं तो शायद समाधान निकालने के लिए कोई स्थिति उत्पन्न हो सके। यह मेरा अनुरोध है। महोदय, आपके माध्यम से मैं प्रधानमन्त्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि वह इस मामले में तुरन्त पहल करें।

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : अध्यक्ष महोदय, मेरे विचार में असम के बारे में सरकार की कोई नीति नहीं है। पिछले कुछ समय से हम सभा में अपना विरोध व्यक्त कर रहे हैं। हमने 'अल्फा' का मामला उठाया, वहां पर हो रहे अपहरणों, हत्याओं और बेकसूर लोगों को तंग करने से सम्बन्धित मामलों को उठाया और हमने असम में 'अल्फा' अलगाववादियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। लेकिन असम में सरकार द्वारा अपनाया गया दृष्टिकोण, जिसका केन्द्रीय सरकार ने भी अनुमोदन किया था, यह था कि लोगों को यह बताया जाए कि वहां स्थिति गम्भीर नहीं है। यह सरकार द्वारा अपनाया गया एक बेमिसाल दृष्टिकोण था। कल उन्होंने एक और रुख अपनाया है वह है सेना को लगाया जाना। इन दोनों बातों का मेल किस प्रकार हो सकता है? एक तरफ तो उन्होंने आम माफी दी है और दूसरी तरफ एक भिन्न प्रकार की कार्रवाई की जा रही है, जो पहले वाली कार्रवाई से एकदम उलट है, वहां सेना लगाई जा रही है। इस देश के लोगों की भावनाएं क्या होंगी और वे किस प्रकार समझ पायेंगे कि सरकार की नीति क्या है?

इस मामले में मैं केन्द्रीय सरकार के रवैये की भर्त्सना करता हूं। वह पहले कह रहे थे कि असम की राज्य सरकार प्रत्येक मामले में विपक्ष को अपने विश्वास में लेती रही है लेकिन इस मामले में, जैसा कि श्री चन्द्रजीत यादव जी ने कहा है, वे राजनैतिक दलों से बात करना भूल गए। न तो उन्होंने असम में और न ही केन्द्र में राजनैतिक दलों से बातचीत की। सैद्धांतिक रूप में हम आंतरिक स्थिति से निपटने के लिए सेना भेजे जाने के विरुद्ध हैं जबकि मैं यह जानता हूं कि 'अल्फा' का विदेशों से सम्बन्ध है। उन्हें पाकिस्तान, बंगलादेश और बर्मा से समर्थन मिल रहा है। अत: यह एक गम्भीर मामला है। यह बहुआयामी समस्या है। हम सभी इस समस्या से निपटने के लिए कड़े उपाय किए जाने के हामी हैं और वास्तव में हम असम में 'अल्फा' समस्या को समाप्त करना चाहते हैं लेकिन मैं इस बात की निंदा करता हूं कि इस अत्यन्त संवेदनशील मामले से निपटने का यह कोई तरीका नहीं है। उन्हें उन लोगों को विश्वास में लेने का कार्य शुरू करना चाहिए, राजनैतिक दलों से बातचीत करनी चाहिए और वह यह देखें कि वे असम से कितनी जल्दी सेना को वापस बुला सकते हैं, वहां पर सामान्य स्थिति बहाल कर सकते हैं और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करने में लोगों की किस प्रकार सहायता कर सकते हैं।

श्री इम्चालम्बा (नागालैंड) : अध्यक्ष महोदय, मैं केवल असम में सेना तैनात किए जाने के बारे में कुछ बातें कहना चाहूंगा। हम सभी को पता है कि स्थिति बहुत गम्भीर है तथा सेना तैनात किए जाने के बाद और भी गम्भीर हो जाएगी।

अध्यक्ष महोदय : यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है तथा माननीय सदस्यों को बोलने दिया जाए तथा इस पर उन्हें अपने विचार देने दीजिए।

श्री इम्चालम्बा : महोदय, केवल सेना का तैनात किया जाना ही गम्भीरता की बात नहीं है बल्कि सेना तैनात किए जाने के परिणाम और भी गम्भीर हैं। शुरू में हमें कुछ सफलता मिली भी है

और हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि यह सफलता केवल अस्थायी है तथा हमें उससे प्रसन्न नहीं हो जाना चाहिए । किन्तु इसका दीर्घकालीन प्रभाव जो सेना की कार्यवाही से लोगों पर पड़ेगा मेरे विचार से वह कहीं अधिक महत्वपूर्ण है···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं आशा करता हूं कि सरकार की ओर से भी इन बातों पर ध्यान दिया जा रहा होगा ।

श्री इम्बालम्बा : कुछ दिन पहले 14 सितम्बर को संसद में पेट्रोलियम मन्त्री ने कहा था कि बन्धकों तथा नजरबन्दियों को साथ-साथ रिहा करने के लिए बातचीत चल रही है । मुझे आश्चर्य है कि उसी रात सेना द्वारा कार्यवाही करने का संकेत दे दिया गया । यदि स्थिति का हल करने का हमारा यही तरीका है तो मैं आपको कहूंगा कि इससे स्थिति और भी गम्भीर हो जाएगी तथा जिस बात पर हम बल दे रहे हैं वह महत्वहीन हो जाएगी । किसी बातचीत से पूर्व यहां तक कि विरोधियों पर भी हमें थोड़ा भरोसा, तथा विश्वास रखना पड़ेगा तथा वर्तमान स्थिति का हल करने के लिए यदि हमारा यही तरीका है तो दूसरे आतंकवादी हम पर सन्देह करेंगे और सरकार में उनकी आस्था समाप्त हो जाएगी और उससे भविष्य में होने वाली किसी बातचीत में बाधा उत्पन्न होगी । यदि हम अब कुछ कहते हैं तथा कुछ घण्टों बाद कुछ और, तो वे हमारे ऊपर विश्वास कैसे करेंगे ? आतंकवादी जो बहुत ही संदिग्ध प्रकृति के होते हैं हमारे ऊपर विश्वास नहीं करेंगे । उन्हें जीतना और भी कठिन हो जाएगा । तो एक तो मैं यह बात कहना चाहूंगा । मैं यह भी कहना चाहूंगा कि गत नवम्बर में 'आप्रेशन बजरंग' क्यों असफल हो गया है । यदि गुप्तचर विभाग की रिपोर्टों के आधार पर ही वर्तमान सैनिक कार्यवाही की गई तो मैं आपको बताए देता हूं कि हम खतरा मोल ले रहे हैं । 'आप्रेशन बजरंग' के मामले में आई० बी० ने सूचना दी थी कि उन्हें स्पष्ट जानकारी है कि 'उल्फा' का जमाव कहां-कहां है परन्तु जब सेना वहां गई तो उन्होंने पाया कि शिविर खाली हैं तथा वहां कोई नहीं है । यदि यह कार्यवाही भी उसी तरह की सूचनाओं के आधार पर की गई तो मैं आपको स्पष्ट रूप से कह रहा हूं कि यह असफल रहेगी । हमें पता है कि देश में आई० बी० तथा एस० आई० बी० किस तरह से चल रही है तथा उनकी अन्तर्निहित क्या कमियां हैं । मैं आपको बता दूं कि भूमिगत उल्फा आतंकवादी संगठन तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र के अन्य आतंकवादी संगठनों को उनके कार्यकरण की प्रणाली की कमियो तथा खामियों के बारे में हमसे अधिक जानकारी है । हमें यह बात भी ध्यान में रखनी चाहिए कि वे जो भी निर्णय लेते हैं उसे वे काफी सोच-विचार करने के बाद लेते हैं । यदि हम केवल गुप्तचर एजेंसियों की रिपोर्टों के आधार पर ही निर्णय लेंगे तो मैं आपको बता दूं कि हम इस समस्या का कभी हल नहीं कर सकेंगे तथा हम अपने उद्देश्य को कभी प्राप्त नहीं कर सकेंगे । इसलिए मैं आपको बहुत ही स्पष्ट रूप में बताना चाहता हूं कि यदि उल्फा ने यह कहा है कि वे बन्धकों को मार देंगे तो वे निश्चय ही उन्हें मारेंगे क्योंकि वे अपनी बात को गंभीरता के साथ कहते हैं । भूमिगत आतंकवादी हमारी तरह नहीं हैं । वे बिल्कुल ही अलग तरह के हैं । वे निर्णय यूं ही नहीं लेते । वे सभी पहलुओं पर भलीभांति विचार करके कोई निर्णय लेते हैं तथा जब वे किसी बात पर कोई अन्तिम निर्णय ले लेते हैं तो उसे पूरा भी करते हैं । इसीलिए मैं कहता हूं कि अभी भी कुछ घंटे बचे हैं । इस प्रकार की स्थितियों के बारे में पूर्वोत्तर में नागालैंड तथा अन्य पूर्वोत्तर क्षेत्र में मेरे लगभग 30 वर्ष के अनुभव से आपको बताता हूं कि उनकी धमकियां खोखली नहीं हैं ।

अध्यक्ष महोदय : आप संक्षेप में बोलिए ।

श्री इम्बालम्बा : अपने 30 वर्ष के अनुभव के आधार पर मैं कह सकता हूं कि जो भी धमकियां वे दे रहे हैं, उन्हें वे पूरा भी करेंगे ।

मैं सरकार से यह कहना चाहता हूं कि सरकार द्वारा की जा रही कार्यवाही के फलस्वरूप कोई बन्धक रिहा भी हो पाएगा या नहीं। जिन लोगों को उन्होंने बन्धक बना रखा है, उनका क्या होगा ? यदि 30 घण्टे की सैनिक कार्यवाही के पश्चात भी उन्हें बचाया नहीं जा सका तो मैं भलीभांति यह कह सकता हूं कि इस कार्यवाही से उनके जीवन को पहले से भी अधिक खतरा हो गया है।

मैं यह कहना चाहूंगा कि हमारे देश में चाहे वह पंजाब हो, या कश्मीर हो या पूर्वोत्तर हो हमारी ऐसी स्थिति है कि जिसमें सेना तैनात करने से आतंकवादियों का इतना नुकसान नहीं हुआ है जितना की निर्दोष लोगों का, जिन्हें सबसे अधिक नुकसान हुआ है। इसीलिए जहां तक सम्भव हो हमें इससे बचना चाहिए। इस स्थिति के लिए दलों द्वारा एक-दूसरे पर आरोप लगाना ठीक नहीं है। इससे हमें कोई लाभ नहीं होगा। हमें इसे राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य से देखना है तथा इसका समाधान करना है यही उत्तम रास्ता है। हमें छोटे विवादों में नहीं पड़ना चाहिए जैसाकि असम गण परिषद कांग्रेस की आलोचना कर रही तथा कांग्रेस असम गण परिषद की ?

अध्यक्ष महोदय : आपको यह समझना चाहिए कि दूसरे भी सदस्य हैं जिन्होंने बोलना है। यह एक असूचीबद्ध मद है।

श्री इम्बालम्बा : महोदय, आप बार-बार कह रहे हैं कि मैं अपना भाषण समाप्त कर रहा हूं वह मैं बह कर दूंगा लेकिन उससे पूर्व मैं यह स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि हम समय इसलिए नहीं ले रहे हैं कि हम कुछ बोलना चाहते हैं। हम जो भी कुछ थोड़ा बहुत कहते हैं वह काफी सोच समझ कर कहते हैं तथा राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखकर कहते हैं। इसीलिए मैं यह कहूंगा कि जो भी थोड़ा-बहुत मैंने कहा है उसकी ओर ध्यान दिया जाए। मुझे आशा है कि इसे ध्यान में रखा जाएगा तथा कुछ न कुछ तत्काल कार्यवाही की जाएगी।

[हिन्दी]

श्री सूर्य नारायण यादव (सहरसा) : अध्यक्ष महोदय, आसाम के बार्डर से लगता हुआ हमारा क्षेत्र है। हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं, जैसे सरकार ने हड़बड़ी में फैसला लिया, चन्द्र जीत यादव साहब ने ठीक कहा जो वहां सेना का फैसला लिया गया, वह जल्दीबाजी में लिया गया। उल्फा उग्रवादियों का यह कहना कि जितने बंदी हैं उनका सफाया कर देंगे, मेरा कहना यह है कि अभी वक्त है, सारे दलों से राय कर लें और सर्वसम्मत राय से आप कुछ करें तो मैं समझता हूं कि जो इतनी बड़ी घटना घटने जा रही है उसे हम रोक सकते हैं।

मेरी राय साफ-साफ है कि सेना को हटा लिया जाए और सर्वदलीय बैठक करके जो निर्णय हो वह लागू किया जाए। उसको उल्फा भी मानेगा।

[अनुवाद]

श्री पीटर जी० मरबनिआंग (शिलांग) : महोदय चन्द रोज पहले असम का प्रश्न इस सभा में उठा था। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण राजनैतिक मुद्दा है। इस सभा के जिम्मेदार नेताओं के रूप में हम एक ही समय दोनों तरह की बातें नहीं कर सकते। 'आप्रेशन राइनो' इसलिए लाया गया था क्योंकि इस सभा में यह मांग की गई थी कि कुछ प्रभावी कदम उठाए जाएं। 'आप्रेशन राइनो' केवल बन्धकों

का पता लगाने के लिए ही नहीं किया गया था।...(व्यवधान) 'आप्रेशन राइनो' केवल बन्धकों को ढूंढने के लिए ही नहीं है। इसके अनेक दूसरे उद्देश्य हैं जैसे सिविल प्राधिकारियों की सहायता करना आदि। मुझे जानकारी है कि अरुणाचल प्रदेश, असम तथा नागालैण्ड के सीमावर्ती क्षेत्रों से अनेक कार्यकर्त्ता भर्ती किए गए हैं तथा उन्हें सशस्त्र विद्रोहियों के रूप में प्रशिक्षित करने के लिए विदेशों को भेजा गया है। इसीलिए इस समस्या के सम्बन्ध में हमें कड़े कदम उठाने चाहिएं। मैं जानता हूं कि एक ही समय हमें दोनों तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। असम सरकार ने केन्द्रीय सरकार के परामर्श से यह कार्यवाही की थी। मैं चाहता हूं कि वे सीमाओं को सील कर दें ताकि भर्ती किए गए कार्यकर्त्ता आ-जा न सकें तथा वे सीमा की दूसरी ओर से प्रशिक्षण प्राप्त न कर सकें। सेना तैनाती के बारे में मुझे और कुछ नहीं कहना है। मुझे केवल यही निवेदन करना था। आपका धन्यवाद।

श्री किरिप चालिहा (गुवाहाटी) : अध्यक्ष महोदय, असम पर बोलने के लिए मुझे यह अवसर प्रदान करने के लिए आपका धन्यवाद। मैं असम की राजधानी का प्रतिनिधित्व करता हूं। मैंने अपने निर्वाचन क्षेत्र के लोगों से वायदा किया है कि सबसे पहला प्रश्न जो मैं संसद में उठाऊंगा वह यह होगा कि असम के युवाओं ने हथियार क्यों उठाए।

वर्तमान स्थिति बहुत गम्भीर है। इसकी जांच करनी पड़ेगी। असम पर बोलने का मुझे अवसर मिल रहा है किन्तु साथ ही, मुझे कहते हुए दुःख हो रहा है कि असम में स्थिति बहुत ही संवेदनशील है तथा इसका समाधान करते समय हमें काफी सावधानी से काम लेना होगा। जबकि यह सच है तथा मैं श्री चन्द्रजीत यादव के साथ सहमत हूं कि असम की स्थिति का समाधान करने के लिए आम सहमति होनी चाहिए। यह भी सच है कि कांग्रेस दल की सरकार ने उल्फा युवकों के साथ आपसी समझौता करने के मामले में अधिकतम प्रयास किया है। दुर्भाग्यवश बन्धकों की हत्या तथा उसके पश्चात फैली अराजकता तथा बातचीत के टूटने के परिणामस्वरूप वहां तुरन्त सेना बुलाना अनिवार्य हो गया।

श्रीमान्, सेना वहां जा रही है। उन्हें अधिकार दिए जा रहे हैं जैसे कि भारत असम को जीतने के लिए कहीं बाहर जा रहा हो। असम भारत का एक हिस्सा है। अलगाववाद फैलाने वाले लोगों को असम की जनता सहन नहीं करेगी।

सभा में हरेक सदस्य यह कह रहा है कि असम में जो कुछ हो रहा है वह उचित नहीं है और उपयुक्त कदम उठाए जाने चाहिएं। अब हम सब को इसका हल ढूंढने में सहयोग करना चाहिए ताकि वहां सेना को कम से कम समय के लिए ठहरना पड़े और इस समस्या का हल ढूंढना चाहिए ताकि इस राज्य में शान्ति स्थापित हो सके।

मैं इस सभा के प्रत्येक सदस्य से तथा अन्य सभी से अनुरोध करता हूं कि वे भावनाओं में आकर कुछ न कहें और इस मामले को राजनीतिक न बनायें। अभी असम के संसद सदस्यों की गृहमंत्री के साथ हुई बैठक में असम की वर्तमान स्थिति पर गहरी चिन्ता व्यक्त की गई थी।

मैं यह अपील करता हूं कि असम में शान्ति बहाल करने के लिए हम सबको मिलकर काम करना चाहिए।

श्री उद्धव बर्मन (बारपेटा) : अध्यक्ष महोदय, श्रीमान् असम के सम्बन्ध में कुछ कहने का अवसर

देने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। असम की स्थिति, पहले ही गम्भीर बन चुकी थी, वहां सेना लगाने से वह और अधिक गम्भीर हो गयी है। हम उल्फा द्वारा की जाने वाली हिंसा, हत्याओं, अपहरण आदि के विरुद्ध हैं। हम अल्फा की अलगाववादी मांग के विरुद्ध आवाज उठाते रहे हैं। हमने देखा है कि केन्द्र सरकार ने अल्फा की समस्या से निपटने के लिए असम राज्य की सरकार को खुली छूट दे रखी है, जिसने इस स्थिति को और अधिक जटिल बना दिया है। वे दूसरे लोगों को विश्वास में नहीं ले रहे हैं जिसके कारण स्थिति और बिगड़ गयी है। पहले ही गम्भीर बन चुकी स्थिति को सेना भेजकर और अधिक गम्भीर बना दिया गया है। इस समय न केवल बन्धक बनाए गए लोगों की बल्कि राज्य के सभी लोगों की जान को खतरा है। इसीलिए मैं केन्द्र सरकार से, और विशेषकर गृह मन्त्री से मांग करता हूं कि असम में सेना भेजने तथा असम की स्थिति के बारे में वह एक वक्तव्य दें।

असम के लोग अलगाववादी नीतियों के विरुद्ध हैं और वे शान्ति चाहते हैं। पिछले चुनावों में सत्तर प्रतिशत से भी अधिक लोगों ने मतदान किया था और चुनाव भी शांतिपूर्ण रहा था। अतः असम तथा भारत की एकता को बनाए रखना चाहिए। राज्य सरकार ने, जिसे केन्द्र सरकार ने पूरी छूट दे रखी है, इस समस्या को जटिल बना दिया है और स्थिति के और बिगड़ने से वह जटिल समस्या अब विस्फोटक बन गयी है। कांग्रेस सरकार की नीति से देश के विभिन्न भागों में ऐसी समस्यायें उत्पन्न हुई हैं और अभी भी हो रही हैं। इसे रोकना होगा और इसीलिए मैं सभा के सभी सदस्यों से अपील करता हूं कि असम को बचाना भारत को बचाना होगा और भारत को बचाने के लिए असम को बचाना होगा तथा इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए समुचित कदम उठाने होंगे।

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (लखनऊ) : अध्यक्ष महोदय, देश के किसी भाग में सेना बुलाने का फैसला किया जाए, भले ही वह सेना सिविल प्रशासन की मदद के लिए आई हो, तो यह अपने में गंभीर घटना है और इसके बारे में सदन को विश्वास में लिया जाना चाहिए। सेना भी, बार-बार, इस तरह से उसका उपयोग किया जाए इसको पसन्द नहीं करेगी। स्वयं सुरक्षा मन्त्री कह चुके हैं कि सेना का इस तरह से उपयोग अच्छा नहीं है। मैं चाहूंगा और जैसाकि अभी हमारे मित्र ने कहा, गृह मन्त्री महोदय आसाम की स्थिति के सम्बन्ध में, ताजा स्थिति के सम्बन्ध में और सेना बुलाने का फैसला, किस पृष्ठभूमि में किया गया और उसकी बुलाने का तात्कालिक उद्देश्य क्या है। इस पर उन्हें प्रकाश डालना चाहिए। सेना हमेशा नहीं रह सकती है। लेकिन, कठिनाइयां हो रही है और यह कठिनाई केवल आसाम की नहीं है, यह कठिनाई देश के और भागों में भी हो रही है।

थोड़े दिन पहले, मैं जम्मू गया था। आतंकवादियों और उग्रवादियों ने अपने साथियों को छुड़ाने का एक तरीका निकाला है। वे, अपहरण करते हैं और बन्दूक की नोक पर, जो अनेक हत्याओं के अपराधी हैं, उन्हें छुड़ाने की मांग करते हैं और छुड़ाने में सफल होते हैं। यह सिलसिला कब से शुरू हुआ, मैं उसमें जाना नहीं चाहता। आसाम में सोवियत इन्जीनियर की हत्या कर दी गई और अभी ओ० एन० जी० सी० के श्री राजू को मारकर फेंक दिया गया। ओ० एन० जी० सी० के कर्मचारी हड़ताल पर चले गए। देश में तेल का संकट पैदा हो जाएगा, यह खतरा खड़ा हो गया। आसाम की पुलिस, मैं सारी पुलिस को दोष नहीं दे रहा हूं, लेकिन, आसाम की पुलिस में ऐसे तत्व हैं, जो या तो उग्रवादियों से भयभीत हैं या उग्रवादियों के साथ कहीं न कहीं जुड़े हुए हैं। पहले, बजरंग ऑपरेशन हुआ था, सेना बुलाई गई थी। उसकी सूचना उग्रवादियों को पहले ही प्राप्त हो गई थी। फिर भी,

सेना की कार्यवाही का कुछ असर हुआ, लेकिन सेना ने जिन्हें गिरफ्तार किया, उन्हें चुनाव के बाद जो नयी सरकार आई, उसने छोड़ दिया और सेना फिर गिरफ्तार करके कार्यवाही करेगी और फिर राजनीतिक हल ढूंढ़ने के नाम पर लोग छोड़ दिए जाएंगे कोई राजनीतिक हल निकल सके तो मुझे प्रसन्नता होगी। आपने हम लोगों को बड़ी मुश्किल में डाल दिया है कि कोई सोलूशन हो तो बताओ।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : सभा को सरकार तथा राष्ट्र का मार्गदर्शन करना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, हम तो सरकार को गाइड करने के लिए तैयार हैं, मगर ये बार-बार मिसगाइड हो रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : वह गाइडेंस क्या हैं, वह बता दें।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : इस सरकार के पास न दृष्टि है, न दिशा है। कम से कम असम के बारे में कोई नीति नहीं है। चुनाव हो गए, चुनी हुई सरकार बन गई और सरकार बनने से पहले जैसा हमारे एक मित्र ने कहा था बीच में जो समय गया उसने असम की स्थिति को काबू के बाहर कर दिया। चुनाव में थोड़ी सी अनिश्चितता होती है, लेकिन असम में यह अनिश्चितता ज्यादा हुई; लम्बी हुई। साइकिया सरकार ने सत्ता सम्भाली और बजरंग आपरेशन के रूप में सेना ने जो कुछ किया था उस पर पानी फिर गया। उल्फा वाले फिर से हथियार लेकर संगठित हो गए और आज वे चुनौती दे रहे हैं। आज ही अखबार में पढ़ा है, कोई देश कोई सरकार, मैं सदन से भी कहना चाहता हूं कि यह कैसे स्वीकार कर सकता है कि मुट्ठी भर हथियारबन्द लोग इस देश से शर्तें मनवाएं और कहें कि इस तारीख तक इतने बजे तक छोड़ दो नहीं तो हम हत्या कर देंगे। यह कौन सी राजनीति है, यह हत्या की राजनीति है। क्या इस हत्या की राजनीति के सामने हम झुक जाएं? मैं मानता हूं राजनीतिक प्रयत्न होना चाहिए। लेकिन जब पानी सिर से ऊपर हो जाए, मैं नहीं जानता कि असम में हुआ था या नहीं हुआ था, साइकिया सरकार पर मेरा रत्ती भर विश्वास नहीं है। आज की सरकार असम की स्थिति के लिए, क्षमा कीजिए हमारे कांग्रेस के मित्र दोषी हैं।

मैं पुरानी कहानी में जाना नहीं चाहता। असम जैसा शांत प्रदेश, शालीन प्रदेश जहां मैं पहली बार असम में गया तो लोगों ने कहा कि यहां आराम से काम होता है, आप जल्दी मत करिए-लाहे-लाहे। प्राकृतिक सौंदर्य से भरा हुआ असम आज जल रहा है। क्या यह लगातार गलत नीतियों का नतीजा नहीं है? क्या यह पाकिस्तान से बंगलादेश से होने वाली घुसपैठ का परिणाम नहीं है? स्थिति गम्भीर है। मुझे यह शिकायत सही है और मैं शिकायत को दोहराना चाहता हूं कि प्रधान मन्त्री ने असम के बारे में या गृह मन्त्री ने कभी विरोधी दलों को बुलाकर बातचीत नहीं की। अगर हम यहां कोई कड़ी कार्रवाई की मांग करते हैं तो हमसे कहा जाता है कि असम में आपकी पार्टी ने एमनेस्टी को भी स्वीकार कर लिया था और हो सकता है कि वह आर्मी बुलाने को भी स्वीकार कर ले। असम में राजनैतिक दल किस दबाव में काम कर रहे हैं यह किसी से छुपा हुआ नहीं है। लेकिन केन्द्र को क्या आपत्ति है कि विचार-विनिमय करे, सलाह करे। अब सेना बुलाने की जगह एक रास्ता हो सकता था कि वहां बोर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस है या असम की पुलिस है, इन सबकी कमांड

सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के कहने पर सेना के अफसर को सौंप दी जाती। सीधे-सीधे सेना को तस्वीर में लाने की आवश्यकता नहीं थी। वह अफसर कोआर्डिनेट कर सकता था, इंटेलिजेंस भी उसके अंतर्गत होनी चाहिए। लेकिन अब सेना बुला ली गई है, हम चाहेंगे कि सेना वहां कम से कम समय रहे। आतंकवादियों और उग्रवादियों पर काबू पाए और उसके साथ-साथ आप राजनैतिक पहल शुरू करें, इसमें कोई आपत्ति नहीं हो सकती है। लेकिन यह केवल राजनैतिक पहल से हल होने वाला मामला है, ऐसा दिखाई नहीं देता।

असम के मुख्य मन्त्री ने कहा, अध्यक्ष महोदय, मैं नहीं जानता कहां तक सच है इतने लोगों की हत्याएं होती जा रही हैं और ट्रेनिंग दी जा रही है, उसमें चीन का भी हाथ है, यह बहुत गम्भीर वक्तव्य है। पाकिस्तान वहां कुछ कर रहा हो इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं हो सकती है, हो सकता है वह कर रहा हो, यह कहने में कोई आपत्ति नहीं है। वह जरूर कर सकता है, वह हमें हर तरफ से मुसीबत में डालने के लिए तैयार है। लेकिन जहां तक चीन का सवाल है, चीन ने पहले नागाओं की मदद की थी, बाद में उन्होंने कहा।

[अनुवाद]

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य (जादवपुर) : हम चाहते हैं कि असम से सेना हटाई जाए।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : यदि यह इतना आसान होता तो मेरे बोलने की आवश्यकता ही नहीं थी। मेरे पास ऐसा आसान हल नहीं है जैसाकि आपके पास है। मैं किसी राजनीतिक लाभ के लिए नहीं बोल रहा हूं। मेरा दृष्टिकोण भिन्न है। इस वर्तमान दृष्टिकोण के कारण ही देश की बर्बादी हो रही है।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय, यह मामला बहुत ही गम्भीर है। असम को सेना के हवाले कर दो—यह कहना सरल है, उतना ही यह कहना कि सेना को वापस बुला लो यह कहना सरल है। मगर परिस्थिति दोनों बातों को कहने के लिए सरल नहीं है। अगर प्रदेश का प्रशासन, पुलिस···मैं फिर जम्मू कश्मीर की बात कह रहा हूं। कश्मीर में अपहरण हो गया गुप्ता का। वह जम्मू का अधिकारी था। पंजाब नेशनल बैंक श्रीनगर में काम कर रहा था। बैंक पर पहरा लगा था। पुलिस वाले आतंकवादियों से मुठभेड़ करने के बजाय इशारा कर रहे हैं कि बैंक का मैनेजर कौन है? अगर यह गलत साबित हो, तो मुझे खुशी होगी। 14 अगस्त को लाल चौक पर पाकिस्तान का झण्डा फहराया गया कश्मीर पुलिस के पहरे में। वहां पुलिस मिली हुई थी। किस के भरोसे आप काम करेंगे? इसलिए सेना बुलाने की जरूरत पड़ती है, पड़नी नहीं चाहिए। इसलिए यह महिला सदस्या इस तरह के सवाल न पूछें। मैं तो सेना भेजने के हक में नहीं था। मैं तो इस हक में भी नहीं था कि ऐसी परिस्थिति पैदा हो कि सेना भेजी जाए। यह परिस्थिति हमने तो पैदा नहीं की। हम सब का सामूहिक पाप है। परमात्मा के लिए अब इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। मगर राजनीति, जो उधर बैठे हुए हैं, छोड़ने को तैयार नहीं है। अगर कांग्रेस राजनीति नहीं छोड़ेगी तो विरोधी दल भी वही खेल करेंगे। पता नहीं इस देश का क्या होगा?

कई माननीय सदस्य : ऐसा हम नहीं करेंगे।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मैं तो कभी-कभी सोचकर कांप जाता हूं और इसलिए इस सदन में बहस कभी-कभी बड़ी बेमानी मालूम होती है। अध्यक्ष महोदय, मैं 33 सालों से पार्लियामेंट से जुड़ा हुआ हूं। लोकसभा में था, राज्यसभा में था। हम कहां पहुंच गए ? एक मैम्बर ने ठीक कहा कि यह एक सिम्पटम है और सेना भेजना, यह लक्षण का इलाज होगा, बीमारी का नहीं। एक बार काबू कर लेंगे, फिर आतंकवाद सिर उठाएगा जब तक मिलकर के इस देश की इच्छा शक्ति प्रकट नहीं होगी, मैं नहीं जानता, मिल सकते हैं या नहीं मिल सकते हैं, मुझे तो मिलने की कोई सम्भावना दिखाई नहीं देती। हम छोटे-छोटे झगड़ों में इतना फंसे हुए हैं कि सारा देश हमारी आंख से ओझल हो रहा है। आने वाली संतानें हमें कभी माफ नहीं करेंगी लेकिन अभी भी समय है—मिलकर बैठें और ऐसे प्रश्नों पर एक नीति निर्धारित करें और अगर नीति बन जाए तो उस नीति पर दृढ़ता के साथ अमल करें, ईमानदारी से उस पर अमल करें। ईमानदारी से अमल पर जोर दें लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। टुकड़ों में समस्याएं देखी जा रही हैं और राजनैतिक चश्मे से देखी जा रही हैं। यह तरीका नहीं है देश की समस्याओं को हल करने का। धन्यवाद।

श्री चन्द्रशेखर (बलिया) : अध्यक्ष महोदय, असम की घटना जितनी गम्भीर है, उतनी ही दुखद है। दो बातें ज्यादा गम्भीरता को बढ़ा देती हैं। एक जिसका जिक्र अटल जी ने अभी किया कि असम के मुख्यमन्त्री ने एक बयान दिया और उन्होंने केवल चीन का नाम नहीं लिया, पाकिस्तान और बंगलादेश का नाम भी लिया। मुझे आश्चर्य और दुख के साथ कहना पड़ता है कि न विदेश मंत्री ने, न विदेश मन्त्रालय ने इस बारे में कुछ कहना उचित समझा। किसी भी सरकार के लिए, जो देश के पड़ोसियों से सम्बन्ध बनाये रखना चाहती हैं, मुख्यमन्त्री के इस वक्तव्य पर चुप रह जाना, कुछ सही बात मुझे नहीं लगती। हमारी प्रवृत्तियां कुछ उलटी दिशा में जा रही हैं। अपनी समस्याओं को हम हल नहीं कर पाते तो दूसरे की तरफ उंगली उठाकर हम अपने कर्त्तव्य की इतिश्री समझ लेते हैं। पहले केवल पाकिस्तान था और अब बंगलादेश और चीन शामिल हो गए। हम नहीं जानते हैं शायद परिस्थितियां बदल गयी होंगी। लेकिन जितनी मेरी जानकारी है, चीन ने हमेशा मित्रता का व्यवहार हमारे साथ रखा है और पूर्वांचल में जो कुछ घटनाएं हुई, उसमें चीन ने कोई हस्तक्षेप पिछले कुछ वर्षों में नहीं किया जो समाचारपत्रों से मालूम हुआ, जो विदेश विभाग की सूचनाएं थीं, वे यही थीं। अचानक एक महीने में चीन हमारा दुश्मन हो गया। यह सैकिया साहब ने कहा। विदेश मन्त्री भी चुप रहे और प्रधानमन्त्री जी ने कुछ कहना उचित नहीं समझा।

अध्यक्ष महोदय, इस परिप्रेक्ष्य में सेना का वहां भेजना कुछ और रंग ला सकता है, यह बात हमको गम्भीरता से सोचनी चाहिए। यह मामला केवल आंतरिक नहीं रह जाएगा अगर इस तरह के अनुत्तरदायित्व और गैर-जिम्मेदाराना वक्तव्य सरकार के उत्तरदायी लोग देते रहेंगे, और भारत सरकार उस पर मौन रहेगी तो परिस्थिति हमारे हाथ से निकल सकती है।

दूसरा सबसे बड़ा सवाल है जो मैं आपके जरिए इस सदन से और विशेष रूप से प्रधानमन्त्री जी से जानना चाहूंगा। आज भी समाचारपत्रों में जो कुछ आया हैं, उससे ऐसा लगता है कि मुख्य मन्त्री जी को मालूम नहीं था कि सेना आ रही है, और ऐसा लगता है कि भारत सरकार कहती है कि उन्होंने बुलाया था। उन्होंने कहा था कि पहले हमने मांग की थी, लेकिन मालूम नहीं था कि सेना कब आएगी। अब अविश्वास का वे माहौल अगर प्रधानमन्त्री, गृह मन्त्री और मुख्यमन्त्री में होगा तो कैसे आप असम की जनता में विश्वास पैदा करेंगे ? मैं नहीं जानता और मैं इस पर कोई आलोचना नहीं कर

सकता। इन प्रश्नों की सफाई होनी चाहिए। हमारे कांग्रेस के मित्र जो कहते हैं कि'''। अध्यक्ष महोदय, आपने कहा कि समस्याओं का समाधान बताइए। कोई समस्या इस देश की ऐसी नहीं है जिसका समाधान न हो। समाधान हो सकता है लेकिन समस्या का ज्ञान पहले होना चाहिए। हम नहीं जानते किन परिस्थितियों में कहा गया कि फौज भेजी जाए। हम नहीं जानते कि किन परिस्थितियों में शांतिपूर्ण चुनाव होने के बाद भी तीन हफ्ते तक आप असम की सरकार नहीं बना सके। हम नहीं जानते किनके कहने पर लोगों को छोड़ा गया था। क्या उल्फा के लोगों से कोई बातचीत हुई थी या नहीं ? मुख्य मन्त्री कहते हैं कि केन्द्र ने कहा छोड़ दो। केन्द्र कहता है कि मुख्य मन्त्री ने छोड़ दिया। इन उलझन भरी परिस्थितियों में कोई सलाह दे सके, यह सम्भव नहीं है अध्यक्ष महोदय। इसका समाधान है। समस्याएं हल की जा सकती हैं। अगर वही उल्फा के लोग शांतिपूर्ण चुनाव कराने में मदद कर सकते हैं, या चुप रह सकते हैं तो आज कोई कारण नहीं कि उल्फा के लोग अचानक इतने बलशाली हो जाएं कि सारे राष्ट्र को चुनौती देने लगें। कहीं हमको भी अपने अन्दर झांककर देखना चाहिए। कहीं हमारी भी कमजोरी होगी, कोई गलती की होगी। मैं इन पर कुछ नहीं कहना चाहता लेकिन सरकार यदि यह समझती है कि गम्भीर संकट की स्थिति में चुप रहकर, समय बीत जाने से या पालियामेंट का अधिवेशन बीत जाने से समस्याओं का समाधान निकल जाएगा, तो हम और अधिक उलझनों में फंस जाएंगे। मैं तो इस समस्या पर तब तक कुछ नहीं कहूंगा जब तक प्रधानमन्त्री जी यह बात न बताएं कि किन परिस्थितियों में उनको ज्ञान हुआ कि विदेशी ताकतें हमारे विरोध में काम कर रही हैं। किन परिस्थितियों में उन्होंने उल्फा के साथ जो समझौता हुआ, वह किया। समझौता कराने वाले कौन लोग थे, करने वाले कौन लोग थे ? क्यों समझौता टूटा ? एक जिन्दगी जो असम में आई थी, अचानक इस तरह भयानक कैसे हो गई। इन परिस्थितियों का अगर निरूपण श्री प्रधान मन्त्री जी या गृह मन्त्री जी या कोई अन्य सम्मानित सदस्य करें तो हम अवश्य समाधान का उपाय उनको बता सकते हैं।

श्री जार्ज फर्नांडीज (मुजफ्फरपुर) : अध्यक्ष जी, मैं एक बात कहना चाहता हूं। इसमें चन्द्रशेखर जी ने जो बातें कहीं हैं, इसमें अगर-मगर की बात नहीं होनी चाहिए। इस मसले पर प्रधान मन्त्री को सदन में आना चाहिए। यह इतना गम्भीर मामला है कि प्रधान मन्त्री जी आएं और जो प्रश्न अभी आपने रखे हैं, उन प्रश्नों के जवाब देने का काम करें।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : एक बात है। हमें यह जानकारी नहीं है कि वक्तव्य किसने दिया है।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : कौनसा ?

श्री वसुदेव आचार्य (बांकुरा) : कौनसा वक्तव्य ? (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : पता नहीं उनके पास यह जानकारी है कि नहीं। सामान्यतः हम अपने पड़ौसी मित्र देशों के विरुद्ध कोई आरोप नहीं लगाते।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : जब तक किसी प्राधिकृत व्यक्ति ने वक्तव्य न दिया हो तब तक हम ऐसी बातों को महत्व नहीं देते।

(व्यवधान)

श्री जार्ज फर्नान्डीज : मैं इस सम्बन्ध में बात नहीं कर रहा हूं। मैं सेना को वहां भेजने के प्रश्न पर बात कर रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपके वक्तव्य का महत्व कम नहीं कर रहा हूं। यदि कोई बात सभा के समक्ष आयी है तो सम्भवतः कार्यकारिणी के प्रतिनिधि यहां बैठे हैं। उन्होंने इस बात पर ध्यान दिया होगा। वे जानते होंगे कि ऐसे मामलों में क्या करना चाहिए।

यदि मामले समाचारपत्रों में सभा के बाहर से आ रहे हैं तो ऐसे मामलों को कितना महत्व दिया जाना चाहिए मैं इसी प्रश्न को उठा रहा था।

(व्यवधान)

श्री मोहम्मद यूनुस सलीम (कटिहार) : वे प्रधानमन्त्री या गृह मन्त्री महोदय को आज वक्तव्य देने का सुझाव दे सकते हैं क्योंकि मामला बहुत गम्भीर है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मेरे दिमाग में कुछ बात है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री हरि किशोर सिंह (शिवहर) : अध्यक्ष जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि कल और परसों मैं गुवाहाटी में था और कल शाम को ही वापस आया हूं। इस दुर्भाग्यपूर्ण कड़ी में वहां कई तरह की अफवाहें गुवाहाटी में रहीं हैं। सारे असम में अफवाहों की ऐसी लहर फैल रही है जिसके सारे भारत की एकता को सही रूप में उससे खतरा पैदा हो गया है। इस सम्बन्ध में, मेरा आपसे अनुरोध है कि सर्वदलीय संसदीय कमेटी आप गठित कीजिए। वहां के अखबारों में हर तरह के इश्तिहार और फोटो छप रहे हैं। कहा जा रहा है कि अमुक का एकाउन्ट बी० सी० सी० आई० में है, डाका में है, ऐसी अफवाह बहुत जोर से फैल रही है। इस अफवाह को दूर करने के लिए यह आवश्यक है कि सरकार तुरन्त यहां वक्तव्य दे और आप सभी दलों के संसद सदस्यों को बिठाकर एक कमेटी बनाएं जो हर पहलू की जांच करे क्योंकि आज सारे भारत की एकता और अखण्डता को उससे खतरा पैदा हो गया है।

श्री विजय कुमार यादव (बालन्दा) : अध्यक्ष जी, हमको बोलने नहीं दिया जा रहा है। हमारी पार्टी से आप जोगेन्द्र झा जी को बोलने का अवसर दीजिए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मुझे विश्वास है कि सदस्यों की रुचि केवल भाषण देने में ही नहीं समस्या के समाधान में भी है। यदि समस्या को सही ढंग से प्रस्तुत किया जाता है तो हमें इसका हल खोजने का प्रयत्न करना चाहिए न कि बोलने में ही अपनी महत्ता करनी चाहिए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री विजय कुमार यादव : अध्यक्ष जी, यह ऐसा विषय है जब सब को अपनी राय रखने का मौका मिलना चाहिए । जहां आपने सभी पार्टियों के माननीय सदस्यों को बोलने का मौका दिया, हमें मौका नहीं दिया । हमारी पार्टी को भी, सी० पी० आई० को भी बोलने का मौका मिलना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : बैल, भोगेन्द्र झा जी । अगर कोई नया प्वाइंट है तो बता दीजिए ।

श्री भोगेंद्र झा (मधुबनी) : अध्यक्ष जी, जैसा अभी हमारे मित्र चन्द्रशेखर जी ने कहा कि असम में चुनाव शांतिपूर्ण वातावरण में हुए, जबकि हम लोगों को आशंका थी क्योंकि 1979-80 में भी वहां चुनाव नहीं हो सके थे । इस माने में कुछ बेहतरी की आशा हुई । इसलिए अब जो असम सरकार ने उल्फा उग्रवादियों को बड़े पैमाने पर रिहा किया, हमने उसका विरोध नहीं किया । हमको आशा थी कि हालत कुछ सुधर गयी है इसलिए असम सरकार ने यदि कुछ रियायतें दी है तो ऐसा खतरा कभी-कभी मोल लिया जा सकता है । मगर खतरा जुआ नहीं होना चाहिए, खतरा परिस्थितियों को तौल कर लिया जाना चाहिए । अब जो बातें सामने आयी हैं, उससे मालूम पड़ता है कि असम सरकार ने खतरे को तौलकर मोल नहीं लिया था । अब वहां सेना भेजना, कोई युद्ध की हालत तो पैदा हुई नहीं है कि सेना जाएगी, यही मैं कहना चाहता हूं कि जैसी जानकारी हमें हैं, वहां किसी सेना से आमने सामने युद्ध की स्थिति नहीं है । इसलिए मेरा कथन है कि सरकार का गुप्तचर विभाग अत्यन्त ही कमजोर और भरोसा करने लायक नहीं रह गया है, चाहे पंजाब हो, आसाम हो, ताकि सही खबर सरकार को मिल सके । ऐसे मामलों में गुप्तचर विभाग के जरिए, सही सूचनाओं के जरिए ही मुकाबला किया जा सकता है, अन्यथा अगर कोई किसी का खून कर दे, किसी की हत्या हो जाती है और उसके बाद में सेना भेजी जाती है, गोली चलती है···

अध्यक्ष महोदय : भोगेन्द्र झा जी, देखिए, आप इस माहौल को फिर से उभारने का काम कर रहे हैं । फिर वापस पहले जैसा बना दे रहे हैं।

श्री भोगेन्द्र झा : अब चूंकि वहां फौज चली गयी है, इसलिए उसे वापस बुलाने की हिम्मत शायद किसी में नहीं है अगर मैं जानना चाहूंगा कि हमारे जो इंजीनियर वहां मारे गए थे, तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के, उसको लेकर बड़ी लम्बी हड़ताल चली । क्या उस समझौते में यह शर्त रखी गयी थी, सरकार ने कबूल की थी कि हम फौज को वहां भेजेंगे । अगर ऐसी शर्त थी तो फौज का वहां भेजा जाना क्या बंध होगा या इससे कोई राजनैतिक समाधान हो पाएगा । असम की जो जायज शिकायत है, वहां के पिछड़ेपन को दूर करने के सम्बन्ध में मुख्य रूप से है । क्या सरकार उनकी शिकायतों को दूर करने की दिशा में कोई प्रयास कर रही है । इसीलिए मैंने जोर दिया कि यह मामला अब बढ़कर बिहार में भी पहुंच गया है । बीस से ज्यादा, जूडिशियल मजिस्ट्रेट, दो तो हमारे यहां, चार, हमारे मित्र अभी सूर्यनारायण यादव जी बोले, उनके यहां, और राम विलास पासवान जी के क्षेत्र में चार इंजीनियरों का अपहरण हुआ । एक यू० एन० सिंह की हत्या हो गयी । झबुआ और रोहतास में एक हाई कोर्ट के जज के भाई का अपहरण हुआ ।

अध्यक्ष महोदय : अब ऐसे मामले में हमारी पार्लियामेंट भी इफैक्टिव नहीं होती है क्योंकि हम लोग विषय को गम्भीरता से नहीं समझते हैं और सिर्फ बोलने के लिए बोलते हैं ।

श्री भोगेन्द्र झा : मैं सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोल रहा हूं। मैं यह कह रहा हूं कि क्या इसके पीछे कोई अन्तर्राज्यीय सम्बन्ध हैं। यहां जिस तरह से चीन आदि देशों का नाम लिया गया, मुख्य-मन्त्री ने चीन का नाम लिया, या तो सरकार उसकी पुष्टि करे या खण्डन करे। किसी देश को मित्र या शत्रु बनाने का भार किसी राज्य के मुख्यमन्त्री को नहीं दिया जा सकता। यह काम हमारे विदेश विभाग का है। वह या तो इसकी पुष्टि करे या खण्डन करे क्योंकि यह विश्वास करना कठिन है कि चीन का इसमें कोई हाथ है, चीन की सरकार का हाथ है या बंगलादेश सरकार का कोई हाथ है क्योंकि बंगलादेश आज जनतन्त्र के रास्ते पर जा रहा है, कठिन संघर्ष कर रहा है। उस सरकार का इसमें कोई हाथ है, ऐसा मानना मेरे लिए कठिन हो रहा है। इसलिए या तो तथ्यांकन करें या उसका खण्डन करें और यह आवाज संसद से जानी चाहिए थी कि कोई मुख्यमन्त्री विदेश नीति का भार नहीं ले सकता है। किसी मुख्यमन्त्री के ऊपर विदेश नीति का भार नहीं जाना चाहिए।

[अनुवाद]

श्री राम नाईक (मुम्बई-उत्तर) : सभा इस बारे में चिन्तित है। इसका केवल एक ही उपाय है। उस राज्य में सेना भेजी गई है और सभा को चिंता है। प्रधानमन्त्री या सदन के नेता या गृह मन्त्री को उपस्थित होना चाहिए था।

अध्यक्ष महोदय : यह बात पहले कही जा चुकी है। इसे दोहराने का कोई लाभ नहीं और मैंने इसे नोट कर लिया है। क्या आप इसे दोहरा कर इसमें कुछ और जोड़ रहे हैं।

श्री राम नाईक : यदि वे उपस्थित होते तो सदन का समय अवश्य बचाया जा सकता था।

अध्यक्ष महोदय : किन्तु इस बात को दोहरा कर सदन का समय बर्बाद किया जा रहा है। राम नाईक जी आप इस बात को दूसरों से बेहतर समझ सकते हैं।

(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : सरकार की ओर से कौन उत्तर देगा? मुझे आशा है कि सरकार जवाब देने जा रही है। (व्यवधान)

श्री चन्द्रशेखर : स्थिति इतनी सामान्य नहीं है। उस राज्य में सेना भेजी गई है और आप कह रहे हैं कि दूसरे देश उस क्षेत्र में आतंकवाद को भड़का रहे हैं। क्या प्रधान मन्त्री या गृह मन्त्री या सरकार में अन्य किसी जिम्मेदार व्यक्ति के लिए लाजमी नहीं है कि वह यहां बैठें और वक्तव्य दें? वह आज इससे अधिक महत्वपूर्ण कौनसा काम कर रहे हैं? मैं जानना चाहता हूं कि सभी मन्त्री किस काम में लगे हैं जो असम की स्थिति से अधिक महत्वपूर्ण है? क्या देश में असम की स्थिति से भी गम्भीर कोई समस्या है जिससे वह निपटा रहे हैं? आप कहते हैं कि उनके आने तक हम यहां प्रतीक्षा करते हैं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : चन्द्रशेखर जी, हम आपकी भावनाओं की कद्र करते हैं।

(व्यवधान)

श्री चन्द्रशेखर : आमतौर पर मैं ऐसे मामलों में बोलने के लिए नहीं उठता हूं। किन्तु इस

मामले को इतने हलके तौर पर नहीं लिया जाना चाहिए। यह एक अत्यन्त गम्भीर मामला है और यदि प्रधान मन्त्री सदन में उपस्थित नहीं हो सकते, तो वह और क्या कर रहे हैं? (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपकी भावनाओं की कद्र की जाएगी। किन्तु प्रधानमन्त्री को इसकी सूचना नहीं दी गई थी।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। मेरे विचार से आप वास्तव में चाहते हैं कि यह संसद अधिक प्रभावी हो। कृपया समझने की कोशिश करें, आपकी जो भी भावनाएं हैं उनकी कद्र की जाएगी। यदि आप केवल बोलना ही चाहते हैं तो मैं कुछ नहीं कहना चाहता।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। माननीय सदस्यों की भावनाओं भी निश्चित रूप से कद्र की जाएगी। लेकिन यदि आप लोग इस प्रकार जबरदस्ती करेंगे तो यह अच्छा नहीं लगता।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : महोदय, सवाल यह नहीं है। आपने सदन के सम्मान और गरिमा की बात कही। अब, संसद का सत्र चल रहा है पूर्वोत्तर में इतनी गम्भीर दुर्घटना हुई है, और प्रधान मन्त्री उपस्थित नहीं हैं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इसी रवैये के कारण संसद की कुशलता में कमी आई है।

आप जो चाहते हैं वही किया जाएगा; किन्तु सही तरीके से।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : इस विषय पर मेरा मत आपसे भिन्न है। मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं। प्रधान मन्त्री ने आज इस सभा की बैठक में भाग न लेकर इसके सम्मान को कम किया है। हमें उन लोगों पर निर्भर रहना पड़ता है जो कोई मायने नहीं रखते। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : हमें प्रधान मन्त्री के साथ ज्यादती नहीं करनी चाहिए।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : आपके प्रति पूरा सम्मान रखते हुए भी मेरा मत आपसे भिन्न है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : बूटा सिंह जी, मैं आपको बाद में बोलने की अनुमति दूंगा। मन्त्री महोदय, मैं आपको भी बाद में अनुमति दूंगा। सदस्यों को बोलने दीजिए। नहीं तो वे आपसे फिर बोलने के लिए कहेंगे। मन्त्री जी अन्त में बोलेंगे···कृपया इस बात को समझिए कि यह मामला बड़ा सही रूप ले चुका है। इसे बिगाड़िए नहीं और यदि बोलना आवश्यक नहीं है तो मत बोलिए।

श्री याइमा सिंह मुइनाम (आंतरिक मणिपुर) : मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि असम समस्या को हल करने के लिए, असम, नागालैण्ड और मणिपुर के मुख्य मन्त्रियों द्वारा समन्वित प्रयास किया जाना चाहिए। यह अत्यन्त महत्वपूर्ण है क्योंकि न केवल उल्फा, बल्कि नागा सोशलिस्ट काउंसिल, पीपुल्स लिबरेशन आर्मी तथा मणिपुर का प्रिवपाक; यह सभी उस क्षेत्र में एक दूसरे से जुड़े हैं। हालांकि इन

सबके नाम अलग-अलग हैं किन्तु उनका उद्देश्य तो एक ही है। तीनों मुख्य मन्त्रियों के समन्वित प्रयत्न से, असम से नागालैण्ड और नागालैण्ड से मणिपुर की सीमा बन्द करने में मदद मिलेगी। यदि असम में सेना तैनात की जाती है तो उल्फा के लोग अन्य क्षेत्र में शरण ले लेंगे।

अध्यक्ष महोदय : आप नियमित भाषण नहीं कर रहे हैं। इस मुद्दे पर आप आपने विचार प्रकट कर रहे हैं। सदन में यह बात अच्छी तरह से स्पष्ट की जा चुकी है। यदि आप इसमें कुछ जोड़ सकते हैं तो जोड़िए। इसके और अधिक विस्तार में जाने की आवश्यकता नहीं।

श्री थाइमा सिंह युमनाम : मेरा प्रस्ताव है कि मणिपुर, नागालैण्ड और असम की सरकारों द्वारा समन्वित प्रयत्न किए जाने चाहिए। मैं इस नए पहलू के विषय में बता रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : हां, एक नया पहलू है।

श्री थाइमा सिंह युमनाम : बहुत से माननीय सदस्यों को इस क्षेत्र के बारे में कोई जानकारी नहीं है। इन विशाल वन क्षेत्र में सेना आसानी से नहीं पहुंच सकती। किन्तु ये उग्रवादी किसी भी स्थान पर आसानी से पहुंच सकते हैं क्योंकि वह इस क्षेत्र से परिचित हैं। असम, मणिपुर, नागालैण्ड के इन क्षेत्रों की सीमा चीन, बांग्लादेश और बर्मा के साथ लगती है। वे आसानी से सीमा के उस पार जाकर शरण ले लेते हैं। सेना के लिए अल्फा उग्रवादियों और निर्दोष लोगों के बीच भेदकर पाना अत्यन्त कठिन है।

मणिपुर में सेना तैनात किए जाने के कारण मैं स्वयं पिछले कई वर्षों से परेशान हूं। बहुत सी निर्दोष बच्चियों के साथ बलात्कार हुआ है और कई निर्दोष लोग मारे गए हैं क्योंकि सेना के लोग उग्रवादियों और निर्दोष लोगों के बीच भेद नहीं कर पाते। सेना तैनात किए जाने से देश में सैनिक तानाशाही का विचार पनपेगा और यह देश के हित में नहीं होगा। मैं इस क्षेत्र से सेना को हटाए जाने की सिफारिश करूंगा।

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० एम० जैकब) : महोदय, असम में सेना तैनात किए जाने के बारे में मैंने बहुत से सदस्यों के विचारों को सुना। यह मामला वास्तव में एक महत्वपूर्ण मामला है और सरकार भी इसे एक महत्वपूर्ण मामला मानती है न कि साधारण मामला। इसलिए, सरकार आज ही सदन में एक व्यवतव्य देगी। मैं सदन को आश्वासन देता हूं कि हम सदन में सभी पहलुओं के बारे में एक वक्तव्य देंगे। इस समय मैं केवल यह कह सकता हूं। कृपया थोड़ी देर प्रतीक्षा करें।

श्री सोमनाथ चटर्जी : आप वक्तव्य कब देंगे ?

श्री एम० एम० जैकब : आज ही।

अध्यक्ष महोदय : क्या आप समय बता सकते हैं ताकि सदस्यों का पता चल जाए ?

श्री एम० एम० जैकब : 3.30 या 4.0 बजे, किसी भी समय, मैं तैयार हूं।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है 5 बजे निश्चित किया जाता है। मैं सरकार से यह भी कहूंगा कि

सदस्यों ने इस सदन में अपने विचार व्यक्त किए हैं और जो कुछ उन्होंने कहा वह सरकार के प्रतिनिधियों ने सुना है। अतः जो कुछ उन्होंने कहा, यह वक्तव्य और उत्तर, उसके अनुरूप होना चाहिए।

श्री चन्द्रजीत यादव : प्रधान मन्त्री को आकर वक्तव्य देना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : यह प्रधान मन्त्री भी हो सकते हैं या गृह मन्त्री भी हो सकते हैं। यह उन पर निर्भर करता है।

[हिन्दी]

श्री फूलचन्द वर्मा (गाजीपुर) : अध्यक्ष महोदय, मध्य प्रदेश सरकार ने गैस पर आधारित विद्युत संयंत्रों की स्थापना के लिए मध्य प्रदेश विद्युत मण्डल के द्वारा राज्य के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में गैस पर आधारित चार संयंत्रों की स्थापना का प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा था। इसमें 8 मिलियन मिट्रिक टन गैस की प्रतिदिन की आवश्यकता दर्शायी गई थी। परन्तु गैस की उपलब्धता हेतु आवंटन न दिये जाने के कारण यह आशायें निरर्थक साबित हो गई हैं जबकि एच० बी० जे० गैस पाइप लाइन का 1/3 भाग मध्य प्रदेश से 550 किलोमीटर की दूरी तय करके गुजरता है और दूसरी ओर राजस्थान में जहां की पाइप लाइन की एक शाखा गई है, गैस आधारित विद्युत संयंत्र का विस्तार कार्य प्रारम्भ हो चुका है। यह मध्य प्रदेश के साथ सरासर अन्याय है। मध्य प्रदेश में इस समय 18 प्रतिशत विद्युत की कमी आंकी गई है जोकि आठवीं पंचवर्षीय योजना में बढ़कर 26 प्रतिशत हो जायेगा। इस समय भी राज्य में विद्युत आपूर्ति की बड़ी कठिनाई हो रही है। अतः मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से यह कहना चाहता हूं कि गैस की उपलब्धता की सम्भावनायें बढ़ चुकी हैं। अतः मध्य प्रदेश में प्रस्तावित गैस पर आधारित संयंत्र को गैस का आवंटन शीघ्रातिशीघ्र प्रदान किया जाये ताकि इसकी शुरुआत मध्य प्रदेश में की जा सके। धन्यवाद।

[अनुवाद]

श्री पाला के० एम० मैथ्यू (इदुक्की) : महोदय, मैं एक अनिवार्य महत्व का मामला उठा रहा हूं। यदि उस पर ध्यान न दिया गया तो यह रोग भारत के सभी भागों में फैल जाएगा। यह मामला दो सप्ताह पूर्व सदन में उठाया गया था। केरल में झीलों और बालों के ताजे और खारे पानी में मछलियों में एक अज्ञात महामारी फैली हुई है। कोट्टायम, अलापुजा और पाथनमथिट्टा जिलों के कुट्टानद, वेम्बानाद क्षेत्र में सर्वाधिक प्रभावित हैं। यदि इस समय रहते नहीं रोका गया तो इस बात की सम्भावना है कि यह बीमारी इदुक्की जिले के क्षेत्रों में भी फैल जाएगी। यह केरल राज्य का ही मामला नहीं है; यह महामारी पहले ही राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पार कर चुकी है और अस्ट्रेलिया, बर्मा, त्रिपुरा, इण्डोनेशिया, मेघालय, बांग्लादेश, असम तथा अन्य स्थानों पर फैली है। यद्यपि इस समय यह महामारी केवल केरल तक ही सीमित है, किन्तु यदि समय रहते पर्याप्त निवारक उपाय नहीं किए गए तो इसके भारत के अन्य भागों में भी फैलने की सम्भावना है।

हजारों मछुआरों, मछली बेचने वालों के लिए जीविकोपार्जन कठिन हो गया है और सहकारी समितियों की स्थिति खराब है। इसलिए, इसे रोकने के लिए तुरन्त कदम उठाने होंगे। पहले से प्रभावित राज्य में इस रोग ने सारी मत्स्य सम्पदा को नष्ट कर दिया है। अब यह केरल में आन्तरिक जल में भी फैल रही है। अकेले कुठानद क्षेत्र में ही प्रतिवर्ष दो लाख टन मत्स्य उत्पादन होता है जो केरल राज्य

के कुल आन्तरिक मीन उत्पादन के 40% से अधिक है। मौजूदा स्थिति चिंताजनक है और लोगों में भय व्याप्त है। इसलिए मैं कृषि मन्त्रालय, मत्स्यपालन विभाग, केन्द्रीय मेरीन विभाग, सैन्ट्रल इनलैण्ड कैप्चर फिशरीज रिसर्च, इंस्टीट्यूट, फिशरीज डेवलपमेंट कमिशनर और अन्य सम्बन्धित सरकारी एजेन्सियों से अनुरोध करता हूं कि वह तुरन्त कदम उठाएं।

आपके माध्यम से मैं इन सभी सरकारी एजेन्सियों से अनुरोध करता हूं कि वह युद्धस्तर पर तुरन्त कदम उठाएं ताकि इस महामारी के उपचार का पता लगाया जा सके और इसे आगे बढ़ने से रोका जा सके।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : श्रीमती महेन्द्र कुमारी। आप कल कुछ कहना चाह रही थी, आज कुछ कहना चाहती है?

[अनुवाद]

श्रीमती महेन्द्र कुमारी (अलवर) : महोदय, मैं, माननीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री के ध्यान में यह बात लाना चाहती हूं कि देश में सभी अस्पतालों की हालत अत्यन्त खराब है। कभी वहां डाक्टर नहीं होते। कई बार केवल आपातकालीन सेवा खुली होती है किन्तु अस्पताल बन्द होता है।

जब आप गांवों में जाते हैं वहां पर डाक्टर नहीं होते। डाक्टर गांवों में नहीं जाते क्योंकि सभी मेडिकल कालेज शहरों में होते हैं। यहां तक कि युवा डाक्टर—पुरुष और महिलाएं—भी गांवों में नहीं जाना चाहते क्योंकि वहां पर उचित सुविधाएं नहीं हैं। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह सेना के समान नियम बनाए। सेना में कभी हड़ताल नहीं होती।

जो डाक्टर गांवों में सेवा करने की इच्छा व्यक्त करते हैं उन्हें अधिक पैसा मिलना चाहिए।

आमतौर पर नर्सें भी ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा करने से झिझकती हैं। कुछ नर्सें ऐसे क्षेत्रों में सेवा करती हैं। ग्रामीण लोग आते हैं और कहते हैं प्रसव के केस के बहाने वे नर्सों को तंग करते हैं। कुछ मामलों में तो नर्सों के साथ बलात्कार भी किया गया है। मैं अनुरोध करता हूं कि ग्रामीण क्षेत्रों में किसी भी स्थान पर एक नर्स के बजाए कम से कम दो नर्सें अवश्य भेजी जाएं।

अभी कुछ ही समय पहले दिल्ली में कुछ मरीजों को पुराना ग्लुकोस दिए जाने से कुछ लोगों की मृत्यु हो गई है। अत: दवाईयों के पुराने स्टाक को उनके खराब होने की तारीख के तुरन्त बाद हटा दिया जाना चाहिए। मैं भी ऐसी ही दुर्घटना का शिकार हुआ था। सौभाग्यवश मैं मरने से बच गया।

मैंने यह भी देखा है कि मरीजों को दिए जाने के बजाए दवाईयां बाजार में बेच दी जाती हैं। ऐसा करने वाले व्यक्ति रजिस्टरों में झूठी प्रविष्टियां कर देते हैं तथा दवाईयों को बाजार में बेच देते हैं। सरकार को चाहिए कि वह इस सम्बन्ध में सख्त कार्यवाही करे तथा यह भी देखे कि डाक्टर और नर्सें खुश रहें ताकि हड़ताल न हो।

श्री रबि राय (केन्द्रपाड़ा) : अध्यक्ष महोदय, मैं एक बहुत ही राष्ट्रीय महत्व का सवाल उठाना चाहता हूं। यह सवाल नेताजी सुभाष चन्द्र बोस द्वारा स्थापित आजाद हिन्द फौज और आई० एन० ए० के फण्ड को लेकर है। इसमें एक विचित्र समस्या यह पैदा हुई है कि श्री अमिय नाथ बोस, जो नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के भतीजे हैं और कलकत्ता के नामी बैरिस्टर हैं, उनको एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री की ओर से इस साल 22 जून को यह बताया गया, 22 जून, 1991 को रीजनल पासपोर्ट आफिसर, कलकत्ता के जो हैं, उनको भारत सरकार की ओर से कहा गया कि नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के जरिए स्थापित जो आजाद हिन्द सरकार थी या आई० एन० ए० का जो 114 करोड़ रुपया था, उसका क्या हुआ……

1.00 म० प०

इसकी शुरुआत इससे हुई कि संसद में एक सवाल पूछा गया था। वह सवाल था :

[अनुवाद]

> "क्या सरकार ने नेताजी सुभाष चन्द्र बोस द्वारा 21 अक्तूबर, 1943 को स्थापित की गई आजाद हिन्द सरकार की बाबत जापान तथा अन्य देशों से 114 करोड़ रुपए मूल्य की परिसम्पत्तियां तथा नकदी प्राप्त की है ?"

[हिन्दी]

वह 114 करोड़ रुपए का सवाल है। इसके बारे में सरकार के पास क्या जानकारी है, हमें पता नहीं है। जब भारत सरकार की ओर से श्री अमिय बोस से पूछा गया कि आपके पास इसके बारे में क्या जानकारी है, तो उनका कहना था—1960 साल में जापान सरकार की तरफ से भारत सरकार के आफिसर, एक्सटरनल अफेयर्स मिनिस्ट्री, टोकियो गए थे, उनको जापान सरकार की ओर से भारत सरकार को 114 करोड़ रुपया, जो आजाद हिन्द सरकार का रुपया था, भारत सरकार को दिया गया था। अब सवाल यह है कि अमिय बोस के बयान के बाद, अभी तक देशवासियों को पता नहीं है कि वह रुपया भारत सरकार के पास पहुंचा है या नहीं पहुंचा है ? असल में अभी तक इस पार्लियामेंट में जो प्रश्न पूछा गया था और अमिय बोस ने बयान दिया था, सरकार के पासपोर्ट आफिसर के सामने, लेकिन अभी तक उस रुपए का देशवासियों को पता नहीं है। मैं आपके समक्ष इस बात को इसलिए उठा रहा हूं कि वह देश का रुपया है, आजाद हिन्द सरकार का रुपया है, देश का धन है और वह देश में आना चाहिए और हिन्दुस्तान के कन्सोलीडेटेड फण्ड में आना चाहिए, लेकिन अभी तक संसद को, देश को पता नहीं है कि वह 114 करोड़ रुपया कहां गया। मैं भारत सरकार से जानना चाहता हूं, वह अभी तक इसके बारे में मौन क्यों है ? अमिय बोस के बयान के बाद सरकार का परम कर्तव्य हो जाता है कि वह देशवासियों के सामने बयान दे कि उस 114 करोड़ रुपए का क्या हुआ।

कुमारी पुष्पा देवी सिंह (रायगढ़) : अध्यक्ष महोदय, मेरे निर्वाचन क्षेत्र रायगढ़, मध्य प्रदेश में पिछले दिनों आंत्रशोथ (गैस्ट्रोएन्ट्रायटिस) की बीमारी से अनेक मौतें हुई हैं। लगभग 900 व्यक्ति मेरे क्षेत्र में पिछले दो माह में मर चुके हैं। दवाइयों की बेहद कमी है। अकेले लैलूंगा विकास खण्ड में लगभग 500 व्यक्तियों की मृत्यु की आशंका है। हजारों अन्य व्यक्ति प्रभावित हुए हैं।

मेरा क्षेत्र आदिवासी है। यहां शासकीय दवाइयां और डाक्टर पर्याप्त न होने के कारण गरीब आदिवासी ग्रामीण मजबूर होकर झाड़ फूंक करने वालों की शरण में जाते हैं।

पिछले दिनों ऐसी ही एक घटना में पत्थलगांव तहसील के बैगनडरिया ग्राम में झाड़ फूंककर गांव से बीमारी भगा देने का दावा करने वाले एक व्यक्ति ने अनेक विधवा महिलाओं को कोड़े से पीटा। यह व्यक्ति एक महिला को साथ लेकर गांवों में प्रवेश करता है तथा महिला जिस घर में घुसती है उस घर में इस व्यक्ति के अनुसार टोहनी रहती है। टोहनी हमारे क्षेत्र में उस महिला को कहते हैं कि जो तंत्र-मंत्र का गलत प्रयोग कर गांव को और दूसरों को हानि पहुंचाती है।

यह सत्य है कि हमारे क्षेत्र के आदिवासी परंपरागत रूप से ऐसी बातों पर काफी हद तक विश्वास करते हैं, लेकिन इससे बड़ा और दुखदायी सच यह है कि इतना लम्बा समय बीत जाने के बाद भी हमारा देश इस स्थिति में है कि एक क्षेत्र में हजारों की संख्या में महीनों से जनता एक ही बीमारी से पीड़ित है और शासकीय स्तर पर इतने साधन ही नहीं है कि लोगों के लिए पर्याप्त दवाइयों की व्यवस्था कर सके। अस्पताल मरीजों से भरे पड़े हैं। मरीज अस्पताल के आस-पास खुले स्थान में रहने को मजबूर हैं।

राज्य शासन इस महामारी से निपटाने में बुरी तरह विफल रही है। लोग मरते जा रहे हैं और राज्य शासन इसे महामारी के रूप में देखने से ही इन्कार कर रही है।

मैं स्वास्थ्य मंत्री जी से निवेदन करती हूं कि वे तत्काल चिकित्सकों का एक दल रायगढ़ जिले में भेज कर स्थिति का परीक्षण करायें। साथ ही गैस्ट्रोएन्ट्रायटिस के इलाज के लिए आवश्यक दवाइयों की सहायता तत्काल रवाना की जाए।

श्री अम्बिका प्रसाद शुक्ल (खलीलाबाद)। अध्यक्ष जी, उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक पिछड़े इलाके पूर्वांचल में गोरखपुर स्थित एकमात्र उर्वरक संयंत्र गैस पाईप लाईन फटने से हुई दुर्घटना के बाद 10 जून, 1990 से बन्द पड़ा है। गोरखपुर में फर्टिलाइजर कारपोरेशन आफ इण्डिया की नेप्था पर आधारित इस इकाई का 1968 में 20 अप्रैल को तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने उद्घाटन किया था। उद्घाटन के बाद से संयंत्र न केवल निर्धारित लक्ष्य से अधिक का उत्पादन किया है बल्कि देश के सर्वजनिक प्रतिष्ठानों में प्रथम होने का गौरव भी प्राप्त किया है। प्रारम्भ में संयंत्र की उत्पादन क्षमता प्रतिदिन 543 मीटरी टन रही, जबकि इसकी दो यूनिटें ही कार्यरत रहीं। यहां के उर्वरक की खपत को देखते हुए 1975 में 19 करोड़ की लागत से संयंत्र में एक और यूनिट लगाई गई। यह उसके बाद उसकी उत्पादन क्षमता 950 मीटरी टन हो गई। यह उत्पादन संयंत्र की उत्पादन क्षमता जो निर्धारित थी, प्रतिदिन 815 मीटरी टन उससे भी अधिक रही। इस संयंत्र की उत्पादन क्षमता का परिणाम रहा कि इसमें उत्पादन 1968 से 1975 तक औसतन 85 प्रतिशत रहा। परन्तु बाद में 1976 के बाद में बाद दस वर्षों में इसकी क्षमता घट कर लगभग 55 प्रतिशत और 1990 आते-आते 8.8 प्रतिशत रह गयी और यह संयंत्र घाटे में चला गया।

इस सम्यन्त्र के उत्पादन क्षमता में गिरावट का कारण इकाइयों का पुराना होना, नई तकनीकी और सुविधाओं का अभाव, महंगे कच्चे माल, बिजुत आपूर्ति में लगातार व्यवधान, वार्षिक मरम्मत में अनियमितताएं, पुरानी मशीनों का बदलाव न होना रहा।

अध्यक्ष महोदय, इस संयंत्र के लगाने में दर्जनों गांव उजड़ गये, हजारों किसानों ने अपनी भूमि जो उपजाऊ थी दे दी और इस लालच में दी कि उनको रोजगार मिलेगा। दस किलोमीटर की परिधि में बसे इस सन्यन्त्र ने एक नगर का रूप ले लिया है। 1400 परिवारों के रहने के लिए सुन्दर स्वच्छ उर्वरका नगरी है, लेकिन इसके बन्द हो जाने के कारण इसमें दो साल से अधिक जो कर्मचारी काम कर रहे थे वह सब के सब बेकार पड़ गए। अध्यक्ष महोदय, 10 जून, 1990 को एक दुर्घटना घटी, एक एक इकाई की पाईप लाईन फट गई और उसका जो उत्पादन इन्जीनियर था उसकी मृत्यु हो गई। उसके लड़के को मुआवजे के रूप में नौकरी तो दे दी गई, लेकिन उस पाईप को ठीक करा कर संयंत्र को चलाने की बजाए अधिकारियों ने उस पर तालाबंदी कर दी और जो अस्थाई कर्मचारी थे उनकी छटनी प्रारम्भ कर दी, जो स्थाई कर्मचारी थे उनका ट्रांसफर करना शुरू कर दिया। आज स्थिति ऐसी बनी हुई है कि वहां जो उपजाऊ भूमि थी बेमतलब हो गई, दर्जनों गांव उजड़ गए, उनका कोई माने नहीं रह गया, जो सुन्दर सा नगर बसा हुआ है उस नगर में बच्चों को पढ़ने के लिए कैन्टीन, शापिंग सेंटर, बैंक, डाकघर, मनोरंजन केन्द्र, अस्पताल, विद्यालय और क्लब तमाम साधन हैं, सब कुछ है, लेकिन आज वह जगह वीरान पड़ी हुई है।

मान्यवर, यहां जगदीशपुर से दो सौ किलोमीटर गैस की पाईप लाइन गोरखपुर तक पहुंचाने की एक योजना थी और एच० बी० जे० पाईप लाइन के विषय पर गैस अथारिटी आफ इण्डिया लि० (गेल) के कारपोरेट प्लान में यह व्यवस्था थी कि जगदीशपुर से गोरखपुर तक 200 किलोमीटर की पाइप लाईन का विस्तार किया जाए। इसमें 800 करोड़ रुपए की लागत उसके निर्माण में लगने वाली हैं। इस समय सरकार गोरखपुर तक खाद के ट्रांसपोर्टेशन में 80 करोड़ रुपया प्रतिवर्ष व्यय कर रही है। यदि गैस पर आधारित संयंत्र 800 करोड़ रुपया व्यय कर दिया जाए तो 10 वर्ष में केवल ट्रांसपोर्टेशन के व्यय की बचत ही संयंत्र पर पूरी लागत निकाल देगी। आज 70 से 80 लाख रुपए बिजली का भुगतान किया जा रहा है। 90 लाख रु० कर्मचारियों का वेतन तथा 2 करोड़ रुपए प्रति माह एफ० सी० आई० से लिए गए कर्ज का ब्याज अदा करना पड़ता है। केवल ब्याज से ही कम्पनी का आधा घाटा ब्याज अदा करने में हो रहा है।

अतः, अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि यह जो फैक्ट्री बन्द पड़ी है उसको तुरन्त चलाया जाए। वैज्ञानिकों का कहना है कि 19 करोड़ रुपए खर्च करके इसी फैक्ट्री को नेप्था पर ही आधारित चलाते हैं तो वह 5 या 6 साल तक चलेगी, लेकिन अगर जगदीशपुर से गैस पाइप लाइन से इस संयंत्र से जोड़ दिया जाए तो इसे चलाने में काफी सुविधा प्राप्त होगी, परन्तु ऐसा करने में 5-6 वर्ष का समय लगेगा और 80 करोड़ रुपए व्यय होगा।

इसलिए मैं सरकार में मांग करता हूं कि उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के पिछड़ेपन को दूर करने तथा इस क्षेत्र सर्वांगीण विकास को दृष्टिगत रखते हुए नितान्त आवश्यक है कि गेल के उक्त प्रस्ताव को यथाशीघ्र क्रियान्वित किया जाए तथा तब तक 20 करोड़ रु० व्यय करके नेप्था पर आधारित ही इस सन्यन्त्र को लगाया जाये।

श्री अन्वाराशु इरा (मद्रास सेन्ट्रल) : श्रीमान् मैं बहुत खुश हूं कि इस सभा में शुरू से ही आतंकवाद की समस्या पर गम्भीरता से चर्चा होती रही है लेकिन इसके साथ-साथ एक और गम्भीर समस्या है जिसे अधिकतर सदस्यों ने अधिक महत्व नहीं दिया है। शायद इसलिए कि वे अन्य कामों में

व्यस्त हैं या वे इसे भूल गए हैं। मैं गन्दी बस्तियों में रहने वाले लोगों की समस्या के बारे में कह रहा हूं।

श्रीमान् अनुमान है कि अकेले भारत में ही 6 से 10 करोड़ लोग गन्दी बस्तियां में, पटरियों पर रह रहे हैं। सेन्ट्रल मद्रास में, जो मेरा निर्वाचन क्षेत्र है, लगभग 1500 गन्दी बस्तियां हैं जिनमें लगभग 50 लाख लोग रहते हैं। सरकार को इन गन्दी बस्तियों में रहने वालों और विशेषकर मद्रास, कलकत्ता, मुम्बई और दिल्ली जैसे महानगरों में गन्दी बस्तियों में रहने वाले लोगों की दुर्दशा पर गहराई से विचार करना चाहिए। गन्दी बस्तियों में रहने वाले लोगों के कल्याण के लिए विस्तृत योजना बनाई जानी चाहिए।

मैं अपने दिवंगत नेता श्री राजीव गांधी का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने मुम्बई की गन्दी बस्तियों में रहने वाले लोगों की रहने की दशा में सुधार करने में काफी रुचि ली थी। उन्होंने विश्व बैंक की सहायता से धारवी परियोजना को लागू किया ताकि लगभग बीस-तीस लाख लोगों के जीवन में सुधार लाया जा सके।

मैं समझता हूं कि कलकत्ता में बेलियाघाट, हावड़ा आदि जैसे स्थानों में लगभग 50-60 लाख लोग गन्दी बस्तियों में रहते हैं। औद्योगीकरण के कारण गन्दी बस्तियों का बनना एक आम बात हो गई है।

अध्यक्ष महोदय : अब आप अपनी बात संक्षेप में कहें।

श्री अम्बारासु इरा : श्रीमान् शहरी विकास मंत्री यहां मौजूद हैं। सरकार की गन्दी बस्तियों में रहने वाले लोगों की रहन-सहन की दशाओं के बारे ने गम्भीरता से सोचना चाहिए। क्योंकि प्रमुख सुविधाओं की तो बात अलग है उनके पास शौचालयों की भी सुविधा नहीं है। जब मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र में जाता हूं तो मेरा सिर शर्म से झुक जाता है। मैं गन्दी बस्तियों में रहने वाले उन लोगों की सहायता करने में असमर्थ हूं इसलिए श्रीमान सरकार द्वारा इस समस्या को हल करने के लिए युद्ध स्तर पर कार्य किया जाये। मैं केन्द्र सरकार से आग्रह करता हूं कि गन्दी बस्तियों में रहने वाले लोगों के जीवन स्तर में सुधार करने के लिए एक व्यापक विधान बनाया जाये।

श्री अन्ना जोशी (पुणे) : श्रीमान् महाराष्ट्र के कपड़ा उद्योग का पिछले सौ वर्षों से भी अधिक समय से देश के औद्योगिक विकास में महत्वपूर्ण स्थान रहा है। लेकिन अब यह उद्योग डावांडोल स्थिति में है। पिछले बीस वर्षों में महाराष्ट्र में किसी न किसी कारण से लगभग 100 कपड़ा मिलें बन्द हो गई हैं या उन्हें रूग्ण घोषित किया गया है। भारत सरकार ने ऐसी कुछ मिलों को राष्ट्रीय कपड़ा निगम के माध्यम से अपने हाथ में लिया है। लेकिन यह कोई स्थायी हल नहीं हैं।

अब भी लाखों कामगार बेरोजगार हो गये हैं। मिल मालिकों ने करोड़ों रुपए की उनकी बकाया राशि का भुगतान नहीं किया है। हजारों अनुषंगी उद्योग तथा अन्य व्यापारिक प्रतिष्ठान इन मिलों के बंद होने से ठप्प हो गए हैं। केन्द्र, राज्य तथा स्थानीय सरकारों को करोड़ों रुपए प्रतिवर्ष के राजस्व की हानि हो रही है। इसलिए केन्द्रीय सरकार को इस मामले की ओर गम्भीरता से देखना चाहिए और समस्या को यथाशीघ्र हल करना चाहिए।

श्री सुदर्शन राय चौधरी (सीरमपुर) : श्रीमान्, मैं आपका ध्यान एक ऐसे महत्वपूर्ण मामले की ओर दिलाना चाहता हूं जिसका प्रभाव न केवल मेरे निर्वाचन क्षेत्र के ऊपर बल्कि सारे पूर्वी क्षेत्र पर पड़ता है।

इस वर्ष मई से मेरे निर्वाचन क्षेत्र सीरमपुर, पश्चिम बंगाल में अवस्थित पेन्सिलिन बनाने का एक प्रमुख कारखाना स्टैन्डर्ड फार्मास्यूटिकल्स इस वर्ष मई से बंद पड़ा है। इस कारखाने में पिछले 30 वर्ष से देशी तकनीक के आधार पर पेन्सिलिन बनाई जा रही थी। 60 के दशक में साराभाई ग्रुप ने इसे अपने हाथ में ले लिया था और इसे 1983 से दो भागों में बांटा गया था दि स्टेन्डर्ड फार्मास्यूटिकल्स और आपके इन्नोवेशन। इसके बाद प्रबन्ध में गड़बड़ी होने तथा विपणन व्यवस्था ठीक न होने के कारण दोनों कारखाने संकट में पड़ गये। इस वर्ष मई में साराभाई ग्रुप ने इन कारखानों को बन्द करने की घोषणा कर दी। अत पेन्सिलिन, जो किसी भी प्रकार के इलाज के लिए आवश्यक होती है, का उत्पादन बन्द हो गया।

इसलिए मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि इस मामले पर ध्यान दें और सम्बन्धित प्राधिकारियों से आग्रह करे कि इन कारखानों को तुरन्त खोला जाये। केवल इतना ही नहीं इन कारखानों को मिलाकर एक कर दिया जाये क्योंकि यह दोनों स्यामी जुड़वां बच्चों की तरह हैं जो एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : श्री जेस्वाणी···

श्री श्याम लाल कमल (बस्ती) : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए अवसर दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। अध्यक्ष जी, मेरा नाम श्याम लाल कमल है।

अध्यक्ष महोदय . मुझे क्षमा करें।

श्री श्याम लाल कमल : अध्यक्ष जी, भारतवर्ष पिछड़ा है इसमें 34.7 प्रतिशत आबादी गरीबी की रेखा के नीचे है। इसमें उत्तर प्रदेश की स्थिति बहुत दयनीय है जिसमें 45.7 प्रतिशत जनसंख्या गरीबी की रेखा के नीचे है। इस गरीब प्रान्त का एक सबसे पिछड़ा जिला है बस्ती, जहां से मैं चुनकर आया हूं। बस्ती जिले के सम्बन्ध में कुछ तथ्य मैं आपके सामना रखना चाहता हूं। आम्यचर, बस्ती जिले में मुंडरका शूगर मिल है। इसके उच्चीकरण के लिए साल भर मशीनें आयीं, लेकिन उनको स्थानांतरित कर इटावा जनपथ में भेज दिया गया।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य, देखिए ऐसे नहीं···।

श्री श्याम लाल कमल : अध्यक्ष जी, चार हजार हथकरघा मशीनें लगी हैं, लेकिन वहां पर स्पीनिंग मशीन नहीं है। वहां एक स्पीनिंग मशीन का होना आवश्यक है।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य, आप बैठ जाइए। आपने कह दिया।

श्री श्याम लाल कमल : अध्यक्ष जी, एक जरूरी बात और कहनी है। बस्ती से 50 किलोमीटर

की दूरी पर नैशनल हाईवे कटाव की कगार पर है। मेरा निवेदन है कि उसको जल्दी ही बचाने का कार्य किया जाए। टोडा के निकट सरयू नदी पर कोई पुल नहीं है। जबकि दोनों ओर सड़कें कई वर्षों से बन कर तैयार हैं। मेरा निवेदन है कि इस पुल को बनाना नितान्त आवश्यक है।

[अनुवाद]

डा० के० डी० लेखवानी (खेड़ा) : पाकिस्तान में अशान्त राजनीतिक और सामाजिक स्थिति के परिणामस्वरूप हाल ही में अनेक अल्पसंख्यक हिन्दू पाकिस्तानी राष्ट्रिक भारत में आ गए हैं। आने वाले दिनों में और भी बहुत से आने वाले हैं। पाकिस्तान से आए इन लोगों में से अनेक डाक्टर हैं जिनके पास एम० बी० बी० एस० या पाकिस्तान के सिंध और कराची विश्वविद्यालयों से प्राप्त अन्य उच्च डिग्रियां हैं। वे भारत में स्थायी रूप से बसने के लिए आए हैं।

इस समय उपर्युक्त डिग्रियां मान्यताप्राप्त है और भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1956 की तीसरी अनुसूची के भाग-II में सम्मिलित हैं। इसके अनुसार उपर्युक्त डिग्री धारकों को अपनी मेडीकल प्रैक्टिस करने के लिए भारतीय चिकित्सा परिषद में रजिस्ट्रेशन हेतु भारतीय नागरिकता प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। भारतीय नागरिकता प्रदान करने में काफी लम्बा समय लगता है। इस लम्बी प्रक्रिया को पार करना बड़ा कठिन है।

मेरा विनम्र सुझाव यह है कि यदि मेडीकल डिग्रियां भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1956 की धारा 12(3) के सम्बन्ध में उक्त अधिनियम की दूसरी अनुसूची में सम्मिलित किया जाता है तो इन डाक्टरों को भारतीय नागरिकता मिले बिना ही सम्बन्धित राज्य चिकित्सा परिषदों में पंजीकृत किया जा सकता है। विगत में, बंगलादेश और श्रीलंका के डाक्टरों के लिए भी इसी प्रकार के निर्णय किए गए थे।

पाकिस्तानी हिन्दू प्रवासियों को गुजरात के बनासकांठा और कच्छ जिलों में, सीमावर्ती क्षेत्र होने के कारण, दीर्घ अवधि के लिए वीजा नहीं दिए जाते हैं। सीमा क्षेत्र में 20 कि०मी० लम्बी सुरक्षा पट्टी है। उससे परे उन्हें ठहरने की अनुमति प्रदान की जानी चाहिए और नागरिकता भी दी जानी चाहिए। महोदय यह मेरा अनुरोध है।

प्रो० सुशान्त चक्रवर्ती (हावड़ा) : अध्यक्ष महोदय मेरा विश्वास है कि भारत सरकार हमारे देश के औद्योगिकीकरण के प्रति गम्भीर है तथा हमारे देश के प्रत्येक क्षेत्र और प्रत्येक राज्य के औद्योगिक विकास की बुनियादी और वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने की इच्छुक है। परन्तु आज सच्चाई यह है कि इस सम्बन्ध में भेद-भाव किया जा रहा है। सरकार की यह नीति हमारे देश के राज्यों, विशेषकर पूर्वी क्षेत्र के राज्यों और औद्योगिक विकास में बाधक है।

उदाहरण के लिए पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीयकृत बैंकों का ऋण जमा अनुपात केवल लगभग 55 प्रतिशत है जबकि राष्ट्रीय औसत 65 प्रतिशत है। भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम ने अपने पिछले 36 वर्षों के जीवनकाल के दौरान पश्चिम बंगाल में उद्योगों के लिए केवल 531 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं जबकि महाराष्ट्र के लिए यह राशि 3495 करोड़ रुपए है। औद्योगिक वित्त निगम ने पश्चिम बंगाल के लिए केवल 80 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं जो अन्य राज्यों के लिए मंजूर की गई

धनराशियों की तुलना में बहुत कम है। पश्चिम बंगाल तथा पूर्वी क्षेत्र के अन्य राज्यों को इस प्रकार के वित्त वितरण में भेद-भाव बरता जाता है।

सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पश्चिम बंगाल के लिए प्रति व्यक्ति केन्द्रीय योजना सहायता अन्य राज्यों की तुलना में सबसे कम थी। यह केवल 232.6 रुपए थी। इसके अतिरिक्त लौह और इस्पात के सम्बन्ध में भाड़ा समानीकरण नीति है जिसके बारे में हम अनेक वर्षों तक बोलते रहे हैं। इस योजना को धीरे-धीरे समाप्त करना अतिआवश्यक है। अन्त में रुग्ण उद्योगों के सम्बन्ध में भारत सरकार ने बी० आई० एफ० आर० की कार्यप्रणाली को महत्व दिया है और इस वर्ष के बजट में भी बी० आई० एफ० आर० को एक भूमिका दी गई है। राज्य यह मांग करते रहे हैं कि औद्योगिक विकास के हित में बी० आई० एफ० आर० की क्षेत्रीय इकाइयां और राज्य इकाइयां स्थापित की जानी चाहिए। ऐसा नहीं किया गया है। मेरी मांग यह है कि वित्तीय समस्याओं की नीतियों को बदला जाए, भाड़ा समानीकरण के कार्यक्रम को समाप्त किया जाए तथा राज्यों को केन्द्रीय सहायता का समान वितरण हो।

[हिन्दी]

श्री कालका दास (करोलबाग) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान दिल्ली की एक गम्भीर समस्या की ओर दिलाना चाहता हूं। दिल्ली में ईदगाह के पास बूचड़खाना है। यह उस समय बना था; जब दिल्ली की आबादी और मांस खाने वाले व्यक्तियों की आबादी बहुत कम थी। लेकिन आज दिल्ली की आबादी बहुत बढ़ गई है और बूचड़खाना वहीं पर है और मांस उपभोक्ताओं की संख्या बहुत बढ़ गई। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं, आप वेजिटेरियन हैं।

श्री कालका दास : मैं, नान-वेजिटेरियन हूं। (व्यवधान)

यह कोई खाने या न खाने का सम्बन्ध नहीं है। वहां पर कई गुना पशुओं का वध होता है और काटे जाते हैं। वह बूचड़खाना अब दिल्ली की आबादी के बीच में आ गया है। दिल्ली की आबादी के बीच में होने के कारण वहां पर इतना सड़कों पर खून बहता है और लोगों के पीने के पानी की पाइप लाइन में खून चला जाता है। वहां पर कुछ पशु सड़क पर मरे हुए होते हैं। परिणामस्वरूप, यह हो रहा है कि सारे क्षेत्र में हा-हाकार मचा हुआ है और मरे हुए पशुओं के द्वारा बहुत बदबू आ रही है। पहले आबादी से अलग था और अब आबादी बढ़ने से बीच में आ गया है। अब लोगों को जीना दूभर हो गया है। उन पशुओं के सड़क पर पड़े रहने के कारण ट्रैफिक की भी बहुत प्राबलम हो गई है और ट्रैफिक रुक जाता है। ट्रैफिक पुलिस ने भी लिखकर दिया है कि उस बूचड़खाने को ऐसी जगह पर उठाकर ले जाया जाए जहां पर आबादी न हो। अनेक वर्षों से सारी जनता की यह मांग है, वहां पर लोगों में बहुत आक्रोश है और जन-आंदोलन भी हो रहा है इसलिए मेरा निवेदन है कि इस बूचड़खाना को जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी बाहर ले जाया जाए। नहीं तो हो सकता है कि कानून-व्यवस्था की समस्या न बन जाए, लॉ एण्ड आर्डर बिगड़ न जाए और लोगों का धैर्य न उबल जाए या सब्र का प्याला उछल न जाए। मैं, आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि इस गम्भीर समस्या को हल करने की कृपा करें और इस बूचड़खाने को तुरन्त कहीं ऐसी जगह ले जाएं जहां आबादी न हो। (व्यवधान)

श्री ताराचन्द्र खण्डेलवाल (चांदनी चौक) : अध्यक्ष महोदय, जिस समय यह बूचड़खाना बना था, उस समय खाली जगह थी और बिल्कुल आबादी नहीं थी। मैंने, छह दिन पहले राउण्ड किया है। कोई दिन, बीतने के बाद, ऐसा नहीं जाता जब 10-12 आदमी उस क्षेत्र के न हों। जो हालत वहां पर है···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपका यही कहना है कि उसको बाहर ले जाया जाए।

श्री ताराचन्द्र खण्डेलवाल : यही मेरा कहना है।

श्री मोहन रावले (मुम्बई-दक्षिण मध्य) : अध्यक्ष महोदय, 14 सितम्बर को हिन्दुस्तान में हिन्दी दिवस मनाया गया और इस बारे में दूरदर्शन और आकाशवाणी से प्रसारण भी किया गया। मुझे दुर्भाग्य से कहना पड़ता है कि हम हिन्दुस्तान में अभी तक हिन्दी को राष्ट्रभाषा बनाने में असफल रहे हैं। हमारे देश का अपना राष्ट्रीय गीत है, राष्ट्रीय पक्षी है, राष्ट्रीय पशु है और राष्ट्रीय ध्वज है, लेकिन हिन्दुस्तान में कोई राष्ट्रभाषा नहीं है। बाबू राजेन्द्र प्रसाद ने जोकि हमारे प्रथम राष्ट्रपति थे और संविधान निर्माताओं में से एक थे उन्होंने संविधान बनाते हुए कहा था कि हिन्दी को हमें आफिशियल लेंगुएज से धीरे-धीरे हटाकर राष्ट्रभाषा बनाना चाहिए और कुछ वर्षों के बाद इसे राष्ट्रभाषा स्वीकार करना चाहिए।

मैं आपके माध्यम से सरकार से विनती करता हूं कि हिन्दी को तुरन्त राष्ट्रभाषा घोषित किया जाये।

डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय (मंदसौर) : देश में कई स्थानों पर केन्द्रीय विद्यालय खोले जाने का प्रस्ताव था जो स्वीकृत हो चुका था। उसमें मध्य प्रदेश में भी मंदसौर तथा अन्य स्थानों पर खोले जाने का प्रस्ताव था। शिक्षा सत्र प्रारम्भ हो चुका है। मंदसौर में सैकड़ों ऐसे विद्यार्थी हैं जो केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों से सम्बन्धित हैं या पुत्र पुत्रियां हैं इसलिए वहां केन्द्रीय विद्यालय खोला जाना अत्यन्त आवश्यक है। अन्यथा उनको अन्यत्र भी प्रवेश मिलना दुर्लभ हो जाएगा। इसलिए मेरी मांग है कि वहां केन्द्रीय विद्यालय खोलने के सम्बन्ध में आप तुरन्त निदेश प्रदान करें।

श्री छेदी पासवान (सासाराम) : अध्यक्ष महोदय, बिहार में कोयले और लोहे के सम्बन्ध में फ्रेट इक्वेलाइजेशन पालिसी काफी समय से लागू है। 1985 में कृष्णाचारी द्वारा लोहे एवं कोयले के लिए अल्पावधि के लिए इस नीति को अपनाने पर जोर दिया गया था। परन्तु अभी तक यह नीति लागू है। जिसके कारण बिहार जैसे गरीब राज्य को नुकसान हो रहा है। यहां पर लोहा और कोयला प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। अगर यह फ्रेट इक्वेलाइजेशन पालिसी लागू नहीं रहती तो बिहार में लोहे और कोयले का मूल्य और देश के अन्य भागों से कम रहता इस कारण से प्राकृतिक साधन सस्ते दर पर उपलब्ध रहते और बिहार में औद्योगिकरण को बढ़ावा मिलता। अतः मैं अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि बिहार में फ्रेट इक्वेलाइजेशन पालिसी को तत्काल समाप्त किया जाए ताकि बिहार में औद्योगिकरण को बढ़ावा मिल सके।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : मैं एक मामला उठाना चाहता हूं जिसके कारण पश्चिम बंगाल में विद्युत उत्पादन पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है क्योंकि न केवल मात्रा में कोयले की अपर्याप्त सप्लाई की जा रही है अपितु गुणवत्ता की दृष्टि से भी घटिया कोयले की सप्लाई की जा रही है। मुझे बताया गया

है कि उत्तम किस्म के कोयले के स्थान पर कोयले के बड़े-बड़े टुकड़े भेजे गए हैं जिनमें राख की मात्रा अधिक है। ऐसे कोयले की सप्लाई नहीं की जा रही है तो ताप विद्युत उत्पादन के लिए उपयुक्त होते।

जब यह मामला उठाया गया तो कोल इण्डिया ने कहा कि रेलवे प्रशासन माल डिब्बे उपलब्ध नहीं कर रहा है और जिसके कारण कोयले की सप्लाई में बाधा पड़ी है। और रेल विभाग का कहना है कि कोल इण्डिया लिमिटेड माल डिब्बों में समय पर और उचित ढंग से लदान नहीं कर रहा है और माल डिब्बे प्रतीक्षा में साइडिंग खालो खड़े रहते हैं और इसीलिए कठिनाई हो रही है।

रेल प्रशासन और कोल इण्डिया लिमिटेड के बीच कुछ विवाद प्रतीत होता है। रेल मन्त्री महोदय यहां मौजूद हैं। मेरा उनसे अनुरोध है कि वह कृपया समय पर कोयले की सप्लाई सुनिश्चित करें। माननीय कोयला मन्त्री महोदय श्री संगमा यहां नहीं है। वे भी कृपया यह सुनिश्चित करें कि उचित किस्म का कोयला सप्लाई किया जाए तथा बड़े टुकड़ों वाले कोयले सप्लाई न करें जो विद्युत उत्पादन के लिए उपयुक्त नहीं होते हैं।

यह एक अतिमहत्वपूर्ण मामला है और मेरा मन्त्री महोदय से अनुरोध है कि वे कृपया इसकी ओर ध्यान दें।

[हिन्दी]

श्री मदनलाल खुराना (दक्षिण दिल्ली) : इस सदन के विरोधी नेता श्री लाल कृष्ण आडवाणी के घर के बाहर कल जिस तरह से एक सुरक्षा कर्मचारी की गोली चली और ठीक दो दिन पहले सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के घर के बाहर भी इसी तरह गोली चलाई गई, मेरी सूचना यह है और मैं चाहूंगा कि इसे कन्फर्म किया जाए कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के घर के बाहर भी गोली चली···

अध्यक्ष महोदय : चली और चलाई गई में फर्क है। उसने भी उस समय शराब पी रखी थी और आज जब मैंने आडवाणी जी के घर पर उनके पी०ए० से पूछा तो उन्होंने बताया कि कल के कर्मचारी ने भी शराब पी रखी थी। अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि यह देश भुगत चुका है और एक बहुत बड़ा काम किया जा चुका है जब इन्दिरा गांधी के सुरक्षा कर्मचारियों ने उन पर गोलियां चलाकर उनको मार दिया। अब मेरा आपसे निवेदन है कि आडवाणी जी हिट लिस्ट पर सबसे टाप हैं, इसलिए उनके बारे में और सभी के बारे में सरकार को पुनर्विचार करना चाहिए और फ्रैस निर्देश देना चाहिए कि इस तरह की नेगलीजेंस न हो कि इस तरह शराब पीकर लोगों के घरों पर या मिनिस्टर्स हों, उनके घर पर जाकर इस तरह गोली चलायें। मैं आपके माध्यम से माननीय होम मिनिस्टर को यह बात निवेदन करना चाहता हूं।

[अनुवाद]

श्री जार्ज फर्नान्डिज (मुजफ्फरपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं जो मामला उठा रहा हूं, उसका देश के भीतरी और बाहरी दोनों से सम्बन्ध है। यह मामला 'आई विट्नेस' नामक एजेंसी द्वारा बनाई गई एक फिल्म के बारे में है जो इस मास की पहली तारीख से सारे देश में दिखाई जा रही है और इसे विश्व के अन्य देशों में भी दिखाया जा रहा है। यह फिल्म राजस्थान परमाणु ऊर्जा केन्द्र के बारे में है। इस फिल्म में दृश्यों की एक शृंखला है। जब यह मामला हमारे ध्यान में लाया गया तो मैंने इस फिल्म को

विशेष रूप से देखा । इसमें डा० के० एस० पार्थसारथी के साथ साक्षात्कार भी किया गया है जो परमाणु ऊर्जा नियन्त्रण बोर्ड के सचिव हैं और जो देश के सभी परमाणु ऊर्जा प्रतिष्ठानों के सुरक्षा स्तर के लिए उत्तरदाई हैं ।

डा० पार्थसारथी का साक्षात्कार फिल्म निर्माता 'आई विटनेस' द्वारा प्रधान मन्त्री से तथा लोक शिकायत मन्त्री श्रीमती मारग्रेट अल्वा से अनुरोध करने के पश्चात् लिया गया है । इसका तात्पर्य यह है कि वह वहां प्रधान मन्त्री, जो परमाणु ऊर्जा के प्रभारी भी हैं, की सहमति से थे ।

महोदय, इस फिल्म की क्या कथा है ? मैं सारी कहानी नहीं पढ़ूंगा । परन्तु कुछ पहलू ऐसे हैं जिसे सभा के ध्यान में लाए जाने की आवश्यकता है । इसकी शुरुआत एक कमेन्ट्री से होती है जिसमें कहा गया है कि :

> "गत वर्ष भारत में परमाणु ऊर्जा केन्द्र के समीपवर्ती गांवों में जन्म सम्बन्धी विकारों के चिन्ताजनक समाचार मिले । इसलिए हम ऐसे मामलों का फिल्मांकन करने के लिए राजस्थान गए ।"

यह शुरुआत का वक्तव्य है । उसके पश्चात् उसमें यह कहा गया है । यहां यह व्यक्ति, जो यूनिट से सम्बद्ध है, यह वक्तव्य दे रहा है । वह कहता है :

> "राजस्थान परमाणु शक्ति केन्द्र को शीतल करने की विधियां—भूमि को जल द्वारा ठंडा किया जाता है और उस जल को उसी नदी में लौटा दिया जाता है जहां से यह लिया जाता है । जल पर विकिरण के प्रभाव का अर्थ निश्चित रूप से नदी को प्रदूषित करना है । इसके अलावा प्राधिकारियों की असावधानी के कारण भारी जल का कई बार सुस्राव भी हुआ है । इस पानी को नदी में जाने दिया जाता है और इसी पानी को हम पीते हैं ।"

(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : क्या यह डा० पार्थासारथी का कथन था ?

श्री जार्ज फर्नान्डीज : नहीं यह उस व्यक्ति का कथन है जो वहां रहता है । इस फिल्म को डा० पार्थासारथी ने देखा है और उन्होंने इस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है । मैं कुछ ही क्षणों में उनके द्वारा व्यक्त की गई प्रतिक्रिया को बताऊंगा ।

तत्पश्चात् कमेंटरी में कहा गया है क्योंकि डाक्टरों ने कुछ कहने से मना कर दिया था इसलिए वह व्यक्ति, जिसने यह फिल्म बनाई थी, नर्सों और शिशुओं की प्रसूति के समय सहायता करने वाले अन्य व्यक्तियों से मिला । एक अन्य व्यक्ति श्री मुनीर अहमद का कहना है कि :

> "हम नहीं जानते कि क्या हो रहा है । मैं नहीं जानता कि यह नियति है या हमारे क्षेत्र में कोई गड़बड़ी है । यह केवल हमारे क्षेत्र में 25 किलोमीटर की परिधि में ही हो रहा है । यहां तक कि युवा भी अपना पुरुषत्व खो रहे हैं ।"

इसके अलावा एक अन्य प्रश्न भी उत्पन्न हुआ है कि "क्या युवा लोग भी इससे प्रभावित हुए

हैं ?" और उनका उत्तर था कि : "हां, उनका ऐसा ही कहना है। वे युवा लोग हैं और वे शर्म के मारे ये बातें नहीं कहते लेकिन इनमें से कुछ ने ऐसा कहा है।"

तत्पश्चात् कमेंटरी में कहा गया है कि वे स्थानीय दाईयों से मिले। उनसे प्रश्न किए गए।

एक अन्य दाई नन्दूबाई से जो वार्तालाप हुआ, वह इस प्रकार है :

"प्रश्न : यहां पर कितने विकलांग बच्चे हैं ?

उत्तर : चार या पांच।

प्रश्न : क्या इस संख्या में गत दो से चार वर्षों में वृद्धि हुई है ?

उत्तर : ऐसे बच्चे पहले से ज्यादा हैं।

प्रश्न : पहले ऐसी बात कभी नहीं होती थी ?

उत्तर : पहले ऐसी बात कभी नहीं हुई, लेकिन अब ऐसा हो रहा है।"

तत्पश्चात् एक बच्चा दिखाया गया और एक अन्य दाई तुलसी बाई से पूछा गया :

"प्रश्न : क्या उसके कान जन्म से ही विकृत थे ?

उत्तर : हां, यह जन्म से ही ऐसा था।

प्रश्न : क्या इसके अंगूठे भी दो थे ?

उत्तर : हां, इसके दो अंगूठे थे।"

तत्पश्चात् एक कमेंटरी में कहा गया है कि :

"हमें इस छोटे लड़के सहित अन्य विकलांग बच्चों का भी पता चला जिनके केवल दो-दो छेद थे और लिंग नहीं थे। हमने यह पाया कि हमें दिखाए गए बच्चों में कोई भी वास्तव में पोलियो से ग्रस्त नहीं था ये सभी विकृत रूप में पैदा हुए थे। इन लड़कियों की टांगे पक्षाघात से ग्रस्त हैं (उन लड़कियों को दिखाया गया था)।

एक अन्य दाई सावित्री बाई ने बताया :

"पहले एक वर्ष में 25 बच्चे जन्म लेते थे, अब 50 बच्चे जन्म लेते हैं। जब बच्चा पैदा होता है तो मैं इसे देखती हूं। मैं यह देखती हूं कि इस बच्चे में क्या कमी है।

यदि बच्चा विकृत है तो इसकी केवल आधी अंगुलियां होती हैं; कई बार उनकी उंगलियां ही नहीं होतीं। किसी के हाथ या नाक नहीं होते। कई बच्चों के बाल सामान्य से अधिक बड़े होते हैं।"

इसके बाद प्रश्नों के उत्तर में उसने आगे बताया कि :

"प्रश्न : क्या उनकी तरफ देखकर डर लगता है ?

उत्तर : केवल उनका मुंह ही नहीं अपितु सारा शरीर विकृत होता है।

प्रश्न : तो क्या आप बच्चे को मां को भी नहीं दिखाते है ?

उत्तर : नहीं, हम नहीं दिखाते ।

प्रश्न : क्यों नहीं ?

उत्तर : यदि हम बच्चे को मां को दिखा दें तो उसे इतना सदमा पहुंचेगा कि उसके प्राण ही निकल जायेंगे । इसीलिए हम उनको नहीं बताते हैं ।

एक अन्य कमेंटरी में कहा गया है कि :

"यहां एक संयंत्र है जिसका सुरक्षा रिकार्ड विशेषरूप से खराब है और यहां आस-पास के रहने वाले लोगों में उत्पत्तिमूलक विकार की घटनाएं भी असामान्य है । आप यह भी जानते हैं कि पर्यावरण में ट्रिटियम छोड़ा जाता है ।"

यह प्रतिलिपि का एक भाग है ।

डा० पार्थसारथी से इस सम्बन्ध में साक्षात्कार लिया गया । उनका इस सम्बन्ध में क्या कहना है । उनका कहना है कि दस वर्षों में यह परमाणु ऊर्जा शक्ति संयंत्र 250 बार बन्द हुआ । वे यह भी कहते हैं कि यह संयंत्र एक बार तीन वर्ष की लम्बी अवधि तक भी बन्द रहा । जब उनसे इस पानी के छोड़े जाने के बारे में बताया गया तो उन्होंने कहा :

"यही वह पानी है जिसे हम, हम से मेरा अर्थ यह है कि, मैं परमाणु ऊर्जा विभाग से सम्बन्धित नहीं हूं, जो लोग वहां काम करते हैं और जो नगर में उपस्थित हैं इस पानी को पीते हैं ।"

इसके पश्चात् उनसे यह पूछा गया कि आप इस सम्बन्ध में क्या कर रहे हैं ।

अध्यक्ष महोदय : श्री पार्थसारथी कौन हैं ?

श्री आर्थर फर्नान्डीज : डा० पार्थसारथी परमाणु ऊर्जा विनियमन बोर्ड के सचिव हैं, जो देश के सभी परमाणु विद्युत यंत्रों के सुरक्षा मानदण्डों के लिए उत्तरदायी हैं । उन्हें प्रधान मन्त्री और लोक शिकायत मन्त्री श्रीमती मारग्रेट अल्वा से अनुरोध करने के पश्चात साक्षात्कार लेने के लिए भेजा गया था । डा० पार्थसारथी ने बाद में जो वक्तव्य दिया उसे गम्भीरता से लेना चाहिए । जब उनसे यह पूछा गया कि : जब ये बातें हो रही हैं, तो आप इस सम्बन्ध में क्या कर रहे हैं तो उनका मानना है कि जो कुछ दिखाया गया है या जो कुछ हो रहा है उसका परमाणु विद्युत केन्द्र से कुछ लेना देना नहीं है । उन्होंने इस तथ्य को स्वीकार किया है लेकिन उन्होंने इन तथ्यों को परमाणु विद्युत केन्द्र पर विद्यमान स्थिति के साथ जोड़ने से इन्कार कर दिया है ।

मैं इस मामले के विस्तार में नहीं जाना चाहूंगा । मैं केवल यह चाहता हूं कि सरकार को तुरन्त इस विशिष्ट स्थिति के बारे में अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करनी चाहिए । उन्होंने अभी केवल एक ढंग से प्रतिक्रिया व्यक्त की है और वह भी कैसे ? जिस व्यक्ति ने यह फिल्म बनाई है उसका नाम क्रिस्टोफर रिचर्ड है । मैं पिछले तीन दिनों से आपसे अनुरोध कर रहा हूं कि आप मुझे इस मामले को उठाने की अनुमति दें । लेकिन मुझे बोलने का मौका देने में होने वाली हिचकिचाहट को मैं समझता हूं क्योंकि

आपने पहले उन सदस्यों को सुनने का निर्णय लिया है जिन्हें अभी तक बोलने का अवसर नहीं मिला है। श्री क्रिस्टोफर रिचर्ड जिसने यह फिल्म बनाई है एक स्वतन्त्र निर्माता और ब्रिटिश नागरिक है। उन्होंने यह फिल्म चैनल 4 के लिए बनाई है। इसे ब्रिटेन में दिखाया गया था और कहीं और भी दिखाया जा रहा है। वह इस समय बी० बी० सी० के लिए भारत में एक फिल्म बना रहे हैं जिसकी भारत सरकार ने उन्हें मन्जूरी दे दी है। परसों जब उन्होंने भारत में वापस आने के लिए अपने वीजा के लिए आवेदन किया तो मुझे यह सूचना मिली कि उन्हें यह बताया गया है कि उन्हें वीजा नहीं दिया जाएगा क्योंकि—इस बारे में सूचित नहीं किया गया है; यह मेरा अनुमान है—यह फिल्म उन्होंने राजस्थान परमाणु विद्युत केन्द्र के लिए बनाई है। वह आदमी जिसने स्थिति को सुधारा है, जिसने देश के सामने एक निर्विवाद स्थिति तैनात की है जो देश के सामने लाई जानी जरूरी थी, उसके बारे में अब यह कहा जा रहा है कि आपका हमारे देश में कोई महत्व नहीं है। यह एक ऐसा मामला है जिस पर मैं सरकार के साथ अलग से बातचीत करना चाहूंगा। लेकिन मैं जो प्रश्न उठा रहा हूं उसके लिए पर्यावरण और वन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री, श्री कमल नाथ जो यहां बैठे हुए हैं, वहां घटित हो रहे घटनाक्रम के लिए जिम्मेदार हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप उन्हें बीच में मत घसीटिए क्योंकि उन्हें परमाणु ऊर्जा के बारे में कोई जानकारी नहीं है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं बता दूं कि परमाणु ऊर्जा के बारे में बहुत सा साहित्य है जो वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित नहीं है।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : महोदय, इस बारे में कुछ विचार व्यक्त किए गए हैं। लेकिन यहां जल के प्रदूषण का प्रश्न है। जल प्रदूषण का मामला एक सत्य है। यह सत्य है कि कुछ बच्चों में विकृतियां हैं। यदि हम पक्ष लेते हैं कि वहां जो कुछ हो रहा है इससे उसका कुछ सम्बन्ध नहीं है—यह बिल्कुल वही है जिसके बारे में बहुत से लोग पहले भी कह चुके हैं—और हम जानते हैं कि चेरनोबल में क्या हुआ है। हमें भोपाल का अनुभव है। हम जानते हैं कि भोपाल में किस तरह की बातें हुई हैं तथा वहां किस प्रकार लोग विकलांग हो रहे हैं, वहां किस प्रकार शिशुओं की मौतें हो रही हैं। वहां की स्थिति को देखकर मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। अतः मैं चाहूंगा कि सरकार को यदि आज नहीं तो कल अवश्य इस सम्बन्ध में अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करनी चाहिए। मैं निश्चित रूप से चाहूंगा कि पर्यावरण मन्त्री को जल प्रदूषण के इस सम्पूर्ण प्रश्न पर कम से कम अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करनी चाहिए। वास्तव में यह एक प्रश्न है जिसे नकारा नहीं जा सकता। धन्यवाद (व्यवधान)।

श्री सोमनाथ चटर्जी : डा० पार्थासारथी जी परमाणु विद्युत केन्द्र से कुछ सम्बन्ध न भी हो तो भी विकृत रूप में बच्चे जन्म लेते हैं तो सरकार को इस मामले की छानबीन करनी चाहिए। एक विशिष्ट क्षेत्र में ही ऐसा क्यों हो रहा है? मन्त्री महोदय यहां बैठे हुए हैं। उन्हें इस सम्बन्ध में अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करनी चाहिए। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह विभाग मेरे पास 4 वर्ष तक रहा। मैं जानता हूं कि इस बारे में अनेक प्रतिवेदन प्रकाशित हुए हैं। मैं यह भी जानता हूं कि अनेक प्रतिवेदनों में वैज्ञानिक तथ्यों का उल्लेख नहीं है। हमें अब इस सम्बन्ध में अधिक सजग रहना होगा।

(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, आपके व्यक्तिगत अनुभव को ध्यान में रखते हुए हमें उन्हें भी मानने चाहिए ।

[हिन्दी]

श्री दाऊ दयाल जोशी (कोटा-बूंदी) : अध्यक्ष जी, इस प्लांट का सारा क्षेत्र मेरे निर्वाचन क्षेत्र से लगा हुआ है । यहां जो तथ्य माननीय जार्ज साहब ने पेश किए हैं, उनमें पूरी सच्चाई है क्योंकि खुद मैं वहां गया हूं । ये तथ्य जब मेरे सामने आए तो मैंने स्वयं एटोमिक ऐनर्जी प्लांट का निरीक्षण करने का प्रयत्न किया । मुझे अन्दर तक नहीं जाने दिया गया, मैंने आग्रह किया परन्तु उसे नहीं सुना गया । वहां इस प्रकार की रिपोर्टस बराबर मिलती चली जा रही हैं कि ऐटामिक एनर्जी प्लांट के कारण बच्चे कुबड़े हो रहे हैं, अन्धे और बहरे हो रहे हैं । ऐसी स्थिति में, मेरा निवेदन है कि सरकार इस विषय को गम्भीरता से ले । उस प्लांट की एक यूनिट समय-समय पर बन्द होती रहती है । हमें पता करना चाहिए कि आखिरकार इन सारी खराबियों का कारण क्या है ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इसका बहुत दफा जवाब हो गया है ।

श्री दाऊ दयाल जोशी : वहां ट्रेनिंग देने का प्रयत्न किया । दुर्भाग्य यह है कि जब हम भोपाल गैस त्रासदी को स्वीकार कर चुके हैं ।

अध्यक्ष महोदय : उन सारी बातों में जाने की जरूरत नहीं है ।

श्री दाऊ दयाल जोशी : अगर भगवान न करे, वहां कोई दुर्घटना हो जाए तो उस पूरे एरिया में भोपाल गैस त्रासदी की पुनरावृत्ति हो सकती है । इसलिए मेरा निवेदन है कि सरकार इसे गम्भीरता से ले और ठोस कदम उठाए ।

[अनुवाद]

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : महोदय, इसमें कोई सन्देह नहीं है कि यह एक बहुत ही गम्भीर मामला है । हमने इसकी ओर परमाणु ऊर्जा आयोग का ध्यान दिलाया है । हमने उनको लिखा है । परमाणु ऊर्जा आयोग ने अपने उत्तर में कहा है कि राज्य सरकार द्वारा गठित की गई विशेषज्ञ समिति के एक प्रतिवेदन के आधार पर यह कहा जा सकता है कि इन कमियों तथा प्रदूषण का राजस्थान ऊर्जा संयंत्र से कोई सम्बन्ध नहीं है ।

(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : क्या सरकार ने उस प्रतिवेदन को स्वीकार कर लिया है । आपका अनुभव विपरीत है (व्यवधान) ।

[हिन्दी]

श्री दाऊ दयाल जोशी : सरकार आंकड़े मंगवा कर देख ले, उसे स्वयं पता चल जाएगा ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : ऊंची आवाज में बोलने की बात नहीं है, उसकी बेस में जाकर बोलने की बात है। आप पहले सुनिए। जो रिपोर्ट उन्होंने दी है, अब गवर्नमेंट उसको एकदम एक्सैप्ट भी नहीं कर सकती और एकदम रिजैक्ट भी नहीं कर सकती। यह एक साइंटिफिक फैक्ट है और जैनेटिक इन्जीनियरिंग से सम्बन्धित है। इस बारे में लेमैन को कोई अपनी ओपीनियन देना योग्य नहीं होगा और जो सम्भव है वह अवश्य किया जाएगा, ऐसा मैं मानता हूं।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, अपंग शिशुओं के बारे में (व्यवधान) क्या कहना है ?

(व्यवधान)

1.45 म० प०

सभा पटल पर रखे गए पत्र

ग्रामीण विकास की योजनाओं पर व्यय के बारे में अतारांकित प्रश्न संख्या 1996 के 7 अगस्त 1991 को दिए गए उत्तर में शुद्धि करने वाला विवरण

योजना और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : महोदय, मैं (एक) ग्रामीण विकास की परियोजनाओं पर व्यय के बारे में डा० परशुराम गंगवार, द्वारा पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या 1996 के 7 अगस्त, 1991 को दिए गए उत्तर में शुद्धि करने तथा (दो) उत्तर में शुद्धि करने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखा गया देखिए, संख्या एल० टी० 664/91]

चीनी कारखानों के बारे में अतारांकित प्रश्न संख्या 1997 के 7 अगस्त, 1991 को दिए गए उत्तर में शुद्धि करने वाला विवरण

खाद्य मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गोगोई) : महोदय, मैं (एक) चीनी कारखानों के बारे में सर्वश्री कमल मिश्र मधुकर, यशवंत राव पाटिल तथा नवल किशोर राय द्वारा पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या 1997 के 7 अगस्त, 1991 को दिए गए उत्तर में शुद्धि करने तथा (दो) उत्तर में शुद्धि करने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल० टी० 665/91]

केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 1989-90 की समीक्षा

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य और खेलकूद विभाग तथा महिला और बाल विकास विभाग) में राज्य मंत्री (कुमारी ममता बनर्जी) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर

रखता हूं :—

(1) (एक) केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 1989-90 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी 666/91]

विभिन्न आश्वासनों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही को दर्शाने वाला विवरण

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : महोदय, मैं लोक सभा के विभिन्न सत्रों के दौरान मन्त्रियों द्वारा दिए गए विभिन्न आश्वासनों, वचनों और परिवचनों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही दर्शाने वाले निम्नलिखित विवरणों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं :—

(एक) विवरण संख्या 27	—सातवां सत्र, 1986	आठवीं लोक सभा
(दो) विवरण संख्या 25	—नौवां सत्र 1987	,,
(तीन) विवरण संख्या 23	—दसवां सत्र, 1988	,,
(चार) विवरण संख्या 19	—ग्यारहवां सत्र, 1988	,,
(पांच) विवरण संख्या 16	—बारहवां सत्र, 1988	,,
(छह) विवरण संख्या 15	—तेरहवां सत्र, 1989	,,
(सात) विवरण संख्या 12	—चौदहवां सत्र, 1989	,,
(आठ) विवरण संख्या 10	—पहला सत्र, 1989	नौवीं लोक सभा
(नौ) विवरण संख्या 9	—दूसरा सत्र, 1990	,,
(दस) विवरण संख्या 5	—तीसरा सत्र, 1990	,,
(ग्यारह) विवरण संख्या 3	—छठा सत्र, 1991	,,
(बारह) विवरण संख्या 2	—सातवां सत्र, 1991	दसवीं लोक सभा
(तेरह) विवरण संख्या 1	—पहला सत्र, 1991	,,

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक अधिनियम के सामान्य विनियम (संशोधन) विनियम, 1991, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की समीक्षा तथा वार्षिक प्रतिवेदन आदि की एक-एक प्रति

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम्) : महोदय, मैं श्री दलबीर सिंह की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक अधिनियम, 1964 की धारा 37 की उपधारा (4) के अन्तर्गत भारतीय औद्योगिक विकास बैंक सामान्य विनियम (संशोधन) विनियम, 1991, जो 24 जून, 1991 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 4735/लीगल-2 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 680/91]

(2) (एक) भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक अधिनियम, 1989 की धारा 30 की उपधारा (5) के अन्तर्गत भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के वर्ष 1990-91 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 681/91]

(3) (एक) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक अधिनियम, 1964 की धारा 18 की उपधारा (5) और धारा 23 की उपधारा (5) के अन्तर्गत भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के वर्ष 1990-91 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा सामान्य निधि के लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 682/91]

(4) (एक) भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक अधिनियम, 1984 की धारा 29 की उपधारा (5) और धारा 34 की उपधारा (5) के अन्तर्गत भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक के वर्ष 1990-91 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 683/91]

(5) सरकारी क्षेत्र के बैंकों के 31 मार्च, 1991 को समाप्त हुए वर्ष के कार्यकरण के बारे में समेकित प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 684/91]

(6) लोक भविष्य निधि अधिनियम, 1968 की धारा 5 के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या का० आ० 551(अ), जो 27 अगस्त, 1991 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा वर्ष 1991-92 के लिए लोक भविष्य निधि में किए गए अभिदान के लिए तथा अभिदाताओं के जमा शेष पर ब्याज की दर 12 प्रतिशत अधिसूचित की गई है।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 685/91]

नई दिल्ली क्षय रोग केन्द्र, नई दिल्ली के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की समीक्षा तथा वार्षिक प्रतिवेदन आदि

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती वी० के० तारादेवी सिद्धार्थ): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं :

(1) (एक) नई दिल्ली क्षय रोग केन्द्र, नई दिल्ली के वर्ष 1989 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नई दिल्ली क्षय रोग केन्द्र, नई दिल्ली के वर्ष 1989 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 686/91]

(3) (एक) गुजरात कैंसर और अनुसंधान संस्थान, अहमदाबाद के वर्ष 1989-90 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) गुजरात कैंसर और अनुसंधान संस्थान, अहमदाबाद के वर्ष 1989-90 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) गुजरात कैंसर और अनुसंधान संस्थान, अहमदाबाद के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपयुक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।*

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 687/91]

*वार्षिक प्रतिवेदन तथा समीक्षा को 26 अगस्त, 1991 को सभा पटल पर रखा गया।

(5) आयुर्वेद और सिद्धा अनुसंधान परिषद के वर्ष 1989-90 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन ।

[ग्रन्थालय में रखे गए, देखिए संख्या एल० टी० 688/91]

(6) (एक) केन्द्रीय यूनानी औषध अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 1989-90 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(दो) केन्द्रीय यूनानी औषध अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(7) उपर्युक्त (6) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रन्थालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी० 689/91]

(8) (एक) भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 1989-90 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(दो) भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 1989-90 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन ।

(तीन) भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(9) उपर्युक्त (8) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रन्थालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी० 690/91]

(10) (एक) महात्मा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान, तथा कस्तुरबा अस्पताल, सेवाग्राम के वर्ष 1988-89 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(दो) महात्मा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान, तथा कस्तुरबा अस्पताल, सेवाग्राम के वर्ष 1988-89 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन ।

(तीन) महात्मा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान तथा कस्तुरबा अस्पताल, सेवाग्राम के वर्ष 1988-89 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(11) उपर्युक्त (10) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(12) (एक) महात्मा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान, तथा कस्तुरबा अस्पताल, सेवाग्राम के वर्ष 1989-90 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) महात्मा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान, तथा कस्तुरबा अस्पताल, सेवाग्राम के वर्ष 1989-90 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) महात्मा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान, तथा कस्तुरबा अस्पताल, सेवाग्राम के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(13) उपर्युक्त (12) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 691/91]

(14) औषधि और प्रशासन सामग्री अधिनियम, 1940 की धारा 38 के अन्तर्गत औषधि और प्रसाधन सामग्री (पहला संशोधन) नियम, 1991 जो 7 जनवरी, 1991 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 11(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 692/91]

(15) होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद अधिनियम, 1973 की धारा 33 की उपधारा (2) के अन्तर्गत होम्योपैथी (स्नातकोत्तर उपाधि पाठ्यक्रम) एम० डी० (होम्यो०) विनियम, 1989, जो 16 नवम्बर, 1989 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 12-18/89-सीसीएच/3392 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(16) उपर्युक्त (15) में उल्लिखित सूचना को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 693/91]

(17) (एक) भारतीय चिकित्सा परिषद वर्ष 1989-90 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय चिकित्सा परिषद के वर्ष 1989-90 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) भारतीय चिकित्सा परिषद के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(18) उपर्युक्त (17) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 694/91]

उत्तर प्रदेश में दूरदर्शन/आकाशवाणी केन्द्रों के बारे में अतारांकित प्रश्न संख्या 5729 के 4 सितम्बर, 1991 को दिए गए उत्तर में शुद्धि करने वाला विवरण

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप मन्त्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : महोदय, मैं उत्तर प्रदेश में दूरदर्शन/आकाशवाणी केन्द्र के बारे में डा० लाल बहादुर रावल द्वारा पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या 5729 के 4 सितम्बर, 1991 को दिए गए उत्तर में शुद्धि करने तथा (क्रो) उत्तर में शुद्धि करने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखती हूं।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 695/91]

1.48 म० प०

राज्य सभा से संदेश

महासचिव : महोदय, मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेश की सूचना देनी है :

"राज्य सभा के प्रक्रिया और कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 186 के उपनियम (6) के उपबन्धों के अनुसार, मुझे एतद द्वारा विदेशी मुद्रा प्रेषण और विदेशी मुद्रा बंधपत्र विनिधान (उन्मुक्ति और छूट) विधेयक, 1991 जिसे लोक सभा ने 11 सितम्बर, 1991 को हुई अपनी बैठक में पारित किया था और राज्य सभा को अपनी सिफारिशें करने के लिए भेजा था, लौटाने और यह बताने का निदेश हुआ है कि इस सभा को उक्त विधेयक के सम्बन्ध में लोक सभा से कोई सिफारिश नहीं करनी है।"

1.48½ म० प०

याचिका

महाराष्ट्र के पुणे जिले में डोंड में एक रेल फाटक की व्यवस्था किए जाने की आवश्यकता के बारे में

श्री अम्मा जोशी (पुणे) : महोदय, मुझे महाराष्ट्र के पुणे जिले में डोंड में एक रेल फाटक की व्यवस्था किए जाने की आवश्यकता के बारे में महाराष्ट्र के पुणे जिले के शिवाजी चौक, डोंड के निवासी श्री संजय मदनलाल बाबी तथा अन्य व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित एक याचिका प्रस्तुत करता हूं।

[देखिए संख्या-एल० टी० 696/91]

1.49 म० प०

संकल्प

रेलवे उपक्रमों द्वारा सामान्य राजस्व में देय लाभांश की दर की समीक्षा के लिए संयुक्त संसदीय नियुक्त करने के बारे में

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : महोदय, अपने वरिष्ठ सहयोगी श्री सी० के० जाफर शरीफ की ओर से मैं प्रस्ताव करता हूं :

(एक) "कि यह सभा संकल्प करती है कि वर्तमान में रेल उपक्रम द्वारा सामान्य राजस्व को देय लाभांश की दर और रेल वित्त तथा सामान्य वित्त से सम्बन्धित अन्य आनुषंगिक मामलों का पुनर्विलोकन करने तथा उन पर सिफारिश करने के लिए एक संसदीय समिति नियुक्त की जाए जिसमें 12 सदस्य इस सभा से हों जिन्हें अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा;

(दो) कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि वह वर्तमान में रेल उपक्रम द्वारा सामान्य राजस्व को देय लाभांश की दर और रेल वित्त तथा सामान्य वित्त से सम्बन्धित अन्य आनुषंगिक मामलों का पुनर्विलोकन करने तथा उन पर सिफारिश करने के लिए संसदीय समिति में राज्य सभा से 6 सदस्य सहयुक्त करे तथा इस प्रकार से नियुक्त सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करे।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

(एक) "कि यह सभा संकल्प करती है कि वर्तमान में रेल उपक्रम द्वारा सामान्य राजस्व को देय लाभांश की दर और रेल वित्त तथा सामान्य वित्त से सम्बन्धित अन्य आनुषंगिक मामलों का पुनर्विलोकन करने तथा उन पर सिफारिश करने के लिए एक संसदीय समिति नियुक्त की जाए जिसमें 12 सदस्य इस सभा से हों जिन्हें अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा;

(दो) कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि वर्तमान में रेल उपक्रम द्वारा सामान्य राजस्व को देय लाभांश की दर और रेल वित्त तथा सामान्य वित्त से सम्बन्धित अन्य आनुषंगिक मामलों का पुनर्विलोकन करने तथा उन पर सिफारिश करने के लिए संसदीय समिति में राज्य सभा से 6 सदस्य सहयुक्त करने के लिए सहमत हो तथा इस प्रकार से नियुक्त सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करे।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

———

1.49½ म० प०

संविधान (बहत्तरवां संशोधन) विधेयक*

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जी० वेंकटस्वामी) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

श्री गुमान मल लोढ़ा (पाली) : महोदय, मैं पुरःस्थापन के समय ही विधेयक का विरोध करता हूं।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय, मेरी आपत्ति इस बिल के सदन के अंदर इंट्रोडक्शन की स्टेज पर इस कारण से है कि हमारे प्रदेशों की स्वायत्तता और संविधान की धारा 40 और इसके साथ में संविधान में कानून बनाने की जो सूचियां बनी हुई हैं, उन सूचियों में पंचायतराज, लोकल बॉडीज, इनके बारे में कानून बनाना कि वे एक टायर होंगी, दो टायर होंगी या तीन टायर होंगी, या पंचायत समिति होगी या जिला परिषद् हो, उनका क्या प्रावधान हो, उनके चुनाव का पीरियड कितना हो, उनके चुनाव की किस प्रकार की प्रक्रिया हो, यह सब हमारे प्रदेशों की स्वायत्तता पर निर्भर करता है।

श्रीमन् अध्यक्ष महोदय, हमारे राष्ट्र में संघीय संसदीय प्रणाली है और एक ही राष्ट्र में केन्द्र में किस प्रकार की विचारधारा है, एक बहुमत हो सकता है और राज्यों के अन्दर अलग-अलग विचार-धारा और बहुमत हो सकता है। कहीं पर जिला परिषद् हो सकती है और कहीं पर पंचायत समिति हो सकती है। अभी भी हमारे देश में राज्यों में अलग-अलग व्यवस्थाएं हैं जैसे केरल में अलग है, वेस्ट बंगाल में अलग है और राजस्थान में अलग-अलग स्ट्रक्चर है। इसलिए श्रीमन्, हम लोग आपत्ति करना चाहते हैं। (व्यवधान)

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : महोदय, एक व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय सदस्य, श्री लोढ़ा को इस बात की जानकारी है कि पुरःस्थापन अवस्था विधेयक की विधायी सक्षमता पर केवल विचार करने की अवस्था है। हमें अभी विधेयक के गुण और दोषों पर नहीं जाना चाहिए। ऐसा करने के लिए काफी समय है।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, मैं समझता हूं कि श्री कुमारमंगलम ठीक कह रहे हैं। जिस पर हम विचार कर रहे हैं यह तो केवल विधायी सक्षमता है।

*दिनांक 16-9-1991 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खण्ड 2 में प्रकाशित।

[हिन्दी]

श्री गुमान मल लोढ़ा : मैं बहुत सूक्ष्म और संक्षेप में अपनी आपत्ति रखता हूं। मेरा निवेदन है कि हमारे सातवें शैडयूल की लिस्ट 2 में राज्य का जो अधिकार है उस अधिकार का बहुत बड़ा अपहरण, उस अधिकार पर अनावश्यक रूप से यह एक संवैधानिक बलात्कार होगा कि राज्यों को अपने पंचायतों के कानून बनाने के उनके अधिकारों से उनसे छीन लिया जाए। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि रॉयल कमीशन जब बैठा था उसमें भी यह कहा था कि स्वायत्तता होनी चाहिए। इसके बाद जितने कमीशन बैठे सबने यह कहा था। सरकारिया कमीशन ने भी इस बात की ताईद की कि हमारे प्रदेशों को लोकल बॉडीज के मामले में स्वायत्तता होनी चाहिए। इसीलिए संविधान के निर्माणकर्ता जो यहां मौजूद थे उन्होंने इसे स्टेट लिस्ट में रखा। डायरैकटिव प्रिंसिपल में भी यही है। केन्द्र में बैठकर हमारे प्रदेशों में किस प्रकार की पंचायतों की व्यवस्था हो उसको थोपने का प्रयास अनाधिकार चेष्टा होगी, संविधान के विरुद्ध होगा। इसलिए मैं इसका विरोध करना चाहता हूं।

[अनुवाद]

श्री चित्त बसु (बारसाट) : महोदय, मैं इस अवस्था में चर्चा की सीमा के बारे में जानता हूं, अर्थात हमें विधेयक के उपबन्धों के गुणों और दोषों में नहीं जाना चाहिए। परन्तु स्पष्टतः, यह तो राज्यों और केन्द्र के बीच शक्ति के हस्तांतरण का उल्लंघन है जैसाकि हमारे देश के संविधान में निर्धारित किया गया है। अनुच्छेद 245(2) और (3) राज्य विधान मण्डल और संसद का अधिकार क्षेत्र निर्धारित करते हैं। यदि राज्य सूची की प्रविष्टि 5 को देखा जाए तो इसमें इस प्रकार बताया गया है : "स्थानीय सरकार, अर्थात, स्थानीय स्वायत्त सरकार अथवा ग्राम प्रशासन के उद्देश्यों के लिए नगर निगमों, सुधार मण्डलों, जिला परिषदों, खनन निर्धारण प्राधिकरणों और अन्य स्थानीय प्राधिकरणों का गठन तथा उनकी शक्तियां।"

यहां स्थानीय स्वायत्त सरकार और गांव प्रशासन 'पंचायत राज' के रूप में जाना जाता है। अतः गांव प्रशासन के दायरे में आने वाला कोई विधान···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : चित्त बसु जी, एक प्रश्न यह है कि यदि यह संसद कोई कानून, कोई विधि बनाती है तो इसकी एक स्थिति होगी, यदि संसद संविधान में संशोधन करती है तो वह अलग स्थिति है। क्या हम संविधान में संशोधन कर सकते हैं ?

श्री चित्त बसु : यहां पुनः मैं कहूंगा कि यदि ऐसा है तो इससे केन्द्र और राज्य के सम्बन्ध प्रभावित होते हैं। यह केन्द्र और राज्य के बीच वर्तमान सम्बन्धों को, वर्तमान सन्तुलन को प्रभावित करता है।

अध्यक्ष महोदय : कैसे ?

श्री चित्त बसु : संविधान के मूल ढांचे की एक विशेषता इसका संघीय रूप है। अतः इस विधान से संघीय रूप प्रभावित होगा। हमने कहा है कि नगर निगम के लिए स्थानीय स्वायत्त सरकार के लिए एक विधान बनाना राज्य के अधिकार क्षेत्र में है···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मान लो यदि हम संविधान में इस प्रकार का परिवर्तन करना चाहें तो क्या राज्य विधानमण्डल इसे कर सकता है ?

(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : महोदय, कठिनाई यह है कि सभी राज्यों में उचित पंचायत नियम नहीं हैं। संविधान संशोधन के पीछे धारणा यह है कि सभी राज्य या तो नियम नहीं बना रहे हैं अथवा नियमों को लागू नहीं कर रहे हैं। परन्तु उस दृष्टिकोण से यदि केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों की शक्तियों पर अतिक्रमण करती है तो हम उसका विरोध करते हैं। हमने पिछली बार भी विरोध किया था। हमें देखना है कि कहीं इस बार भी उसमें बुराई है अथवा नहीं। परन्तु इस अवस्था में इसे आने दीजिए।

(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : कोई शरारत नहीं ? आप सब अच्छे बन गए हैं।

(व्यवधान)

श्री चित्त बसु : इसलिए, महोदय,···

अध्यक्ष महोदय : श्री चित्त बसु, यह एक संविधान संशोधन है। संविधान में यहां कौन संशोधन कर सकता है—संसद या राज्य विधानपालिका ?

एक माननीय सदस्य : वे केवल एक परिसंघ शुरू कर रहे हैं···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह बहुत आसान है। संविधान में संशोधन करने की विधायी शक्ति किसे है ?

श्री गुमान मल लोढ़ा : महोदय, केशवानन्द भारती के मामले के पश्चात्, संसद संविधान के मूल ढांचे में संशोधन नहीं कर सकती है।

अध्यक्ष महोदय : संविधान के मूल ढांचे का वर्णन नहीं किया गया है।

श्री चित्त बसु : महोदय, सरकारिया आयोग ने भी इस मामले पर विचार किया था। यह मामला उसे सौंपा गया था।

अध्यक्ष महोदय : जब विधेयक चर्चा के लिए आए तब आप उस मुद्दे पर बहस कर सकते हैं।

श्री चित्त बसु : कृपया, मेरी बात पर ध्यान दीजिए। आपने यह मुद्दा उठाया है कि संविधान में संशोधन कौन कर सकता है। सरकारिया आयोग ने कहा है कि संसद द्वारा संविधान में संशोधन किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए राज्यों की आम सहमति भी आवश्यक है।

अध्यक्ष महोदय : कुछ मामलों में यह सम्पुष्टि आवश्यक है। कल्पना कीजिए कि एक ऐसा विधेयक है जिससे राज्य सरकार की शक्तियां प्रभावित होती हैं तो ऐसे मामलों में राज्य सरकार की सम्पुष्टि अपेक्षित है।

श्री चित्त बसु : यह सम्पुष्टि का प्रश्न है। लेकिन क्या मैं जान सकता हूं कि इस प्रकार का विधान इस सभा में प्रायोजित किया जा सकता है ? मैं मामले के गुणावगुण के सम्बन्ध में चर्चा नहीं कर रहा। मैं यह कहना चाहूंगा कि यह मामला राज्य सूची की मद संख्या 5 की सीमा में आता है। यह संघीय व्यवस्था के मूलभूत सिद्धान्तों के विरुद्ध है तथा संविधान के मूलभूत ढांचे को प्रभावित करता है। सरकारिया आयोग भी इसके विरुद्ध है। अतः, मैं इस विधेयक को पुरःस्थापित करने का विरोध करता हूं।

श्री शरद दिघे (मुम्बई उत्तर-मध्य) : महोदय, इस मुद्दे पर मेरा निवेदन है यह है कि इस विधेयक के पारित होने से हम संविधान की धारा 368 के अधीन संवैधानिक 'शक्तियों' का प्रयोग कर सकेंगे। यदि आप कहते हैं कि इससे संघीय व्यवस्था प्रभावित होगी तो मैं कहना चाहूंगा कि इससे संघीय व्यवस्था प्रभावित नहीं होगी क्योंकि स्थानीय शासन आदि से सम्बन्धित कानून बनाने की राज्य सरकारों की शक्तियों को बरकरार रखा गया है। इस पूरे विधेयक में यह कहा गया है कि राज्य सरकार इस पद्धति पर कानून पारित कर सकती है। प्रत्येक धारा में यह स्पष्ट किया गया है कि राज्य सरकार अन्ततः इस सम्बन्ध में कानून बना सकती है। इससे यह स्पष्ट है कि राज्य सरकार की शक्तियां छिनी नहीं गयी है। राज्य सरकार सूची दो के मद 5 के आधार पर कानून बना सकती हैं। संविधान के अनुच्छेद 40 के अधीन भी राज्य के नीति निदेशक तत्व के अध्याय में यह कहा गया है :

"राज्य ग्राम पंचायत के संगठन हेतु कदम उठाएगी।" यहां हम उन्हें यह निदेश और दे रहे हैं कि राज्य ऐसे कानून पारित करें जिनमें ये सिद्धान्त सम्मिलित हों। यही एकमात्र काम हम कर रहे हैं। हम यही कर रहे हैं। अतः, संविधान की धारा 368 के अधीन इस सभा को यह अधिकार है।

श्री पवन कुमार बंसल (चण्डीगढ़) : महोदय, सर्वप्रथम मैं यह कहना चाहूंगा कि आपको भी यह पता है कि यह संविधान संशोधन है न कि एक साधारण कानून। यदि हमें सातवीं अनुसूची के किसी सूची में भी परिवर्तन करना होता तो हम संविधान की धारा 368 के अधीन ऐसा कर सकते हैं। लेकिन ऐसे मामले में मूलभूत प्रश्न यह है जैसाकि धारा 243-छ में प्रस्तुत किया गया है जो निम्नलिखित है :

> "इस संविधान के उपबन्धों के अधीन राज्य का विधानमण्डल, विधि द्वारा, पंचायतों को ऐसी शक्तियां तथा प्राधिकार दे सकता है जो उनके लिए स्वशासन की संस्थाओं के रूप में कार्य कर सकने के लिए आवश्यक हों और ऐसी विधि में ऐसे उपबन्ध सम्मिलित किए जा सकेंगे जिनके अन्तर्गत पंचायतों को उपयुक्त स्तर पर, उसमें विनिर्दिष्ट तत्सम्बन्धी शर्तों के अधीन जो उसमें पंचायतों को सौंपी गई आर्थिक विकास तथा सामाजिक न्याय से सम्बन्धित योजनाओं, इसमें ग्यारहवीं अनुसूची में सूचीबद्ध मामलों से सम्बन्धित योजनाएं भी शामिल होंगी, के कार्यान्वयन के बारे में होंगी। शक्तियों तथा दायित्वों को सौंपने से सम्बन्धित उपबन्ध सम्मिलित किए जा सकेंगे।"

अतः, इससे राज्य विधानमंडल की शक्तियां कम नहीं होती, अपितु अनुसूची दस में उल्लिखित उन विषयों को दर्शाती है जिनपर राज्य सरकार कानून बना सकती है।

श्री रंगराजन कुमारमंगलम : यदि मैं विधायी क्षमता और संविधान (बहत्तरवां संशोधन) विधेयक के बारे में विनम्र निवेदन करूं तो यह कहूंगा कि सर्वप्रथम यह संविधान का एक संशोधन

विधेयक है। संसद के अतिरिक्त और कोई भी विधानमंडल संविधान के अनुच्छेद 368 के अन्तर्गत संविधान में संशोधन करने के लिए सक्षम नहीं है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इससे किसी को मतभेद नहीं है। इन सभी विधेयकों के सम्बन्ध में एकमात्र विवाद यह है कि क्या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा केशवानन्द भारती के मामले में दिए गए निर्णय के तहत यह किसी भी तरह संविधान के मूल ढांचा को प्रभावित तो नहीं करता।

2.00 म० प०

अब इसे न्यायोचित ठहराने के लिए सूची दो की प्रविष्टि पांच को दर्शाया जा रहा है। सर्वप्रथम मुद्दा यह है कि—क्या हमने किसी तरह इस विधेयक के माध्यम से नगरपालिकाओं, नगर निगमों, स्थानीय निकायों तथा पंचायतों के सम्बन्ध में कानून बनाने के उनके अधिकारों को कम किया है? ऐसा नहीं है। हमने केवल यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया है कि अनुच्छेद 40 में राज्य नीति के निदेशक तत्वों को संविधान में इस तरह लाया जाए जिससे नियमित रूप से चुनाव हो सकें, तथा इन निकायों का गठन नियमित रूप से हो सके। लेकिन अनेक राज्यों में ऐसा नहीं होता है। वास्तव में ऐसे कोई निकाय नहीं हैं तथा जो भी हैं वे केवल कागज में हैं। हमने पंचायत और ऐसे निकायों के कार्य क्षेत्रों और क्षेत्राधिकार के बारे में गम्भीर रूप से कुछ भी नहीं किया है। सरकार द्वारा सूची दो के प्रविष्टि 5 के अधीन इन स्थानीय निकायों के कार्य क्षेत्रों के सम्बन्ध में अभी भी कानून बनाया जा सकता है। अध्यक्ष महोदय, 15 अगस्त, 1989 को विधायी कार्यक्षमता के सम्बन्ध में चर्चा के दौरान यह मुद्दा सभा में उठाया गया था। इस सम्बन्ध में भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी ने भी स्पष्ट रूप से कहा था···

श्री सोमनाथ चटर्जी : मतदान में इसकी संख्या क्या है?

श्री रंगराजन कुमारमंगलम : 205:5 (व्यवधान) वह संख्या जानना चाहते हैं। हां में 205 तथा नहीं में 5, जैसाकि कार्यवाही वृतान्त में दर्शाया गया है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : यह कौन-सा संविधान संशोधन था? उसकी संख्या क्या थी?

श्री रंगराजन कुमारमंगलम : 64 (व्यवधान) महोदय, आज जो मुद्दा उठाया जा रहा है वह पहले ही उठाया जा चुका है, तथा सभा इस पर विचार कर चुकी है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : वह कौन-सा विधेयक था?

श्री रंगराजन कुमारमंगलम : संविधान (64वां संशोधन) विधेयक। सभा पहले ही इस पर विचार कर चुकी है तथा चर्चा करने के पश्चात् यह पाया है कि उसमें विधायी क्षमता है।

और मैं विनम्रतापूर्वक यह कह सकता हूं कि वास्तव में यह प्रश्न विधायी क्षमता का नहीं है, अपितु उसके अनुसार विवाद यह है कि क्या यह उचित है या अनुचित। जहां तक विधेयक का प्रश्न है तो उस सम्बन्ध में भी मुझे विश्वास है कि पहले जो मतभेद थे वह अब नहीं है। (व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैं कानून मंत्री से एक स्पष्टीकरण और चाहूंगा। मान लीजिए की कोई राज्य विधानपालिका ऐसा कानून नहीं बनाती है, तो क्या होगा? ऐसी स्थिति में केन्द्रीय सरकार क्या करेगी?

अध्यक्ष महोदय : यह संविधान का उल्लंघन होगा।

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, उन्हें कहने दीजिए। मुझे 1989 में इसका उत्तर नहीं मिला था। मैं इसका उत्तर अब चाहता हूं। वे अधिक बुद्धिमान प्रतीत हो रहे हैं।

श्री रंगराजन कुमारमंगलम : जब कभी भी यह मुद्दा उठेगा, हम इस पर वक्तव्य देंगे (व्यवधान) ऐसा नहीं है कि केन्द्रीय सरकार शक्तिविहीन या असमर्थ है। यदि कोई राज्य विशेष संवैधानिक उपबन्धों के उल्लंघन का निर्णय लेती है···

श्री सोमनाथ चटर्जी : यह एक राज्य विधानमंडल है। आप राज्य विधानमंडलों की तुलना कैसे कर सकते हैं ?

श्री रंगराजन कुमारमंगलम : यदि कोई राज्य विधानमंडल संवैधानिक नियमों को लागू नहीं करता और संविधान के दायरे के बाहर जाता है तथा संवैधानिक उपबन्धों का उल्लंघन करता है तो मुझे श्री सोमनाथ चटर्जी को जो मुझसे कानूनी पेशे में काफी वरिष्ठ हैं, यह कहने की आवश्यकता नहीं कि इसके लिए कैसी शक्तियां उपलब्ध हैं। वह जानते हैं कि कौन-सी शक्तियां मिली हुई हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : तब आपको सभी कांग्रेस सरकारों को बर्खास्त करना होगा।

[अनुवाद]

श्री रंगराजन कुमारमंगलम : मैंने ऐसा नहीं कहा और न ही ऐसा कह रहा हूं। लेकिन उन्हें अच्छी तरह मालूम है कि संविधान के तहत कैसी शक्तियां उपलब्ध हैं।

[हिन्दी]

श्री भगवान शंकर रावत (आगरा) : उन्होंने यह बात कही कि हमने इसे बहुत सीरियसली नहीं लिया, सारे मामले को। सारे मामले में सीरियस एफर्ट नहीं किया, सिम्पली कहा है। मैं यह कहना चाहता हूं कि एक तो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कांस्टीट्यूशन में··· (व्यवधान)···खराब करने की बात है···

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री रंगराजन कुमारमंगलम : अगर सुनियेगा नहीं। यदि मुझे बात को मानने के लिए कहा गया तो मैं मानूंगा। पर इसके लिए शिष्टाचार तो होना चाहिए।

[हिन्दी]

आजकल यह सब चल गया है। पता नहीं क्यों चल गया है ?

श्री भगवान शंकर रावत : मैं मान्यवर को सम्बोधित करके कह रहा हूं···

श्री रंगराजन कुमारमंगलम : कुछ तो कहेंगे हो, अब मैं खड़ा हूं।

[अनुवाद]

उन्हें पूछने का शिष्टाचार होना चाहिए : 'क्या मंत्री महोदय बात को मानेंगे' ?

[हिन्दी]

पुराने जमाने का है।

श्री भगवान शंकर रावत : मैं लीगल बात कहना चाह रहा हूं, पोलिटिकल नहीं, जब विधेयक पेश हो रहा है। पोलिटिकल बात तब कहूंगा, जब स्टेज आएगी। मेरा कहना यह है कि आपने एक बात कही, डायरैक्टिव प्रिंसीपल्स जो कांस्टीट्यूशन में दिए हुए हैं, उनको इम्पलीमैंण्ट करें, राज्य सरकारें। इस लिए हम यह एमेण्डमैण्ट ला रहे हैं। मेरा कहना यह है कि राज्य सरकार कांस्टीट्यूशनल कंस्टीट्यूटेड बॉडीज हैं और वह डायरैक्टिव प्रिंसीपल्स के तहत काम कर रही हैं, उनका यह अपना दायित्व है और अगर···

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माना कि चुनाव बीस साल तक नहीं होते ?

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री भगवान शंकर रावत : मैं वही कहना चाहता हूं, साहब। मेरी बात मुझे कह लेने दीजिए। इसे अभी पोलिटिकलाइज मत कीजिए। मैं इसलिए कह रहा हूं, आपसे निहायत अदब के साथ कि इस कानून के अन्तर्गत एक मजाक उड़ाया गया है, अनुचित हस्तक्षेप करने का और इसलिए अगर यह इलैक्शन कमीशन के तहत करने की बात कहते, वह स्टेचुटरी बॉडी है, तब तो बात समझ में आती···

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप कैसे कह सकते हैं ? यह सभा इस संविधान (संशोधन) विधेयक को पारित नहीं कर सकती ?

[हिन्दी]

श्री भगवान शंकर रावत : महोदय, मैं बेसिक स्ट्रक्चर की ही बात कह रहा हूं। जो आपने कहने की कोशिश की है, आप मुझे अपनी पूरी बात कह लेने दें। मेरा यह कहना है कि राज्य सरकारों ने कहा है कि आप चुनाव करा दीजिए। अगर इन्होंने कहा होता, कान्स्टीचूयेंट अमेंडमेंट को लेकर इलैक्शन कमीशन चुनाव कराएगा।

[अनुवाद]

तो वे अपनी शक्तियों के अधिकार क्षेत्र में होते।

[हिन्दी]

इन्होंने उस पावर का इस्तेमाल नहीं किया।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : जब हम खण्डों पर चर्चा करेंगे तब विचार करने के प्रक्रम की अवस्था के

समय आप इन सभी बातों को कह सकते हैं। अब, आपको बताना है कि क्या इस सदन को इस प्रकार का कानून बनाने का अधिकार है अथवा नहीं।

[हिन्दी]

श्री भगवान शंकर रावत : महोदय, मेरा कहना है कि जुरिसडिक्शन नहीं है। इसलिए मैं फिर आपसे निहायत ही अदब के साथ कहना चाहूंगा कि आपने व्यवस्था जरूर दी थी। उसमें यह कहा था, सुप्रीम कोर्ट से ऐसा प्वाइन्ट पूछा जा सकता है। यह आपकी टिप्पणी थी। हालांकि उस विधेयक, उपासना स्थल विधेयक, में आपने पूछा नहीं। आपने कहा, बाद में तय करेंगे। मेरा कहना यह है कि लोक सभा का समय बेशकीमती समय है और बड़े संसाधन खर्च होते हैं इस कार्यवाही को चलाने में।

अध्यक्ष महोदय : रावत जी, आप उस प्वाइन्ट में मत जाइए, क्योंकि समय बहुत थोड़ा है और बहुत सारे बिल्स हैं। इस सदन में इतने रूलिंग्स निकले हैं, मुझसे पढ़ कर बताने की जरूरत नहीं है, हम डिसाइड नहीं करते हैं। आप अपना भाषण कर लेते हैं, बहुत सारे मैम्बर्स को लगे कि जुरिसडिक्शन नहीं है और उन्होंने आपके फेवर में वोट दे दिया, तो नहीं आएगा।

[अनुवाद]

अब बात यह है कि क्या यह इस सदन का क्षेत्राधिकार है अथवा नहीं, यह केवल उच्च न्यायालय अथवा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ही निश्चित किया जाएगा।

[हिन्दी]

श्री भगवान शंकर रावत : मेरा कहना यह है, अगर सदन ब्रूट मैजोरिटी में कोई ऐसा काम करता है, जो बेसिक स्ट्रक्चर आफ दि कान्स्टीचूशन के खिलाफ है, तो लीगलाइज नहीं होगा।

अध्यक्ष महोदय : अभी आप यह डिवाइस भाषण करने के लिए इस्तेमाल मत कीजिए। यह सही जुरिसडिक्शन है, इसके लिए बोलिए।

[अनुवाद]

श्री रंगराजन कुमारमंगलम : वास्तव में, मैं यह समझने में असमर्थ हूं कि क्या 'मूल ढांचे' की इस प्रकार से खेदजनक परिभाषा का यहां उल्लेख किया जाएगा और उसी कारण से राज्य नीति के निदेशक सिद्धान्तों में से किसी एक को लागू करने को संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन माना जा रहा है। मैं समझता हूं कि यह अब तक की सबसे खेदजनक व्याख्या है। सरकार विधायी सक्षमता के दायरे में ही है और हम राज्यों के अधिकारों में हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : हां, यह ठीक है।

अब प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

अनेक माननीय सदस्य : हां ।

कुछ माननीय सदस्य : नहीं ।

[हिन्दी]

डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय (मन्दसौर) : अध्यक्ष महोदय, यह राज्य सरकारों के अधिकारों का हनन करता है और संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर के विपरीत है । इसमें केन्द्र राज्य सरकार के सम्बन्ध खराब होंगे । इसलिए हम इसमें भागीदार नहीं हो सकते हैं और हम सदन का बहिष्कार करते हैं ।

[अनुवाद]

2.07 म० प०

डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय और कुछ अन्य माननीय संसद सदस्य सभा-भवन से बाहर चले गए । (व्यवधान)

2.00 म० प०

अध्यक्ष महोदय : कृपया उस तरीके को समझिए जिसके अन्तर्गत वे ऐसा व्यवहार कर रहे हैं । मेरे विचार में निर्णय 'हां' वालों के पक्ष में हुआ । 'हां' वालों के पक्ष में हुआ ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री जी० वेंकट स्वामी : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं ।

2.09 म० प०

संविधान (तिहत्तरवां संशोधन) विधेयक*

शहरी विकास मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : मैं प्रस्ताव करती हूं कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए ।

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए ।"

श्री गुमान मल लोढ़ा (पाली) : महोदय, मैंने इसका विरोध करने की सूचना दे रखी है ।

अध्यक्ष महोदय : लोढ़ा जी, मुझे डर है कि यह तो बोलने का एक बहाना है ।

*दिनांक 16-9-91 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 2 में प्रकाशित ।

श्री गुमान मल लोढ़ा : मैं उन्हीं आधारों पर इसका विरोध करता हूं। स्थानीय निकायों की स्वायत्तता अनुसूची-सात, सूची-दो, मद संख्या 5 के अन्तर्गत आती है। संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन किया गया है। अतः हम इसका विरोध करते हैं।

[हिन्दी]

श्री भगवान शंकर रावत (आगरा) : अध्यक्ष महोदय, मैं एक और लीगलबात कहना चाहता हूं। पावर दे दी है, लेकिन हस्तक्षेप करने का एक और तरीका निकाल लिया है।

अध्यक्ष महोदय : आपने कोई नोटिस दिया है ?

श्री भगवान शंकर रावत : मैं आपकी इजाजत से कहना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : आपको पहले एलाउ किया हैं।

[व्यवधान]

मैंने आपको पहले अनुमति दी थी, क्योंकि मैं आपके उत्साह को कम करना नहीं चाहता।

प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

अनेक माननीय सदस्य : 'हां'।

कुछ माननीय सदस्य : 'नहीं'।

[हिन्दी]

डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय : अध्यक्ष महोदय, हमारा फिर से यह कहना है कि राज्य सरकार के कार्यों में सीधा हस्तक्षेप है और संविधान की मूल भावनाओं के विपरीत है, जोकि केन्द्रीय सरकार को नहीं करना चाहिए इसमें परस्पर सम्बन्ध बिगड़ेंगे। इसलिए इसमें भी हम भागीदार नहीं हो सकते हैं। हम सदन का बहिष्कार करते हैं।

[अनुवाद]

तत्पश्चात् डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय और कुछ अन्य माननीय संसद सदस्य सभा भवन से बाहर चले गए।

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार में निर्णय 'हां' वालों के पक्ष में हुआ। 'हां' वालों के पक्ष में हुआ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्रीमती शीला कौल : मैं विधेयक पुरःस्थापित करती हूं।

2.10 म० प०

प्रसवपूर्व निदान तकनीक (विनियमन और दुरुपयोग निवारण) विधेयक के सम्बन्ध में प्रस्ताव

संयुक्त समिति को सौंपने के लिए प्रस्ताव

अध्यक्ष महोदय : अब, मद संख्या 13, अर्थात् नियम 377 के अधीन मामले अन्त में लिए जाएंगे। अब हम मद संख्या 14 पर चर्चा करते हैं।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री एम० एल० फोतेदार) : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि आनुवंशिकी या मेटाबोली विकारों या गुणसूत्री असमानताओं या कतिपय जन्मजात या लिंग सम्बन्धी विकारों का पता लगाने के प्रयोजनार्थ प्रसवपूर्व निदान तकनीकों के प्रयोग का विनियमन करने के लिए और प्रसवपूर्व लिंग अवधारण, जिसके बाद स्त्रीलिंगी भ्रूणवध हो सकता हो, के प्रयोजनार्थ ऐसी तकनीकों का दुरुपयोग का निवारण करने के लिए तथा उनसे सम्बन्धित या उनके आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को दोनों सभाओं की एक संयुक्त समिति को सौंपा जाए जिसमें 22 सदस्य होंगे। 15 सदस्य इस सभा से होंगे अर्थात् :—

(1) श्रीमती दिल कुमारी भंडारी
(2) श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य
(3) श्रीमती सरोज दुबे
(4) श्रीमती गिरिजा देवी
(5) डा० विश्वानाथम केनिथी
(6) श्रीमती सुमित्रा महाजन
(7) श्री के० आर० नारायणन
(8) डा० कार्तिकेश्वर पात्र
(9) डा० वसन्त एन० पवार
(10) डा० महावीर सिंह हरिसिंह जी गोहिल
(11) श्रीमती गीता मुखर्जी
(12) डा० (श्रीमती) के० एस० सौन्द्रम
(13) श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ
(14) कुमारी उमा भारती
(15) कुमारी विमला वर्मा

और 7 सदस्य राज्य सभा से होंगे;

कि संयुक्त समिति की बैठक के लिए गणपूर्ति संयुक्त समिति के सदस्यों की कुल संख्या का एक तिहाई होगी;

कि समिति बजट सत्र 1992 के प्रथम सप्ताह के अन्तिम दिन तक इस सभा को प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी;

कि संसदीय समितियों से सम्बन्धित इस सभा के कार्य संचालन नियम अन्य मामलों में उन रूपभेदों और संशोधनों के साथ लागू होंगे जैसाकि अध्यक्ष कहें; और

कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा उक्त संयुक्त समिति में सम्मिलित हो और संयुक्त समिति के लिए राज्य सभा द्वारा नियुक्त किए गए 7 सदस्यों के नाम इस सभा को भेजे।"

क्रम संख्या 10 पर डा० महावीर सिंह हरिसिंह जी गोहिल के नाम का प्रस्ताव हुआ है और क्रम संख्या 11 पर डा० सी० सिलेवरा के स्थान पर श्रीमती गीता मुखर्जी के नाम का प्रस्ताव हुआ है।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि आनुवंशिकी या मेटाबोली विकारों या गुणसूत्री असमानताओं या कतिपय जन्मजात या लिंग सम्बन्धी विकारों का पता लगाने के प्रयोजनार्थ प्रसवपूर्ण निदान तकनीकों के प्रयोग का विनियमन करने के लिए और प्रसवपूर्व लिंग अवधारण, जिसके बाद स्त्रीलिंगी भ्रूणवध हो सकता हो, के प्रयोजनार्थ ऐसी तकनीकों का दुरुपयोग का निवारण करने के लिए तथा उनसे सम्बन्धित या उनके आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को दोनों सभाओं की एक संयुक्त समिति को सौंपा जाए जिसमें 22 सदस्य होंगे। 15 सदस्य इस सभा से होंगे अर्थात् :—

(1) श्रीमती दिल कुमारी भंडारी

(2) श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य

(3) श्रीमती सरोज दुबे

(4) श्रीमती गिरिजा देवी

(5) डा० विश्वनाथम केनिथी

(6) श्रीमती सुमित्रा महाजन

(7) श्री के० आर० नारायणन

(8) डा० कार्तिकेश्वर पात्र

(9) डा० वसन्त एन० पवार

(10) डा० महावीर सिंह हरिसिंह जी गोहिल

(11) श्रीमती गीता मुखर्जी

(12) डा० (श्रीमती) के० एस० सोन्द्रम

(13) श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ

(14) कुमारी उमा भारती

(15) कुमारी विमला वर्मा

और 7 सदस्य राज्य सभा से होंगे;

कि संयुक्त समिति की बैठक के लिए गणपूर्ति संयुक्त समिति के सदस्यों की कुल संख्या का एक तिहाई होगी;

कि समिति बजट सत्र 1992 के प्रथम सप्ताह के अन्तिम दिन तक इस सभा को प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी;

कि संसदीय समितियों से सम्बन्धित इस सभा के कार्य संचालन नियम अन्य मामलों में उन रूपभेदों और संशोधनों के साथ लागू होंगे जैसाकि अध्यक्ष कहे; और

कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा उक्त संयुक्त समिति में सम्मिलित हो और संयुक्त समिति के लिए राज्य सभा द्वारा नियुक्त किए जाने वाले 7 सदस्यों के नाम इस सभा को भेजे।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

2.14 म० प०

वन्य जीव (संरक्षण) संशोधन विधेयक

राज्य सभा द्वारा यथापारित

अध्यक्ष महोदय : अब हम दूसरी मद को लेंगे। श्री कमल नाथ।

2.12 म० प०

पर्यावरण और वन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कमल नाथ) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 राज्य सभा द्वारा यथापारित, में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

भारत का वन्य जीवन एक बहुमूल्य विरासत है। भारत की सरकार तथा भारत के प्रत्येक नागरिक का यह संवैधानिक दायित्व है कि वह इनको सुरक्षा और संरक्षण प्रदान करे।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

2.13 म० प०

वन्य जीवों के वास के ह्रास और वन्य जीवों के व्यापार में लगे बेईमान व्यापारियों के अपने

व्यावसायिक हितों के कारण सातवें दशक तक देश के वन्य जीवन को भारी क्षति पहुंची। वन्य जीवों की विभिन्न प्रजातियों की संख्या में हो रही कमी को रोकने के लिए तथा उनके प्राकृतिक वास को सुरक्षित रखने के लिए ताकि इन प्रजातियों के जीवन की रक्षा की जा सके और हमारे देश की जैविकीय भिन्नता को संरक्षित रखा जा सके, सम्पूर्ण देश में समान रूप से लागू होने वाले एक अधिनियम को पारित करने के बारे में सोचा गया तथा इस तरह वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 पारित किया गया।

चूंकि वन्य जीवों को संरक्षण प्रदान करने के लिए एक कानूनी उपाय प्रदान करने की दिशा में यह पहला प्रयत्न था, अतः यह समझ में आने वाली बात है कि वन्य जीवों के संरक्षण हेतु कुछ क्षेत्रों को जैसे चिड़िया घरों का प्रबन्धन तथा दुलर्भ और लुप्त होने वाली वनस्पतियों के संरक्षण को, इस कानून के क्षेत्र से बाहर रखा गया। एक समयावधि में इस अधिनियम को लागू किए जाने से इस अधिनियम की कुछ आंतरिक खामियां भी उजागर हुई हैं। इसके अतिरिक्त इन उन्नीस सालों के दौरान स्थिति काफी बदल गई है जिससे इस कानून में और संशोधन करने और परिवर्धन करने की आवश्यकता हो गई है। अतः, इस अधिनियम में कुछ संशोधन करने की आवश्यकता का अनुभव किया गया तथा स्वर्गीय प्रधानमन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी की अध्यक्षता में भारतीय वन्य जीव बोर्ड ने इस अधिनियम को और व्यापक और प्रभावी बनाने का निश्चय किया। इस अधिनियम में आवश्यक संशोधन करने के लिए भारतीय वन्य जीव बोर्ड के सदस्यों तथा राज्यों तथा विशेषज्ञों को सुझाव आमंत्रित किए गए तथा डा० सलीम अली की अध्यक्षता में गठित एक कमेटी द्वारा इसकी जांच की गई जिसे अन्ततः मार्च, 1987 में भारतीय वन्य जीव के स्थायी समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई। वर्तमान विधेयक भारत सरकार के सभी सम्बद्ध मंत्रालयों तथा विभागों से व्यापक विचार-विमर्श तथा सलाह का निष्कर्ष है।

मैं कहना चाहूंगा कि सरकार वन्य जीवों के संरक्षण में स्थायी लोगों के सहयोग के महत्व को भली भांति समझती है। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए इस विधेयक में जनजातीय समुदाय के प्रतिनिधियों को राज्य वन्य जीव बोर्ड में रखने का प्रावधान किया गया है। इसी तरह चोरी छिपे शिकार करने पर नियंत्रण रखने हेतु सरकारी तन्त्र की सहायता करने के लिए अवैतनिक वन्य जीव वार्डनों की नियुक्ति का भी प्रावधान किया गया है। अधिनियम में यह भी प्रावधान किया गया है कि कोई भी व्यक्ति निर्धारित तरीके से राज्य सरकार को नोटिस देने के बाद सक्षम न्यायालय के समक्ष वन्यजीव सम्बन्धी किसी अपराध की शिकायत दर्ज करा सकता है। अपराधियों को गिरफ्तार करने में सहायता पहुंचाने वाले व्यक्तियों को पारितोषिक प्रदान करने का भी प्रावधान किया गया है।

अधिनियम के वर्तमान उपबन्धों के द्वारा अधिनियम की अनुसूची-I और अनुसूची-II के भाग-2 में सम्मिलित पशुओं के अंगों से निर्मित वस्तुओं के प्रयोग पर प्रतिबन्ध लगाया गया है। यह सर्प विष से जीवन रक्षक औषधियां बनाने पर भी लागू होता है। अब सर्प विष एकत्र करने और उससे औषधि बनाने के कार्य को इस अधिनियम के उपबन्धों से छूट प्रदान करने का प्रस्ताव है।

मोर अपने पंख प्राकृतिक तौर पर छोड़ते हैं। जनजातीय लोग इन पंखों को इकट्ठा कर वन सहकारी समितियों तथा संगठनों को बेचते हैं जो इन वस्तुओं के उत्पादन से जुड़े हुए हैं। मोर के पंखों को इस अधिनियम के उपबन्धों से छूट प्रदान करने का प्रस्ताव है, जिससे जनजातीय लोग लाभान्वित हो सकें।

वनस्पतियों के व्यावसयिक दोहन के फलस्वरूप इनकी अनेक प्रजातियां लुप्त होने के कगार पर पहुंच गई हैं । इस अधिनियम के अधीन पहली बार ऐसी वनस्पतियों को एकत्रित करने और उनके दोहन पर रोक लगाने की व्यवस्था की जा रही है । ऐसी वनस्पतियों की खेती और उनका व्यापार करने के लिए एक लाइसेंस के अंतर्गत अनुमति प्रदान की जाएगी । तथापि, जनजातियों द्वारा वास्तविक व्यक्तिगत उपयोग के परम्परागत तौर पर ऐसे पौधों को इकट्ठा करने पर इस प्रावधान का प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

हाल ही के वर्षों में बिना सोचे समझे बनाए गए और अपर्याप्त कर्मचारियों वाले चिड़ियाघरों की संख्या में जो बढ़ोतरी हुई है, वह देश के वन्य जीवों के लिए एक खतरा बन गई है । अतः देश के चिड़ियाघरों के रखरखाव के लिए एक केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण गठित करने का प्रस्ताव है तथा केवल ऐसे चिड़ियाघरों को खोलने की अनुमति दी जाएगी जो जानवरों के रखरखाव के लिए विहित मानदण्ड अपनाएगे । चिड़ियाघरों में ऐसी गतिविधियां जिससे जानवरों को परेशानी होती है तथा चिड़ियाघरों में कूड़ा-कचरा फेंकने को भी एक दण्डनीय अपराध मानने का प्रस्ताव है । तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या और उपभोग परक दृष्टिकोण, जिसमें आवश्यक जैव विविधता और पर्यावरणीय प्रक्रिया, संतुलन और जीवनदायी व्यवस्था जो भूमि उत्पादकता, खाद्य और मानवीय जीवन के लिए आवश्यक है, की ओर ध्यान नहीं दिया गया है, हमारे देश के वन्य जीवन का अत्याधिक ह्रास हुआ है । प्रभावी रूप से सम्बन्धित राष्ट्रीय पार्क और अभयारण्यों का जाल बिछाना वन्य जीवन संरक्षण की उच्चतम प्राथमिकता है । इस विचार को ध्यान में रखते हुए, पार्कों और अभयारण्यों के रखरखाव को ज्यादा प्रभावी और सख्त बनाने का प्रावधान है । अपतटीय समुद्री वनस्पति और जीव-जन्तु के संरक्षण की आवश्यकता को महसूस करते हुए राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्यों के कानूनी उपबन्धों को प्रादेशिक जल तक बढ़ाए जाने का भी प्रस्ताव है ।

जैसाकि पहले ही कहा जा चुका है कि मानव गतिविधियों के दबाव के फलस्वरूप वन्य जीवन की जनसंख्या तथा उनके प्राकृतिक वास का काफी ह्रास हुआ है । हम केवल चन्द लोगों के खुशी के लिए वन्य जीवों की हत्या नहीं कर सकते, और इस प्रकार जैविकिय विभिन्नता के संरक्षण के लिए आवश्यक जीवन-व्यवस्था और संयोजन में व्यवधान नहीं डाल सकते । व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए भी वन्य जीवों को पकड़ने का बोझ भी यह सहन करने की स्थिति में नहीं है ।

[हिन्दी]

श्री हरिसिंह चावड़ा (बनासकांठा) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्वाइंट आफ आर्डर है ।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : उनका व्यवस्था का प्रश्न है । आपका व्यवस्था का प्रश्न क्या है ?

[हिन्दी]

श्री हरिसिंह चावड़ा : सदन में कोरम नहीं है ।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : घण्टी बजाई जा रही है—अब सदन में कोरम है । मैं माननीय मन्त्री से अपना वक्तव्य जारी रखने का अनुरोध करता हूं ।

श्री कमल नाथ : इसके अतिरिक्त, वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के पारित होने और उसके उपरांत सरकार द्वारा अपनाई गई नीतियों से लोगों के स्वभाव और दृष्टिकोण में परिवर्तन हुआ है। वे दिन लद गए जब बाघ का शिकार करना एक साहस का कार्य या एक प्रतिष्ठ प्रतीक माना जाता था। अब आनन्द या भोजन के लिए किसी वन्य जीव को मारना निंदनीय कार्य माना जाएगा और वास्तव में यह दृष्टिकोण हमारी परम्पराओं और हमारे महान आचार्यों की शिक्षाओं के अनुरूप है। हम अभिरुची और मनोवृत्ति के अनुसार चलना चाहेंगे।

इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, सभी वन्य जीवों का शिकार रोकने का प्रस्ताव है। तथापि, अधिनियम की धारा 11 और 12 के उपबन्धों के अंतर्गत कुछ आपवादिक परिस्थितियों में वन्य जीवों का शिकार, विशेषकर जीवन और सम्पत्ति की सुरक्षा, अनुसंधान और वैज्ञानिक प्रबन्ध तथा प्रजनन हेतु वन्य जीवों को पकड़ कर रखने की अनुमती होगी।

गत वर्षों में वन्य जीवों के अवैध शिकार और व्यापार ने वन्य जीवों और उनके उत्पादों की कीमतों में अत्यधिक वृद्धि के कारण गम्भीर रूप धारणा कर लिया है। जैसे-जैसे कोई विशेष वन्य जीव दुर्लभ होता जाता है वैसे-वैसे उनका चोरी छिपे शिकार करने वालों का कार्य अधिक लाभप्रद बनता जाता है। इसलिए, विधेयक में प्रस्ताव किया गया है कि विभिन्न अपराधों के लिए दण्ड और कड़ा किया जाए। प्रत्येक ट्रासपोर्टर के लिए यह अनिवार्य किया जा रहा है कि वह प्राधिकृत अधिकारियों की उचित मंजूरी में बिना वन्य जीव उत्पादों की कोई खेप स्वीकार न करें।

देश में, विशेषकर दक्षिण भारत में हाथियों की जनसंख्या को हाथी दांत की चोरी करने वालों से गंभीर खतरा है। यद्यपि भारतीय हाथी दांत के व्यापार पर 1986 में प्रतिबन्ध लगा दिया गया था, परन्तु आयातित हाथी दांत व्यापार से हाथी दांत के बेईमान व्यापारियों को आयातित हाथी दांत के नाम पर चोरी के हाथी दांत को वैध बनाने का अवसर मिल जाता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए हाथी दांत व्यापारियों को अपना वर्तमान भण्डार समाप्त करने का अवसर प्रदान करने के पश्चात अफ्रीकी हाथी दांत के व्यापार पर प्रतिबन्ध लगाने का विचार है।

जहां सरकार वन्य जीवों के संरक्षण सम्बन्धी कानूनी उपबन्धों को अधिक प्रभावी बना रही है वहीं वन्य जीव रक्षित क्षेत्रों के आस-पास के इलाकों में रहने वाले लोगों की कठिनाइयों को कम करने के लिए भी कार्रवाई की जा रही है। वन्य जीवों द्वारा किए जाने वाले नुकसान में कमी लाने तथा ग्रामवासियों को ईंधन की लकड़ी और चारे की सप्लाई बढ़ाने के उद्देश्य से हाल ही में "राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों के आस-पास के क्षेत्रों के पारिस्थितिक विकास" की एक योजना शुरू की गई है। वन्य जीवों के महत्वपूर्ण प्राकृतिक आवासों के नष्ट होने से उत्पन्न समस्याओं से निपटने के लिए "हाथी परियोजना" नामक एक नई योजना भी तैयार की जा रही है जिससे हाथियों द्वारा फसलें उजाड़ने की समस्या के समाधान में भी काफी सहायता मिलेगी। मेरा विश्वास है कि इन योजनाओं से वन्य जीव क्षेत्रों के समीप रहने वाले लोगों की दशा में सर्वांगीण सामाजिक-आर्थिक सुधार होगा।

जैसाकि देखेंगे, संशोधन विधेयक में किए गए प्रस्तावों से हमारे दुर्लभ और खतरों में पड़े वन्य जीवन के संरक्षण, उद्यानों और अभयारण्यों, जो प्राकृतिक संरक्षण के सुरक्षित स्थल हैं, के संरक्षण तथा नाना प्रकार के पेड़-पौधों और जीव-जन्तुओं के संरक्षण से काफी सहायता मिलेगी। मैं सभा से संशोधन विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने का अनुरोध करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव पेश किया गया :

"कि वन्य जीवन (संरक्षण) अधिनियम, 1972, राज्य सभा द्वारा यथापारित में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

उपाध्यक्ष महोदय : इस वन्य जीव (संरक्षण) संशोधन विधेयक के लिए कुल एक घण्टा तीस मिनट का समय आवंटित किया गया है। विभिन्न राजनीतिक दलों को आवंटित समय इस प्रकार है :—

कांग्रेस	36 मिनट
भा०ज०पा०	19 मिनट
जनता दल	09 मिनट
मा०क०पा०	06 मिनट
कम्यु०	02 मिनट
तेलुगु देशम	02 मिनट
अन्ना द्रमुक	02 मिनट
जनता पार्टी	01 मिनट
अन्य	02 मिनट

हमें इस सीमा तक सीमित रहना होगा। अब मैं श्री रासा सिंह रावत को बोलने के लिए कहता हूं।

[हिन्दी]

प्रो० रासा सिंह रावत (अजमेर) : उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से अभी माननीय मन्त्री जी ने वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम संशोधन विधेयक-1991 लाने की आवश्यकता क्यों पड़ी, इसके बारे में विस्तार से अपनी टिप्पणी सदन के सामने प्रस्तुत की है। यह वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम सबसे पहले 1965 के अंत में बना था और उस नियम के बनते ही यह अधिनियम लागू किया जाता तो बार-बार संशोधन की आवश्यकता न पड़ती। मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि 1972 से लेकर आज 19 वर्षों के अन्दर यह तीसरा संशोधन होने जा रहा है। इसके बाद 1982 और 1986 में हुआ और 9 दिसम्बर 1972 में यह अधिनियम बना था और आज 16 सितम्बर को यह तीसरा संशोधन करने जा रहे हैं। मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह जल्दी में कोई अधिनियम न लाए। कोई खामियां या कमियां रह गई हैं तो उन खामियों को ध्यान रखकर इसको पूर्ण रूप से संशोधन करके सदन के सामने लाती तो मैं समझता हूं कि यह उपयुक्त होता। मैं इस बिल का समर्थन करता हूं। इसमें कई नए प्रावधान जोड़े गए हैं। लेकिन आज सरकार जंगली जानवरों की रक्षा करने के लिए, पालतू जानवर और पक्षियों की रक्षा करने के लिए बिल देर से लाती है और बार-बार संशोधन करती है। देश की करोड़ों जनता की भावना का ध्यान रखते हुए जो हमारे पालतू और घरेलू जानवर हैं, इन्सान के काम में आने वाले हैं और सभी गाय को गाय-माता कहकर पुकारते हैं। उसी गाय माता की रक्षा करने का प्रयास किया जाता और अन्य पशुओं की रक्षा करने के लिए उसी तेजी से उसके

लिए ऐसा कानून लागू हो जाता तो वह देश के लिए सोने में सुहागा होता। जंगली जानवरों की रक्षा के लिए हमारा देश "अहिंसापरमोधर्म" करता आया है और कहा कि हिंसा मत करो। परमपिता परमात्मा को कहा गया "य ईशे द्विपदे चतुष्पदे", यानि जहां दो पैरवाले और चार पैरवाले जानवर हैं, वे सबके स्वामी हैं, सारे जगत के स्वामी हैं। सारे पशुओं की रक्षा होनी चाहिए। सारे पशुओं की रक्षा करने के लिए भी सरकार दुर्जन होती तो देश में आज बूचड़खाने खुलते जा रहे हैं। दिल्ली में या मेरठ में एशिया का सबसे बड़ा बूचड़खाना खुलने जा रहा है। मैं इस संशोधन विधेयक की ओर आ रहा हूं। जंगलों की रक्षा होगी तो जंगली जानवरों की भी रक्षा होगी। आजादी के बाद भी तेजी से देश में जंगलों का नाश हो रहा है। ठेकेदारों को ठेके देने के नाम पर जंगलों का सफाया किया जा रहा है और जंगलों को काटा जा रहा है और नया वृक्षा-रोपण जिस तेजी से होना चाहिए, वह नहीं हो पा रहा है। ऐसा समय आयेगा जब जानवरों को रहने का स्थान नहीं मिलेगा या जानवरों का वंश समाप्त हो जाएगा। जानवरों को सर्कस में ला कर तंग करते हैं और यह कहा जाता है कि चिड़ियाघर में अन्दर कैसे लाया जाए और चिड़ियाघर के अन्दर कैसे सुरक्षा प्रदान की जाए। इसमें केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण निधि की बात की गई है। वह वास्तव में बहुत अच्छी बात है कि बिना इस प्राधिकरण के अंतर्गत पंजीकरण कराये हुए कोई भी व्यक्ति या संस्था स्वतन्त्र रूप से चिड़ियाघर का संचालन आगे नहीं कर सकेगी। जो देश के अन्दर अभी चिड़ियाघर चल रहे हैं उनको आगे जाकर इस कानून के अन्तर्गत बनने वाले केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण अधिनियम के अन्तर्गत अपना पंजीकरण कराना आवश्यक होगा। वहां पर रहने वाले जानवरों और वहां काम करने वाले कर्मचारियों के लिए जो प्राधिकरण निधि का निर्माण किया गया है यह भी उचित है। इसके बारे में जो कहा गया है कि इसका क्या स्वरूप होगा, इसका क्या कार्य होगा, इसके क्या अधिकार होंगे इनकी मैं प्रशंसा करता हूं। लेकिन मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि वन्य जानवरों के लिए बनाये जाने वाले चिड़ियाघरों में या उनकी रक्षा करने का दायित्व जिन सलाहकर बोर्ड्स या वन्य अधिकारी या वन्य जीव संरक्षण अधिकारी हैं जिनकी बात आपने कही है, उनमें भ्रष्टाचार बहुत व्याप्त है। वे लोग पैसा खाकर शिकारियों को अनुचित रूप से शिकार करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। जंगलों में अनधिकृत प्रवेश करा देते हैं। इस चीज को रोकना पड़ेगा और इस तरह के शिकारों को रोकना भी जरूरी है। चाहे असम के जंगल हों या अन्य जगह के हों वहां हाथियों का निर्ममतापूर्ण व्यवहार किया जाता है और उनका अनधिकृत शिकार किया जाता है। उनके दांतों से जो सामान बनता है उसको प्राप्त करने के लिए हाथियों का गलत ढंग से शिकार करने के प्रयास किए जा रहे हैं। बिना लाइसेंस के ये शिकारी नाना प्रकार के जंगली जानवरों का शिकार करते हैं और सफेद शेरों की नस्ल तो हिन्दुस्तान से खत्म ही हो गई है। ये जो जितने भी अभयारण्य हैं या सुरक्षित जंगल हैं जिनमें हमने जानवरों को रखा था उनकी संख्या अब तेजी से कम होती जा रही है। आज गुजरात के गिरनार के जंगल में इसी प्रकार की स्थिति है। इस विभाग के अन्दर जो भ्रष्टाचार हैं उसको भी रोका जाए। वहां पर ईमानदार लोगों को रखा जाए और उनको पुरस्कार वगैरह देकर प्रोत्साहित किया जाए। जो आदमी जंगली जानवरों का अवैध रूप से शिकार करते हुए पकड़ा जाएगा और उनका अनुचित रूप से शोषण करते हुए पकड़ा जाएगा उसके लिए कड़े दण्ड का प्रावधान करना चाहिए और जो इनको पकड़वाएगा उसके लिए ईनाम की व्यवस्था की जाएगी इसलिए पुरस्कार की घोषणा की जाए तो मैं समझता हूं कि यह कानून सही ढंग से लागू हो सकेगा।

स्थानीय आदमियों के बारे में, आदिवासी लोगों के बारे में, जंगलों में रहने वाले वन्य जातियों के हितों का भी ध्यान हमें रखना चाहिए। अगर हमने उनकी सुख-सुविधाओं का खयाल नहीं रखा,

उनका सहयोग प्राप्त नहीं किया जो तो कानून के माध्यम से और इस संशोधन के माध्यम से जो कुछ भी हम करना चाहते हैं वह नहीं कर पाएंगे । इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से और मन्त्री जी से यह अनुरोध करना चाहता हूं कि कानून बहुत से बन चुके हैं, बन रहे हैं और आगे भी बनेंगे, लेकिन कानूनों की अनुपालना करने के लिए जिन हाथों में शक्ति होनी चाहिए वह आप दें । आपने सजा का प्रावधान बढ़ा दिया है यह भी ठीक काम किया है । पहले 6 महीने थी अब एक साल कर दिया, जहां पहले दो साल थी आपने अब चार साल का प्रावधान कर दिया है और जुर्माना भी दो सौ से बढ़ाकर बीस हजार कर दिया है । यह सब करने के बावजूद अगर वन्य जानवर नहीं बच पाएं या जंगल नहीं बच पाएं, पेड़ों का कटाव नहीं रुक पाए, भ्रष्टाचार को समाप्त नहीं किया और वन्य जानवरों के महत्व के बारे में जनता को प्रशिक्षित करने का प्रयास नहीं किया, विश्वविद्यालयों में, पुस्तकालयों में, वाचनालयों में, होस्टलों में और जो हम वन्य जीव दिवस मनाते हैं उनमें इसके महत्व को नहीं दर्शाया और लोगों को शिक्षित करने का प्रयास नहीं किया तो आने वाले समय में और भी संकट हमारे सामने उपस्थित रहेगा ।

राजस्थान के अन्दर अजमेर जिले में और अन्य कई स्थानों पर नीलगाय पाई जाती है । इसको आपने इस कानून के अन्तर्गत संरक्षण तो प्रदान कर दिया कि इनको मारने या पकड़ने को अपराध माना जाएगा । लेकिन इससे किसानों की खेती को इतना नुकसान हो रहा है कि आज लाखों रुपयों की खेती मारी जा रही है । किसान ...त भर रखवाली करता है, लेकिन थोड़ी देर के लिए वह अगर इधर-उधर हो जाए तो नीलगायों का झुण्ड का झुण्ड आ जाता है और उसकी सारी फसल को बर्बाद कर देता है । इसलिए मैं आप लोगों से प्रार्थना करता हूं कि इसके बारे में भी थोड़ा ध्यान दिया जाए । किसानों को उनकी फसल नष्ट होने से बचाया जाए और इसके लिए आपको निश्चित व्यवस्था करना चाहिए ।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि माननीय सदस्य नियत समय के अनुसार बोलें तो अधिक सदस्यों को बोलने का अवसर मिल सकता है । अध्यक्ष महोदय ने भी यह मत व्यक्त किया है कि कुछ सदस्यों द्वारा समय-सीमा का पालन न करने के कारण कुछ अन्य सदस्यों को बोलने का अवसर नहीं मिलता । इसलिए मैं आपसे समय सीमा के अनुसार बोलने का अनुरोध करता हूं ताकि अधिक से अधिक सदस्य अपने दलों की ओर से बोल सकें ।

श्री लाइता उम्ब्रे (अरुणाचल पूर्व) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक का विरोध करना चाहता हूं, परन्तु दुर्भाग्यवश ऐसा करने का मेरे पास कोई प्राधिकार नहीं है । इसलिए मैं आधे मन से विधेयक का समर्थन कर रहा हूं । जबकि इसके कई कारण हैं, पता नहीं मैं माननीय उपाध्यक्ष और माननीय पर्यावरण मन्त्री को सन्तुष्ट कर पाऊंगा ।

मैं जानता हूं कि मानव जाति, विशेषकर आदिवासियों के अस्तित्व के लिए वन्य जीवन का संरक्षण अतिमहत्वपूर्ण है । जब हम जंगलों, अभयारण्यों, राष्ट्रीय उद्यानों, आदि की बात करते हैं तो हम उन आदिवासियों के बारे में सोचते हैं जो इन क्षेत्रों में रह रहे हैं ।

ऐसा प्रतीत होता है कि इस विधेयक से वन अधिकारियों को संरक्षण के नाम पर उन निर्दोष आदिवासियों को परेशान करने का काफी अवसर मिलता है जो सदियों से जंगलों में रह रहे हैं । ये

आदिवासी लोग उन रक्षित क्षेत्रों में सदियों से रह रहे हैं और वे कहते हैं कि इन लोगों ने उन क्षेत्रों पर अवैध कब्जा कर रखा है। परन्तु जहां तक हमारी जानकारी है उन्होंने कभी भी किसी रक्षित वन या किसी अभयारण्य पर अवैध कब्जा नहीं किया। यह तो वन विभाग के प्राधिकारी हैं जिन्होंने स्थानीय आदिवासी लोगों से उचित परामर्श किए बिना आदिवासियों के वनों को वन्य-जीव अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, आरक्षित वन आदि घोषित कर दिया। उन्होंने उनसे ये स्थान छोड़ने के लिए कहा है और वे स्थान खाली कराए गए हैं। मैं तो यही महसूस करता हूं कि यह अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण है। देश के दूसरे भागों में रहने वाले जनजातीय लोगों के बारे में तो मुझे अधिक जानकारी नहीं है, किन्तु मेरे राज्य अरुणाचल प्रदेश में 70 प्रतिशत स्थानीय जनता का किसी विशेष धार्मिक समुदाय से सम्बन्ध नहीं है। उनकी अपनी मान्यताएं हैं, अपनी संस्कृति और समृद्ध परम्पराएं हैं जो वन्य जीवन और वनों से जुड़ी हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि यह विधेयक इन जनजातीय लोगों की परम्पराओं का अतिक्रमण करता है।

मेरी असली आपत्ति विधेयक की धारा 33 के खण्ड 3 के बारे में है, जिसमें आपने मुख्य वन्य जन्तु वार्डन को संरक्षित क्षेत्र के 10 कि० मी० के दायरे के भीतर रहने वाले लोगों को हथियारों के लाइसेंस जारी करने का पूर्ण अधिकार दिया हुआ है। यह अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं एक ऐसे स्थान से सम्बन्ध रखता हूं जो एक वन्य जीव अभयारण्य के अत्यन्त निकट है। यह बिल्कुल पास में है और 10 किलोमीटर के दायरे में है। मैं जानता हूं कि यह वन्य जीव अभयारण्य कैसे अस्तित्व में आया। इसका एक लम्बा इतिहास है और मैं उसे यहां सुनाना नहीं चाहता।

यह खण्ड विशेष, जिसका मैं विरोध कर रहा हूं, पहले मूल विधेयक में नहीं था। दुर्भाग्य से एक गैर-सरकारी सदस्य द्वारा राज्य सभा में एक संशोधन पेश किया गया, जिसे स्वीकार कर लिया गया और इसीलिए, मूल विधेयक में यह खण्ड अन्तःस्थापित किया गया। अब मैं माननीय मन्त्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वह इसकी छानबीन करें। मैं नहीं जानता कि आप मनुष्यों को ज्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं या जंगली जानवरों को। किन्तु मैं जानवरों की अपेक्षा मनुष्यों को अधिक महत्व दूंगा क्योंकि मैं एक ऐसे जिले से हूं जहां जनसंख्या का घनत्व केवल दो व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है और मेरे राज्य में 62 प्रतिशत से अधिक क्षेत्र वनों के अन्तर्गत आता है। वहां ऐसी कई घटनाएं हुई हैं जिनमें जंगली जानवरों ने निर्दोष लोगों और यात्रियों को जान से मारा है। यदि आप राज्य सरकार से सम्पर्क स्थापित करें तो आपको पता चलेगा कि जंगली जानवरों द्वारा नष्ट की जाने वाली फसलों के लिए प्रतिवर्ष कितना-कितना मुआवजा दिया जाता है। मैं यह बताना चाहता हूं कि लगभग डेढ़ महीने पहले दिल्ली विश्वविद्यालय का एक छात्र छुट्टियों में घर गया और 6 अन्य लोगों के साथ एक पागल हाथी द्वारा मारा गया। इस प्रकार की बहुत सी घटनाएं हैं जिनमें निर्दोष लोग जंगली जानवरों के शिकार हुए। इन लोगों को अपनी रक्षा के लिए हथियार चाहिए जिन्हें देने से आप इन्कार कर रहे हैं। इसलिए, मन्त्री महोदय से मेरा अनुरोध है कि वह इसकी जांच करें।

मुझे बहुत सी बातें कहनी हैं किन्तु मैं जानता हूं कि समय की कमी है। किन्तु मैं एक अत्यन्त गम्भीर समस्या का उल्लेख करूंगा। मैं यह समझता हूं कि पिछले 10 वर्षों के दौरान 3.45 लाख हैक्टेयर भूमि अनारक्षित की गई और 1.38 लाख हैक्टेयर भूमि पिछले वर्ष अनारक्षित की गई। राज्य सरकारों, विशेषकर मेरे राज्य की ओर से वनों को अनारक्षित करने के बारे में कई अनुरोध प्राप्त हुए हैं। जैसाकि मैं पहले कह चुका हूं कि हमारे यहां 62 प्रतिशत भूमि वनों के अन्तर्गत है। मुझे इस बात की कोई तुक समझ नहीं आती कि जहां पर कोई वन नहीं है वहां पर तो वनारक्षण कर दिया गया है

किन्तु जहां वन हैं वहां इन्कार कर दिया गया है। मैं तो केवल यही कह रहा हूं कि गैर-वर्गीकृत राज्य वन से भूमि अनारक्षित करके बराबर बांट दी जाए क्योंकि अनारक्षित वन वहां पर रह रहे लोगों के काफी निकट है। उन स्थानों पर अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान और आरक्षित वन हैं जहां कृषि योग्य भूमि उपलब्ध है। हमारे यहां बहुत सी पहाड़ियां और पहाड़ हैं जहां कोई आबादी नहीं है और जो कृषि योग्य नहीं हैं। हमारे यहां अत्यन्त दुर्लभ किस्म के वन्य जीव हैं, जिनका उन स्थानों पर संरक्षण किए जाने की आवश्यकता है। किन्तु इस दिशा में कुछ नहीं किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपना भाषण समाप्त करिए।

श्री लाइता उम्ब्रे : चूंकि आपने बहुत थोड़ा समय दिया है, इसलिए मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। अपनी बात समाप्त करने से पूर्व मैं माननीय पर्यावरण मंत्री से अनुरोध करता हूं वन्य जीवन को गम्भीर खतरा शहरीकरण और विकास से है न कि अभयारण्य क्षेत्रों के निकट रहने वाले जनजातीय लोगों से। इस विधेयक से विभिन्न वन अधिकारियों को अभयारण्यों और संरक्षित क्षेत्रों के निकट रहने वाले भोले भाले जनजातीय लोगों को परेशान करने का पूरा अवसर मिलेगा। इसलिए, मुझे आशा है कि माननीय मन्त्री महोदय, इस बात पर गम्भीरतापूर्वक विचार करेंगे।

श्री सैयद शाहाबुद्दीन (किशनगंज) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। मैं, हमारे प्राकृतिक जीवन और वनस्पति की रक्षा और संरक्षण के लिए बनाए गए इस विधान का स्वागत करता हूं और मुझे इस बात की खुशी है कि यह राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड की विशेषज्ञ सलाह पर आधारित है। मुझे इस बात की विशेष खुशी है कि पेड़-पौधों को भी वन्य जीव की परिभाषा में शामिल किया गया है। मुझे केवल महावीर का दर्शन ही याद नहीं आ रहा बल्कि यह भी याद आ रहा है कि महान वैज्ञानिक जगदीश चन्द्र बसु ने यह स्थापित किया था कि पेड़-पौधों में भी जीवन होता है और इसके लिए उन्हें रॉयल सोसायटी की सदस्यता और नोबल पुरस्कार दिया गया।

महोदय, मुझसे पहले बोलने वाले सदस्यों ने भी एक वास्तविक समस्या अर्थात् हमारे वनों में रहने वाले हमारे भाइयों, आदिवासियो और वनवासियों के दावों और हितों तथा वन्य जीवन संरक्षण की जरूरतों के बीच सन्तुलन ढूंढने की समस्या उठाई है। मन्त्री महोदय को चाहिए कि वह सभा को, माननीय सदस्य द्वारा उठाई गई समस्या के बारे में बताएं तथा परस्पर विरोधी हितो के बीच उचित सन्तुलन कायम करने के लिए सरकार द्वारा अपनाए जा रहे तरीकों और सिद्धान्तों से अवगत कराएं।

महोदय, इस विधेयक द्वारा अधिक शक्तियां दी गई हैं और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि दण्डनीय अपराधों के लिए दण्ड अधिक कड़े किए गए हैं। किन्तु मुझे इस बात की हैरानी है कि इस विधेयक में उन लोगों को, दण्ड देने के बारे में कुछ नहीं कहा गया जिन पर वन्य जीवों की रक्षा करने की जिम्मेवारी है बल्कि वास्तव में यही लोग अनधिकृत शिकारियों के सहयोग से और कई बार अपने मेहमानों को खुश करने के लिए अपराध करते हैं। मैं ऐसे कई मामले जानता हूं जिनमें वन या अभयारण्य अधिकारी खातिरदारी के लिए जानबूझ कर नियमों का उल्लंघन होने देते हैं। यह कर्त्तव्यों का उल्लंघन है। किन्तु मेरा विचार है कि मन्त्री महोदय को इस मामले पर विचार करना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जिन लोगों को इसकी जिम्मेवारी दी गई है उन्हें इसका उल्लंघन करने पर कड़ी सजा दी जाए और उन्हें इस सामान्य कानून के अन्तर्गत संरक्षण नहीं दिया जाना चाहिए कि उन्होंने कर्त्तव्य का निर्वाह करते हुए ऐसा किया, क्योंकि आमतौर पर यही दलील दी जाती है। मैं ऐसे पुलिस अधि-

कारियों को जानता हूं जिन्होंने वनों को वन्य जीवों से वंचित किया है और मुझे यह कहते हुए खेद होता है कि मैं ऐसी स्थितियों से भी वाकिफ हूं जिनमें केन्द्र सरकार ने स्वयं राजनयिक शिष्टाचार के तौर पर विदेशी अतिथियों को शिकार करने की अनुमति दी है। मुझे विश्वास है कि मन्त्री महोदय को ऐसी परिस्थितियों की जानकारी है। मैं नहीं समझता कि राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए शिष्टाचार निभाते हुए वन्य जीव की बलि दी जा सकती है। इसलिए, महोदय इस विधेयक का समर्थन करते हुए मैं माननीय मन्त्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वन्य जीवों की रक्षा और संरक्षण की जिम्मेवारी पूरी तरह से निभाई जानी चाहिए और उसमें कोई कोताही नहीं बरती जानी चाहिए। अन्यथा उनके सभी प्रयास पूर्णरूप से निरर्थक हो जायेंगे।

एक और प्रश्न है जिसकी तरफ मैं माननीय मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। मैं इस बात से प्रसन्न हूं कि वह वनों के प्रभारी मंत्री भी हैं और इसीलिए वह वन अधिनियम को लागू करने के प्रभारी भी हैं। अब वन्य पौधों को इस विधेयक के अन्तर्गत लाया गया है। वन अधिनियम और इस वन्य जीवन अधिनियम के लागू करने और इसके संचालन के बीच समन्वय का एक निश्चित पैमाना होना चाहिए। मुझे विश्वास है कि यह सभी जानते हैं कि अधिकांश पौधों, विशेषरूप से जिनका औषधीय और चिकित्सीय महत्व है, के विकास और खुराक के लिए वन पर्यावरण की जरूरत होती है। अतः वन अधिनियम और वन्य जीव अधिनियम के प्रवर्तन के बीच एक प्रकार का संस्थागत सम्पर्क स्थापित किया जाना बहुत जरूरी है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बात से भी प्रसन्न हूं कि केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण स्थापित किये जाने की मांग की गई है। मैं स्थिति से अवगत हूं और वास्तव में मुझे यह मालूम है कि दिल्ली में एक युवा दल ने स्वयं इस बात का पता लगाया कि चिड़ियाघर में इन जानवरों की देखभाल किस प्रकार की जा रही है। मुझे विश्वास है कि माननीय मन्त्री से यह छिपा नहीं है कि इन जानवरों को, जो हमारे हाथ में हैं और जो स्वच्छन्द नहीं हैं, को बाड़ों में कैसे रखा जाता है और जो स्वयं अपने लिए किसी चीज का प्रबन्ध नहीं कर सकते हैं उन्हें कई बार भूखा रखा जाता है और यहां तक कि उनके साथ बुरा व्यवहार भी किया जाता है। मुझे विश्वास है यह केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण विभिन्न चिड़ियाघरों, सर्कसों और अन्य संस्थाओं को वन्य जीवों के आबंटन के प्रश्न पर ही विचार नहीं करेगा अपितु यह भी सुनिश्चित करेगा कि वे जहां कहीं भी रखे जायें, चाहे वह सरकारी चिड़ियाघर हो अथवा निजी चिड़ियाघर, उन्हें वहां यथासम्भव प्राकृतिक स्थान और पर्यावरण मिलना चाहिए और उनकी सही ढंग से देखभाल की जानी चाहिए। इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री निर्मल कांति चटर्जी (दमदम) : महोदय, मैं उनके भाषण में थोड़ी सी वृद्धि करना चाहूंगा। श्री जे० सी० बोस को नोबल पुरस्कार नहीं मिला था।

श्री शाहाबुद्दीन याकूब : यह ठीक बात है। उन्हें रायल सोसाइटी की सदस्यता मिली थी। मैं गलती मानता हूं। धन्यवाद।

श्री निर्मल कांति चटर्जी : वह नोबल पुरस्कार के अधिकारी थे। लेकिन उन्हें यह पुरस्कार औपनिवेशिक शासन के कारण नहीं मिला था।

उपाध्यक्ष महोदय : इतना संशोधन करने की अनुमति दी जाती है।

श्री सी० एम० सी० बालयोगी (अमलापुरम) : मुझे अत्यन्त प्रसन्नता है कि आपने मुझे वन्य जीव संरक्षण विधेयक पर बोलने का अवसर प्रदान किया है।

महोदय, अधिनियम के उपबन्धों को और प्रभावी और सख्त बनाते समय स्थानीय लोगों, विशेषकर आदिवासियों, के अधिकारों की तरफ भी उचित ध्यान दिया जाना चाहिए कई वर्षों से आदिवासी लोगों के अधिकारों और उनके विकास की उपेक्षा की गई है। यदि आदिवासी क्षेत्रों का उचित रूप से विकास किया जाये और आदिवासियों को शैक्षिक एवं अन्य सुविधायें प्रदान की जाएं तो वे स्वयं ही देश में वन्य जीव और वनों की भी सुरक्षा करेंगे।

दूसरे, मैं यह कहना चाहूंगा कि वनों में रहने वाले वन्य जीव ही नहीं अपितु वन भी अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं। मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूं कि हम प्रत्येक वर्ष वनों को नष्ट कर रहे हैं। उपलब्ध जानकारी के अनुसार शुरू-शुरू में हमारे पास 45 प्रतिशत वन भूमि थी जो अब घटकर केवल 15 प्रतिशत रह गई है। चूंकि माननीय मन्त्री वनों के प्रभारी मन्त्री भी हैं, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वे इस पहलू पर विचार करें। चूंकि वन भूमि घटती जा रही है इसलिए आप तटीय क्षेत्रों में वनरोपण के कार्यक्रमों को बढ़ावा दे सकते हैं क्योंकि हमारे पास बहुत लम्बा तट है। हमारे राज्य आन्ध्र प्रदेश में भी काफी बड़ा तटीय क्षेत्र है। इन तटीय क्षेत्रों में रह रहे लोग पेशे से मछुआरे हैं। उनका मुख्य पेशा मछली पकड़ना हैं। देश के अन्य भागों में रह रहे आदिवासियों की जीवन-निर्वाह परिस्थितियों की तुलना में उनकी जीवन-निर्वाह परिस्थितियां अत्यन्त अवसामान्य हैं। इस सम्बन्ध में मैं माननीय मन्त्री जी से अनुरोध करूंगा कि वह आंध्र प्रदेश सरकार की सिफारिश को स्वीकार करें। आंध्र प्रदेश सरकार ने सिफारिश की है कि तटीय क्षेत्र में रह रहे मछुआरों को अनुसूचित जनजातियों की सूची में सम्मिलित किया जाए।

यदि सही ढंग से वृक्षारोपण किया जाए तो हम चक्रवात पर नियंत्रण पा सकते हैं। इन चक्रवातों के कारण तटीय क्षेत्र में उपजाऊ भूमि को भारी मात्रा में नुकसान पहुंचता है।

आंध्र प्रदेश में विशाल वन क्षेत्र है। इन वनों में अनेक वन्य जीव हैं लेकिन सरकार ने इस क्षेत्र में अभी तक किसी चिड़ियाघर की स्थापना नहीं की है। मेरा माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि वह आंध्र प्रदेश में विशेषकर पूर्वी गोदावरी में जहां घने जंगल हैं, एक चिड़ियाघर की स्थापना करें।

*श्री सुधेन्दु रॉय (विष्णुपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पर्यावरण और वन्य जीव मन्त्री द्वारा पेश किया गया विधेयक वन्य जीवों के संरक्षण से सम्बन्धित है। मैं विधेयक का समर्थन करता हूं। यह विधेयक 1972 में पारित किया गया था और मुझे प्रसन्नता है कि इस संशोधनकारी विधेयक में पेड़ों को भी सम्मिलित किया गया है। यह एक अच्छा कदम है और इसीलिए मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं और इस विधेयक में पेड़ों को भी सम्मिलित करने पर मैं मन्त्री महोदय का धन्यवाद करता हूं। इस विधेयक का समर्थन करते हुए मैं कुछ चौंकाने वाले तथ्य सभा के ध्यान में लाना चाहूंगा। इस विधेयक के बारे में अनेक माननीय सदस्यों ने अपने विचार प्रकट किए हैं। समय के अभाव के कारण मैं उन्हें दोहराना नहीं चाहता। यह विधेयक 1972 में पारित हुआ था और 1972 से 1991 तक की जो तस्वीर हमारे सामने है वह वास्तव में चौंकाने वाली है। भारत में विगत में 91700 वर्ग किलोमीटर

*मूलतः बंगला में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

वन भूमि की। लेकिन उस विशाल वन क्षेत्र का अब विनाश हो रहा है। प्रति वर्ष लगभग 15000 वर्ग कि० मी० वन क्षेत्र नष्ट किया जा रहा है। यह वास्तव में एक चिंताजनक विषय है। माननीय पर्यावरण मन्त्री मध्य प्रदेश से हैं। भारत में मध्य प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है और यहां जनसंख्या का घनत्व कम है। जनसंख्या की तुलना में क्षेत्र बहुत बड़ा है। 1956 तक राज्य का 45 प्रतिशत क्षेत्र वन क्षेत्र रहा है। लेकिन 1991 में यह घटकर 15% रह गया है। यह वास्तव में चिंताजनक स्थिति है। यदि हम अपना पारिस्थितिकी सम्बन्धी सन्तुलन नहीं बनाए रख सकते तो हमारा जीना मुश्किल हो जाएगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमने बहुत सारे विधेयक राज्य सभा, लोक सभा या राज्य विधान सभाओं में पारित किए हैं। लेकिन यदि इन विधेयकों अथवा अधिनियमों को क्रियान्वित नहीं किया जाता या मूर्तरूप नहीं दिया जाता है तो इनको पारित करने का उद्देश्य निष्फल हो जाएगा।

यदि अधिनियमों और विधेयकों को उचित प्रकार से लागू नहीं किया जाता है तो उन व्यक्तियों को कभी भी लाभ नहीं पहुंचाया जा सकता जिनके लिए हम ये विधेयक अथवा अधिनियम पारित करना चाहते हैं। अतः विधेयकों अथवा अधिनियमों का केवल पारित करना ही काफी नहीं हैं। इसे लागू किया जाना चाहिए, इन्हें उस आम आदमी की भलाई के लिए उपयुक्त बनाया जाना चाहिए जिसके लिए ये विधेयक पारित किए जाते हैं।

महोदय, मेरा निर्वाचन क्षेत्र एक वन क्षेत्र है। हमने देखा है कि वहां 30 वर्ष पूर्व जीवन कितने खतरे से भरा हुआ था। हमें हमेशा जंगली जानवरों के हमलों का डर रहता था। जंगली जानवरों के डर के कारण हम वनों के नजदीक जाने से डरते थे। ये जानवर यहां के निवासियों के साथ-साथ पालतू जानवरों पर भी हमला कर दिया करते थे। परन्तु आज विज्ञान के इस विकसित युग में हम देखते हैं कि यह प्रवृत्ति विपरीत हो गयी है। हम पर्यावरण सन्तुलन बनाए रखने और जंगली जानवरों की रक्षा करने का प्रयास कर रहे हैं। हमारा यह प्रयास रहा है कि जंगली जानवरों की संख्या में वृद्धि कैसे की जा सकती है।

परन्तु माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हम इस उद्देश्य की प्राप्ति विधेयकों अथवा अधिनियमों को केवल पारित करके नहीं कर सकते। निश्चय ही हमें कुछ अधिनियमों और विधेयकों की आवश्यकता है। परन्तु हमें देखना यह है कि इन विधेयकों और अधिनियमों का कारगर ढंग से प्रयोग किया जाए। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, लोगों को वन्य जीवों की रक्षा के प्रति सचेत करने के लिए शिक्षा देने की आवश्यकता है। ऐसा टेलीविजन और दूसरे प्रचार माध्यमों के द्वारा किया जा सकता है। जनता को वन्य जीवों की रक्षा की महत्ता के बारे में जागरुक होना चाहिए। ऐसा हम प्रचार के माध्यम से और शिक्षाप्रद कार्यक्रमों के माध्यमों की सहायता से कर सकते हैं। हमने सिक्किम में देखा है कि बुद्ध की शिक्षाओं का प्रचार-माध्यमों के द्वारा प्रचार किया गया था। महात्मा बुद्ध के उन उपदेशों में जानवरों और वृक्षों के प्रति प्रेम और दया की भावना रखने पर सर्वदा जोर दिया गया है। वनों और वृक्षों के संरक्षण के लिए कुछ कारगर कदम उठाए जाने की भी आवश्यकता है। मेरे राज्य पश्चिम बंगाल में राज्य सरकार इस कार्य को पंचायत प्रणाली के माध्यम से कर रही है। वन्य जीवों के संरक्षण के लिए एक समिति का गठन किया गया है जिसमें वन के पास रहने वाले व्यक्ति शामिल किए गए हैं। चूंकि इस समिति में गांव के लोग, वन के पास रहने वाले व्यक्ति सम्मिलित हैं, अतः यह स्वभाविक ही है कि वृक्षों और वनों के रखरखाव तथा संरक्षण के लिए उचित कदम उठाए जाते हैं। वन विभाग एक जटिल विभाग अथवा मुझे कहना चाहिए कि एक अव्यवस्था वाला विभाग है। हमने देखा है कि यदि वृक्षों का

संरक्षण किया जाता है तो उन्हें नष्ट भी किया जाता है। यदि वृक्ष लगाए गए हैं तो उन्हें काटा भी गया है। वन विभाग में वन के किसी भाग विशेष में वृक्षों को काटने की अनुमति दी जाती है।

इस सन्दर्भ में हम आदिवासियों को नहीं भूल सकते। आदिवासी इस क्षेत्र के मूल निवासी हैं। वे अपने निजी हितों के लिए वनों की रक्षा करते हैं। उन्हें जलाने की लकड़ी की आवश्यकता होती है अतः वे अपने निजी उद्देश्य के लिए वनों और वृक्षों की रक्षा करते हैं। यदि वे जलाने की लकड़ी अथवा अन्य काम के लिए पेड़ों को काटते हैं तो वे उन्हें लगाते भी हैं। स्वभावतः पेड़ों की पत्तियों से भूमि का उपजाऊपन बना रहता है। चूंकि मशरुम उनका भोजन है, यह उनको वन में प्रचुरता से मिलते हैं।

लोगों को, स्कूली बच्चों को रेडियो, टेलीविजन के माध्यमों के द्वारा वन्य जीवों और वनों के संरक्षण की आवश्यकता के बारे में जानकारी दी जानी चाहिए। इस प्रयोजन के लिए उन्हें फिल्में और शिक्षाप्रद कार्यक्रम दिखाए जाने चाहिए। तभी हम वन्य जीव और वन के संरक्षण के लिए पारित किए जाने वाले विधेयकों के उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हैं।

महोदय, चर्चा में भाग लेते हुए मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं। पश्चिम बंगाल सरकार ने कुछ स्थानों को चिड़ियाघरों के लिए निर्धारित किया है और उन्होंने राष्ट्रीय पार्कों और अभ्यारण्यों के लिए कुछ प्रस्ताव भी भेजे हैं। महोदय, मैं आपके माध्यम से केन्द्रीय सरकार से निवेदन करता हूं कि वह पश्चिम बंगाल सरकार के इन प्रस्तावों के लिए धनराशि प्रदान करे ताकि इन्हें कार्यरूप दिया जा सके। दूसरा प्रस्ताव सागर द्वीपसमूह में मेराइन पार्क के लिए धन स्वीकृत करने के लिए है। मैं एक और प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहता हूं और वह यह है कि राष्ट्रीय पार्क और अभयारण्यों के लिए समुद्र तटीय क्षेत्रों में बफर क्षेत्र स्थापित किया जाना चाहिए। केन्द्रीय सरकार को इस उद्देश्य के लिए धन देना चाहिए। मेरे कुछ और सुझाव भी हैं परन्तु चूंकि समय कम है और घंटी बज रही है, अतः मैं अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे बोलने का अवसर दिया। मैं विधेयक का समर्थन करते हुए अपना भाषण समाप्त करता हूं।

3.00 म० प०

[हिन्दी]

श्री विजय कुमार यादव (नालन्दा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल का समर्थन करता हूं। 2-3 सुझाव केवल देने हैं। मन्त्री जी ने अपने वक्तव्य में कहा है कि जो हाथी दांत के व्यापारी हैं और जो उसे विदेशों में भेजते हैं, अभी उनको कुछ समय छूट दी जाएगी। मैं समझता हूं कि ऐसा करने से उनका रोजगार जारी रहेगा और कानून के जरिए जिसको आप रोकना चाहते हैं, वह रुक नहीं सकेगा। इसलिए मेरा सुझाव है कि जिन व्यापारियों के पास हाथी दांत उपलब्ध हैं, सरकार उनको ले ले और एक्सपोर्ट करने का काम सरकार खुद करे।

3.02 म० प०

[श्री पी० एम० सईद पीठासीन हुए]

इससे आगे आने वाले दिनों में यह हाथी दांत निकालने का कारोबार जारी नहीं रह सकेगा।

सजा के मामले में मेरा कहना यह है कि सजा को और ज्यादा कड़ा किया जाना चाहिए और

इस ऐक्ट के अन्तर्गत आने वाले जितने भी अपराध हैं, सबों को कॉग्नीजेबल मानना चाहिए। और केवल सीधे तौर पर फिजीकली जो इसका उल्लंघन करते हैं, उन्हीं को इस सजा के दायरे में नहीं रखना चाहिए बल्कि जो इसकी प्रेरणा देने वाले लोग हैं, उनकी मदद करने वाले लोग हैं या फाइनेंशियली जो उनकी मदद करते हैं या सरकारी आफिसर आदि जो पैसे के लोभ में आकर उसके साथ कनाइव करके इस तरह का काम करने देते हैं, ऐसे लोगों को भी इस कानून के अन्तर्गत लाने की जरूरत है।

सर्कस वाला और चिड़ियाघर वाला जो सिलसिला है, वह जिस क्रूरता से पेश आते हैं, यह क्रूरता नहीं रुकेगी जब तक उनको पता है कि कानून कड़ा नहीं होगा और कोई ऐसी एजेन्सी नहीं बनेगी जो सही मायने में कुछ मोनेटरिंग का काम कर सके तो फिर इस बिल का जो उद्देश्य है, उस उद्देश्य को पूरा होने में कमी होगी और कमजोरी आएगी। मेरा इसमें यह सुझाव है कि कोई ऐसी एजेन्सी जरूर बनाई जाए.....

सभापति महोदय यादव जी, आप जरा आगे आ जाइए। यहां सुनाई नहीं पड़ रहा है। या जरा ऊंचा बोलिए।

श्री विजय कुमार यादव : अब तो मैं खत्म कर रहा हूं। मुझे कोई ज्यादा नहीं बोलना है।

मेरा यह कहना है कि इसमें कोई एजेन्सी जरूर बनाई जाए ताकि सर्कस वालों को या चिड़ियाघर के बारे में जो अभी कुछ बातें कही गई हैं और उनके साथ वहां जो क्रूरता बरती जाती है, उस क्रूरता को रोका जा सके।

आदिवासियों की समस्या जंगल के साथ जुड़ी हुई है और इसलिए अभी कांग्रेस के एक सदस्य ने जिन चीजों की चर्चा की है, हमारी सहमति उसके साथ है कि उनका जो अधिकार है या उनके जो हित हैं, उसको भी इसमें एडजस्ट करने की बात करनी चाहिए लेकिन इतनी दूर तक एडजस्ट नहीं किया जाए जिसमें इसका मूल मकसद ही खत्म हो जाए, ऐसी बात नहीं होनी चाहिए।

इसमें और भी कई खामियां रही हैं, उन खामियों के लिए जाहिर बात है, पहले के मुकाबले में इसमें इम्प्रूवमेंट है लेकिन फिर भी जरूरत है कि और ज्यादा व्यापक कानून बनाया जाए।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं।

[अनुवाद]

श्रीमती वसुंधरा राजे (झालावाड़) : गत दो माह के दौरान मेरी माननीय पर्यावरण मन्त्री जी से काफी नोंकझोंक हुई है। लेकिन आज मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि मैं सभा के समक्ष प्रस्तुत इस विधेयक का तहेदिल से समर्थन कर रही हूं।

मैं समझती हूं कि इतने थोड़े समय में इस विधेयक के क्षेत्राधिकार में विभिन्न बातों के सम्मिलित करने के लिए वे बधाई के अधिकारी हैं। मैं समझती हूं कि किसी भी प्रकार के शिकार पर रोक लगाना, पौधों की सुरक्षा, पशुओं और उनके चरने के स्थानों की सुरक्षा प्रदान करना, पशुधन को टीके लगाना, हाथी दांत की चीजों पर रोक, आदि सभी ऐसी बातें हैं जिनकी हम प्रशंसा कर सकते हैं।

लेकिन इसके साथ-साथ, यद्यपि मैं इस क्षेत्र में विशेषज्ञ नहीं हूं, मुझे अभी भी विश्वास है कि मन्त्री जी शायद इन सब बातों पर ध्यानपूर्वक विचार करेंगे ताकि इन सब बातों को भी वर्तमान ढंग से प्रस्तुत करने की बजाय दूसरे ढंग से इस विधेयक में सम्मिलित किया जाए।

अरुणाचल से माननीय सदस्य ने भी यह कहते हुए इसी कठिनाई को व्यक्त किया है कि अभ्यारण्यों के आसपास 10 कि० मी० की परिधि के भीतर हथियारों के प्रयोग के लिए कोई भी लाइसेंस जारी नहीं किया जाना चाहिए। जब तक कि वन वार्डन इसकी इजाजत न दे दे। मैं केवल यह कहना चाहती हूं कि हमें विधान के ऊपर विधान बनाने की गलती नहीं करनी चाहिए। हमें पहले से विद्यमान कानूनों को और शक्तियां दान करनी चाहिए। क्योंकि किसी कानून को लागू करना मुश्किल ही नहीं अपितु असम्भव सा भी है। माननीय मन्त्री महोदय का कहना है कि यदि 10 किलोमीटर की परिधि के भीतर लोगों को हथियार ले जाने से रोका जाता है तो वनों में शिकार चोरी नहीं होगी। इसके अलावा माननीय सदस्य श्री शाहाबुद्दीन जी ने कहा है कि बहुत सारे अन्य सदस्य भी उनसे सहमत हैं— वनों में शिकार-चोरों और माफिया गिरोहों का गुप्त सहयोग है जो वनों में वन्यजीवों को समाप्त कर रहे हैं। काफी हद तक इस बात में सच्चाई है। मैं यह कहना चाहूंगी कि आखेट रक्षक वार्डन रेन्जरों को बहुत बड़े भाग में गश्त लगानी होती है। सबसे पहले तो रेन्जरों को वेतन बहुत कम मिलता है उन्हें जिस क्षेत्र में गश्त करनी होती है वह बहुत बड़ा होता है। उसके पास कोई हथियार नहीं होता है। उसके परिवार को भी कोई सुविधाएं नहीं दी गई है। वह लम्बे समय तक अपने परिवार से दूर रहता है। मैं समझती हूं कि वह मन्त्रालय और तन्त्र की सहायता करने में कोई प्रभावी अधिकारी सिद्ध नहीं हो सकता। मैं समझती हूं कि मन्त्री महोदय को शायद इन लोगों को शस्त्रों से लैस करने, उनका वेतन बढ़ाने, उनके गश्त लगाने के क्षेत्र में कमी करने और उन्हें वाहन उपलब्ध कराने के बारे में गम्भीरता से सोचना चाहिए ताकि वे वास्तव में प्रभावी ढंग से कार्य कर सकें।

मन्त्री महोदय मछली पालन के बारे में उल्लेख करना भूल गए हैं। कोसी और रामगंगा जैसी नदियां महसीर-मच्छली-पालन के लिए मशहूर हैं। भारी मात्रा में गोलाबारी के कारण मछलियां मरी हुई निकली हैं। मैं नहीं समझती कि इन मछलियों के प्रजनन के लिए किन्ही अन्डा उत्पत्ति-शालाओं की स्थापना की गई है। महसीर मछली एक विलक्षण गेम फिश है। कारबेट पार्क जैसे स्थान पर भी खण्डों में एक बार फिर मछली पालन की अनुमति दी जानी चाहिए। इस समय इस पर पूर्णतया प्रतिबन्ध है। यह प्रतिबन्ध महसीर मच्छली को बचाने के लिए लगाया गया था लेकिन महसीर की जनसंख्या पर पर्याप्त प्रभाव पड़ा है। इसके परिणामस्वरूप मल्ली जो एक केट फिश है और जो मांसाहारी है महसीर मछली खाती है और इस प्रकार महसीर की जनसंख्या घटती जा रही है। मन्त्री महोदय इस पर नजर रखें और वह मछली पालन को इस विधेयक के अधिकार क्षेत्र में लाने का प्रयास करें।

आग के बारे में तो बहुत कुछ पढ़ा जाता है। आग के कारण वन के विशाल भूभाग को नुकसान पहुंचा है। इनमें से यह देखने वाली बात है कि ऐसी कितनी आग है जो प्राकृतिक रूप से लगी है और कितनी ऐसी आग है जिन्हें क्षेत्र के लोगों ने लगाया हैं। और मैं समझती हूं कि प्राकृतिक रूप से लगी आगों की संख्या बहुत अधिक नहीं है। अगर सरकार इस ओर ध्यान दे तो हम वन के कुछ क्षेत्रों को, जो प्रत्येक वर्ष इस घटना के कारण नष्ट हो जाते हैं, बचाने में सफल हो सकेंगे।

मैं यह कहना चाहती हूं कि आज पर्यावरण के विषय पर बैठकों में चर्चा की जा रही है।

पर्यावरण एक ऐसा मुद्दा बन गया है जिसका महत्व बढ़ गया है। मैं वास्तव में विश्वास करती हूं कि हमें पर्यावरण को अब जमीन पर लाना चाहिए। जब हम उन कानूनों को, जो हम पहले बना चुके हैं लागू कर रहे हैं तो हमें लोगों में जागरुकता भी उत्पन्न करनी चाहिए जिसके द्वारा जिलों के लोगों, क्षेत्र के लोगों को केवल शिक्षा ही नहीं मिलती अपितु वे इस आंदोलन को चलाने में सरकार की मदद भी करते हैं। उदाहरण के लिए जोधपुर में बिश्नोई अपनी जान देकर काले रंग के हिरणों की रक्षा करते हैं। जिसके परिणामस्वरूप उस क्षेत्र में काले हिरणों की संख्या में बहुत वृद्धि हुई है।

श्रीमन, जिन बातों को मैंने यहां मन्त्री महोदय को बताया है उन पर उचित ध्यान दिया जाना चाहिए और उन्हें यथासम्भव विधेयक में भी शामिल किया जा सकता है।

मैं नैनीताल हलद्वानी के जंगलों मे भी गया था। वे वन बहुत सुन्दर हैं। मैं आपकी जानकारी में कुछ ऐसी बातें लाना चाहता हूं जो उस क्षेत्र के वन अधिकारियों की कठिनाइयों पर प्रकाश डालती हैं।

आज से छः महीने पहले एक घटना हुई। वन अधिकारियों ने एक ऐसे माफिया गिरोह को पकड़ा जो उस वन में लकड़ी काटने का काम किया करता था। वन अधिकारियों ने उन्हें पकड़ा। उन्होंने उनको चेतावनी दी जिसकी उन्होंने कोई परवाह नहीं की और उन्होने उन पर गोलियां चलाईं। माफिया गिरोह का एक व्यक्ति गोलियों का शिकार हो गया।

पुलिस और वन विभाग के मध्य भी कोई समस्या दिखाई देती है क्योंकि जब वह तुरन्त प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने गया और उनको इस घटना के विषय में बताया। उसे गिरफ्तार कर लिया गया और जेल में बन्द कर दिया। वह जेल में काफी समय तक रहा। मुझे याद है कि उस समय उसकी बहुत समय के पश्चात जमानत मन्जूर हुई। वन प्राधिकारियों से अनुरोध करके पूछा गया कि किस प्रकार वन विभाग के व्यक्ति को कैसे वापस लाया जाए क्योंकि माफिया गिरोह ने उसकी और उसके परिवार की हत्या करने की धमकी दी थी। इस प्रकार की स्थिति में लोगों के लिए कार्य कर पाना प्रायः असंभव होता है। मैं यह दिल से चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में कुछ किया जाना चाहिए और यदि हम इसको गंभीर समझते हैं, तो तुरन्त कुछ किया जाना चाहिए। इस पर संसद में बार-बार चर्चा करने का कोई प्रश्न नहीं है जैसाकि हम हमेशा ऐसा करते हैं। यह विधेयक बहुत अनौपचारिक, व्यापक तथा आकर्षक दिखाई देता है। लेकिन इसके सम्बन्ध में सच्चाई से मेरा विचार है कि आप इसे कार्य-बाधित कर दीजिए और अगले छह महीने या आठ महीनों या इससे भी अधिक महीनों में इनको पारित करने का प्रयास करें।

मैं इस विधेयक का पूर्णरूप से और दिल से समर्थन करता हूं। फिर भी मैं पर्यावरण मन्त्रालय के विकास विरोधी दृष्टिकोण का विरोध करता हूं। चाहे यह दृष्टिकोण उस क्षेत्र के वन और वहां की जनता या हमारे राज्य की विकास परियोजनाओं के सम्बन्ध में ही अथवा यह दृष्टिकोण कुछ भी हो, मैं राजस्थान का रहने वाला हूं और राजस्थान को पर्यावरण मन्त्रालय पिछले कई वर्षों से हानि पहुंचाता आ रहा है। जबकि मुझे इस विधेयक से पूर्ण सहानुभूति है और मैं इसका समर्थन करता हूं। मैं यह आशा करता हूं कि आपका भी विभिन्न राज्यों की विकास परियोजनाओं तथा देश की जनता के प्रति भी उसी प्रकार की सहानुभूति रखेंगे तथा उनका समर्थन करेंगे।

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही (देवगढ़) : मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। मुझे आश्चर्य है कि

इस प्रकार का विधेयक लाने में इतना विलम्ब क्यों हुआ । यहां तक कि पिछली सरकारें भी वर्ष 1987 में प्रस्तुत की गई रिपोर्टों पर कार्यवाही कर सकती थी । विशेषज्ञ समिति ने इस प्रश्न पर विचार किया था और वर्ष 1987 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी । पिछली सरकार को इस पर कार्यवाही करनी चाहिए थी और उसको यह विधेयक लाना चाहिए था ।

कुछ भी हो, मैं माननीय मन्त्री तथा सरकार को इस मामले को इतनी गम्भीरता से लेने और इस सभा के समक्ष ऐसा सुस्पष्ट तथा व्यापक विधेयक लाने के लिए बधाई देता हूं जिसमें बहुत क्रांतिकारी तथा स्वागत योग्य विशेषताएं अन्तर्विष्ट हैं । यह सभी जानते हैं कि वन्य जीवन को बचाने और वन्य जीवन और वन्य वनस्पतियों जिसमें कुछ पौधों को विशिष्ट माना गया है को संरक्षण दिए बगैर मानव को बचाना खतरे में है । अतः यह आवश्यक है कि हमें वन्य जीवन को ठीक प्रकार से संरक्षण देना चाहिए ।

मैं वाशिंगटन अनुसंधान संस्थान की रिपोर्ट से उद्धरण देना चाहता हूं । इस संस्थान ने यह टिप्पणी की है कि भारत में वृक्षों को काटने की दर प्रतिवर्ष 15,000 वर्ग किलोमीटर है । विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के अनुसार, हमारे देश में अवैध चोरी किए शिकार बहुत हो रहा है । यहां तक कि मन्त्री महोदय ने भी इसे गोपनीय नहीं रखा है । उन्होंने भी यह स्वीकार किया है कि वर्ष 1972 के इस अधिनियम के बावजूद भी कुछ क्षेत्रों में चोरी-छिपे शिकार अवधि गति से चल रहा है । इस सम्बन्ध में भारतीय लोक प्रशासन संस्थान ने भी सूचित किया है कि इस अधिनियम को 1972 में अधिनियमित किए जाने के पश्चात भी इसके मुख्य उद्देश्य को पूरा नहीं किया जा सका है । इसलिए, ऐसी पृष्ठभूमि में इस विधेयक का हम स्वागत करते हैं । इस सभा में भी इस विधेयक को सर्वसम्मति से स्वागत किया गया है । लेकिन प्रश्न यह है कि अब इसे लागू कैसे किया जाए तथा इसे अक्षरशः कैसे उचित तरीके से क्रियान्वित किया जाये ।

इस विधेयक के सम्बन्ध में मैं कहना चाहूंगा कि वनों के नाश से वन्य जीवन का भी नाश होता है । जब वन की परिधि बड़ी होगी तब अनेक बाघ और विभिन्न प्रजातियों के वन्यजीव यहां रह सकेंगे । जैसाकि आप जानते हैं कि यह एक विशेषता है कि एक बाघ बीस किलोमीटर या इससे अधिक के क्षेत्र में रह सकता है । दो बाघ ऐसे एक क्षेत्र में एक साथ नहीं रह सकते । लेकिन, अब समूचा वन क्षेत्र कम होता जा रहा है । वास्तविक वन क्षेत्र में अत्याधिक कमी हो गई है । हमारे रिकार्ड के अनुसार, स्वतन्त्रता प्राप्ति के समय हमारा वन क्षेत्र 42 प्रतिशत था । लेकिन, अब यह प्रतिशत कम होकर 15 प्रतिशत या 13 प्रतिशत रह गया है । इस सम्बन्ध में विभिन्न मत है । इसके फलस्वरूप वन्य जीव, वन्य प्राणियों की जनसंख्या वृद्धि में कमी आयी है । वस्तुतः, वन क्षेत्र कुल भूमि का एक तिहाई भाग होना चाहिए । मुझे इस बात से खुशी है कि इसमें दो नये अध्याय और जोड़े गए हैं । इसमें से एक अध्याय 3क है, जो वनस्पतियों के सुरक्षा से सम्बन्धित है । केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण से सम्बन्धित एक अन्य उपबंध भी है । स्वभावतः ही, हमें यह देखना है कि वन समाप्त न हो जाएं ।

मुझे इस बात से खुशी है कि जनजातीय लोगों को पेड़-पौधों इत्यादि से अपने व्यक्तिगत उपयोग के लिए फल इत्यादि इकट्ठा करने से रोका नहीं गया है । यह एक ठोस बात हुई है । यह एक स्वागत योग्य कदम है । पहले वे उपेक्षित महसूस करते थे । जनजातीय लोग इससे उपेक्षित महसूस करते थे । जिस तरह से वन अधिकारी उन लोगों से पेश आ रहे थे उससे वे लोग उपेक्षित और अलग-थलग महसूस

कर रहे थे और उन्हें ऐसा प्रतीत होता था जैसे वे वन के दुश्मन हों। वन अधिकारियों के गैरसहानुभूति कार्यवाही के फलस्वरूप ऐसी धारणाएं बनी है। वे हमारे वन के अभिन्न अंग हैं। अतः हमें उनका सहयोग लेना है, और यह एक बेस सकारात्मक कदम है।

अब, मैं अनधिकृत शिकार करने वालों इत्यादि के बारे में कुछ कहना चाहूंगा क्योंकि कुछ जगहों पर वन अधिकारियों के मिलीभगत से जारी है तथा वन अधिकारी इस पर नियंत्रण करने में कभी-कभी असहाय महसूस करते हैं। अनधिकृत शिकार करने वाले अत्याधुनिक हथियारों से लैस होते हैं तथा तेज रफ्तार वाली गाड़ियों से आते हैं। इसलिए, उन लोगों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करनी चाहिए, जो अनधिकृत शिकार करने वालों से मिले हुए हैं। इसके अतिरिक्त, वन अधिकारियों को आवश्यक आधुनिक हथियार तथा साधन उपलब्ध कराया जाना चाहिए। उन्हें हर तरीके का हथियार उपलब्ध कराया जाना चाहिए तथा वह सभी चीज उपलब्ध करायी जानी चाहिए जो वन्य जीवों के संरक्षण तथा अनधिकृत शिकार करने वाले के हमले से सुरक्षा मिल सके। वे लोग अपराधी प्रवृत्ति के हैं। विदेशों में जंगली पशुओं के चमड़े की मांग अच्छी होने के फलस्वरूप व्यावसायिक तौर पर अनधिकृत रूप से शिकार करने वालों का व्यवसाय बढ़ रहा है। इसलिए, इस बात को ध्यान में रखना होगा।

अन्तिम बात यह है कि उसमें एक और विशेषता पशुओं के चरने की जगह का होना है। वन के आस-पास रहने वाले लोगों का सरकार तथा वन अधिकारियों से यह शिकायत है कि वे उनके पशुओं को वहां चरने की स्वीकृति नहीं देते। अतः, इसकी स्वीकृति दी जानी चाहिए। लेकिन, हमें इसका ध्यान रखना होगा कि इस विधेयक के सभी उपबंधों को उचित तरीके से लागू किया जाए।

अन्त में, मैं सरकार को यह ध्यान दिलाना चाहूंगा कि भारत में वनस्पति और वन्य जीव अपरिमित संख्या में है। भारतीय क्षेत्र में अनेक किस्म की वनस्पति सम्पदा है जिसका आर्थिक दृष्टि से बहुत महत्व है। यह न केवल वन्य जीवों के संरक्षण अपितु देश में उसके प्राकृतिक वास, जैविक-भिन्नता के संरक्षण और उनकी सुरक्षा से प्रदान किया जा सकता है। इन बड़े जानवरों के अतिरिक्त हमारे देश में वनों से उत्पन्न संसाधनों तथा समुद्र से उत्पन्न संसाधनों का भी काफी बड़ा स्रोत है। महोदय, आपको ज्ञात है कि हम जनसंख्या में बेतहाशा वृद्धि की समस्या का सामना कैसे कर रहे हैं। यहां तक कि यदि समुद्री सम्पदा, समुद्री खाद्य पदार्थों, इत्यादि का उचित रूप से दोहन किया जाए तो यह हमारी आवश्यकताएं पूरा करने में बहुत सहायक होगा तथा हमारी जनसंख्या की बढ़ती खाद्य समस्याओं को पूरा करने में बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगा। इसलिए, हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारी बहुत सम्पदा की सुरक्षा की जाए।

आपके माध्यम से मैं माननीय मन्त्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि वे इस पर विचार करें तथा जैविक-भिन्नता के लिए एक राष्ट्रीय संरक्षण बोर्ड की स्थापना करें।

इन शब्दों के साथ, मैं पुनः पूर्ण रूप से विधेयक का समर्थन करता हूं तथा मन्त्री जी से अनुरोध करता हूं कि इसके उचित क्रियान्वयन पर ध्यान दें। वन्य प्राणी संरक्षण तंत्र उनके क्षेत्र में नहीं आता है। इसलिए, उन्हें ऐसी ही भावना राज्य सरकारों तथा अन्य स्तर में लानी होगी। संबद्ध लोगों को इस भावना से ओत-प्रोत करना होगा जिससे कि इसे यथाशक्ति सभी स्तरों में लागू किया जा सके। धन्यवाद महोदय।

श्री बालिम कुली (लखिमपुर) : सभापति महोदय, श्रीमान मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं और इस अवसर पर असम के बारे में कुछ बातें कहना चाहता हूं।

असम में केवल काजीरंगा एक ऐसी जगह है जहां विश्व प्रसिद्ध एक सींग वाले गैंडे पाये जाते हैं। दुर्भाग्यवश, यह दुर्लभ जाति विलुप्त हो रही है क्योंकि शिकारी लोग अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए चोरी छिपे गैंडों को मार रहे हैं। इनके सींगों की बिक्री से उन्हें बहुत अधिक धन प्राप्त होता है। इस काम के पीछे बहुत जाल बिछा हुआ है। यदि इस काम को बन्द नहीं किया गया तो यह जाति बिल्कुल समाप्त हो जायेगी। इस सम्बन्ध में मैं वन और पर्यावरण मन्त्री से अनुरोध करता हूं कि वे असम सरकार की इस सम्बन्ध में सहायता करें और वह एक ऐसी योजना कार्यान्वित करे जिससे खतरे में पड़ी हुई यह जाति सुरक्षित रह सके क्योंकि राज्य सरकार धन की कमी के कारण ऐसा करने में असमर्थ है।

दूसरे, श्रीमान, काजीरंगा का यह प्रसिद्ध राष्ट्रीय पार्क भी नष्ट हो रहा है क्योंकि भूमि के कटाव तथा बाढ़ का इस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। इस पार्क को बचाने के लिए बाढ़ तथा भूमि के कटाव से संरक्षण की एक योजना होनी चाहिए।

तीसरे, श्रीमान, असम में हाथियों की संख्या बहुत बढ़ गयी है। कई बार हाथी वनों से निकल कर फसलों को नष्ट कर देते हैं और पास के जंगलों में रहने वाले लोगों को मार देते हैं। अतः पास के जंगलों में रहने वाले लोग जंगली जानवरों से मुख्यतः हाथियों से परेशान रहते हैं जिनसे उनके जीवन तथा संपत्ति को खतरा बना रहता है।

अतः मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह वनों के पास रहने वाले आदिवासी समुदायों के लोगों के जीवन तथा सम्पत्ति की सुरक्षा के लिए उचित उपाय करे।

श्रीमान, चौथी बात यह है कि कानून को लागू करने वाले प्राधिकारियों को इस बात के कड़े निर्देश दिए जाएं कि वे अपने काम में लापरवाही न बरतें जिससे शिकारियों द्वारा जंगली जन्तुओं, जिनमें हाथी भी शामिल हैं, का शिकार न किया जा सके और गल्ती करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाए।

इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और आपका धन्यवाद करता हूं।

[हिन्दी]

श्री अयूब खां (झुंझुनू) : जनाबे मोहतरम चेयरमैन साहब, मैं आपका बहुत मश्कूर हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया और मैं मुबारकबाद देता हूं ऐसे डायनामिक मिनिस्टर साहब को जो ऐसा बहुत ही अहमियत वाला बिल, जो हर दृष्टि से, हर निगाह से इबादत के लायक भी है और तारीफ के लायक भी है। इबादत का मतलब यह है कि हमारे धर्म की मुकद्दस किताब में लिखा हुआ है कि जिस तरह से इन्सान खुदा की, ईश्वर की इबादत करता है ठीक उसी तरह तमाम दरख्त बूटियां भी अल्लाह को सजदा करती हैं, उसकी इबादत करती है। आप देखिए कि दरख्तों को इतना माना जाता है तो इन्सान के लिए यह नहीं होना चाहिए कि उनको काटे और बरबाद करें। यह जानकारी हमारे मन्त्री जी ने दी है और उनकी हिफाजत के लिए बीड़ा उठाया है। मुझे उम्मीद है कि इसका सिला उनको

जरूर मिलेगा। यह जिम्मेदारी मिनिस्टर होने के नाते नहीं बल्कि यह बहुत बड़ा पुण्य और इबादत का काम है। मैं यह कहूंगा कि हर घर के सामने ज्यादातर लोग तुलसी के दरख्त पालते हैं। राजस्थान में पीपल, तुलसी और झाड़ियां लगाते हैं। वहां पीने का पानी नहीं होता लेकिन उन पर पानी डाला जाता है, यह उनकी मान्यता है। मेरा आपसे अनुरोध होगा कि आप इन दरख्तों की सही ढंग से हिफाजत करें। राजस्थान में बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां पर हमारे पूर्वजों ने बहुत बड़े बीड बनाए हैं। आज उन जंगलात की बहुत बुरी हालत है। लोग उनको दबा रहे हैं। लोग बेरहमी से उनको काट रहे हैं। हमारे झुंझुनू और फतेहपुर में एक बीड है। वहां पर बड़ी तादाद में है। काफी एरिया इसके अंदर घिरा हुआ है। उसकी देखभाल न होने के कारण वह जंगल आधा रह गया है। हमारा झालावाड़ राजस्थान का एक खूबसूरत डिस्ट्रिक्ट है। वहां पर एक बीड है और दराह है। उस दराह के अन्दर माइन्स से स्टोन निकाला जाता है। माइन्स के खुलते वक्त वहां से जो चिप्स निकलते हैं तो जंगलात के अन्दर डाल देते हैं जिसके बहुत बरबादी हो रही है। ऐसी हालत में चेस्ट पेन और टी०बी० होने लगी है। मैंने झालावाड़ और फतेहपुर के जंगलात का नाम लिया है। मैं आपको तीन चार सुझाव देना चाहता हूं। एक तो फारेस्ट के अन्दर फारेस्ट गार्ड के पास कम्युनिकेशन सिस्टम होना चाहिए। वायरलैस और टेलीफोन भी हो सकता है। अगर दो टेलीफोन न भी हों तो सिंगल वायर से टेलीफोन काम आ सकता है ताकि एक जगह से दूसरी जगह पर मैसेज पास किया जा सके। कुछ लोग हिरण का शिकार करते हैं। हिरण पालकर उसकी रस्सी से बांधा जाता है। दूसरे हिरण के लिए लोग गड्ढे खोदकर रखते हैं और उसका शिकार करते हैं। बगैर आवाज के लोग शिकार करें। इन चीजों पर भी सरकार की निगाह हो। मैं आपसे अनुरोध करूंगा हमारे बी० जे० पी० के भाई ने एक ऐसी बात कही जिसका हमारी तरफ बहुत विरोध होता है। नील गाय को हम गौमाता समझते हैं। अगर आप उनके शिकार की इजाजत देंगे तो उसका बहुत विरोध होगा। हमारे इलाके में ऐसी मान्यता है जैसे हम गाय माता को मानते हैं वैसे ही नील गाय को भी माता मानते हैं। उसकी हिफाजत के लिए, उसका शिकार न हो। चाहे बी० जे० पी० के लोग बोल रहे हों, लेकिन हम कहते हैं कि उसका शिकार न किया जाये।

श्री राजवीर सिंह (आंवला) : आप बार-बार बी० जे० पी० पर हमला कर रहे हैं। हमारे साथी ने कहा था कि नील गाय से खेती को बहुत क्षति पहुंच रही है उसकी व्यवस्था करें, उनको जंगलों में ले जाएं या अन्यत्र ले जाएं। जिससे वे खेतों से दूर हो जाएं और खेती बच सके।

श्री अयूब खां : मैं आपको अच्छी तरह जानता हूं, आपको स्पष्टीकरण देने की आवश्यकता नहीं है। आप तब यहां नहीं थे, मैं हाजिर था। वे मेरे प्रांत से ताल्लुक रखते हैं। मैं आपसे यह भी अपील करना चाहूंगा कि उनकी हिफाजत के सम्बन्ध में कोई चरागाह हो इसकी व्यवस्था की जाए ताकि खेती को नुकसान न पहुंचे। कुछ लोग तोते पालते हैं, उस पर भी पाबंदी होनी चाहिए। तोते को घर की रौनक के लिए ही नहीं पालना चाहिए, इबादत के लिए चाहे पाल लें। उसको भी आजादी उतनी ही प्यारी है जितनी कि हमें है। जिस तरह से दो पैर वाले का ईश्वर होता है उसी तरह से चार पैरों वाले जानवरों का भी ईश्वर होता है, पेड़ों-दरख्तों और जीव-जन्तुओं का भी ईश्वर होता है उनको भी उतनी ही आजादी की जरूरत है जितनी कि हमें है। इसलिए यह जो बिल लाया गया है यह अहम विषय है और सभी को इसका समर्थन करना चाहिए।

मैंने जो झुन्झुनू के बीड और झालावाड़ के फारेस्ट की बात की है उस तरफ भी आपका ध्यान जाना चाहिए।

[अनुवाद]

श्री विजय नवल पाटील (इरन्दोल) : सभापति महोदय, इस शताब्दी के दौरान प्राकृतिक संसाधनों के दोहन तथा वनों की कटाई के कारण हम महाविध्वंस के कगार पर हैं चाहे यह वातावरण में कार्बन डाई आक्साइड में वृद्धि के रूप में हो या तापमान में वृद्धि के रूप में; जिसके कारण समुद्र तल में वृद्धि हो सकती है और समुद्र तट के निकट के नगरों के डूबने का खतरा उत्पन्न हो जाएगा।

महोदय जहां तक वन्य जीव (संरक्षण) संशोधन विधेयक का सम्बन्ध है, इसके दायरे में पशुओं, पक्षियों और पौधों को लेने के लिए मैं मन्त्री महोदय का धन्यवाद करता हूं। अधिक संख्या में राष्ट्रीय उद्यान बनाने का विचार भी अच्छा है, किन्तु इसके साथ ही हमें यह भी विचार करना होगा कि हम समुद्र तट के निकट वन्य जीवन के बारे में क्या कर रहे हैं, विशेषकर उन स्थानों पर जहां नदियां मिलती हैं और जहां पर गाद भरी रहती है। रसायनिक कारखानों से निकलने वाले प्रदूषित पदार्थों के कारण समुद्र के अन्दर जीवन को खतरा उत्पन्न हो गया है। हमें पता चला है कि काला सागर में शार्क मछली की लगभग चार जातियां नष्ट हो चुकी हैं और प्लांट कौन में रह रही मछलियां भी समाप्त होती जा रही हैं और केवल जैली मछलियां ही जिन्दा हैं। यदि समुद्र के अन्दर भी सन्तुलन बिगड़ जाता है तो इस पृथ्वी पर पर्याप्त आक्सीजन नहीं रहेगी और जीवन को खतरा उत्पन्न हो जाएगा।

महोदय, विधेयक में दण्ड का उपबन्ध किया जाना स्वागत योग्य है। जुर्माना तो 2:,000 रुपए का है किन्तु कारावास केवल तीन वर्ष का रखा गया है। इसे बढ़ाया जाना चाहिए। वन्य जीवन (संरक्षण) अधिनियम, 1972 में पास किया गया था, किन्तु सामाजिक जागृति न होने के कारण हम इस ओर पर्याप्त ध्यान नहीं दे पाए। हम जनसंख्या नियन्त्रण के बारे में विज्ञापन देते हैं। हम दूरदर्शन पर हर रोज देखते हैं कि हमारी जनसंख्या में इतने लोग और जुड़ गए हैं। इसलिए, यदि हम दूरदर्शन पर उन प्रजातियों को दिखाएं जो लुप्त होने के कगार पर हैं तो लोगों में तथ्यों के बारे में जागरूकता पैदा होगी। बच्चों तथा भावी पीढ़ियों को पता चलेगा कि वन्य जीवों की रक्षा कैसे की जाए। कानून बनाना ही पर्याप्त नहीं है, क्योंकि जब भी संसद का सत्र होता है, बजट सत्र को छोड़कर, कई अधिनियम बनाए जाते हैं और संशोधन किए जाते हैं। किन्तु कार्यान्वयन सही ढंग से नहीं होता। इन कानूनों को लागू करने की जिम्मेवारी वन अधिकारियों की होती है और वे इतने जिम्मेवार नहीं हैं। इसीलिए हम देखते हैं कि कई बार अवैध शिकार करने वालों से उनकी सांठगांठ होती है और बहुत से महत्वपूर्ण पशु-पक्षी मारे जा रहे हैं।

हमें पता चलता है कि अफ्रीका में हाथी दांत के लिए हाथी मारे जा रहे हैं। इसलिए, उन्होंने वहां पर कड़े कानून बनाए हैं। मैसूर के जंगलों में बहुत से हाथियों और असम के जंगलों में बहुत से गैंडों को भी मारा जा रहा है। यदि हम इस सबको रोकने के लिए समय रहते कड़े उपाय नहीं करते तो ऐसा दिन भी आ सकता है कि जब हमारी भावी पीढ़ियों को इनमें से कुछ जानवर और पक्षी चित्रों और संग्रहालयों में ही देखने को मिलें और वे कहें कि इस प्रकार के जानवर और पक्षी 20वीं शताब्दी में पाए जाते थे। यह विधेयक अत्यन्त महत्वपूर्ण और व्यापक भी है। यह विधेयक पेश करने के लिए मैं माननीय मन्त्री महोदय को बधाई देता हूं।

[हिन्दी]

श्रीमती गिरिजा देवी (महाराजगंज) : माननीय सभापति महोदय, मैं इस बिल का तहेदिल से

समर्थन करती हूं। मुझे एक बात सोचकर क्षोभ होता है कि जिस देश में तरह-तरह के जानवरों की पूजा की जाती है और तुलसी के पौधे से लेकर पीपल के पेड़ आदि बहुत सारे पेड़ की धार्मिक रूप से पूजा की जाती है, उस देश में इस बिल को ले आने की जरूरत पड़ी है। यह देखकर ऐसा लगता है कि जरूरत काफी गम्भीर हो चुकी है और जंगली जानवरों के साथ-साथ जंगली पेड़-पौधों को सुरक्षित रखने की बहुत बड़ी आवश्यकता आन पड़ी। जंगली जानवरों को बचाने के लिए सबसे पहली जरूरत है जंगलों को बचाना। जानवर क्यों मरे जाते हैं, इसकी ओर पहले ध्यान दें तो लगता है कि—जंगल के एरिया के दायरे की कमी हो जाना—एक इसका बहुत बड़ा कारण है।

आज के पत्र में ही देखा कि हरियाणा का भूभाग जितना बड़ा है, उतनी ही भूमि हर साल जंगलों से रिक्त होती जा रही है। ऐसी स्थिति में हम जंगली जानवरों की सुरक्षा के लिए कानून से सुरक्षा देंगे तो यह कागजी सुरक्षा होगी, हकीकत की सुरक्षा नहीं होगी। सबसे पहले हम जंगल के दायरे को कैसे बढ़ाएंगे, इसको सोचना होगा। दूसरी बात है कि इन जंगलों में रहने वाले जानवरों की बात हम करते हैं, लेकिन जंगल में पालित होने वाले बहुत बड़ी संख्या में हमारी मनुष्यों की आबादी है। कानून से और जंगल के क्षेत्र की कमी होने की वजह से वे अपनी आजीविका से महरूम हो जाते हैं और धपे पेट कोई भी गलती करने में चूकता नहीं है। अपनी आजीविका अर्जित करने में या तो वे जंगलों का सफाया करते हैं या जंगली जानवरों का सफाया करते हैं और इस तरह से जगल और जंगली जानवर समाप्त हो जाते हैं। इनके समाप्त होने का एक कारण हमारे यहां अन्धविश्वास है। जैसे गैण्डे के सींग के लिए लोग कहते हैं कि उससे औषधि तैयार होती है जबकि हकीकत यह है कि गैण्डे का सींग सींग नहीं होता है। कई तरह के जंगली जानवरों की चर्बियों से औषधि निर्माण के बारे में सुना जाता है। शेर की चर्बी से एक डॉक्टर ने कहा कि हम साइनस का इलाज कर सकते हैं। मैंने कहा कि मुझे साइनस रहने दीजिए। मैं एक शेर की चर्बी लेकर अपना साइनस नहीं छुड़ाना चाहती। तो इस तरह के हमारे यहां सुपरस्टीशंस हैं कि अमुक जानवरों के बालों से या उनकी चर्बी से कोई इलाज हो सकता है। इन सारी बातों की शिक्षा हमें देनी चाहिए। जंगली जानवर मारे जाते हैं। कुछ फैशनपरस्ती के चलते भी मारे जाते हैं। सांपों की खाल के बटुए बनते हैं। उससे अच्छे-अच्छे जूते बनते हैं। उनके लिए ऐसी शिक्षा या जन भावना पैदा की जाए कि जो उसके धारक होते हैं, उसे पहनते हैं, उनको समाज में हम घृणा की दृष्टि से देखें, तो कुछ जनमानस ऐसा बन सकता है कि हमारे ये निरीह जीव बचे रह जाएं। दीवारों पर बड़े-बड़े शेरों की खाल हमारे ऐश्वर्य की कहानी कहते हैं। यदि उनसे सारी खालों को हम ले लें और उसे देश की सम्पत्ति मानें, किसी व्यक्ति की सम्पत्ति नहीं मानें तो हो सकता है कि अपनी दीवारों पर शेर की खाल चिपकाकर ऐश्वर्य दिखाने की आगे हम कोशिश न करें। इस तरह बहुत सी बातें और भी होती हैं। कई जगहों पर पशु बलि अब भी दी जाती है। मैं शाकाहारी हूं और अहिंसा में विश्वास करने वाली हूं। इस तरफ कानून बने या न बने, जनमानस ऐसा तैयार हो जो स्वयं शिकार को रोके, तभी सुरक्षा हो सकती है और संरक्षण हो सकता है। आपने मुझे समय दिया इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूं और समाप्त करती हूं।

[अनुवाद]

डा० असीम बाला (नवद्वीप) : श्रीमान्, मुख्य विधेयक 1972 में अधिनियमित किया गया था। माननीय मन्त्री द्वारा यह तीसरा संशोधन लाया गया है ताकि पौधो के संरक्षण को इसमें शामिल किया जा सके। मैं माननीय मन्त्री को यह विधेयक लाने के लिए धन्यवाद देता हूं।

मैं समझता हूं, कि कम से कम हमें जैविक-विविधता तथा पारिस्थितिकीय प्रक्रिया तथा सन्तुलन

बनाए रखने और जीवन सहायक प्रणाली, जो भूमि की उत्पादकता, खाद्य संरक्षण और मनुष्य के जीवित रहने के लिए आवश्यक है, को बनाए रखने की आवश्यकता है। वन्य जीव संरक्षण विशेषकर समुद्र तट के पास की वनस्पति के संरक्षण को उच्चतम प्राथमिकता दी जानी चाहिए तथा प्रभावी ढंग से प्रबन्ध किए जाने वाले राष्ट्रीय पार्कों तथा पशु विहारों की स्थापना की जानी चाहिए।

मैं कहना चाहता हूं कि पश्चिम बंगाल में सुन्दरबन में, दार्जलिंग, पुरुलिया और उत्तरी बंगाल में बहुत सारे वन हैं जिनमें जंगली जीव रहते हैं विशेषकर सुन्दरबन में।

रायल बंगाल टाइगर, जो बहुत अधिक हैं, सुन्दरबन में पाए जाते हैं। कभी-कभी धन की कमी के कारण वनों का संरक्षण ठीक प्रकार से नहीं हो पाता। वन प्राकृतिक रूप में बढ़ तो रहे हैं लेकिन पर्यावरण और वन मन्त्रालय सुन्दरबन क्षेत्र के विकास पर ध्यान नहीं दे रहा है आजकल पशुओं की खालों का अवैध रूप से निर्यात किया जाता है। हमारे देश में कई अवैध व्यापार चलते हैं। मेरे पास ऐसी रिपोर्ट है जिसमें कहा गया है कि 1988 में लगभग 44849 पशुओं की खालें पकड़ी गयी थीं। इतनी बड़ी संख्या को देखते हुए हम आसानी से यह अनुमान लगा सकते हैं कि इन जंगली जन्तुओं को मारने में कितने लोग अवैध रूप से सक्रिय हैं। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि हाथी दांत के लिए अवैध व्यापार करने वाले लोगों द्वारा हाथियों को मारा जाता है और हाथी दांत को अवैध रूप से विदेशों में भेजा जाता है। कभी-कभी हाथी जंगलों से बाहर आकर ग्रामीणों की फसलों आदि को नुकसान पहुंचाते हैं। अतः इस मन्त्रालय को ऐसा प्रबन्ध करना चाहिए जिससे गरीब ग्रामीणों की फसलें नष्ट न हों।

इसका एक और पहलू है। साईबेरियाई सारस आदि जैसे पक्षी प्रायः साईबेरियाई क्षेत्र से हमारे देश में आते रहे हैं। लेकिन आजकल इनकी संख्या कम हो गयी है। ऐसे पक्षी एक विशेष मौसम में हमारे यहां आते हैं। लेकिन पारिस्थितिकीय असन्तुलन के कारण उनकी संख्या कम होती जा रही है। एक और बात यह है कि कीटनाशी दवाइयों के अत्यधिक प्रयोग से भी पारिस्थितिकीय दशा बिगड़ गयी है। यदि हम इस पर ध्यान दें तो इसे रोका जा सकता है।

सामाजिक वानिकी योजना के अन्तर्गत सरकार पौधों आदि का वितरण करती है। लेकिन ऐसे पौधों को सड़कों के किनारे रख दिया जाता है और उनकी पर्याप्त सुरक्षा नहीं की जा सकती। इस कारण से यह पौधे बेकार हो जाते हैं और धन की हानि होती है। अतः मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह ऐसे पौधों तथा वन्य जीवों का संरक्षण करे। सरकार को पर्यावरण के बारे में लोगों की शिक्षा देने की भी व्यवस्था करनी चाहिए। इसके लिए सरकार को कुछ कार्यक्रम तैयार करने चाहिए ताकि लोगों को शिक्षित किया जा सके। लोगों को चाहिए कि वे पौधों की आवश्यकता को जानें। उन्हें अपने कल्याण के लिए इनकी सुरक्षा करनी चाहिए। यदि वह शिक्षित होंगे तो पेड़ों तथा वन्य जीवों की सुरक्षा कर सकेंगे।

इन शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे इस विषय पर बोलने का अवसर दिया।

श्री गोपीनाथ गजपति (बरहामपुर) : सभापति महोदय, श्रीमान् समय की कमी के कारण मैं इस विधेयक पर कोई लम्बा भाषण नहीं देना चाहता। बहरहाल पशुविहारों को देखने का शौक रखने

के कारण और वन्य जीवों से लगाव रखने के कारण मैं कुछ महत्वपूर्ण बातों की ओर, जिन्हें मैंने अनुभव किया है, आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं।

सर्वप्रथम यह वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए प्राकृतिक संरक्षण स्थलों को बनाए रखना आवश्यक है। इस सम्बन्ध में मैं अपने माननीय पर्यावरण और वन मन्त्री, जो इस समय इस सभा में उपस्थित हैं, का ध्यान तमिलनाडु राज्य में अवस्थित मुडुमलाई पशुविहार के एक विशिष्ट मामले की ओर दिलाना चाहता हूं।

मावेनहल्ला गांव के निकट, कई एकड़ वन भूमि के चारों ओर कांटेदार तारों की चार पंक्तियों से चहारदीवारी की गयी है जिसमें लाखों रुपए खर्च किए गए हैं। दुर्भाग्य की बात यह है कि जिस उद्देश्य के लिए यह खर्च किया गया है उसे प्राप्त नहीं किया गया है क्योंकि पड़ोसी गांवों के सभी पालतू पशुओं को इसके अन्दर प्रवेश करने और बाड़ वाले इस वन क्षेत्र में चरने की अनुमति दे दी जाती है। इसके परिणामस्वरूप पुनः उत्पन्न होने वाली सभी निःशेष वनस्पति वास्तव में उग नहीं पाती हैं।

दूसरे, मेरे राज्य उड़ीसा में सिमिलीपल वन में पेड़ पौधों, पशु-पक्षियों का उचित प्रकार से रख-रखाव नहीं हो रहा है और इस समय इसमें काफी सुधार की आवश्यकता है। मैं पुरजोर सिफारिश करता हूं कि ग्रामीणों के साथ-साथ आदिवासियों के लिए एक राष्ट्रीय नीति बनाई जानी चाहिए जिसमें उनके लिए उचित रोजगार की व्यवस्था हो ताकि उन्हें निरन्तर आय के साधन उपलब्ध कराए जा सकें। अन्यथा, आज वास्तव में जो कुछ हो रहा है वह यह है कि वनों को तेजी से समाप्त किया जा रहा है। जलाने की लकड़ी के लिए वृक्षों को अन्धाधुन्ध काटा जा रहा है। उड़ीसा राज्य में पार्लाखेमंडी स्थान मेरा मूल स्थान है जो घने जंगलों के लिए प्रसिद्ध था, परन्तु आज सम्पूर्ण क्षेत्र पूरी तरह से वनों से रहित हो गया है। वनों को विनाशकारी आग से बचाने के लिए आवश्यक सावधानी बरतने की आवश्यकता है।

तीसरे कुछ झीलों में से गाद निकालने और उनकी सफाई के कार्य को प्राथमिकता के आधार पर किया जाना चाहिए। इस सम्बन्ध में नौवीं लोक सभा में भी मैंने अनुसुपा जैसी झीलों विशेषकर उड़ीसा राज्य की चिल्का झील के सुधार की आवश्यकता के बारे में इस सदन में कहा था। इन झीलों के कारण ही साइबेरिया से प्रवासी पक्षी आ जाते हैं। वे इन झीलों में केवल शीतकाल ही व्यतीत नहीं करते बल्कि उत्पन्न बच्चों को भी आश्रय देते हैं। अतः इस कारण से इन स्थानों को पर्यटन केन्द्र के रूप में विकसित करने के साथ-साथ इन झीलों के रखरखाव से साइबेरिया की बतख जैसे प्रवासी पक्षियों की संख्या में वृद्धि की जा सकती है।

चौथे, जैसाकि असम के मेरे माननीय साथी ने बताया, वन्य जीवों में कुछ विशेष किस्म के जानवर जैसे भारतीय गैंडा, कस्तूरी मृग और काला बकरा हैं। देश में कुछ विशेष प्रकार के पक्षी जैसे भारतीय सोहन चिड़िया और साइबेरिया की सारस जैसे प्रवासी पक्षी भी हैं जोकि धीरे-धीरे समाप्त हो रहे हैं। अतः स्थानीय 'गेम वार्डन' अर्थात् प्रहरियों सहित सम्बन्धित अधिकारियों को ये कठोर हिदायतें दी जानी चाहिएं कि समाप्त हो रहे इन पशु-पक्षियों का अनधिकार शिकार न किया जाए।

4.00 म० प०

इस सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूं कि यह केन्द्रीय सरकार की चिन्ता का विषय नहीं है। इस

जागरूकता को स्थानीय राज्य अधिकारियों द्वारा लागू किया जाना चाहिए सम्बन्धित प्रहरियों, जो संख्या में काफी हैं, को ये हिदायतें दी जानी चाहिएं कि अधिनियमों और नियमों को कड़ाई से लागू किया जाए ताकि पेड़-पौधों और प्राणी समूह की अच्छी प्रकार से रक्षा सुनिश्चित की जा सके। पृथ्वी पर पर्यावरण सन्तुलन बनाए रखने और उसकी रक्षा करने के लिए ऐसा करना आवश्यक है।

पांचवे, गंजम जिले में महेन्द्रगिरि पहाड़ियों के फ्लोरा किस्म के विस्तृत पेड़-पौधे अपनी किस्म के अनोखे हैं, इस विशेष क्षेत्र को अध्ययन एवं पर्यटन केन्द्र के रूप में विकसित करने के लिए विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। वास्तव में इसे जैविक क्षेत्र में बदलने के लिए इसमें सभी आवश्यक क्षमताएं हैं। इसके साथ-साथ कुछ वन्य जीव जैसे जंगली सुअर जो बहुमूल्य फसलों को काफी क्षति पहुंचाते हैं, तथा अन्य विनाशकारी जानवरों, जैसे जंगली कुत्ते, तथा अन्य कीड़े-मकोड़ों को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के दायरे से बाहर रखा जाना चाहिए।

पर्यावरण और वन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री द्वारा प्रस्तुत इस वन्य जीव (संरक्षण) संशोधन विधेयक की मैं सराहना करता हूं और इस विधेयक का पूर्ण समर्थन करता हूं।

[हिन्दी]

श्री मोहनलाल झिकराम (मांडला) : सभापति महोदय, मैं इस बिल का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। सभी लोगों ने वन्य संरक्षण विषय पर अपने विचार प्रकट किए हैं, मैं दोहराना नहीं चाहता हूं। कुछ बातें हैं जिनको आपके सामने जरूर रखूंगा। वन प्राणियों को संरक्षण देने के लिए बहुत से कानून बने हैं तब से निश्चय ही काफी सुधार हुआ है। प्राणियों में बढ़ोतरी हुई है और पहले जितने जानवर मारे जाते थे उसमें कमी हुई है। किन्तु केवल उनका संरक्षण करना ही काफी नहीं है। कभी-कभी जानवरों को कुछ ऐसी बीमारियां हो जाती हैं जो एक-दूसरे को लगने वाली होती हैं और उससे काफी जानवर मर जाते हैं। इसलिए जो अधिकारी, कर्मचारी वहां काम करते हैं उनको जानवरों की बीमारी के बारे में जानकारी होनी चाहिए ताकि वे समझ सकें कि पशु को बीमारी हो गई है और उसका निदान कर सकें। दूसरी बात यह है कि बीमार पशु की दवा का इन्तजाम नहीं हो पाता हैं क्योंकि अस्पताल बहुत दूर होते हैं। सौ-दो सौ किलोमीटर पर अस्पताल होते हैं। उदाहरण के लिए यदि एक शेर बीमार हो जाए तो जब तक पास में अस्पताल नहीं होगा उसको कैसे बचाया जाएगा क्योंकि उसे पहले बेहोश करना पड़ेगा। इस प्रकार की सुविधा का होना बहुत जरूरी है।

पशुओं के लिए कुछ खास प्रकार के खान-पान की भी आवश्यकता होती है जैसे नमक। पशुओं को एक विशेष प्रकार के नमक की जरूरत रहती है। विशेषकर हिरण मिट्टी को चाटते हैं। उसमें एक प्रकार का लवण पदार्थ रहता है। जहां पर ऐसे पशु होते हैं वहां पर ऐसे नमक की भी व्यवस्था की जाए।

हमारे पशुओं के लिए पानी बहुत जरूरी है विशेषकर जंगली भैंसे के लिए। ऐसी जगह पर पानी की ज्यादा से ज्यादा व्यवस्था की जाए। होता यह है कि जहां ऐसे पशु पाले जाते हैं वहां पर पानी की व्यवस्था कम रहती है। पानी के अभाव में बहुत से पशु मर जाते हैं। इसलिए पानी की अधिक से अधिक व्यवस्था की जाए।

ज्यादातर जंगली पशुओं को नुकसान करने वाला जंगली कुत्ता होता है। वह सभी पशुओं को नुकसान करता है। ऐसी व्यवस्था की जाए कि पशुओं को कोई मार न पाए।

आपने मुझे समय दिया मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूं।

[अनुवाद]

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : इस सत्र की लगभग समाप्ति के समय मुझे विश्वास है कि सभा में उपस्थित प्रत्येक सदस्य मेरी इस बात से सहमत होगा कि वन्य जीव (संरक्षण) संशोधन विधेयक पर चर्चा के दौरान हमने दुर्लभ सर्वसम्मति दिखाई है। मैं सभी सदस्यों को उनके द्वारा दिए गये सुझावों और परामर्श के लिए धन्यवाद देता हूं। हम प्रयास करेंगे कि प्रशासनिक स्तर पर उनके साथ कैसे निपटा जा सकता है। भारत को अपनी जैव विविधता पर गर्व है। जैव विविधता हमारी समृद्धि और स्वयं जीवन समर्थन प्रणाली के लिए अत्यन्त आवश्यक है। भारत में अनेक किस्म के जानवरों का जीन बैंक है और भारत की जैव विविधता का विश्व में प्रचार है। इस विधेयक और अन्य उपायों से इस समृद्ध जैव विविधता की रक्षा की जा सकती है जोकि पूरे देश में फैली हुई है।

हमारे पर्यावरण को बनाए रखने के लिए एक महत्वपूर्ण बात, जिसमें वन्य जीवों का बचाव और वनों का संरक्षण शामिल है, जागरुकता है। माननीय सदस्यों ने आदिवासियों के हस्तक्षेप के बारे में काफी बातें कही हैं। हम सभी जानते हैं कि आदिवासी और वनों का सदैव साथ रहता है। ऐसे कोई वन नहीं हैं जहां आदिवासी न हों और ऐसा कोई आदिवासी क्षेत्र नहीं है जहां कोई वन न हो। इसे ध्यान में रखते हुए अनेक कदम उठाए गए हैं। हम जो यह संशोधन प्रस्तुत कर रहे हैं इसके भी अनेक पहलू हैं जो वास्तव में भविष्य में आदिवासियों के लिए सहायक सिद्ध होगा।

मैं इस बात से सहमत हूं कि न तो आदिवासी और न ही इन पार्कों अथवा वनों के पास रहने वाले व्यक्ति वनों का विनाश करते हैं। वास्तव में यह तो शहरीकरण की हमारी जोरदार प्रवृत्ति है जिसने वन्य जीवों के लिए समस्याएं पैदा कर दी हैं और वनों के विनाश को बढ़ावा दे रही है।

माननीय सदस्यों द्वारा कही गई कुछ विशिष्ट और महत्वपूर्ण बातों के बारे में मैं संक्षेप में कुछ बातें कहूंगा। इस बात का जिक्र किया गया है कि जानवरों के अनधिकार शिकार और उन्हें मारने में अधिकारीगण शामिल रहते हैं। उस कारण से हम अबैतनिक वन्य जीव वार्डन रखने का प्रयास कर रहे हैं और ये गैर-सरकारी होंगे। हम समझते हैं कि उन्हें शामिल किए जाने से जनता की भागीदारी में वृद्धि होगी।

एक अन्य बात यह कही गई थी कि इसमें कुछ पुरस्कार होना चाहिए। पुरस्कारों के बारे में भी इस विधेयक में उपबन्ध किया गया है। एक अन्य बात यह है कि इन क्षेत्रों में कृषि कार्य को रोक दिया जाना चाहिए। मैं उससे सहमत नहीं हूं। इन जीव विहारों में वैध कृषि कार्य को रोका नहीं जावेगा और यदि इसमें कोई अधिग्रहण होता है तो पर्याप्त मुआवजा दिया जावेगा। अतः मैं समझता हूं कि सदस्यों को इस सम्बन्ध में कोई आशंका नहीं होनी चाहिए।

श्री शाहाबुद्दीन ने अधिकारियों को दण्ड दिए जाने के बारे में कहा है। विधेयक की धारा 52

में कहा गया है कि "कोई व्यक्ति जो इसके विरुद्ध कोई कार्य करता है अथवा कार्य कराने के लिए दुष्प्रेरित करता है···" यह "कोई व्यक्ति" एक अधिकारी भी हो सकता है।

इस विधेयक में उपबन्ध है कि जनता का कोई भी व्यक्ति शिकायत दर्ज करा सकता है, किसी सक्षम न्यायालय में शिकायत दर्ज करा सकता है। इससे पूर्व केवल राज्य सरकार का कोई अधिकारी ही शिकायत दर्ज करा सकता था। राज्य सरकार को नोटिस दिए जाने की प्रक्रिया को पूरा करके जनता का कोई भी व्यक्ति शिकायत दर्ज कर सकता है, प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करा सकता है और न्यायालय में जा सकता है। यह उन अधिकारियों के लिए निवारक उपाय का काम करेगा जो अपने कर्तव्यों की अवहेलना करते हैं या किसी से सांठ-गांठ करके कार्य करते हैं या अपने कर्तव्यों से मुंह मोड़ लेते हैं।

श्रीमती वसुन्धरा राजे ने ज्यादा क्षेत्र-कर्मचारियों (फील्ड स्टाफ) को लगाने और जागरूकता पैदा करने के सम्बन्ध में जिक्र किया। जैसाकि मैंने कहा है, वन्य जीवों की रक्षा करने तथा वनों का संरक्षण करने के मामले में जागरूकता पैदा करना एक सबसे महत्वपूर्ण साधन है। हम शीघ्र ही बहुत बड़े पैमाने पर एक जागरूकता कार्यक्रम शुरू करने जा रहे हैं जिसे स्कूल स्तर तक पहुंचाया जाएगा। हम पर्यावरण को प्राथमिक और माध्यमिक स्तर की शिक्षा में, वस्तुतः शिक्षा को सभी स्तरों पर, लागू करने की कोशिश कर रहे हैं जिसके अन्तर्गत वन्य जीव संरक्षण विषय भी आएगा।

जहां तक ज्यादा धन के आबंटन का प्रश्न है, हम बाघ-परियोजना के लिए शत प्रतिशत अनावर्ती और पचास प्रतिशत आवर्ती धन उपलब्ध करा रहे हैं तथा राज्य सरकारों को भी हम कुछ धन उपलब्ध करा रहे हैं।

श्रीमती वसुन्धरा राजे ने, जिम कॉरबेट में मछली पकड़ने के सम्बन्ध में जो मुद्दा उठाया है तो मैं समझता हूं कि इससे पार्कों और अभयारण्यों में मछली पकड़ना कम हो जाएगा। लेकिन मैं निश्चय ही जिम कॉरबेट पार्क के नजदीक मछली प्रजनन शुरू करने के सम्बन्ध में सोच रहा हूं।

श्रीमती वसुन्धरा राजे : मैं कह रही थी कि माली मछली, महसीर मछली को खा जाती है। यदि आप माली मछली को छांटकर पकड़ने की स्वीकृति प्रदान करेंगे तो इससे महसीर मछली को बचाया जा सकता है। इस समय जैसी स्थिति है उससे ऐसा प्रतीत होता है कि जल्द ही महसीर मछली समाप्त हो जाएगी। एक या दो वर्ष पूर्व समय-समय पर खंडों में मछली पकड़ने की स्वीकृति प्रदान की जाती थी। यदि आप यह क्रम जारी रखने में सफल होते हैं तो शायद महसीर मछली को जिन्दा बचाया जा सकता है।

श्री कमल नाथ : हम माली मछली की समस्या पर ध्यान देंगे क्योंकि माली मछली द्वारा सिर्फ महसीर मछली को खाने से एक गम्भीर समस्या बन जाएगी। हम निश्चय ही इस पर ध्यान देंगे क्योंकि हमें महसीर मछली को बचाना है।

मेरे मित्र, श्री खान ने कलकत्ता के चिड़ियाघरों को और अधिक धन उपलब्ध कराने का जिक्र किया है। मैं इस सम्बन्ध में उन्हें सूचित करना चाहूंगा कि हम बार्जिलिंग के चिड़ियाघर को प्रति वर्ष पन्द्रह लाख रुपया दे रहे हैं तथा इसका उचित रखरखाव करने तथा इसे और अधिक सुव्यवस्थित बनाने, चिड़ियाघरों के अधिकारियों को और अधिक धन उपलब्ध कराने के पहलुओं पर हम ध्यान देंगे।

श्री इन्द्रजीत (दार्जिलिंग) : हमें इससे भी अधिक धन की आवश्यकता है ।

श्री कमल नाथ : एक और मुद्दा इसके क्रियान्वयन के सम्बन्ध में उठाया गया है । यह वास्तविकता है कि कभी-कभी इसे लागू करना एक गम्भीर समस्या बन जाता है । मैं सभा को इस बात से आश्वस्त करना चाहता हूं कि इसे लागू करने के लिए भरसक प्रयत्न किया जाएगा तथा इसे लागू करने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी । हमें इसमें लोगों को शामिल करना होगा तथा हमारे द्वारा लाए जा रहे प्रावधानों को क्रियान्वित करने के लिए लोगों को शामिल किया जाएगा ।

वन अधिनियम 1927 के नवीकरण के सम्बन्ध में भी एक मुद्दा उठाया गया था । हम इस सम्बन्ध में भी ध्यान देंगे ।

श्री अयूब खान द्वारा उठाया गया एक और मुद्दा पत्थर निकालने से सम्बन्धित था । राज्य सरकारों का हम बार-बार इस पर रोक लगाने या नियंत्रण करने के लिए पत्र लिख रहे हैं । हमने इस मामले को राजस्थान सरकार के साथ भी उठाया है । हम इसे एक बार पुन: जोरशोर से उठायेंगे ।

उन्होंने झुनझुनू और फतेहपुर के बीहड़ों का भी जिक्र किया है । मैं उनकी इस बात से पूरी तरह सहमत हूं कि इसे एक अभयारण्य या कम से कम प्रतिबन्धित क्षेत्र घोषित किया जाए । हम राज्य सरकार से इस मामले पर चर्चा करेंगे तथा इस सम्बन्ध में हमें राज्य सरकार से सहयोग की अपेक्षा है । हम चाहेंगे कि इन बीहड़ों को अभयारण्य या प्रतिबन्धित क्षेत्र घोषित किया जाए । (व्यवधान)

श्री बाला ने सुन्दर बन की उपेक्षा करने का जिक्र किया है । यह सच नहीं है । सुन्दर बन पहला बाघ अभयारण्य था जिसका निर्माण किया गया था तथा जिसके लिए भारत सरकार ने धनराशि आबंटित की थी । इसके अतिरिक्त इसे जीव-मण्डल आरक्षित क्षेत्र के रूप में भी घोषित किया गया है तथा इस योजना के अन्तर्गत धनराशि भी दी गई है ।

एक सदस्य ने उड़ीसा में वनों के विनाश का जिक्र किया गया था । मैं आशा करता हूं कि माननीय सदस्य इस बात को मुख्य मन्त्री के ध्यान में भी लाएंगे क्योंकि हमने उनसे बार बार इस सम्बन्ध में अपनी चिंता जाहिर की है । उन्होंने झील विशेषकर चिल्का झील से गाद निकालने का भी जिक्र किया है । हम इस चिल्का जैसी दलदल वाली भूमि में सहायता प्रदान कर रहे हैं तथा उसे सहायता प्रदान करते रहेंगे तथा मैं इस बात का भी ध्यान रखूंगा कि मैं इसमें क्या कर सकता हूं ।

आप इस बात से सहमत होंगे कि इन सभी बातों के लिए केवल सहायता की ही आवश्यकता नहीं होती अपितु राज्य सरकार के सहयोग और सहभागिता की भी आवश्यकता होती है । मैंने राज्य के मुख्य मन्त्रियों के साथ यह प्रश्न उठाया है तथा इस सम्बन्ध में उनके समर्थन और सक्रिय सहयोग की आशा है ।

श्रीमती वसुन्धरा राजे : इससे पूर्व कि मन्त्री महोदय अपनी बात समाप्त करें, मैं उनसे कहना चाहूंगी कि उन्होंने मेरे दो प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया है । एक प्रश्न जंगल में आग लगने से सम्बन्धित है । जिसके कारण ज्यादातर वनों का विनाश हो रहा है । दूसरा प्रश्न, वन सुरक्षाकर्मियों को हथियार से सुसज्जित करने के बारे में है जोकि मेरे विचार से अत्यन्त महत्वपूर्ण है । जब तक आप उन्हें हथियार उपलब्ध नहीं करायेंगे, तब तक इन लोगों के लिए यह सम्भव नहीं है कि वे पर्याप्त सुरक्षा के बिना वन

क्षेत्रों में जा सकें। तीसरा प्रश्न, एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसे मैं मन्त्री महोदय से स्पष्ट कराना चाहती थी जिसके बारे में उन्होंने एक दिन राज्य सभा में कहा कि 1,52,000 हैक्टेयर वन भूमि को पिछले दस वर्षों में बदलकर नियमित कर दिया गया है। लेकिन पिछले एक वर्ष में 1,38,000 हैक्टेयर वन भूमि को परिवर्तित किया गया है। मैं जानना चाहती थी कि ऐसी असंगति क्यों है—कि दस वर्षों के दौरान केवल 1,52,000 हैक्टेयर वन भूमि को बदला गया जबकि 1,38,000 हैक्टेयर वनभूमि को पिछले एक वर्ष में बदला गया हो···उस भूमि का किस कार्य के लिए प्रयोग किया गया तथा इस सम्बन्ध में मन्त्री महोदय क्या करने जा रहे हैं ? यदि इस प्रकार वनों का विनाश जारी रहा तो हमारे पास कोई वन ज्यादा समय तक बचा नहीं रहेगा।

सभापति महोदय : मैं नहीं जानता कि मन्त्री जी के पास इसकी पूरी जानकारी है।

श्री कमल नाथ : प्राकृतिक वास एक महत्वपूर्ण पहलू है। वन्य जीवों का प्राकृतिक वास वन है। यदि हमें वन्य जीवों की रक्षा करनी है तो यह अतिमहत्वपूर्ण है कि प्राकृतिक वास की सुरक्षा की जाए। महोदय, इसका उल्लेख मैंने राज्य सभा में किया था। इस वक्त मेरे पास सही आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं; लेकिन क्योंकि माननीय सदस्य ने राज्य सभा की कार्यवाही को बहुत ध्यानपूर्वक सुना, अतः मैं केवल इतना ही कह सकता हूं कि यह सच है कि 1989 में वन अधिनियम के लागू होने के पश्चात 1,5(,000 हैक्टेयर वन भूमि को बदला गया और सिर्फ वर्ष 1990 के दौरान लगभग 1,38,000 वन भूमि बदली गयी है। यह एक तथ्यात्मक विवरण है। वन अधिनियम के अन्तर्गत इसकी मंजूरी दी गई थी (**व्यवधान**) राज्य सभा में मैंने यही कहा था (**व्यवधान**)

सभापति महोदय : इस सम्बन्ध में और विशेष जानकारी के लिए माननीय सदस्य मन्त्री महोदय को लिखकर विवरण प्राप्त कर सकते हैं।

श्रीमती वसुन्धरा राजे : उन्होंने राज्य सभा में इस सम्बन्ध में विस्तृत वक्तव्य दिया है। मैं मात्र कुछ स्पष्टीकरण मांग रही हूं।

श्री कमल नाथ : सन् 1990 में 1,38,000 हैक्टेयर वन भूमि के उपयोग में परिवर्तन, जो पिछले आठ-नौ वर्षों में किए गए परिवर्तन के लगभग बराबर है, मुख्यतः इस कारण से हुआ कि कब्जा की गई भूमि का विनियमन किया गया और खनन के कुछ पट्टे स्वीकृत किए गए (**व्यवधान**)

श्रीमती वसुन्धरा राजे : यह बहुत शर्म की बात है।

श्री कमल नाथ : मैंने राज्य सभा में यही वक्तव्य दिया था। अब, वह कह रही हैं कि यह शर्म की बात है। मैं उनके कहने का तात्पर्य समझना चाहता हूं (**व्यवधान**)

मैं माननीय सदस्या के एक अन्य मुद्दे का जवाब देना चाहूंगा जोकि हथियारों से सम्बन्धित है। हम, विशेषकर बाघ परियोजना के अधीन हथियारों और वायरलेस सेट के लिए धन उपलब्ध करा रहे हैं। राज्य सरकारों ने ज्यादा कर्मचारियों की मांग की है और हम उन्हें ज्यादा कर्मचारी रखने की स्वीकृति प्रदान कर रहे हैं तथा उन्हें पर्याप्त धन उपलब्ध कराया जाएगा।

उन्होंने जो एक अन्य मुद्दा उठाया है वह उनके निर्वाचन क्षेत्र की परियोजना को स्वीकृति न देने

के सम्बन्ध में है । मैं उनके समर्थन से इस विधेयक के पारित होने के पश्चात इस मुद्दे पर ध्यान दूंगा । मैं पहले से और भी ज्यादा गम्भीरता से इस पर विचार करूंगा ।

[हिन्दी]

श्री मोहन लाल झिकराम (मांडला) : सभापति महोदय, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं जब पशु बीमार पड़ जाता है, छूत की बीमारी से हिरण बीमार पड़ जाते हैं तब उनकी सुरक्षा के लिए आपने क्या उपाय किए हैं ?

[अनुवाद]

श्री कमल नाथ : श्रीमान, मैं समझता हूं कि वे कान्हा की समस्याओं के बारे में कह रहे हैं । मुझे इसकी जानकारी है और हम टीके लगा रहे हैं और उन क्षेत्रों में पशुओं को प्रतिरक्षण टीके लगाकर उन्हें छूत की बीमारियों से बचाने के लिए इस विधेयक में उपबन्ध किया गया है । हम राष्ट्रीय पार्कों आदि में पशु चिकित्सा इकाईयां स्थापित करने के लिए धन की व्यवस्था कर रहे हैं । हम कान्हा की समस्या पर भी ध्यान देंगे ।

श्रीमान, मैं एक बार फिर माननीय सदस्य का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने इस संशोधनकारी विधेयक को अपना समर्थन दिया है । इस विधेयक पर पूर्ण सहमति प्रकट की गई है और मैं प्रत्येक सदस्य को धन्यवाद देता हूं तथा उनके प्रति आभार प्रकट करता हूं ।

श्री शरत चन्द्र पटनायक (बोलंगीर) : श्रीमान, उड़ीसा के पश्चिमी भागों जैसे कोरापुट, कालाहांडी, फुलबनी, बोलंगीर आदि में अधिकतर आदिवासी लोग रहते हैं । मैं उसी क्षेत्र का हूं । राज्य सरकार ने बोलंगीर के हरिशंकोन क्षेत्र में एक हिरण पार्क बनाया है । मैं केन्द्रीय सरकार से तथा माननीय मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वे इसके लिए और अधिक धनराशि उपलब्ध करायें । यदि केन्द्रीय सरकार वहां पर काफी बड़े क्षेत्र में हिरण पार्क बनाए तो यह पश्चिमी उड़ीसा के लोगों के लिए बेहतर होगा और इससे अनधिकृत रूप से शिकार करने वालों पर भी रोक लगेगी । यह मेरा अनुरोध है ।

श्री कमल नाथ : इन क्षेत्रों के राष्ट्रीय पार्कों तथा अभयारण्यों की समस्याओं की जानकारी है । इन क्षेत्रों के लिए हमने बहुत ही व्यापक पैमाने पर पर्यावरण विकास की योजनाएं बनाई हैं । मैं माननीय सदस्य द्वारा बताई गई इस विशेष समस्या पर ध्यान दूंगा ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972, राज्य सभा द्वारा यथापारित, में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

सभापति महोदय : अब सभा में इस विधेयक पर खण्डवार विचार किया जाएगा । प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 से 52 विधेयक का अंग बनें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड 2 से 52 विधेयक में जोड़ दिए गए ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बनें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए ।

श्री कमल नाथ : श्रीमान, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाए ।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

4.23 म० प०

पंजाब साधारण निर्वाचन रद्दकरण विधेयक, 1991

पंजाब बजट—1991-92 पर सामान्य चर्चा

और

लेखानुदानों की मांगें (पंजाब) 1991-92

सभापति महोदय : अब सभा में पंजाब साधारण निर्वाचन रद्दकरण विधेयक, 1991, पंजाब बजट पर सामान्य चर्चा और लेखानुदानों की मांगों (पंजाब) 1991-92 पर चर्चा तथा मतदान, जिसके लिए 3½ घंटे का समय आवंटित किया गया है, पर एक साथ चर्चा की जाएगी । अब मन्त्री महोदय विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव पेश करेंगे ।

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री के० विजय भास्कर रेड्डी) : श्रीमान, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि पंजाब राज्य के सम्बन्ध में साधारण निर्वाचन आहूत कराने वाली कतिपय अधिसूचनाओं को रद्द करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए ।"

जैसाकि माननीय सदस्यों को ज्ञात है, दसवीं लोक सभा तथा कुछ राज्य विधान सभाओं के चुनावों की घोषणा गत अप्रैल में की गयी थी । तथापि, निर्वाचन आयोग ने सभी सम्बन्धित तथ्यों को ध्यान में रखते हुए तथा पंजाब में विद्यमान परिस्थितियों को देखते हुए और इस बात से सन्तुष्ट होने के बाद कि उक्त राज्य में निर्धारित तारीखों को स्वतन्त्र तथा निष्पक्ष चुनाव कराया जाना सम्भव नहीं होगा, निर्वाचन की तारीख को दो बार आगे बढ़ाया—पहली बार 20 मई, 1991 से 22 जून, 1991 की तारीख निर्धारित की गयी और फिर 25 सितम्बर, 1991 निर्धारित की गई ।

चुनावों की घोषणा के बाद निर्दोष लोगों की बड़े पैमाने पर हत्याएं की गई हैं। 15 जुलाई, 1991 तक 23 उम्मीदवारों को मार दिया गया जिसके कारण राज्य के बहुत से निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव रद्द करने पड़े। चुनावों को आगे के लिए टालने के कारण उम्मीदवारों की सुरक्षा के लिए उचित प्रबन्ध करने आवश्यक हो गए थे। यह बहुत मुश्किल हो रहा है कि इतने लम्बे समय के लिए अर्ध-सैनिक बलों को उनकी सुरक्षा के लिए तैनात किया जाए जबकि इन बलों पर पहले ही बहुत भार पड़ रहा है क्योंकि उन्हें अन्य राज्यों में चुनाव के दौरान ड्यूटी करने के पश्चात यहां भेजा गया है। उपर्युक्त परिस्थितियों तथा कठिनाईयों को देखते हुए तथा यह ध्यान में रखते हुए कि उम्मीदवारों की हत्या न हो तथा अन्य निर्दोष लोग भी न मारे जायें, यह आवश्यक हो गया है कि फिलहाल पंजाब राज्य में आम चुनाव कराने के लिए जारी की गयी अधिसूचना रद्द किया जाए। पंजाब में चुनाव कराने के लिए निष्पक्ष और स्वतन्त्र वातावरण तैयार होते ही चुनाव कराए जायेंगे।

अभी तक पंजाब में ऐसी स्थिति नहीं है कि वहां निष्पक्ष तथा स्वतन्त्र ढंग से चुनाव कराए जायें और सरकार को पंजाब में चुनाव रद्द करने का कदम विवश होकर उठाना पड़ रहा है। तथापि, सरकार ने इस बात पर ध्यान रखा है कि कानून में संशोधन करके चुनाव रद्द करने की असीमित शक्तियां अपने हाथ में न ले। क्योंकि ऐसी शक्तियों से काफी खतरा हो सकता है और उनका दुरुपयोग किया जा सकता है। दूसरी ओर सरकार ने यह विधेयक प्रस्तुत किया है कि जिससे वहां की वर्तमान स्थिति को देखते हुए केवल पंजाब राज्य के चुनावों को रद्द करने के लिए उपबन्ध किया जा सके। मुझे यह पूरी आशा है कि इस विधेयक को सभा के सभी पक्षों द्वारा सर्वसम्मति से समर्थन मिलेगा।

श्रीमान, मैं इस विधेयक को सभा के विचारार्थ रखता हूं।

सभापति महोदय : प्रस्ताव पेश किया गया :

"कि पंजाब राज्य के सम्बन्ध में साधारण निर्वाचन आहूत कराने वाली कतिपय अधिसूचनाओं को रद्द करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

"कि कार्यसूची के स्तम्भ 2 में मांग संख्या 1 से 30 के सामने दिखाए गए मांग शीर्षों के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1992 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान होने वाले खर्चों की अदायगी करने के लिए या के सम्बन्ध में, कार्यसूची के स्तम्भ 3 में दिखाई गयी राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा सम्बन्धी राशियों से आनुषंगिक सम्बन्धित राशियां पंजाब राज्य की संचित निधि में से, लेखे पर, राष्ट्रपति को दी जाएं।"

लोक सभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत वर्ष 1991-92 के लिए लेखानुदानों की मांगें (पंजाब)

मांग की संख्या	मांग का शीर्ष	सदन की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत लेखानुदान की मांग की राशि (लोक सभा द्वारा 11 मार्च, 1991 को पहले से ही स्वीकृति राशियों सहित)	
		राजस्व रुपए	पूंजी रुपए
1	2	3	
1.	कृषि तथा वन	84,98,94,000	27,53,22,000

1	2	3	
2.	पशुपालन और मछली पालन	34,94,01,000	1,34,62,000
3.	सहकारिता	12,76,1?,000	54,69,05,000
4.	रक्षा सेवाएं कल्याण	3,73,86,000	37,50,000
5.	शिक्षा	4,42,88,48,000	23,43,000
6.	निर्वाचन	5,01,27,000	—
7.	उत्पाद शुल्क तथा कराधान	12,62,82,000	—
8.	वित्त	2,20,17,48,000	7,75,72,000
9.	खाद्य तथा आपूर्ति	3,64,95,000	6,71,04,48,000
10.	सामान्य प्रशासन	14,94,89,000	—
11.	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	1,38,98,89,000	—
12.	गृह मामले तथा न्याय	1,84,04,07,000	7,50,00,000
13.	उद्योग	10,51,38,000	29,63,25,000
14.	सूचना तथा लोक सम्पर्क	4,74,93,000	—
15.	सिंचाई तथा बिजली	11,34,55,47,000	4,74,31,47,000
16.	श्रम तथा रोजगार	4,98,63,000	—
17.	स्थानीय सरकार, आवास तथा शहरी विकास	15,57,45,000	21,20,81,000
18.	कार्मिक तथा प्रशासनिक सुधार	1,76,25,000	—
19.	योजना	2,18,59,36,000	—
20.	कार्यक्रम कार्यान्वयन	3,00,000	—
21.	लोक निर्माण कार्य	1,42,01,35,000	75,22,00,000
22.	राजस्व तथा पुनर्वास	68,00,51,000	—
23.	ग्रामीण विकास तथा पंचायतें	32,42,25,000	—
24.	विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण	90,90,000	63,42,000
25.	सामाजिक और महिला कल्याण और अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े वर्गों का कल्याण	39'60,67,000	4,18,82,000

1	2	3	
26.	राज्य विधान मण्डल	1,82,88,000	—
27.	तकनीकी शिक्षा तथा औद्योगिक प्रशिक्षण	28,88,04,000	39,63,000
28.	पर्यटन और सांस्कृतिक मामले	1,94,76,000	2,59,50,000
29.	परिवहन	88,88,10,000	22,04,11,000
30.	चौकसी	1,78,77,000	—

सभापति महोदय : श्री भोगेन्द्र झा ने उपर्युक्त अनुदानों की मांगों के लिए कटौती प्रस्ताव दिए हैं। वह यहां उपस्थित नहीं हैं। अब श्री मदन लाल खुराना बोलें।

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना (दक्षिण दिल्ली) : सभापति महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने दोनों मुद्दों, पंजाब बजट और कंसीलेशन आफ पंजाब इलेक्शन, पर बहस में भाग लेने का मुझे मौका दिया।

सभापति महोदय, मुझे जो कागजात मिले हैं, पंजाब बजट पर 4 पंफलेट मिले हैं, एक तीन पेज का, एक 13 पेज का, एक 23 पेज का और एक 55 पेज का है।

4.27 म० प०

[सभापति महोदय, राव राम सिंह पीठासीन हुए]

एक मुझे भाषण मिला है एक पेज का, जिसके एक तरफ हिन्दी है और एक तरफ अंग्रेजी है।

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़) : किसका भाषण है ?

श्री मदन लाल खुराना : यह भाषण पंजाब पर है, वित्त राज्य मन्त्री का। यह मैं इसलिए कह रहा हूं कि इस बजट के बारे में सरकार कितनी सीरियस है, इसका इस बात से प्रमाण मिलता है। 1990-91 का प्रशासनिक ब्यौरा क्या है, वह मिलना चाहिए था। हर बजट के साथ होता है। पिछले साल कितना पैसा मिला, कितना खर्च हुआ, वह हमको कहीं दिखाई नहीं दिया। मैंने पूछा कि शायद देने में भूल गए हों, वहां जाकर पूछा तो बताया कि नहीं है। प्रशासनिक रिपोर्ट पिछले साल की जोकि बजट का एक हिस्सा होती है, वह भी उपलब्ध नहीं कराई गई है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि इस बजट को सरकार ने कितना लाइटली में लिया है, सिर्फ खानापूर्ति की है। इसी तरह से पंजाब समस्या को भी बहुत लाइटली ले रहे हैं, कश्मीर समस्या को भी बहुत लाइटली ले रहे हैं, यह मेरा कहना है।

सभापति महोदय, इस बजट में अगर आप देखें तो स्कीमवाइस जो डीटेल आने चाहिए वह स्कीमवाइस न देकर इन्होंने उसको हैडवाइस रखा है। स्कीमवाइस डिटेल रिपोर्ट आती तो उसका अध्ययन कर सकते थे। दूसरा जो रिवाइज एस्टीमेट 1990-91 का दिया है, वह मीनिंगलैस इसलिए है क्योंकि इधर पंजाब पे कमीशन भी इसके साथ जोड़ दिया है, वह अलग से नहीं मालूम पड़ता है। अगर वह जोड़ा होता तो रिवाइस एस्टीमेट मीनिंगफुल होता, लेकिन अब उसको अलग दिखाकर इसको मीनिंगलैस कर दिया है।

तीसरा सभापति महोदय, जिस तरह से इन्होंने आंकड़े पेश किए हैं, हैल्थ एण्ड फैमली वेलफेयर के लिए 1990-91 में 196.94 करोड़ का एस्टीमेट था, इस साल कम करके 185.38 करोड़ कर दिया है। क्या फैमली प्लानिंग की वहां जरूरत नहीं है या इसलिए ज्यादा बच्चे वहां पर चाहते हैं कि आतंकवादी ज्यादा हो जाएं, आप करना क्या चाहते हैं। फैमली प्लानिंग इतना महत्वपूर्ण विषय है, लेकिन बजट पिछले वर्ष से कम कर दिया गया है।

इसी तरह से होम अफेयर्स, ला एण्ड आर्डर के बारे में, पिछले साल बजट था 248.94 करोड़ रुपए, इस साल किया गया है 259.1 करोड़ रुपए। केवल 248 से 259 करोड़ आपने किया, जो 2.5 प्रतिशत होता है। अगर कीमतें देखें, पिछले साल की अपेक्षा 13-14 प्रतिशत कीमतें बढ़ गयी हैं, लेकिन जितना पैसा पिछले वर्ष जरूरी था उससे भी कम एक्चुअल पैसा, रियल मनी दिया है। अलाटमेंट पिछले साल से कम हुआ है। यह मेरा इसके बारे में कहना है।

फिर अगर आप बहुत सी चीजें देखें, मैंने कुछ आंकड़े निकाले हैं, इण्डस्टरी और माइनिंग के लिए पिछले साल था 17.52 करोड़, इस साल कम कर के 15.71 कर दिया है। कैपिटल आउटले, मेजर और माईनर इरीगेशन, आप कहते हैं कि हम खेती की तरफ बहुत ध्यान दे रहे हैं, पिछली बार आपने रखा 52.01 करोड़ और इस बार कम करके आपने 44.87 करोड़ कर दिया। इसी तरह से फ्लड कंट्रोल के ऊपर 23 करोड़ से कम करके 10 करोड़ कर दिया। आर्ट एण्ड कल्चर का 3.6 करोड़ से 3.3 करोड़ कर दिया। रिन्यु एनोकेशन फार अर्बन डिवेलेपमेंट के लिए 9.40 से कम करके 5.75 कर दिया। हाउसिंग के लिए, मकान बनाने के लिए लास्ट ईयर के 17.29 करोड़ से कम करके 14.39 कर दिया। पब्लिक वर्कस के लिए 11.81 करोड़ था, इस साल कम कर के 7.15 कर दिया। ये आंकड़े मैं आपको इसलिए दे रहा हूं, केवल कैजुअल वे के अन्दर जैसे मुनीम ने बजट बना दिया और आपने पास कर दिया, ऐसा आपने किया है। कोई आदमी इसके बारे में सोचता, विचारता कि प्रायोरिटी किसको देनी है। मैं जानना चाहता हूं, क्योंकि जो अभी तक हमने देखा है, दो चीजें आती हैं, पालियामेंट हो या राष्ट्रपति का भाषण या बजट के अन्दर वित्त मन्त्री का भाषण, जो सरकार की नीतियों को दर्शाता है कि अगले वर्ष की क्या नीतियां आने वाली हैं। इसी तरह से विधान सभा का गवर्नर या वित्त मन्त्री का भाषण, गवर्नर तो है, लेकिन गवर्नर का भाषण नहीं हो सका, लेकिन वित्त मन्त्री के भाषण में आपकी प्रायोरिटीज क्या-क्या हैं? आपने वायदा किया था, पूर्व प्रधान मन्त्री जी ने घोषणा की थी कि एक लाख लोगों को रोजगार देंगे। यह कहां है इस बजट के अन्दर? आपने तो बैन लगा दिया है नौकरियों के अन्दर। एक लाख का जो वायदा किया था, हर साल लोगों को नौकरियां देंगे, क्या हुआ उस वायदे का? मैं जानना चाहता हूं इस पूरे बजट के अन्दर एस० वाई० एल० के बारे में आप शान्त क्यों हैं? चुप क्यों हैं? आपको अपने भाषण के अन्दर कहना चाहिए था। उसके बारे में आपने समझौता किया लौंगोवाल जी से। इसके बारे में अपने भाषण में आपको बताना चाहिए कि एस० वाई० एल० के बारे में

आपकी नीति क्या है। सैकड़ों करोड़ रुपया जो खर्च कर रहे हैं, वह बरबाद क्यों हो रहा है ? चाहे हरियाणा का हिस्सा था, लेकिन उसका भी काम ठप्प है, वहां भी मिट्टी भर रही है। जो सैकड़ों करोड़ों रुपया उस नहर को खोदने के लिए रखा गया था, क्योंकि काम ठप्प है, इसलिए मिट्टी फिर से भरने के कारण वह सारा का सारा रुपया बेकार हो गया।

हम जानना चाहते थे कि आप इस सदन को बतायेंगे कि थीन डैम प्रोजेक्ट का क्या हुआ। उसको आप कब तक पूरा करने जा रहे हैं ? अजीब बात यह है कि केन्द्र ध्यान नहीं दे रहा। जितनी तेजी से थीन डैम बनना चाहिए, नहीं बन रहा है और उसके कारण यह हो रहा है कि जो पानी, रावी का पानी ब्यास में आना चाहिए और ब्यास का पानी सतलुज में आना था, आपने इतने वर्षों तक डैम नहीं बनाया, यह सारा का सारा पानी जो हिन्दुस्तान की धरती को हरियाली देने वाला था, आप पाकिस्तान में उस पानी को भेज रहे हैं। क्यों आप वह डैम नहीं बना पा रहे हैं ?

इसके अन्दर आपने एक शब्द भी नहीं कहा। कुदरत ने हमको पानी दिया और दूसरी तरफ भारत की धरती प्यासी हो रही है इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि आज पंजाब की इकोनोमी समाप्त हो रही है। एक समय ऐसा था, जब यह कहा जाता था कि पंजाब की पर-कैपिटा इन्कम अन्य प्रदेशों से बहुत आगे है। वहां की जितनी इण्डस्ट्रीज हैं जैसे राईस मिल्स, वूलन एण्ड स्पीनिंग मिल्स आदि समाप्त हो रही हैं। पंजाब की साख कम हुई है इसलिए अन्य प्रदेशों का व्यापारी वहां माल नहीं भेजता इसलिए व्यापार कम हो गया। उसके साथ-साथ ट्रेंड चला कि दूसरी जगहों से एक ट्रक जाता है और उसको गायब कर दिया जाता है। यह कहा जाता है कि उसको आतंकवादियों ने रोक लिया है और उसको गायब कर दिया जाता है। कुछ समय से मेरी जानकारी के अनुसार 33-ट्रक गायब हो गए। एक ट्रक का मालिक कहता है कि मैं जाकर देखता हूं कि माल कैसे नहीं बिकता। उसके बाद उसका माल बिक गया। अन्य प्रदेशों का व्यापारी पंजाब में माल नहीं भेजना चाहता। रास्ते में ही ट्रक गायब हो रहे हैं। आतंकवादियों के नाम पर उनको गायब कर दिया जाता है। उनको लुटेरे, सफेदपोश या जिनको पोलिटिकल समर्थन प्राप्त है; इसकी सी० बी० आई० से जांच करवाएं। उसके बाद मालूम पड़ेगा कि ऐसे लोग हैं जो आतंकवादी नहीं हैं, लेकिन आतंकवादियों के नाम से बेईमानी करते हैं और माल गायब करते हैं। यह बहुत बड़ा घोटाला है। पिछले कुछ समय से ये ट्रक गायब किए गए, जिसका वाजपेयी जी ने वर्णन किया। पंजाब के अन्दर अपहरण किए जा रहे हैं और कुछ शर्तें रखी जा रही हैं। अभी पिछले दिनों मुझे जो आंकड़े बताए गए, उनकी बेरीफाई करें या डिनाई करें। मेरी यह जानकारी है कि पिछले कुछ समय से पंजाब में प्रतिदिन तीस-चालीस अपहरण हो रहे हैं। पंजाब पुलिस के प्रमुख श्री डी० एस० मांगेर के मामा के एक पुत्र को, जिला-मजीठा के जिलाधिकारी श्री परमजित सिंह बिल्ल के भाई को, संगरूर के एस० एस० पी० श्री एस० एम० भुल्लर के भाई को, बम्बई के पुलिस कमीश्नर श्री चरण सिंह आजाद के दो भाईयों और श्री संधु के नजदीकी रिश्तेदार का अपहरण किया है। उसके बदले में अपने साथियों को छुड़वाने के लिए या उनसे रुपया मांगने के लिए अपहरण किया जाता है। तेजी के साथ पंजाब के अन्दर ऐसी घटनाएं हो रही हैं।

पंजाब के चुनाव कैंसिलेशन के बारे में कहना चाहता हूं। कांग्रेस ने पंजाब को केवल राजनीति के रूप में देखा है, केवल पार्टी के रूप में देखा है। सबसे पहले नेशन और बाद में पार्टी, यह होना चाहिए। कांग्रेस की नीति यह है कि "पार्टी फस्ट एण्ड नेशन आफ्टर-वर्ड्स" जबकि यह होना चाहिए कि "कंट्री फस्ट एण्ड पार्टी आफ्टर-वर्ड्स।"

सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि इस बजट से न तो सरकार सुरक्षा की दृष्टि से मजबूत कर पायेगी और न वहां आर्थिक खुशहाली ला पायेगी न वहां के विस्थापितों को बसाने की कोई बात इसमें है, न ही इसमें ला एण्ड आर्डर सुधारने सम्बन्धी कोई बात है। इस बजट में इन समस्याओं की ओर कोई इंगित नहीं किया गया। मैं एक बात बहुत दुःख से कहना चाहता हूं। इतिहास इस बात का साक्षी है कि जब-जब इस पंजाब के अन्दर हालात को सामान्य बनाने की कोशिश की गई, आपने इसके बारे में कुछ सोचा भी, लेकिन केन्द्र ने मजबूती नहीं दिखाई और हर बार आप पीछे हटे जिससे पंजाब की समस्या बैड टू वर्स हो गई। मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं। राजीव-लौंगोवाल समझौता किया गया। तारीखें तय कर दी गईं कि इस तारीख को यह हो जायेगा और उस तारीख को वह हो जाएगा। आज तक वह समझौता लागू नहीं हो पाया और वैसे ही पड़ा हुआ है। उसका परिणाम यह हुआ कि आपके ऊपर यह इल्जाम लगा कि आप समझौता करके पीछे हट जाते हैं।

पंजाब में चुनाव हुए और बरनाला साहब मुख्य मन्त्री बने। उस समय के प्रधान मन्त्री ने कहा कि भारत माता जीत गई। उसके बाद फिर राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण के अन्दर बरनाला साहब की तारीफ की, जबकि ऐसा आमतौर से नहीं होता है। उसके चार महीने के बाद जिस बरनाला साहब की आपने तारीफ की थी इसी सदन के अन्दर उस वक्त के होम मिनिस्टर के बयान में यह कहा गया कि बरनाला जैसा कोई बेईमान आदमी नहीं, जबकि चार महीने पहले आप उनकी तुलना रणजीत सिंह से कर रहे थे और उनके शासन से कर रहे थे। उसी बरनाला साहब को आपने तीन महीने के बाद डिस-मिस कर दिया क्योंकि हरियाणा का चुनाव आपके सामने था। आप उसको जीतना चाहते थे, यह अलग बात है कि आप उसको नहीं जीत पाए। आपने पंजाब की सरकार को डिसमिस करने के लिए जो कदम उठाया वह केवल हरियाणा के चुनाव को सामने रखकर उठाया। उसका परिणाम यह हुआ कि पंजाबवासियों का विश्वास टूट गया और पुनः चुनाव की घोषणा हुई तो फिर उनको स्थगित कर दिया।

आप चुनाव को कैंसल इसलिए कर रहे हैं कि अगर चुनाव वक्त पर होते तो उसमें कांग्रेसी हिस्सा नहीं लेते। आप यह गलती कर गए, अब आप अपनी पार्टी के पाइंट आफ व्यू से उसको ठीक करना चाहते हैं और चुनाव की रेस के अन्दर कांग्रेस को लाना चाहते हैं। इसलिए चुनाव को ही कैंसल करना चाहते हैं।

21 अप्रैल को चण्डीगढ़ में सर्वदलीय बैठक हुई थी। उसमें पी० सी० सी० के अध्यक्ष बेअंत सिंह भी शामिल थे, वामपंथी भी थे, जनता दल वाले थे और हम भी थे। सबने फैसला किया कि अगर चुनाव लड़ेंगे तो इकट्ठे लड़ेंगे और बायकाट करेंगे तो इकट्ठे करेंगे। सभी ने संयुक्त रूप से मिलकर चुनाव लड़ने की बात कही थी।

सभापति महोदय : या तो सारे लड़ने का फैसला करेंगे या सारे बायकाट करेंगे···

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (लखनऊ) : मिलकर आतंकवादियों से लड़ेंगे, आपस में नहीं लड़ेंगे।

श्री मदन लाल खुराना : यह भी था ताकि आतंकवादियों को आइसोलेट किया जाए। 21 अप्रैल को यह मीटिंग हुई। उस मीटिंग के फैसले को लेकर राष्ट्रपति जी से मिला जाता है, चुनाव आयोग से मिला जाता है। उसमें कांग्रेस के लोग भी शामिल होते हैं और सभी संयुक्त रूप से मिलकर कहते हैं कि 20 जून के बाद पंजाब में चुनाव कराए जायें। मैं इसको अंडर लाइन कर रहा हूं, क्योंकि सारे देश में चुनाव पहले हो रहा था। 20 जून इसलिए कि इतना मौका मिल जाये सुरक्षा वगैरह का

इंतजाम करने का। उसमें 20 जून तारीख लिखी हुई है जो मेमोरेंडम दिया गया है उसमें दूसरी बात यह कही गई कि उम्मीदवारों को सुरक्षा प्रदान की जाये। ये दो बातें कही गई। अगर ये दो बातें राष्ट्रपति और चुनाव आयोग मान लेते तो यह तय था कि सभी दल चुनाव में हिस्सा लेंगे। चण्डीगढ़ की मीटिंग के फैसले के बाद यह दूसरी मीटिंग राष्ट्रपति जी से और चुनाव आयोग से हुई। इस मीटिंग के कारण 22 जून को चुनाव कमीशन द्वारा डेलीगेशन की रिक्वेस्ट पर डेट फिक्स की गयी पंजाब के चुनाव की और उसमें कांग्रेस शामिल है। इसके बाद पलटा खाया। कांग्रेस चुनाव में हिस्सा नहीं लेगी, यह फैसला उस समय कांग्रेस हाई कमाण्ड ने किया। तो मेरा यह कहना है कि उस मीटिंग से बेट्रेय किया। तो जब कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष शामिल हैं, उसमें बेट्रेय किया गया और चुनाव का बायकाट कर दिया जबकि तय हुआ था कि अगर बायकाट करेंगे तो सामूहिक बायकाट करेंगे। इसलिए मैं कहना चाह रहा हूं कि इन्होंने अपनी पार्टी को प्रमुख माना। सभापति जी, 22 जून चुनाव के लिए तय हुआ तो सारे डेलीगेशन के आधार पर हुआ, जिसकी हिस्ट्री आपके सामने है और 20 तारीख को जिस समय इलेक्शन···

सभापति महोदय : आपकी पार्टी के 44 मिनट हैं, तीन बोलने वाले हैं,···

श्री मदन लाल खुराना : मैं थोड़ा टाईम और लूंगा।

सभापति महोदय : मैं तो तैयार हूं, अगर दूसरे प्रैस न करें तो···

श्री मदन लाल खुराना : मैं शार्ट में बोलूंगा। आप खुले दिल से टाईम देने वाले हैं···

सभापति महोदय : जनाबेआली, साढे तीन घण्टे इस डिबेट के लिए हैं जिसमें आपकी पार्टी के 44 मिनट हैं।

श्री मदन लाल खुराना : मेरा निवेदन है कि चुनाव स्थगन में कांग्रेस ने अपना हित तो देखा, पर पंजाब का कितना अहित हुआ, यह कांग्रेस ने अंदाज नहीं लगाया। सरकार के फैसले के बाद पंजाब के गवर्नर जनरल मलहोत्रा को यह कहना पड़ा कि मैंने दो जंग लड़ी, मगर इसमें मुझे जो अपमानित होना पड़ा, मुझसे विश्वासघात किया गया, अन्धेरे में रखा गया है, उसके कारण से मुझे लैट डाउन किया गया, पहले ऐसा कभी नहीं हुआ।

सभापति जी, मुझे यह निवेदन करना है कि अब मुझे लगता है कि मिलिटेंट्स के दबाव में आकर अब अकाली पंजाब में चुनाव का बॉयकाट कर सकते हैं, यदि वे चुनाव नहीं लड़ेंगे तो यह चुनाव मीनिंगलैस हो जायेगा। अभी 5 ग्रुप अकाली के थे, जो इस चुनाव में हिस्सा ले रहे थे, उस चुनाव के दौरान किसी ने कोई इस तरह की बात नहीं की। अब यह ठीक है कि मान साहब ने कोई बात कही थी यानि जनादेश की, रेफेरेंडम की बात कही थी, इसको पॉलिटीकल लेवल पर वीड आउट कर सकते हैं पर कानून बनाकर नहीं कर सकते हैं। उस चुनाव में पांचों अकाली दल और बाकी सभी पार्टियां हिस्सा ले रही थीं। परन्तु एक दिन पहले आपने चुनाव को पोस्टपोंड कर दिया क्योंकि कांग्रेस उसमें हिस्सेदार नहीं थी। अब अगर अकाली चुनाव का बॉयकाट कर रहे हैं तो चुनाव का अर्थ क्या रह जायेगा? जिस तरह से कश्मीर के अन्दर चुनाव फ्राड हुए, आतंकवादी वहां फैले, मुझे लगता है कि अगर पंजाब के लोग भी यह महसूस करें कि हमको अपमानित किया जा रहा है, हमको बेइज्जत किया जा रहा है, हमारे ऊपर विश्वास नहीं किया जा रहा है, तो उसका जो रिएक्शन पंजाब के अन्दर होगा,

उससे मुझे लगता है कि आतंकवादियों को हमारे खिलाफ प्रचार करने के लिए हम एक हथियार दे रहे हैं।

सभापति महोदय, मेरा कहना यह है कि यदि किसी को भोजन पर न निमंत्रण दिया जाये, उसको थोड़ा कम गुस्सा होगा लेकिन भोजन पर बुलाकर सामने थाली परोस दी जाये और वह बेचारा खाने पर बैठ जाये, हाथ आगे बढ़ाए और उसकी थाली खींच ली जाये, उसके मन पर कितना गुस्सा होगा ? पंजाब के साथ यही किया गया। चुनाव की घोषणा करने के बाद वैसी थाली रख दी गयी, लास्ट डेट खत्म हो गयी और जब वह पोलिंग के दिन थाली रूपी बक्से रखा जाना था तो वह हटा दिया गया···

सभापति महोदय : एक दिन बाद नहीं, एक दिन पहले···

श्री मदन लाल खुराना : जी, एक दिन पहले वोट रूपी थाली वहां से विदड्रा कर दी गयी जिसके कारण उनको गुस्सा आना स्वाभाविक था।

सभापति जी, मुझे लगता है कि आज इस चुनाव को कैंसिल करके हम पंजाब को पुनः पहले वाली स्थिति में पहुंचा जायेंगे। सभी को नेशनल मेनस्ट्रीम में लाने का जो प्रयत्न चल रहा था, इतने समय में जो प्रयत्न किए गए, वे बेकार चले जायेंगे।

सभापति जी, मैं एक और बात कहना चाहता हूं कि यह एक खतरनाक शुरुवात, डेंजरस बिगनिंग हुई है क्योंकि केन्द्र में यदि किसी दूसरे दल की सरकार होगी तो वह किसी भी ऐसे प्रदेश के सम्बन्ध में, इस तरह का बिल लाकर, उस प्रदेश में होने वाले चुनावों को रद्द कर सकती है, जब उसे उम्मीद हो कि उस प्रदेश में किसी दूसरे दल की सरकार आ सकती है। इस तरह किसी भी प्रदेश में होने वाले चुनावों को रद्द किया जा सकता है—जो एक खतरनाक शुरुवात इस बिल के माध्यम से होने जा रही है। मैं समझता हूं कि यह हमारे देश के संघीय ढांचे के ऊपर एक प्रश्नचिन्ह लगाया जा रहा है। एक बहुत खतरनाक खेल कांग्रेस की सरकार खेल रही है, यह मैं कहना चाहता हूं।

सभापति जी, इसके ऑब्जेक्टस में लिखा है और यहां अभी बताया गया कि पंजाब में लॉ एण्ड आर्डर के कारण ये चुनाव रद्द किए जा रहे हैं। जैसा उस दिन यहां जार्ज साहब ने बिल्कुल ठीक कहा कि किन्हीं होम मिनिस्टर ने···*···के अन्दर कहा था कि पंजाब में लॉ एण्ड आर्डर की स्थिति ठीक हो रही है। आज आप यहां कहते हैं कि लॉ एण्ड आर्डर सिचुएशन के कारण चुनाव रद्द किए जा रहे हैं।

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : महोदय, यह सभा की परिपाटी है कि हम विभिन्न मंत्रालयों से सम्बद्ध···*··· में हुई चर्चा के बारे में उल्लेख नहीं करते। इसलिए मैं अनुरोध करता हूं कि कार्यवाही-वृत्तान्त से···*···शब्द निकाल दिए जायें।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना : कई अखबारों में ऐसी स्टेटमेंट भी आयी है, मैं उसी को रैफर कर देता हूं। कई जगह आपकी ऐसी स्टेटमेंट आयी हैं, आपने दी हैं।

सभापति महोदय : खुराना साहब, यह तो आप सैकिण्ड थॉट में कह रहे हैं। आपका···*···का शब्द रिकार्ड में नहीं जायेगा।

श्री मदन लाल खुराना : सभापति जी, कांग्रेस की ओर से यह बात कई जगह कही गयी है। अब मैं एक और बात कहना चाहता हूं कि पंजाब से आए विस्थापित भी, पंजाब के विस्थापितों की तरह, बहुत परेशान हैं, दुखी हैं। दुर्भाग्य यह है कि जैसे कश्मीर से आए विस्थापितों को अपने ही देश में शरणार्थी बनने के लिए मजबूर होना पड़ा, उसी तरह से पंजाब से आए शरणार्थी यहां दिल्ली में और देश के अन्य हिस्सों में, पिछले अनेक वर्षों से नारकीय जीवन व्यतीत कर रहे हैं, नर्क का जीवन बिता रहे हैं। उनके बारे में इस बजट में किसी तरह का प्रावधान नहीं किया गया है। मेरा कहना है कि पंजाब से आए विस्थापितों के बारे में सरकार को अपनी नीति की घोषणा तुरन्त करनी चाहिए, जो उसने अभी तक नहीं की है और न उनके सम्बन्ध में बजट में कोई प्रावधान रखा गया है।

अन्त में, मैं एक निवेदन आपके माध्यम से यह करना चाहता हूं कि जब होम मिनिस्टर साहब या जो मन्त्री चर्चा का उत्तर दें, वे सदन को यह बतायें कि जो पंजाब के चुनाव आप कैंसिल कर रहे हैं, वे चुनाव अब किस तारीख को, कब कराना चाहते हैं। यदि आज आप इस तरह की घोषणा सदन में करते हैं तो पंजाब के निवासियों में थोड़ी सांत्वना आएगी, उनके दिल को शान्ति होगी। यदि आपने अनिश्चित काल के लिए पंजाब के चुनावों को टाला, तो मेरा निवेदन है कि जिस परपज के लिए, हम पंजाब में नौर्मल्सी लाने की कोशिश कर रहे हैं, उस नौर्मल्सी को लाने के लिए आपको काफी कठिनाई होगी और इतने समय तक किए गए हमारे सारे एंफर्टस व्यर्थ हो जायेंगे, सारा हमारा कार्य समाप्त हो जाएगा, उसका कोई मूल्य नहीं रहेगा। इसलिए मेरा निवेदन है कि अपने जवाब में मन्त्री जी यह स्पष्ट घोषणा करें कि पंजाब में किस तारीख को ये चुनाव कराए जायेंगे, तिथि की घोषणा सदन में अवश्य की जाये। धन्यवाद।

[अनुवाद]

श्री पवन कुमार बंसल (चंडीगढ़) : सभापति महोदय, मैं, खुशी और निराशा की मिली-जुली भावना के साथ, पंजाब में आम चुनाव रद्द किए जाने सम्बन्धी विधेयक तथा बजट पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। साल दर साल राज्य विधान सभा का यह महत्वपूर्ण कार्य हम यहां करते आ रहे हैं और वह भी बड़े हल्के तरीके से। पिछले आठ वर्षों के दौरान, राज्य विधान सभा, जिसके अधिकार क्षेत्र में विधिवत् यह काम आता है, को केवल दो बार ही बजट पर चर्चा करने का मौका मिला है।

संविधान निर्माताओं ने यह उपबन्ध किया था कि राष्ट्रपति शासन को दो विशिष्ट शर्तों के पूरा होने पर ही बढ़ाया जा सकता है और वह शर्तें यह थीं कि या तो वहां पर आपातकाल हो या

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

निर्वाचन आयोग वहां पर चुनाव करवाने में अपनी असमर्थता जाहिर करे। पंजाब के मामले में अक्तूबर, 1983 और मई 1987 की अधिसूचनाओं को बढ़ाने के लिए संविधान में छः बार संशोधन करना पड़ा। इस समय, इन दो शर्तों, जिनका मैंने उल्लेख किया है, को पूरा किए बिना पांच वर्ष का फालतू समय बीत चुका है।

कोई भी व्यक्ति भारतीय लोकतन्त्र के इस ह्रास पर गर्व नहीं करता। आज, पंजाब आतंकवादी हिंसा के दौर में तड़प रहा है। ऐसा पिछले 10 वर्षों से हो रहा है। राष्ट्रों के इतिहास में 10 वर्ष की अवधि कम नहीं होती। आज यहां बैठ कर हम पंजाबियों की दुर्दशा का अन्दाजा नहीं लगा सकते। बहादुर, मेहनती, समृद्ध, मौज-मस्ती से रहने वाले, और हमेशा से देश की पश्चिमी सीमा के रखवाले, आज दयनीय हालत में है।

बिगत में पंजाब की दशा के बारे में काफी कुछ कहा जा चुका है। हम सभी ने समय-समय पर इस समस्या को राष्ट्रीय समस्या कहा है। मेरे विचार से वास्तव में ऐसा ही है। देश के बहुत से भागों में इसके परिणामों को महसूस किया गया है। देश की एकता और अखण्डता पर इसका प्रतिकूल प्रभाव सर्वविदित है। हमने हमेशा ही इस समस्या के प्रति राष्ट्रीय दृष्टिकोण अपनाने की इच्छा प्रकट की है। किन्तु मुझे खेद है कि अपने संकीर्ण राजनैतिक विचारों के कारण समस्या पर इस रूप से कभी विचार नहीं किया। इसलिए, पिछले कई वर्षों में संसद के भीतर तथा बाहर हम एक दूसरे पर आरोप लगाने में होड़ लेते रहे हैं और कभी भी अपने गिरेबान में झांककर नहीं देखा और एक दूसरे से बढ़कर बहस करने में सन्तोष प्राप्त करते रहे हैं। महोदय, जबकि हम इसी में सन्तोष अनुभव कर रहे हैं, पंजाब अराजकता के गर्त में डूबता जा रहा है।

मुझे दुख हुआ कि जब माननीय सदस्य, श्री खुराना ने बहस शुरू की तो उन्होंने पंजाब की आर्थिक बुराइयों पर काफी विस्तार से चर्चा की, किन्तु जब राजनैतिक पहलू पर आए, तो कांग्रेस के विरुद्ध जेहाद छेड़ दिया। मैं वही बात करने से बचना चाहता हूं, किन्तु मैं उन्हें याद दिलाना चाहता हूं कि कांग्रेस ने हमेशा ही दूसरों से सहयोग मांगा है। उन्होंने, राजीव गांधी लौंगोवाल समझौते का उल्लेख किया। तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष श्री राजीव गांधी ने समझौते पर हस्ताक्षर किए। यह एक निर्भीक ऐतिहासिक निर्णय था। उसके पश्चात् अत्यन्त शांतिपूर्ण चुनाव हुए क्योंकि उस समय श्री राजीव गांधी ने कहा था कि कांग्रेस के लिए क्षणिक जीत का महत्व नहीं, बल्कि कांग्रेस के लिए जो बात मायने रखती है वह यह है कि इस देश में लोकतन्त्र की ज्योति जिन्दा रहे।

महोदय, अकाली दल सत्ता में आया। हम जानते हैं कि क्या हुआ। यह कसौटी पर खरा नहीं उतरा, यह सरकार की जिम्मेदारियों को नहीं निभा पाया। इसमें अन्दरूनी फूट थी और यह विभाजित हो गया। विभाजन के बाद भी हमने श्री बरनाला को समर्थन देने का प्रयत्न किया। जी हां, हमने राष्ट्रपति के अभिभाषण में उनकी सरकार का जिक्र किया।

5.00 म० प०

हमने सरकार का समर्थन करने का हर समय प्रयत्न किया। किन्तु उस सरकार के पास आतंकवाद का मुकाबला करने की इच्छाशक्ति नहीं थी। हम बिगत में जो कहते रहे हैं, मैं उसे दोहराना नहीं चाहता। चूंकि बात शुरू हुई है, मैं उसका जिक्र करूंगा। बरनाला सरकार के कुछ मन्त्रियों ने आतंकवादियों की पैरवी आरम्भ कर दी। सारे राज्य में एक बार फिर दहशत फैल गयी। हमें चुनावों

की शक्ल में दिया गया एक महत्वपूर्ण अवसर हमने खो दिया। उन्होंने चूक क्यों की, यह फिर एक लम्बी दास्तान है। श्री खुराना की पार्टी सरकार के साथ विचारों का आदान-प्रदान करती रही। हम जानते हैं कि किन कारणों से और बरनाला सरकार की किन कमियों की वजह से पंचाट पूरा नहीं हो पाया।

बरनाला सरकार की असफलताओं के कारण, केन्द्र को राष्ट्रपति शासन लागू करने जैसा अप्रिय और कठिन निर्णय लेना पड़ा। उस कार्यवाही के जो परिणाम निकले, वह हमारे सामने हैं। अमृतसर में स्वर्ण मन्दिर, जोकि सिख मत का सर्वोच्च स्थान है, सहित सभी धार्मिक स्थानों को जो गैर-धार्मिक इस्तेमाल से अपवित्र किए जा रहे थे, उन्हें मुक्त कराया गया।

सभापति महोदय : माननीय सदस्य, आप मन्त्री महोदय के वक्तव्य के बाद अपना भाषण जारी रख सकते हैं। अब मन्त्री महोदय, असम के कुछ जिलों में नागरिक अधिकारियों की मदद के लिए सेना तैनात किए जाने के बारे में एक वक्तव्य देंगे।

———

5.02 म० प०

मंत्री द्वारा वक्तव्य

असम के कतिपय जिलों में नागरिक प्रशासन की सहायता के लिए सेना को तैनात करना

गृह मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : मैं इस सदन के माननीय सदस्यों को यह बताना चाहता हूं कि असम सरकार के अनुरोध पर असम राज्य के कुछ क्षेत्रों में सिविल प्राधिकारियों की सेना सहायता कर रही है।

2. आपको याद होगा कि असम राज्य में 27-11-1990 को राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था तथा राज्य विधान सभा भंग कर दी गई थी। नौवीं लोक सभा के भंग हो जाने के बाद देश के अन्य राज्यों की भांति असम राज्य सभा में संसदीय चुनाव कराए गए थे। इसके साथ-साथ राज्य विधान सभा के चुनाव भी हुए थे तथा नई राज्य विधान सभा के गठित हो जाने के साथ 30-6-1991 को श्री हितेश्वर सैकिया, मुख्य मन्त्री के नेतृत्व में लोकप्रिय सरकार ने कार्य सम्भाला। उसके अगले ही दिन, उल्फा ने रूस के खनन अभियन्ता सहित, केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों तथा तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के 14 व्यक्तियों का अपहरण कर लिया।

3. अपहरण की घटना के बाद धन ऐंठने, अपहरण करने, आक्रमण करने तथा हत्या करने जैसी हिंसक घटनाओं में वृद्धि होने लगी। राज्य सरकार ने अपहृत व्यक्तियों को रिहा कराने के लिए सभी सम्भव प्रयास किए और यहां तक कि टी० ए० डी० ए० के अधीन रोके गए 500 उल्फा उग्रवादियों को भी छोड़ दिया। राज्य सरकार के इस उदार रुख के बावजूद उल्फा ने अपनी मांगे बढ़ानी जारी रखीं तथा गम्भीर आरोपों वाले अनेक बन्दियों को रिहा कराने की मांग पर जोर दिया। इस दौरान बन्दी बनाए गए व्यक्तियों को छुड़वाने के लिए मुख्य मन्त्री सभी प्रयास करते रहे। युवा छात्र परिषद के भूतपूर्व अध्यक्ष तथा एमनेस्टी इन्टरनेशनल के स्व-घोषित संयोजक श्री बिपुल महन्ता, जिन्होंने इस मुद्दे

पर मध्यस्थता की थी, उल्फा द्वारा मारे गए। उल्फा ने मानव जीवन की घोर उपेक्षा करते हुए तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के सहायक कार्यकारी अभियन्ता श्री टी० एस० राजू की भी हत्या कर दी। इससे पहले उन्होंने रूसी खनन अभियन्ता की भी हत्या की, जो 14 अपहृत व्यक्तियों में से एक थे।

4. असम सरकार ने यह महसूस किया कि स्थिति बड़ी गम्भीर हो गयी है। असम सरकार ने स्थिति से निपटने के लिए बड़ी संख्या में बलों को तैनात करना आवश्यक समझा और इसलिए, स्थिति को नियन्त्रण में लाने, लोगों में विश्वास उत्पन्न करने और कानून और व्यवस्था की स्थिति बहाल करने के लिए निम्नलिखित जिलों में उल्फा उग्रवादियों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए राज्य सरकार ने नागरिक प्राधिकारियों की सहायता के लिए सेना बुलाई :-

(1) जोरहाट	(2) डिबरुगढ़	(3) तिनसुखिया
(4) शिवसागर	(5) नौगांव	(6) सोनितपुर
(7) गोलाघाट	(8) धीमाजी	(9) उत्तरी लखीमपुर

राज्य सरकार ने तारीख 5-9-91 के दो वायरलैस सन्देशों द्वारा केन्द्र सरकार को सूचित किया कि उपर्युक्त जिलों में सिविल प्राधिकारियों की मदद के लिए सेना भेजने के लिए सब-एरिया कमान्डर को पहले ही मांग पत्र भेज दिया गया है : मुख्य मन्त्री द्वारा 8 सितम्बर, 1991 को मुझे भेजे गए पत्र, में यह अनुरोध किया गया था कि सिविल प्राधिकारियों की सहायता के लिए सेना की तत्काल तैनाती के लिए अनुदेश जारी किए जाएं। मैंने अहम के सभी सांसदों से व्यक्तिगत तथा सामूहिक रूप से असम की स्थिति के बारे में विचार-विमर्श किया।

5. यह निर्णय किया गया कि असम सरकार और मुख्य मन्त्री द्वारा असम के विनिर्दिष्ट जिलों में सिविल प्राधिकारियों की मदद के लिए सेना की सहायता उपलब्ध कराने के लिए किए गए अनुरोध को स्वीकार कर लिया जाए। तदनुसार असम के उपरोक्त जिलों में सेना चली गयी है तथा उसने उल्फा के विरुद्ध अभियान में सहायता करनी आरम्भ कर दी है।

6. मुख्य मन्त्री ने बंगलादेश, पाकिस्तान तथा चीन के साथ उल्फा के सम्बन्धों का उल्लेख किया है। उन्होंने मुझे बताया है कि उनकी सूचना उल्फा के कुछ उग्रवादियों से की गयी पूछताछ तथा उनसे बरामद किए गए दस्तावेजों पर आधारित है। इन देशों ने इस प्रकार की किसी अन्तर्ग्रस्तता से मना किया है।

7. भारत सरकार, भारतीय प्रशासनिक सेवा के एक अधिकारी और तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के 4 अधिकारियों सहित असम सरकार के 3 अधिकारियों को बन्धक बनाए रखने पर चिंतित है। मुझे विश्वास है कि उनको शीघ्र ही रिहा कर दिया जाएगा तथा राज्य में जल्दी ही सामान्य हालात बहाल हो सकेंगे जिससे हम सेना को हटा सकेंगे।

———

5.05 म० प०

पंजाब में सामान्य निर्वाचन रद्दकरण विधेयक—जारी

पंजाब बजट-सामान्य चर्चा

और

लेखानुदानों की मांगें (पंजाब)—जारी

सभापति महोदय : बंसल जी आप अपना भाषण जारी रखिए।

श्री पवन कुमार बंसल (चण्डीगढ़) : सभापति महोदय, पंजाब में 1987 में राष्ट्रपति शासन के प्रख्यापन के लिए उत्तरदायी परिस्थितियों का जिक्र करते समय मैं आशावाद और आशा के उस वातावरण का जिक्र कर रहा था जो धार्मिक स्थानों को अधार्मिक तत्वों से युक्त कराने पर बना था। परन्तु महोदय उसके पश्चात् कुछ गलत हो गया। भारत विरोधी ताकतें पुनः सक्रिय हो गयीं और अत्याधुनिक शास्त्रों के अबाध प्रवेश से ऐसी स्थिति पैदा हो गई जहां आप्रेशन ब्लैक थंडर जैसे सुनियोजित और सोच समझ कर की गयी कार्रवाईयां भी व्यर्थ हो गयीं। महोदय, उसके बाद से एक घायल और व्यथित पंजाब अपने घावों को भर नहीं पाया और इस समय वह भयानक रोग गैंग्रीन से ग्रस्त होने के कगार पर है।

महोदय, पंजाब समस्या के समाधान के लिए ऐसा कोई बना बनाया फार्मूला नहीं है जो कोई आज सुझा सके, परन्तु हम यह सभी मानते हैं कि शुरूआत तो करनी पड़ेगी। विगत में, सर्वदलीय बैठकों में एक-दूसरे पर दोष मंढ़ा जाता रहा है। महोदय, मेरे विचार से नई शुरूआत करने के लिए अब हमें सभी मतभेद भुलाने होंगे क्योंकि केवल तभी हम पंजाब को बचा सकते हैं और देश को विखंडित होने से रोक सकते हैं। महोदय, मेरे विचार से, जैसाकि वाजपेयी जी ने कहा है, आपस में लड़ने की बजाए देश विरोधी ताकतों से लड़ने के लिए एक संयुक्त मोर्चा खोलना होगा। महोदय, मेरे विचार से अकालियों को भी आतंकवाद के विरुद्ध डंडा उठाने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है। हमें उस कठिनाई, उस स्थिति को मानना होगा जिसमें वे दबाव के आगे झुक गए और चुनावों का बायकाट करने की घोषणा की और यदि अकाली दल द्वारा की गयी घोषणा की मेरी व्याख्या सही है तो मैं खुराना जी को स्मरण कराना चाहूंगा कि उनका निर्णय भविष्य में सभी चुनावों का बायकाट करने का नहीं था, उनका निर्णय तो 30 सितम्बर के लिए निर्धारित चुनावों का बायकाट करने का था और उससे भी बहुत कठिन स्थिति पैदा हो जाती। श्री खुराना ने कांग्रेस पर अन्य दलों का हर स्थिति में साथ निभाने अर्थात् या तो एक चुनाव लड़ने या एक साथ चुनावों का बायकाट करने के अपने वायदे से पीछे हटने का आरोप लगाया। महोदय, उन्होंने कुछ तारीखों का जिक्र किया है। मैं केवल उनकी याद ताजा करते हुए यह बताना चाहूंगा कि वास्तव में क्या बात हुई थी या समझौते का मर्म क्या था। सभी दल एकमत से यह मांग कर रहे थे कि पंजाब के चुनावों को शेष देश से अलग रखा जाए। यह मांग की गयी थी। तत्कालीन सरकार ने तब क्या किया ? उसने तकनीकी दृष्टि से तो उसका पालन किया परन्तु भावना की दृष्टि से नहीं। सम्पूर्ण भारत में 20 मई के लिए चुनाव निर्धारित कर दिए गए। उसके पश्चात् पंजाब में चुनावों के लिए दिन निश्चित किया गया जो उससे एक मास पश्चात् का था। परन्तु चुनाव प्रचार के लिए अप्रत्याशित रूप से अधिक लम्बा समय दिया गया। हमने अपनी चिंता व्यक्त की थी कि चुनाव प्रचार

के लिए इतना लम्बा समय निर्धारित करना राष्ट्रीय हित में नहीं होगा और इससे समस्याएं पैदा होंगी। मुझे खेद है कि हम इस बात में सही सिद्ध हुए। उस असाधारण लम्बी अवधि में 20 से भी अधिक उम्मीदवार मारे गए और कुछ उम्मीदवार चुनाव प्रचार के लिए अपने घरों से बाहर नहीं आ सके। उस समय ऐसा वातावरण चल रहा था।

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना : जब आप राष्ट्रपति जी से मिलने गए तो 21 जून की डेट दी थी या नहीं?

श्री पवन कुमार बंसल : आपकी पार्टी के नुमाईदे जब राष्ट्रपति जी से मिलने गए तो उन्होंने उनसे क्या बात कही और उसके बाद क्या बात हुई, उसमें बहुत कुछ है और आपको मालूम ही है कि क्या होता रहा है। मैं उन बातों में इस समय नहीं जाना चाहता हूं लेकिन यह बात सच है कि उस वक्त भी कांग्रेस ने यह कहा था कि अगर आज के दिन इलेक्शन करवायेंगे तो यह राष्ट्रीय हित में नहीं होंगे क्योंकि जो माहौल इलेक्शन से पहले बना लेना चाहिए था वह नहीं बन पाया है।

श्री कालका दास : उसमें निर्णय क्या हुआ?

श्री पवन कुमार बंसल : निर्णय इस ढंग से होता रहा है, आपको मालूम ही है कि मीटिंग क्या होती रही है। बिल्कुल उसी वक्त हमने कहा था कि इलेक्शन डिलिक होने चाहिए और मीनिंगफुल ढंग से होने चाहिए। (व्यवधान)

[अनुवाद]

कांग्रेस पार्टी का यह दृष्टिकोण था। हमारे विचार से उस समय चुनाव कराना कोई विवेकपूर्ण कदम नहीं था क्योंकि आवश्यक प्रारम्भिक कार्य नहीं किया गया था और ऐसा वातावरण नहीं बनाया गया था जिसमें स्वतन्त्र और निष्पक्ष चुनाव कराए जा सकें; पंजाब के लोग मतदान केन्द्रों तक जा सकें और निडरता से अपना मतदान कर सकें। किसी भी लोकतन्त्र की सफलता के लिए यह एक अनिवार्य तत्व है।

महोदय, तत्कालीन सरकार हमारे विचारों की परवाह किए बिना चुनाव कराने पर अडिग रही और ऐसा करने में उन्होंने बचकाने दुराग्रह का परिचय दिया क्योंकि उनका यह एक निराशाजनक कार्य था। तत्कालीन सरकार जाते-जाते पंजाब में चुनाव कराने सम्बन्धी अपनी कुछ काल्पनिक सफलता की शेखी बघारना चाहती थी। जिसके परिणामस्वरूप अनेक उम्मीदवारों ने अपना जीवन गंवाया। पांच मास की इस असाधारण लम्बी अवधि के दौरान, जबकि चुनावों को अनेक बार स्थगित किया गया, यह प्रक्रिया कैसी रही, यह हम सब देख ही रहे हैं। अब जो विधेयक पुरःस्थापित किया गया है वह मेरे विचार से उस दिशा में सही कदम है। इसका अनेक कारणों से विरोध हुआ है। आज मैं खुश हूं कि खुराना जी ने वास्तव में संविधानिक मुद्दे नहीं उठाए, परन्तु विधेयक पुरःस्थापित किए जाने के समय ऐसा किया गया था। मैं उस प्रकार की बहस में पड़ना नहीं चाहता परन्तु मैं इतना अवश्य कहना चाहता हूं कि यह विधेयक पूर्णतया संविधान द्वारा संसद को दी गई शक्तियों के अध्यधीन है। जैसाकि मन्त्री महोदय ने विधेयक को सभा के विचारार्थ प्रस्तुत करते समय कहा था, यह एक पुराना उपाय है। यह इस समय चल रही असाधारण स्थिति की एक विशिष्ट प्रतिक्रिया है।

सरकार के समक्ष लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में संशोधन करने का एक विकल्प था। हमने यह नहीं किया क्योंकि वह सदैव के लिए विधान बन जाता और भविष्य में कोई भी अधिकारी या कोई प्राधिकारी किसी भी समय उस उपबन्ध का दुरुपयोग कर सकता था। हमने ऐसा नहीं होने दिया और संसद के समक्ष सरकार यह अनुरोध कर रही है कि वह इस दिशा में निर्णय लेने के लिए अपनी सामूहिक इच्छा का प्रयोग करे। इस विधेयक से संविधान के किसी भी उपबन्ध का उल्लंघन नहीं होता है। इससे राष्ट्रपति शासन लागू करने या चुनाव कराने के लिए कोई विशेष समय नियत करने जैसे किसी भी निर्णय का प्रतिवाद नहीं होता।

उद्देश्यों और कारणों के कथन में यह विशेष रूप से कहा गया है कि चुनावों को कुछ समय के लिए स्थगित किया जा रहा है और चुनाव यथासम्भव शीघ्र कराए जाएंगे। मैं भी यह मानता हूं कि हम सदा के लिए प्रतीक्षा नहीं कर सकते हैं। हम वास्तव में एक आदर्श स्थिति की प्रतीक्षा नहीं कर सकते। हम चुनावों के लिए पूर्ण सामान्य स्थिति बहाल होने की प्रतीक्षा नहीं कर सकते। नए राज्यपाल ने कार्यभार सम्भाल लिया है। स्थिति में सुधार का संकेत देने वाले कुछ कार्य हम देख रहे हैं।

आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई पर अधिक बल दिया गया है। अब तक जो उग्रवादी ग्रुप थे उनके दृष्टिकोण में भी कुछ परिवर्तन देखने में आया है और अखिल भारतीय सिख छात्र संघ द्वारा चण्डीगढ़ में की गई रैली से भी हमें शांतिपूर्ण राजनीतिक दृष्टिकोण का अनुपालन करने की उनकी इच्छा का कुछ संकेत मिलता है। हम आशा करते हैं कि नए राज्यपाल, जिन्होंने अभी-अभी राजभवन और सिविल सचिवालय सम्भाला है और जो एक अनुभवी व्यक्ति हैं, शीघ्र ही नए प्रकार की नवीनतम घटनाओं की जानकारी प्राप्त कर लेंगे और स्थिति में सुधार के लिए कुछ कदम उठाएंगे, लोगों में कुछ विश्वास पैदा करेंगे और इस प्रकार राज्य में नए सिरे से चुनाव कराने के लिए मार्ग प्रशस्त करेंगे।

मैं अब बजट प्रस्तावों के बारे में बहुत संक्षेप में बोलना चाहूंगा। पंजाब में राष्ट्रपति शासन की अत्यधिक लम्बी अवधि और अनिश्चित परिस्थितियों से राज्य की अर्थव्यवस्था पर बुरा प्रभाव पड़ा है।

मैं श्री खुराना जी का आभारी हूं जिन्होंने इस सम्बन्ध में अपना समर्थन व्यक्त किया है। यह प्रशंसा की बात है कि वहां पर अनिश्चितता की स्थिति के बावजूद देश के साठ प्रतिशत खाद्यान्न की पूर्ति पंजाब करता है। इसके बावजूद पंजाब के किसान की स्थिति संतोषजनक नहीं है। पंजाब के किसान कठिन परिश्रम और ऐड़ी चोटी का पसीना एक करना अच्छी तरह समझते हैं। उन्हें खेती के लिए लाभप्रद मूल्य दिलाने के लिए कुछ न कुछ किया जाना चाहिए।

पंजाब, थर्मल संयंत्रों के लिए आवश्यक कोयले हेतु मांगी गई कीमत अदा करता है। बिजुत के लिए राजकोष से आर्थिक सहायता दी जाती है और इसका लाभ उन राज्यों को मिलता है जहां पंजाब से उत्पन्न खाद्यान्न भेजे जाते हैं। मैं यह नहीं कहना चाहता कि मैं यह कहकर पंजाब का अनुचित पक्ष ले रहा हूं। लेकिन जब कोयले पर रायल्टी बढ़ाने की मांग की गई और इसे स्वीकृति भी दे दी गई तो मैं समझता हूं कि इस बात का कोई कारण नहीं है कि हमारे यहां ऐसी स्थिति उत्पन्न हो

जिससे पंजाब के लोग यह महसूस करें कि उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। जैसाकि हम जानते हैं कि इस प्रकार के भेदभाव से अनेक अन्य समस्याएं उत्पन्न होती हैं।

आज आप पंजाब की दुर्दशा की ओर देखिए। अलगाववादी गतिविधियों को रोकने और आतंकवाद से लड़ने के लिए, जो शत्रु पड़ोसी द्वारा छेड़ा गया एक लम्बा और अघोषित युद्ध है पंजाब को वहां स्थिति को नियन्त्रण में करने के लिए सेना भेजने हेतु कीमत चुकानी होगी। आप स्थिति की तुलना किसी ऐसे किए राज्य, जो कानून और व्यवस्था की समस्या से लड़ने के लिए केन्द्र से अर्द्धसैनिक बलों की मांग करता है, के अनुरोध के साथ नहीं कर सकते। मैं सरकार को बताना चाहता हूं कि केन्द्र को स्वयं राज्य में अर्द्धसैनिक बलों के लगाए जाने और उनके प्रबन्ध पर होने वाले व्यय को उसी प्रकार लेना चाहिए जैसाकि वह सीमाओं पर सैनिक बलों के मामले में करता है।

जिस कठिन परिस्थिति से आजकल पंजाब गुजर रहा है उसे देखते हुए राज्य को अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान करना निश्चय ही एक सशक्त मामला है। ताकि इसकी अर्थव्यवस्था युवकों के लिए आय के नए अवसर पैदा कर सके और भटके हुए युवकों को राष्ट्रीय मुख्य धारा में वापस लाया जा सके। वे आतंकवादियों के लिए भर्ती का स्रोत नहीं बनेंगे। जोत का आकार कम होने और कृषि के अपने चरम पर पहुंचने के कारण पंजाब में औद्योगिक आधार का विस्तार करना जरूरी है। मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह परामर्शदात्री केन्द्रों की स्थापना करे जहां युवकों को स्वयं रोजगार उत्पन्न करने वाली लघु इकाइयों के लिए सभी प्रकार की सहायता प्रदान की जा सके और बिना किसी प्रकार की नौकरशाही के ऋण आदि उपलब्ध कराया जा सके।

महोदय, यद्यपि पंजाब अभी तक विद्युत उत्पादन में अग्रणी रहा है किन्तु इस मोर्चे पर भी चिन्ता के लक्षण दिखाई पड़ने लगे हैं। यह आशा की जाती है कि चालू वर्ष में राज्य की विद्युत आवश्यकता 3286 मेगावाट से बढ़कर अगले पांच वर्षों में 4482 मेगावाट हो जाएगी। संसाधनों की कमी के कारण भटिंडा में गुरु नानक देव थर्मल संयंत्र और रोपड़ में थर्मल विद्युत संयंत्र के तीसरे चरण को चालू करने में देरी हुई है। आप द्वारा लगाई गई समय सीमा के कारण मैं उन परियोजनाओं के नाम नहीं बता रहा हूं। महोदय, संसाधनों की कमी के कारण अन्य विभिन्न परियोजनाओं पर कार्य बहुत धीमी गति से हो रहा है। देश के व्यापक हित में सरकार को इस मामले में पंजाब की सहायता करनी चाहिए क्योंकि पंजाब की सहायता करके देश स्वयं अपनी मदद करेगा।

महोदय, पंजाब समस्या का दीर्घावधि समाधान ढूंढने के लिए आर्थिक विकास महत्वपूर्ण है। सरकार की मुख्य दिलचस्पी युवाओं के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने में होनी चाहिए और इसलिए उनका मकसद वहां आर्थिक विकास करना होना चाहिए। अधिक नौकरियां उत्पन्न करने की आवश्यकता के बारे में मैं पहले ही कह चुका हूं। लेकिन मैं इस बात पर भी जोर देना चाहूंगा कि कुछ अधिक ही करना होगा; शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति के लिए अधिक धनराशि आवंटित करनी होगी।

अपना भाषण समाप्त करने से पूर्व मैं संक्षेप में इस तथ्य को बताना चाहूंगा कि खाद्यान्न उत्पादन के अलावा पंजाब ने राष्ट्रीय उद्देश्य के लिए जो अत्यन्त महत्वपूर्ण योगदान दिया है वह सशस्त्र सेनाओं में भर्ती है। पंजाब से बड़ी संख्या में लोग सेना में रहे हैं जिन्होंने अपने जीवन की आहुति दी, जिन्होंने इस देश को गौरव प्रदान किया। आज बड़ी संख्या में भूतपूर्व सैनिक अपने आपको पंजाब में निष्क्रिय महसूस कर रहे हैं। अतः उनके पुनर्वास के लिए कुछ न कुछ किया जाना चाहिए।

आपको वहां आतंकवाद से लड़ने के लिए उन्हें विश्वास में लेना होगा। मुझे विश्वास है कि यदि सरकार इस दिशा में कुछ ठोस उपाय करती है तो हमें सफलता अवश्य मिलेगी।

अन्त में, मैं कहना चाहूंगा कि पंजाब गुरुओं, सन्तों और पैगम्बरों की भूमि है। यह प्राचीन भारतीय इतिहास का सजीव वसीयतनामा है। पंजाब में पुरातत्व खुदाई से प्राप्त दुर्लभ वस्तुएं, नई दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय की शान हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि पंजाब को बुरी नजर लग गई है। मुझे विश्वास है कि संगठित प्रयासों के फलस्वरूप हम इस दुष्टात्मता से लड़ सकते हैं ताकि पंजाब अपना पुराना गौरव प्राप्त कर सके और यह देश इस अपराजेय समस्या पर काबू पा सके जिसका पिछले वर्षों में कोई हल नहीं निकला है।

इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

श्री चन्द्रशेखर (बलिया) : सभापति जी, पंजाब की समस्या पर सदन विचार कर रहा है। कुछ सदस्यों ने ऐसे सवाल उठाए हैं, जिनके बारे में दो शब्द मैं न कहूं, तो मैं अपने राष्ट्रीय उत्तर-दायित्व का निर्वाह नहीं कर पाऊंगा। पंजाब के बारे में मेरी राय आज से नहीं बहुत पुरानी है। मैं ऐसा मानता हूं कि पंजाब की समस्या का समाधान दमन शक्तियों के सहारे नहीं हो सकता है। मैं भी मानता हूं कि पंजाब की समस्या को समझने में और उसके समाधान को ढूंढने में प्रारम्भ से ही भयंकर भूल की गई है। मुझे दुःख इस बात का है कि वह भूल आज भी दोहराई जा रही है और मुझे दुःख है कि श्री चव्हाण जैसा एक समझा-बुझा व्यक्तित्व वाला व्यक्ति, जो राजनीति के बारे में और राष्ट्र की समस्याओं के बारे में अच्छी तरह से परिचित है, यह विधेयक लाने के लिए विवश हुआ है। विवशता इस कारण से नहीं कि उनके सामने यही विकल्प था, विवशता इस कारण से है कि चुनाव आयोग ने जिस तरह से चुनाव स्थगित किया, उसके बाद शायद सरकार के सामने कोई दूसरा रास्ता नहीं रह गया।

आज इतने दिनों के बाद मैं कहना चाहता हूं कि चुनाव के स्थगन का जो निर्णय था, वह ब्लूस्टार के बाद दूसरा सबसे भयंकर राष्ट्रीय अपराध मेरी नजर में है, जिससे हमेशा के लिए पंजाब के लोगों को देश की मुख्य धारा से तोड़ने का काम किया गया है। सभापति जी, मैं आपके जरिए इस सदन और देश को बताना चाहता हूं कि अन्तिम क्षणों तक मैंने यह कहा कि यह भयंकर भूल नहीं होनी चाहिए। बड़े से बड़े लोगों ने जो सत्ता और राज्य के उच्च पदों पर बैठे हुए हैं, इस बारे में मुझ को सलाह देने की कोशिश की, मैंने बड़ी विनम्रता से उनकी सलाह को अस्वीकार किया। 24 घण्टे में जब चुनाव होने वाले थे, तब अचानक यह निर्णय लिया गया। मुझे तो केवल समाचार-पत्रों से मालूम हुआ और उसके एक दिन पहले मैंने कहा था कि नयी सरकार बन जाने दीजिए, बहुत जल्दी ही तो उसी सरकार को 24 घण्टे पहले शपथ दिला दीजिए और वे ये निर्णय लें।

सभापति जी, मैं इस कारण नहीं कह रहा हूं, यहां अलगाववाद के सवाल को लेकर बड़ी चर्चा होती है, मैं सोचता हूं कि यह बात सही नहीं होगी कि सरकार यदि कोई कानून बनाना चाहती है या शायद कोई अध्यादेश लाना चाहती है कि जो लोग अलगाववाद की बात करेंगे उन्हें चुनाव में हिस्सा नहीं लेने दिया जाएगा। मैं समझता हूं कि यह एक आत्मघाती कदम होगा, एक बुरा कदम उठाया गया, चुनाव को स्थगित करके, दूसरा आत्मघाती कदम यह होगा। चुनाव आयोग के बारे में मुझे कुछ

नहीं कहना है। मैं और सदस्यों की बोली में बोली नहीं मिलाना चाहूंगा, लेकिन चुनाव आयोग ने जिस तरह से स्थगित किया रात को दो बजे, बिना सरकार को बताए हुए, बिना किसी को बताए हुए और उसकी जिम्मेदारी आज की सरकार को लेनी होगी और कम से कम उनका यह नैतिक कर्त्तव्य होता है कि इस जिम्मेदारी को ले, क्योंकि अगर 24 घण्टे पहले चुनाव आयोग यह साहस नहीं कर सकता था कि चुनाव स्थगित किया जाए तो अचानक यह साहस उसमें कैसे आ गया।

मैं आपसे विनम्रतापूर्वक निवेदन करूंगा कि राज्य सभा में अटल जी यहां मौजूद हैं, एक घण्टे, डेढ़ घण्टे तक अन्नादुरई ने अलगाववाद के ऊपर भाषण दिया और सारे सदन ने मौन होकर के उनकी बातों को सुना। यह बात अलग है कि हमने उनका सबका विरोध किया, यह बात अलग है कि हमने सबसे यह कहा कि उनकी यह नीति, उनके यह कार्यक्रम, उनका यह सोचना देश के हित में नहीं है, लेकिन किसी ने नहीं कहा कि अन्नादुरई को सदन से निकाल दो। किसी ने नहीं कहा कि उनकी नागरिकता के अधिकार को छीन लो। मैं जानना चाहता हूं कि किसी भी सरकार को यह अधिकार कैसे प्राप्त हो जाता है कि किसी की नागरिकता को वह छीन ले। हर सदस्य जो चुनाव लड़ता है, वह नागरिकता जो चुनाव लड़ता है, संविधान की शपथ लेता है, तो वह कहता है कि हम संविधान की मर्यादा का पालन करेंगे। हमें संविधान में विश्वास है, अगर कुछ हमारे सदस्य, जो आज सरकार में हैं, वह समझते हैं कि संविधान का उल्लंघन करना इतना बड़ा अपराध है, तो मैं जानना चाहूंगा कि संविधान की कितनी धाराओं का उल्लंघन हम आज भी कर रहे हैं। कहां गया 0 वर्षों के अन्दर लोगों को शिक्षा देने का अधिकार, कहां गया लोगों को समता का अधिकार, कहां गया हमारे देश में हरिजन और आदिवासियों के साथ समानता का व्यवहार। हमारे जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, जो नियमित अंश हैं हमारे संविधान के, उसका निरन्तर उल्लंघन होता है, लेकिन कोई प्रधान मन्त्री इस्तीफा नहीं देता, कोई गृह मन्त्री त्यागपत्र नहीं देता, किसी की नागरिकता नहीं छीनी जाती। संविधान का उल्लंघन करते हुए, संविधान की शपथ लेकर अगर हम प्रधान मन्त्री बने रह सकते हैं तो संविधान की शपथ लेकर के चुनाव भी लड़ा जा सकता है, यह एक भयंकर भूल होगी।

सभापति जी, मैं आपके जरिए गृह मन्त्री जी से निवेदन करूंगा, अब भी सोचें कि एक भूल हुई है, उस भूल को और आगे बढ़ाने की कोशिश न करें। अब भी समय है पंजाब में चुनाव कराए जाएं। अभी हमारे एक माननीय सदस्य बोल रहे थे कि अगर पंजाब को आर्थिक मदद दी जाए। आतंकवाद से लड़ना है तो आर्थिक विकास पंजाब का करना है। अगर पंजाब में आर्थिक विकास की कमी के कारण आतंकवाद हो रहा है, तो बिहार, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा में कमी का आतंकवाद पैदा हो गया होता। आज पंजाब का आर्थिक विकास होना चाहिए।

लेकिन समस्याओं के बारे में हमारा इतना ही ज्ञान है, समस्याओं के मूल में हम जाना नहीं चाहते तो सभापति महोदय, हम उनका समाधान नहीं ढूंढ़ सकते। नानक देव ने सैकड़ों साल पहले एक बार कहा था—"एक ओंकार सत नाम" वहीं पर आज हिन्दू-सिक्ख की लड़ाई हो रही है, धर्म के नाम पर हो रही है, एक दूसरे को कत्ल कर रहे हैं। इसके पीछे भावनाओं का सवाल है इसीलिए अभी अटल जी कह रहे थे कि हिन्दू सिक्ख नहीं लड़ रहे हैं, भावनाएं ऐसी फैलाई जा रही हैं। मैं अटल जी से निवेदन करूंगा कि वे गहराई से सोचें कि ये भावनाएं क्यों पैदा हो रही हैं। हिन्दू समाज जो सब को एक साथ मिला कर, एक साथ ले कर चलता था, मैंने कई बार कहा है, यहीं सदन के बाहर लिखा

हुआ है "भगवान तक पहुंचने की मंजिल एक है" बहुत से हमारे दार्शनिक तरह-तरह के रास्ते बताते हैं, लेकिन धर्म के नाम पर हमारा समाज जो बिखर रहा है, इस बारे में मैं चर्चा करूंगा।

सभापति महोदय, पंजाब समस्या के समाधान के लिए वहां के लोगों के मन को जीतना होगा। वहां के लोगों के मन में जो कुंठा है, जो परेशानी है, उसको दूर करना होगा। वहां के लोग समझते हैं कि उनके साथ न्याय नहीं हुआ है, वे समझते हैं कि उनके साथ समता का व्यवहार नहीं हुआ है, मैं नहीं कहता कि सब सच है, बहुत सी बातें शंकाओं पर भी आधारित होंगी, लेकिन यह विधेयक जो आज हम पारित कर रहे हैं, इसके जरिए हम उस शंका को बल देंगे। जो चुनाव स्थगित किया गया, उससे लोगों में शंकाएं बढ़ गई हैं। यदि गलती से सरकार ने दूसरा विधेयक या अध्यादेश पारित किया तो हमेशा के लिए पंजाब के लोगों को हम अपने से अलग कर लेंगे। हम अपने देखते-देखते इस देश को इस तरह से टूटते हुए चुपचाप न देखें। सभापति महोदय, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप अपने पद का, अपनी गरिमा का, अपनी शक्ति का, अपने सम्मान का उपयोग करें, ताकि सरकार को सद्बुद्धि आए। इस तरह दुराग्रह की सत्ता को शक्तियों के उपयोग से समाज को नहीं बदला जा सकता। लोगों के मानस को बदलने के लिए उनकी भावनाओं, उनके जज्बातों को समझना होगा। जो दिल दुखे हुए हैं, उन पर मरहम लगाने की कोशिश करनी होगी। बार-बार शक्ति और प्रभाव की बात करके हम नहीं समझते कि हम अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहे हैं, बल्कि हम अपने निकम्मेपन की, विवशता की अभिव्यक्ति कर रहे हैं। आज विवशता नहीं शक्ति के साथ लोगों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश करें तो पंजाब समस्या का समाधान निकल सकता है। मैं नहीं कहना चाहता कि देश के लिए यह चुनाव खतरनाक होता या क्या होता। किसी माननीय सदस्य ने कहा कि कोई सस्ती प्रशंसा पाने के लिए चुनाव कराए गए, लेकिन याद रखिए कि केवल पंजाब में ही नहीं, असम में भी चुनाव करने का कुछ लोगों ने विरोध किया था और उन्हीं लोगों ने विरोध किया था, जिन लोगों ने पंजाब के चुनावों को स्थगित करवाया था। लेकिन आसाम में चुनाव हुए शांति से हुए, सफलता से हुए और उसी पार्टी के लोग विजयी होकर आए। कभी बुराई नहीं होती सभापति महोदय अगर किसी समय अपनी गलती का अहसास कर के उसको मान लिया जाए और देश के सामने कहा जाए कि हमने गलती की है। अतीत की गलतियों को दोहराने से नया भविष्य नहीं बनाया जा सकता।

सभापति महोदय, आपके नेतृत्व में इस गलती को और दोहराने की शक्ति इस सरकार को नहीं देनी चाहिए, इसलिए मैं इस सदन से कहूंगा कि इस विधेयक को पारित न करें।

श्री आर्य फर्नान्डीज (मुजफ्फरपुर) : सभापति महोदय, सबसे पहले ये जो अनुदानों की मांगें सरकार ने रखी हैं, मैं इन पर 2 शब्द कहना चाहता हूं।

सभापति महोदय, इस साल के जो बजट एस्टीमेट्स हैं, उनमें यह बताया गया है कि पिछले साल जहां सरकारी राजस्व की आय 3779 करोड़ रुपए थी, वहीं इस साल 1621 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी इसमें हुई है। जो दस्तावेज हमें बांटे गए हैं, इनमें कहीं भी यह स्पष्ट नहीं कहा गया है कि यह पैसा कहां से आया है। इतना जरूर इसमें लिखा है, एनुअल फाइनांशल स्टेटमेंट में कि सरकार का जो नान टैक्स रेवेन्यू हैं, इसमें इंटरेस्ट रिसीट्स, डिवीडेंड्स प्राफिट, यह इस साल 1439 करोड़ के हैं, पिछले साल ये केवल 60 करोड़ के थे। इस साल 1439 करोड़ के है इन्टेरेस्ट रेट्स, डिवीडेंट्स एण्ड प्रोफिट्स। अब मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा कौन सा जादू हो गया कि जिससे यह रकम बढ़ गयी और इतनी भारी मात्रा में बढ़ गयी। मैंने पूरे दस्तावेजों की बारीकी से खोज की, लेकिन कहीं

भी एक वाक्य नहीं है कि कहां से यह पूंजी आ गयी और किस तरह से जहां 60 करोड़ रुपये पिछले साल के और 74 करोड़ रुपये उसके पहले साल के 1439 करोड़ रुपये पर पहुंच गए।

दूसरे, इस दस्तावेज में, जिसको वित्त मन्त्री जी ने अपने स्टेटमेंट के तौर पर रखा, यह बताया है कि रिवेन्यु अमाउण्ट पर इस साल जो खर्च होना है वह 4355 करोड़ रुपये है। 4355 करोड़ रुपए का जो खर्चा है वह पिछले साल के खर्चे से मेरे ख्याल से लगभग 1700 करोड़ रुपये अधिक है। क्योंकि पिछले साल एक्सपेंडीचर आनरिवेन्यु एकाउन्ट 2662 करोड़ रुपये था और इस साल 4355 करोड़ रुपये हैं। इसमें भी सभापति जी, मैंने खोज की है, तीन दस्तावेज हमें दिए गए हैं, कि यह पूंजी कहां खर्च हो रही है। वैसे अनेक जगहों पर उसका जिक्र है, लेकिन दो जगह पर जो उसका जिक्र है, उसको मैं आपके सामने रखना चाहता हूं।

पहला, इस बजट के एनवल फाईनेन्शियल स्टेटमेंट के 7 नम्बर पन्ने पर जहां लिखा हुआ है ऊर्जा और ऊर्जा में विद्युत। यह बताया गया है कि विद्युत पर 1377 हजार करोड़ रुपये खर्च होंगे। उसके आगे जाकर जो अनुदान की मांग सरकार ने की है उसमें खर्च करने का काम होगा। इसमें अनुदान नम्बर 12 पर यह कहा है कि 1377 करोड़ 36 लाख रुपये ऊर्जा पर हम मांग रहे हैं और वे भी नान प्लान एक्सपेंडीचर करके मांग रहे हैं। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि एक तो आप 1400 करोड़ रुपए पता नहीं कहां से जादू करके लाए, फिर 1400 करोड़ रुपए खर्च करने जा रहे हैं विद्युत विभाग में और वह भी नान प्लान पर। इसका मतलब लोगों को बांटने में है।

हस समझ नहीं पा रहे हैं कि बजट का क्या अर्थ है। 40-50 प्रतिशत पिछले साल में अधिक आय और व्यय आप दिखा रहे हैं। आय दिखा रहे हैं ब्याज के माध्यम से और व्यय दिखा रहे हैं बिजली के क्षेत्र में एक्सपेंडीचर, तनख्वाह देने के माध्यम से। हम सरकार से इसका खुलासा चाहते हैं। क्योंकि होगी इनके अपने हिसाब-किताब में कुछ छिपी हुई बात। मुझे अफसोस है कि इस बहस के लिए आपने साढ़े तीन घण्टे का समय तय किया है, गलती आपकी नहीं है, सभी लोगों ने मिलकर तय किया है, क्योंकि समय का अभाव है। इसमें पंजाब की सारी परिस्थिति की चर्चा होनी है। मुझे संतोष है कि गृह मन्त्री जी यहां पर मौजूद है। तीन रोज पहले कश्मीर की यहां पर चर्चा हुई। उस चर्चा को ऐसे जल्दबाजी में, ऐसे एक दूसरे को दबा कर हम लोगों ने एक घण्टे, डेढ़ घण्टे में खत्म करने का काम किया। गृह मन्त्री उस दिन यहां मौजूद नहीं थे, वित्त मंत्री मौजूद थे और उनके राज्य मंत्री भी मौजूद थे। बहुत परेशानी में वित्त मन्त्री जी का दिन गया, फिर भी हम इस बात को कबूल करते हैं कि वे उस हालत में भी मौजूद थे इस बहस के लिए। लेकिन मुझे बहुत अफसोस हुआ कि गृह मंत्री जी इस महत्वपूर्ण बहस के लिए यहां पर मौजूद नहीं रहे। क्योंकि राष्ट्रपति शासन या गवर्नर शासन का मतलब यह होता है कि इस सदन में गृह मन्त्री को समस्याओं को समझना चाहिए और उसका जवाब देने का काम करना चाहिए। आज ये यहां पर मौजूद हैं, इसलिए मैं संतोष व्यक्त करता हूं।

आपने अपने दस्तावेज में बताया है कि पंजाब में सवा चार सालों से 11 मई 1987 से पंजाब में यहां की विधान सभा खत्म है। इस चुनाव में वह नहीं आ पाया। जो बाद में चुनाव होने वाले थे, उन चुनाव को आपने खत्म कर दिया। अगर यह स्थिति हो और जो रुख सरकारी पार्टी ने अपनाया तो साल-डेढ़ साल बाद भी राज्य सभा में पंजाब का कोई प्रतिनिधित्व नहीं रहेगा और पंजाब का सारा काम-काज नौकरशाही और पुलिस के माध्यम से चलाने का काम होगा। मुझे एक बात को लेकर आपत्ति है कि जब पंजाब का चुनाव स्थगित करने की बात हो गई और जब यहां पर सत्र शुरू हो गया तो

सरकार की ओर से, पंजाब की ओर से, एक पार्लियामेंटरी कमेटी बनाने की बात हो गई। कंसलटेटिव कमेटी नहीं बल्कि पार्लियामेंटरी कमेटी की बात हो गई। अब कल बजट सत्र समाप्त हो रहा है और उस समय हम लोग दिल्ली में थे जो उस कमेटी के सदस्य रहे हैं। हम समझते हैं कि इस बजट को रखने से पहले जो पंजाब की कमेटी आपने बनाई है तो उस कमेटी के सामने इसको रखा गया होता तो कुछ बातचीत होती। कुछ पंजाब के बारे में या आज की इस बहस के पहले कुछ विचार-विमर्श होता। उससे सरकार का नुकसान नहीं होता बल्कि उससे कुछ फायदा हो जाता। यह बात यहां पर नहीं हो पाई है। मैं उन तमाम बातों से सहमत हूं जिसको यहां पर श्री चन्द्रशेखर जी ने रखने का काम किया। आज हम कुछ प्रश्नों का जवाब चाहते हैं। क्या यह बात सही नहीं है कि आपने बीस तारीख की रात को यह एलान करने से पहले, आप बोलेंगे कि हमने एलान किया, चीफ इलैक्शन कमिश्नर ने एलान किया, एलान के पहले 19 तारीख को सी० इ० मी० ने रेडियो और टेलीविजन से यह बात नहीं कही थी :

[अनुवाद]

चुनाव स्थगित करने के निर्णय के बारे में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। जहां तक चुनाव कराए जाने का प्रश्न है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा।

[हिन्दी]

किसी भी परिस्थिति में चुनाव स्थगित नहीं होंगे। क्या यह बात शेषन ने जो चीफ इलैक्शन कमिश्नर हैं, उन्होंने 19 तारीख को नहीं कही थी। क्या यह बात सही नहीं है कि 20 तारीख की रात को पंजाब के गवर्नर जनरल मल्होत्रा ने रेडियो-टेलीविजन पर जाकर स्वयं एक मुलाकात के समय यह नहीं कहा था कि पंजाब के लोगों की सुरक्षा का सारा इन्तजाम है और किसी प्रकार का डर न रखते हुए, बहादुरी के साथ और हिम्मत के साथ, सबको अपना वोट देना चाहिए। उसके बाद गवर्नर को उस रात को सवा तीन बजे जगाया जाता है और उन्हें कहा जाता है कि चुनाव स्थगित हैं, स्थिति बिगड़ गई है, आप खुद सोए हुए थे। चुनाव स्थगित हैं और सारा खेल खत्म है। सौ करोड़ रुपया इस पर बरबाद हो गया, यह सरकारी अधिकारियों का कहना है। मैं पंजाब के चुनाव अभियान में गया था। जब मैंने पंजाब में चुनाव अभियान किया तो हमारे साथ कोई सुरक्षा या पुलिस कोई नहीं थी। हमने मीटिंग सुबह नौ बजे शुरू की और रात को 12 बजे तक की। हमने उस दिन भी काम किया जब रेल का कांड हुआ था, जहां आतंकवादियों ने हमलाकर 35 लोगों को जान से मार दिया था। मैं उस दिन पंजाब में था और दूसरे दिन भी पंजाब में रहा। लेकिन उस दिन पंजाब में अभियान का मामला बहुत ही परेशानी में पड़ गया इसलिए कुछ काम नहीं हो पाया। हमने बकायदा दो दिन अभियान चलाया। हमने देखा कि क्या-क्या सुरक्षा का इन्तजाम है। कितनी पुलिस और कितनी मिलिटरी है। हमने सारी चीजों को देखा। चुनाव स्थगित होने के बाद देश का सौ करोड़ रुपया उस पर खर्च हो गया यानी वह पैसा बरबाद हो गया।

हम सरकार से जानना चाहेंगे कि ऐसी क्या घटना घटी, शेषन का बयान कि किसी हालत में चुनाव स्थगित नहीं होगा, गवर्नर का कहना कि सब लोग हिम्मत से जाकर वोट डालें, क्या ऐसी परिस्थितियां बनीं ! पहली बात तो यह थी कि आप चुनाव में हिस्सा नहीं ले रहे थे, दूसरी बात यह कि यहां पर आपकी सरकार बन रही थी और शपथ लेने के लिए प्रधानमंत्री के पास कुछ ही घंटे बाकी थे। किस तरह से यह सब मेल-मिलाप हुआ, यह बात सदन में सफाई से आनी चाहिए।

जब चुनाव स्थगित हो गए और गवर्नर के ऊपर दबाव डाला जाने लगा कि आप इस्तीफा नहीं देंगे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। कांग्रेस के कई भूतपूर्व सांसद और दूसरे लोग उनसे मिले। उनसे भी राज्यपाल जी ने कहा कि जो चीज हो रही है वह गलत हो रही है और मैं अपने इस्तीफे को वापस नहीं लूंगा। मैंने जनरल मल्होत्रा, तत्कालीन गवर्नर को चिट्ठी लिखी जिसमें मैंने कहा कि आपने जो फैसला लिया वह ठीक लिया, आप अपनी बात पर कायम रहें और पंजाब के लोगों के प्रति आप लोगों का जो प्यार है उसको बांटने का आपने काम किया। आपको अपने फैसले से हटना नहीं चाहिए और मजबूती से इस पर कायम रहना चाहिए। मैंने 27 जून को यह पत्र भेजा था। 7 जुलाई को उन्होंने मुझे राजभवन से चिट्ठी भेजी। उसके सब वाक्य मैं यहां नहीं पढ़ना चाहता, केवल चन्द काम की चीजें ही पढ़ूंगा।

[अनुवाद]

"पंजाब में चुनावों के सम्बन्ध में जो कुछ हुआ है उस पर विचार करते हुए मेरे पास इसके सिवाय और कोई विकल्प नहीं था कि मैं राष्ट्रपति को अपना त्याग-पत्र भेज दूं।"

मैं चाहता था कि काश हम चुनाव प्रक्रिया पूरी कर पाते।

"पंजाब समस्या का समाधान करने की दिशा में यह एक सही कदम होता।"

[हिन्दी]

जिस व्यक्ति से इतना विश्वास रखकर आपने पंजाब का उसको गवर्नर बनाया यह उनका कहना था। मैं गृह मंत्री से जानना चाहूंगा कि क्या आपने इस मामले में गवर्नर की राय ली थी, क्या किसी ने इसके बारे में आपको कहा था कि स्थिति कैसे बिगड़ी है, किसने बिगाड़ी, क्योंकि आठ-दस घण्टे में ही चीफ इलैक्शन कमिश्नर ने निर्णय ले लिया और हम सबको आश्चर्यचकित कर दिया। मैं जानना चाहूंगा कि इसमें गृह मन्त्री और सरकार की क्या भूमिका है?

कैप्टन अमरिंदर सिंह जो अकाली दल पंथिक के अध्यक्ष हैं, उन्होंने आज के "हिन्दू" में लिखा है इसको मैं चाहूंगा सरकारी पक्ष और गृह मन्त्री जी जरूर पढ़ें और इस पर ध्यान दें।

[अनुवाद]

गृह मंत्री (श्री एस० बी० चह्वाण) : आप पूरी तरह गलतफहमी में हैं। मैं आपको बता दूं कि यह मामला विधि मन्त्रालय से सम्बद्ध है न कि गृह मन्त्रालय से।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : मैंने सोचा था गृह मन्त्री पंजाब के मामले पर परेशान हैं इसलिए यहां मौजूद हैं, मैं अपने शब्द वापस लेता हूं और गम्भीरता से वापस लेता हूं। हम तो मानकर चल रहे थे कि परेशान हैं इसलिए यहां मौजूद हैं और इस पर जरूर कुछ कहेंगे। मुझे कोई आपत्ति नहीं है कानून मन्त्री जी जवाब देने का काम करें, दो-दो बैठे हैं। लेकिन मुझे आपत्ति है कि मैं आपके सामने कुछ प्रश्नों को रख रहा था···

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (लखनऊ) : शायद वह जाना चाहते हैं।

श्री एस० बी० चह्वाण : मुझे 6 बजे जाना है।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : मैं इसलिए कह रहा हूं कि इसको आप पढ़ें, क्योंकि मेरी मान्यता है कि यह चीज पंजाब की समस्याओं के साथ जुड़ी हुई है, उसको सुलझाने के लिए एक व्यक्ति ने एक बहुत ही बढ़िया ढंग से पंजाब में कैसे कदम उठाने चाहिए इस बात को इसमें लिखा है। मैं इनको पढ़ने का काम नहीं करूंगा, क्योंकि समय कम है। पंजाब में जो समस्या है वह आज जहां आ पहुंची है उसमें रास्ता निकालने की बातें होने जा रही हैं या नहीं, यह मैं नहीं कहता, लेकिन जो आज की स्थिति है उसको अगर बनाए रखने का काम करेंगे तो फिर पंजाब हमें कहां पहुंचाएगा इसको भी कहना सम्भव नहीं है। पंजाब का जो आतंकवाद है, हमने इसको नजदीक से देखा है। सरकार में हम रहते हुए भी ऐसे इलाके के हर व्यक्ति से मिले जिससे मुझे लगा कि उन लोगों की समस्याओं को हल करने की दिशा में कुछ कदम उठा सकते हैं। इसलिए अपने द्वारा किए गए अनुभव को देखकर हम कहना चाहते हैं कि पंजाब का कम से कम 50 प्रतिशत आतंकवाद वहां की पुलिस और नौकरशाह का है। मैं इस बात का गवाह कहीं भी देने के लिए तैयार हूं। एक ऐसी स्थिति वहां बना दी गई है जो वहां की पुलिस और नौकरशाह की व्यवस्था है, कि वहां ज्यों की त्यों बना रखने का काम करें। मेरे पास एक पत्र है। इस पत्र पर तीन लोगों के हस्ताक्षर हैं—श्री हंसराज मोंगिया, फ्रीडम फाईटर,/निर्मल कुमार बिजनैसमैन और गुरदीप सिंह बरार, आनरेबल लांस नायक एण्ड सूबेदार। यह पत्र गृह मन्त्री जी को निश्चित रूप से मिला होगा चूंकि ऐसे काण्ड से लाया गया है जहां दो बच्चों को—एक की उम्र 16 और दूसरे की उम्र 21 साल है – जिनको 27 दिसम्बर को मार दिया गया। यह काण्ड कुकराना बस स्टॉप का है, जो लुधियाना के पास है। बच्चों के नाम हैं—बॉबी और बिट्टू। एक है हिन्दू और दूसरा है सिक्ख। ये दो बच्चे और इनके साथ श्री सतनाम सिंह एक कार से आ रहे थे। इनकी गाड़ी पहले चैक करने में आ गई और वह नेस्ले डेयरी के पास उनको आगे फरीदकोट जाने के लिए इजाजत मिल गई। जब बस स्टॉप के पास पहुंची तो टार्च लाईट जलाकर पुलिस ने रोकने का काम किया। पुलिस ने न केवल गाड़ी रोकी बल्कि कुछ पूछताछ किए बिना ही गाड़ी पर गोली चलानी शुरू कर दी और गाड़ी के बीच में से वे लोग चिल्लाने लगे कि हम तो ईमानदार लोग हैं, हम दुकानदार हैं हमें मारो मत—करके चिल्लाए, तब उनको कहा गया कि बाहर आओ—जैसे ही गाड़ी का स्टीयरिंग छोड़ बाहर निकले, गोली चलती रही और दो बच्चे उनकी गोली से मारे गए गाड़ी के अन्दर ही···

[अनुवाद]

सभापति महोदय : इस दस्तावेज की प्रामाणिकता क्या है ?

श्री जार्ज फर्नान्डीज : मैं इसकी प्रामाणिकता सिद्ध करने के लिए तैयार हूं।

सभापति महोदय : इस दस्तावेज की प्रामाणिकता क्या है जिसमें कहा गया है कि पुलिस ने बिना किसी कारण के गाड़ी पर गोली चलायी ?

श्री जार्ज फर्नान्डीज : महोदय, यह एक शपथ-पत्र है और मैं इसे साबित करने के लिए तथा सदन* के सभा पटल पर रखने के लिए तैयार हूं।

*सभा पटल पर रखा गया नहीं माना गया देखिए दिनांक 30-9-91 का टेबिल आफिस का नोट।

[हिन्दी]

श्री आर्ज फर्नान्डीज : अब सभापति जी, बात यहां खत्म नहीं होती है। पुलिस दुष्कर्म करती है, दो निर्मम बच्चों की हत्या कर देती है और सतनाम सिंह को कहती है कि तुम हाथ और पांव पर नीचे उतरो और हमारी तरफ आ जाओ। फिर उसकी पगड़ी खींची जाती है और उस पगड़ी से उसको बांधा जाता है—इस तरह का सारा व्यवहार उनके साथ होता है और दूसरे दिन अखबारों में पुलिस की तरफ से बयान आता है :—

[अनुवाद]

"फरीदकोट जिले के कुखराना गांव में पिछली रात को आतंकवादियों ने बाबी और भरपूर सिंह अर्थात बिट्टू नाम के दो व्यक्तियों को मार दिया था।"

[हिन्दी]

यह है पुलिस और यह दो बच्चों की कहानी मात्र नहीं है। मैं ऐसे आपके सामने सैंकड़ों उदाहरण रख सकता हूं।

श्री एस० बी० चह्वाण : आपको पूरा यकीन है कि आतंकवादियों ने पुलिस की ड्रेस पहनकर यह काम नहीं किया ? आपने जांच करके सैटिसफाईड कर दिया ?

श्री आर्ज फर्नान्डीज : हमें पूरा समाधान है। हमें इस दस्तावेज पर पूरा विश्वास है, हम इस बात को कह रहे हैं।

सभापति महोदय, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर गृह मन्त्री के पास कभी समय हो तो मैं उनके सामने दर्जनों किस्सों को रखने के लिए तैयार हूं···

[अनुवाद]

सभापति महोदय : इसमें कोई शक नहीं है कि यह एक अत्यधिक गम्भीर मामला है और मुझे विश्वास है कि गृह मन्त्री इस पर पर्याप्त ध्यान दे रहे हैं।

श्री आर्ज फर्नान्डीज : महोदय, आपका धन्यवाद।

[हिन्दी]

हमारे कपूरथला के रेल कर्मचारियों में से एक को इसी तरह से पकड़ कर पुलिस ले गई थी यह कह कर कि आतंकवादी है और उसके बाद हमारे जनरल मैनेजर पुलिस से मिलने गए उनको छुड़वाने के लिए और सभापति महोदय, हम मन्त्री थे उस समय। रेल का एक जनरल मैनेजर पुलिस के पास जाता है कि यह हमारे यहां काम करने वाला ईमानदार लड़का है, इसे इस तरह से तंग मत करिए। चार लाख रुपए मांगे गए और अन्त में उसके रिश्तेदार, कहां सिंगापुर में काम करने वाले, दुनिया के और मुल्कों में काम करने वाले आकर अपनी जमीन, अपनी जायदाद, पता नहीं क्या-क्या गिरवी रख-कर जो पुलिस ने मांगे, वह पैसे देकर उसको छुड़ाकर लाए और वह आज कपूरथला में काम कर रहा

है। हम ऐसे कई किस्से यहां रखने के लिए तैयार हैं। हमें परेशानी इस बात की है कि आज जो फैसला आपने लिया है और ये जो कानून पास करना चाहते हो, चुनाव को आगे ढकेलना चाहते हो, स्थिति पर काबू पाने का काम इस कानून से नहीं होना है बल्कि यह पंजाब में स्थिति को और बिगाड़ना है। इस लिए हम इस काम का विरोध करते हैं। हम चाहते हैं कि पंजाब में तत्काल चुनाव का ऐलान होना चाहिए। आज आपने कहां हम लोगों को लाकर खड़ा कर दिया है? जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने चुनाव का स्थगन किया तो 25 सितम्बर के पहले वह चुनाव होने जरूरी थे, आज वह चुनाव नहीं हो सकते हैं। लेकिन 11 नवम्बर को जब राष्ट्रपति शासन खत्म होना है, सभापति जी, हम चाहेंगे कि सरकार की तरफ से आज इस कानून को यहां पर रखते हुए यह ऐलान होना चाहिए कि 11 नवम्बर के पहले पंजाब में चुनाव होंगे और जनता द्वारा चुनी हुई सरकार को पंजाब में बैठाने का काम इनकी तरफ से हो जाएगा। मैं कुछ दो तीन और मांगें एड कर अपनी बात समाप्त कर रहा हूं—

1. हम चाहेंगे कि जितने लोग पिछले चुनावों में उम्मीदवार थे उन सबको सिक्यूरिटी देने का काम सरकार को करना चाहिए।

2. जितने लोगों ने पिछली बार चुनाव में हिस्सा लिया था उनमें जो भी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के उम्मीदवार हैं, उन्होंने जो भी पैसा चुनाव में खर्च किया है, वह खर्च उनको वापस देने की जिम्मेदारी सरकार पर आती है और वह पैसा उनको वापस देना चाहिए। विधान सभा के उम्मीदवार हों या लोक सभा के उम्मीदवार हों, कानून में जो आपने सीमा बांधी है, अगर वह सीमा पार करके भी कुछ खर्च हुआ हो, पार्टियों की तरफ से जो खर्च हुआ है क्योंकि जो आप सीमा बांधते हैं, उम्मीदवार के लिए बांधते हैं। तो पार्टियों की ओर से जो खर्च हुआ है, वह भी आपकी तरफ से हिसाब-किताब करके उनको देने का काम होना चाहिए।

माननीय सभापति जी, इसके साथ ही हम यह भी मांग करना चाहते हैं कि पंजाब में तत्काल ये सारी जो पुलिस की हरकतें हैं, वहां जो पुलिस का आतंकवाद है, उसे बन्द करने का काम सरकार को अपने हाथ में लेना चाहिए। फिर सभापति जी, मेरी मांग है कि पंजाब के मामले के साथ जुड़े हुए अनेक मसले हैं, लेकिन श्रीमती गांधी की हत्या के बाद उन दिनों दिल्ली में जिस तरह का सिखों के साथ, स्त्री-पुरुषों और बच्चों की बड़ी मात्रा में जो हत्याएं हुई थीं, और देश के अन्य हिस्सों में जो हत्याएं हुई थीं, उसमें जो मरने वाले लोग हैं, जो आज भी मान-सम्मान के साथ और पुलिस के बन्दोबस्त के साथ देश भर में घूमने का काम करते हैं, इन लोगों के ऊपर जो मुकदमा चलाने का मामला है वह मुकदमा चलाना चाहिए और उन्हें सख्त सजा देने का काम सरकार की तरफ से इस दिशा में होना चाहिए।

5.59 म० प०

[श्री शरद दिघे पीठासीन हुए]

इसी तरह से पुलिस का मामला है। सभापति जी, मैं समाप्त कर रहा हूं और समाप्त करने के पहले मुझे अफसोस है कि गृह मन्त्री चले गए। आज तीन रोज पहले स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप की बहस जब चल रही थी, तब मैंने राजदेव सिंह की बात को यहां छेड़ा था और तब गृह मन्त्री ने हमसे कहा कि जो आपने हमसे कहा है, तो उनको तत्काल पुलिस की संरक्षण की व्यवस्था हम करने जा रहे हैं और वे हमसे आकर

मिलें। मैंने कहा था कि वे कल आकर आपसे मिलेंगे। कल वह उनसे मिल नहीं पाए, गृह मन्त्री के पास समय नहीं था राजदेव सिंह कई बार गए, लेकिन गृह मन्त्री के पास समय नहीं था।

6.00 म० प०

दूसरे दिन जब उनको समय दिया गया तो वे जाकर गृह मन्त्री से मिले। गृह मन्त्री ने उन्हें देखकर, अपना टेलीफोन उठाकर, प्राइवेट सैक्रेटरी से कहा कि पुलिस कमिश्नर को फोन करो और पंजाब में फलां-फलां को टेलीफोन करो कि राजदेव सिंह की सुरक्षा का इन्तजाम दिल्ली में और पंजाब में, दोनों जगह फौरन करें। उसके बाद, आज सुबह तक, जब मेरी अन्तिम बार राजदेव सिंह जी से बात हुई, उन्हें न तो दिल्ली में पुलिस कमिश्नर से कोई संरक्षण मिला और न पुलिस कमिश्नर से उन्हें किसी प्रकार का संदेश मिला। उन्होंने स्वयं पुलिस कमिश्नर को टेलीफोन करके पूछा। पुलिस कमिश्नर ने स्वयं उन्हें बताया कि गृह मन्त्रालय से उनके पास ऐसा कोई आदेश या संदेश नहीं आया है और जिस क्षण उन्हें आदेश मिलेंगे, उसी क्षण वे उन्हें संरक्षण देने की व्यवस्था कर देंगे। राजदेव सिंह जी ने पंजाब में भी अपने लोगों से पूछा। पंजाब से भी उन्हें इसी तरह का उत्तर मिला कि हमें किसी प्रकार का आदेश या संदेश गृह मन्त्रालय की तरफ से नहीं मिला है। गृह मन्त्री महोदय ने इसी सदन में स्वयं उस जगह पर खड़े होकर वायदा किया था कि उन्हें तत्काल संरक्षण दिया जाएगा परन्तु वह संरक्षण अभी तक उन्हें मिला नहीं है।

मैं गृह मन्त्री जी से और सरकार से मांग करता हूं कि उन्हें संरक्षण देने की व्यवस्था की जाए और पंजाब के मसले पर जो भी सहयोग विरोधी दलों की तरफ से सरकार चाहेगी, हम उस सहयोग को देने के लिए तैयार हैं, मगर चुनाव के बारे में मात्र हम यह चाहेंगे कि उनका तत्काल ऐलान हो। अगर उनका ऐलान नहीं होता है तो फिर हम इस विधेयक का पूर्णतः विरोध करेंगे।

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : सभापति महोदय, अब 6 बजने वाले हैं, सभा को निर्णय करना है कि क्या सदन की कार्यवाही 6 बजे के बाद चलेगी ? मेरा यह प्रस्ताव है। चूंकि कुछ महिला सदस्यों ने मुझसे मुलाकात की और कहा है कि महिलाओं पर अत्याचारों के मुद्दे पर चर्चा की जाए और वे चाहती हैं कि जिस विषय पर कल चर्चा होनी है उसे आगामी सत्र में लिया जाना चाहिए। ऐसी स्थिति में हम कल एक बजे अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति पर चर्चा करेंगे। उससे पूर्व हम विद्युत विधि (संशोधन) विधेयक पर चर्चा करते हैं। यदि सम्भव होगा तो हम आज पंजाब पर चर्चा को पूरा कर लेंगे। हमें 8 बजे तक बैठकर इसे पूरा करना है। यदि सभा इस प्रस्ताव पर सहमत है तो यह अच्छा होगा।

सभापति महोदय : क्या सभा इस बात पर सहमत है कि इसका समय 8 बजे तक कर दिया जाए ?

श्रीमती सुशीला गोपालन (चिरायिंकिल) : यदि हमें अवसर मिलेगा तो हम इसे स्वीकार करेंगे। ऐसा किया जाना चाहिए।

श्री रंगराजन कुमारमंगलम : यही किया जाएगा।

[हिन्दी]

डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय (मन्दसौर) : सभापति जी, अभी एक दिन हम 12.30 बजे तक बैठे, अगले दिन डेढ़ बजे तक बैठे, आज फिर आप बैठने को कह रहे हैं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : क्या सभा इस बात से सहमत है कि इसका समय 8 बजे तक बढ़ा दिया जाए ?

अनेक माननीय सदस्य : हां। (व्यवधान)

[हिन्दी]

कुमारी उमा भारती (खजुराहो) : सभापति जी, मुझे सदन को एक महत्वपूर्ण सूचना देनी है। अभी-अभी, जब मैं अपने घर में थी, एक घण्टा पूर्व, तो मुझे टेलीफोन के द्वारा सूचना मिली कि ग्रीन-पार्क और यूसुफ सराय में, उपहार सिनेमा के पास, एक 300 वर्ष पुराना हनुमान जी का मन्दिर था, डी० डी० ए० के लोग वहां पहुंचे और उन्होंने उस मन्दिर को तोड़ना शुरू कर दिया। जैसे ही यह चर्चा आसपास में फैली, वहां भीड़ जमा होनी शुरू हो गयी। मैं स्वयं वहां गयी और मैंने वहां उपस्थित भीड़ को नियन्त्रित किया, अन्यथा वहां तनाव बहुत अधिक बढ़ जाता।

सभापति महोदय, सदन में यदि सरकार का कोई प्रतिनिधि बैठा हो तो मैं कहना चाहूंगी कि एक तरफ तो हम इस तरह का विधेयक सदन में पास कर रहे हैं कि 1947 की स्थिति तक के समस्त पूजा स्थलों को सुरक्षित रखा जाएगा, दूसरी तरफ 300 साल पुराने मन्दिर को, वह भी ऐसे मन्दिर को जो उस जगह पर बना है जहां से यातायात में, आवागमन में कोई बाधा उपस्थित नहीं होती, उसे इस प्रकार से तोड़ने की कोशिश की गयी। निश्चित रूप से यदि इस पूरी घटना की जांच नहीं की गयी तो पूरे यूसुफ सराय में, पूरे ग्रीनपार्क में तनाव बढ़ जाएगा। इसके साथ-साथ सारी दिल्ली में भी तनाव बढ़ जाएगा। इसलिए मैं निवेदन करती हूं कि यहां उपस्थित जो भी सरकार के प्रतिनिधि हैं, वे तुरन्त इस बारे में पूरी सूचना हासिल करें और इस सम्बन्ध में जो भी उचित तात्कालिक कार्यवाही हो, उसे अवश्य करें।

[अनुवाद]

श्री रंगराजन कुमारमंगलम : सभापति महोदय, हम मामले को देखेंगे।

श्री कुलदीप सुल्तानपुरी (शिमला) : माननीय सभापति जी, यहां पर जो प्रस्ताव पंजाब में चुनाव के सम्बन्ध में तथा पंजाब के बजट के बारे में आया है, मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। आज पंजाब में जो उग्रवाद फैला हुआ है उसका एक कारण यह भी है कि पंजाब के जो नौजवान हैं, उनको बेरोजगारी का शिकार होना पड़ रहा है। मैं यह बात कहना चाहूंगा कि पंजाब हमारा एक बहुत अच्छा सूबा है, प्रान्त है और एक बहुत अच्छा राज्य है। वह सारे हिन्दुस्तान के लिए अनाज मुहैया करता है और वहां की जो परकैपीटा इनकम है, वह सबसे ज्यादा है, लेकिन आज पंजाब के अन्दर चुनाव स्थगित करने का प्रस्ताव हमारी सरकार की तरफ से आया है, यह बहुत उचित है

क्योंकि पंजाब में जो उम्मीदवार थे, जो चुनाव लड़ने वाले थे, हालांकि उसमें कांग्रेस पार्टी शामिल नहीं थी, लेकिन जो भी लोग उसमें शामिल थे चुनाव लड़ने के लिए, वे लोग वहां उग्रवादियों के हाथों मारे गए हैं और ऐसा लगता था कि हिमाचल प्रदेश और पंजाब की जो सीमाएं साथ लगती हैं, तो उन सीमांत इलाकों में भी जो हिमाचल के अन्दर थे, लेकिन पंजाब की सीमा पर थे, बड़ी दहशत थी। हमारे साथी खुराना साहब ने बड़ा भारी कहा कि 20 जून को वहां यह हुआ और वह हुआ और सरकार वहां बेअंतसिंह के साथ थी, वे भी इसमें शामिल हुए, लेकिन जो शर्त कांग्रेस पार्टी की तरफ से रखी गई थी कि चुनावों के समय अमन रखा जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। चुनावों में जिन उम्मीदवारों का खर्चा हुआ है और उसमें जिन-जिन उम्मीदवारों को मारा गया है, यह बहुत बड़ा अपराध है जिसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है।

सभापति महोदय, आज ये बी० जे० पी० वाले कहते हैं कि कांग्रेस ने लौंगोवाल समझौता किया, मैं तो कहता हूं कि सबसे पहले तो आपने अकाली दल से समझौता किया। जब गवर्नमेंट बनी प्रकाश सिंह बादल और हमारे बरनाला साहब मन्त्री बने, 1977 में, तो बरनाला, फिर बादल को वहां ले गए और वहां सरोपा भेंट किया गया, वह भी आपने देखा है और उस समय हिमाचल के मुख्य मन्त्री शान्ता कुमार जी थे, उनको भी सरोपा भेंट किया गया और सारे लोग जानते हैं जबकि आप हमें कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी अपने वोट बनाने के लिए इस तरह से काम करती है। मैं कहता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने पंजाब की तरक्की के लिए जितने काम किए और कोई सरकार नहीं कर सकती है। कांग्रेस पार्टी द्वारा पंजाब की उन्नति के लिए किए गए कार्य, सुनहरे शब्दों में लिखे जाएंगे। भाखड़ा नंगल डैम बना जो बहुत बड़ा डैम है और आज पंजाब में खुशहाली लाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण काम कर रहा है, उसकी बुनियाद प० जवाहर लाल नेहरू ने रखी। पंजाब में कपूरथला में एक रेलवे कोच कारखाना बनाया गया, जो बहुत बड़ा है और उसमें भारी संख्या में पंजाब के लोगों को रोजगार दिया गया। ये सब कांग्रेस पार्टी की देन है।

सभापति महोदय, बी० जे० पी० वालों ने अयोध्या को मार्च किया। मैं तो कहता हूं कि आपको पंजाब की ओर मार्च करना चाहिए था, तब आपको मालूम होता। बजाय गुजरात से अयोध्या मार्च करने के, पंजाब के अमृतसर से आपको अयोध्या के लिए मार्च करना चाहिए था। मैं समझता हूं कि हिन्दू और सिख भाई-भाई हैं, वे आपस में नहीं लड़ रहे हैं। यहां पर जो ख्यालात जाहिर किए गए कि वहां अमन नहीं है और हिन्दू सिखों में आपस में बैर है, ऐसी बात नहीं है, यह बात गलत है। पंजाब के लोग बहुत समझदार हैं, वे आपस में नहीं लड़ रहे हैं। मैं समझता हूं कि वे समझदारी से कदम उठाएंगे और हमारी सरकार चाहती है कि यह बजट आगे से पंजाब विधान सभा में ही रखा जाए और वहां की विधान सभा ही बजट पास करे, लेकिन यह तभी होगा जब वहां सामान्य हालात पैदा होंगे। सामान्य हालात पैदा करने में हमें सभी पार्टियों के सहयोग की जरूरत है। वहां पर शांति कायम करने में सी० पी० एम० वालों ने भी बहुत काम किया है और अगर सभी पार्टी के लोग पंजाब में अमन कायम करने में साथ मिल जाते, जैसे युनाइटेड फ्रण्ट बनाकर मिल गए अगर कम्युनिस्ट और सी० पी० एम० वाले साथ देते, तो शायद वहां यह बात नहीं होती, जो आज हो रही है। लेकिन आज हम पंजाब में चुनाव कराने की स्थिति में नहीं हैं। हम सरकार से चाहते हैं कि वह इस बात की जरूर घोषणा करे कि पंजाब में जल्द से जल्द चुनाव कराए जाएंगे ताकि वहां पर लोगों के प्रतिनिधियों की सरकार बन सके। लोग वहां पर शासन में आएं और अगला बजट वहां की विधान सभा पेश करे।

मेरे क्षेत्र के साथ नालागढ़, रोपड़ का क्षेत्र लगता है। मैं भारत सरकार को बताना चाहता हूं कि हमारे को 2.7 प्रतिशत बिजली की रायल्टी मिलती है। पंजाब में हिमाचल प्रदेश के लोगों का बड़ा भारी सहयोग रहा है। भांखड़ा डैम की बिजली की रायल्टी हमको कम मिलती है। जोगिन्दर नगर बिजली का जो बड़ा उद्योग बना हुआ है वहां पनबिजली योजना स्कीम है। उससे हिमाचल को कुछ नहीं मिल रहा है। जब सरकार का एग्रीमेंट हिमाचल प्रदेश सरकार के साथ हुआ था, जब हिमाचल प्रदेश बना, पंजाब बना, हरियाणा बना, उस समय यह तय हुआ था कि हिमाचल प्रदेश को 7.19 करोड़ की बिजली की रायल्टी दी जाएगी। इस तरह से हिमाचल प्रदेश का बहुत सा पैसा भारत सरकार की तरफ से पंजाब की तरफ रहता है। मैं मांग करना चाहूंगा कि उस पैसे को हमें दिया जाए। हिमाचल प्रदेश के लोगों की आर्थिक स्थिति इसी वजह से कमजोर है। हिमाचल प्रदेश में जितनी बड़ी-बड़ी पनबिजली योजनाएं बनाई हैं, तुम्हारी सरकार जो अयोध्या के नाम से जीती है वह बड़े-बड़े पूंजीपतियों के साथ सुलह कर रही है और हिमाचल प्रदेश के बिजली उद्योग को बेचा जा रहा है। जितने भी दरिया निकलते हैं उनमें 20 हजार मेगावाट बिजली पैदा करने की क्षमता है। उसे यदि एक्सपैंड किया जाएगा तो वहां के लोगों को बड़ा लाभ पहुंचेगा। वहां पर जितना भी काम आज तक हुआ है वह हिमाचल प्रदेश की वजह से हुआ है। हिमाचल के लोगों को सारी मुसीबत उठानी पड़ती है। जब हिमाचल में अधिक मात्रा में बारिश होती है तो पंजाब में अपने आप फ्लड आ जाता है और पंजाब के लोग बेघर हो जाते हैं।

हरिजनों, आदिवासियों के लिए पंजाब के बजट में जो प्रावधान किया है उसे बढ़ाया जाए। वहां की सर्विस में उनके बैकलॉग को पूरा किया जाए। वहां के लोगों को सुरक्षा प्रदान की जाए। इसके साथ-साथ पाकिस्तान से जो ट्रेनिंग के लिए आते हैं उन पर खास निगरानी होनी चाहिए। पंजाब तो छोटा-सा पंजाबू है। मैं जिस इलाके से चुनकर आता हूं वह भी पंजाब में था लेकिन पंजाब को खराब करने के लिए जो लोग उग्रवादिता फैला रहे हैं उनको माफ नहीं किया जाना चाहिए। जो देशद्रोही हैं उनसे किसी प्रकार की हमदर्दी नहीं दिखानी चाहिए। पंजाब को यदि इकट्ठा रखना है, पंजाब में यदि चुनाव करवाने हैं तो सबको मिलकर इस देश की एकता, अखण्डता को कायम करने के लिए पंजाब में टाइम बाऊंड प्रोग्राम बनाना चाहिए और उसके अनुसार चुनाव करवाने चाहिएं। मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि पंजाब में जैसे ही हालात सुधरेंगे वहां चुनाव करवाए जाएं।

हमारे एक माननीय सदस्य ने इस बात का उल्लेख किया कि वहां के अफसर बहुत नालायक हैं, वह पंजाब में काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन मैं उन बहादुर अफसरान को मुबारकबाद देना चाहता हूं इस हाउस की तरफ से और अपनी तरफ से। पंजाब में जो आदमी आज काम कर रहे हैं, सब अच्छी तरह से इस बात को जानते हैं कि वे वहां किस मुसीबत में काम कर रहे हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि उनकी सुरक्षा का पूरा इन्तजाम होना चाहिए। उनके ऊपर किसी तरह की टिप्पणी हमारी ओर से नहीं होनी चाहिए।

अन्त में मैं इस बजट का समर्थन करता हूं। चुनाव को रद्द करने का जो प्रपोजल हमारे लॉ मिनिस्टर ने रखा है, उसका समर्थन करता हूं। मैं आशा करता हूं कि पंजाब के लोग जल्दी ही चुनावों में भाग लेंगे और इस देश की एकता और अखण्डता के लिए जिस तरह वे लड़ रहे हैं उसको और आगे बढ़ाने का प्रयत्न करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आपको धन्यवाद देता हूं।

[अनुवाद]

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : सभापति महोदय, चर्चा के अधीन विधेयकों में से एक विधेयक पंजाब में आम चुनावों की अधिसूचना के रद्द किए जाने के बारे में है। सच कहा जाए तो पंजाब में चुनाव काफी पहले हो जाने चाहिए थे परन्तु केन्द्र में उत्तरोत्तर सरकारों की निष्क्रियता के कारण चुनाव नहीं हुआ। गत समय में जनता ने अनेक बार इस बात के पर्याप्त संकेत दिए थे कि वे पंजाब में लोकतान्त्रिक प्रक्रिया बहाल करने के पक्ष में हैं। उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया था कि वे आतंकवाद के खिलाफ हैं, वे उन ताकतों के विरुद्ध हैं जो पंजाब को अस्थिर बनाने का प्रयास कर रही हैं। वे उन बुरी ताकतों के खिलाफ हैं जो निर्दोष लोगों की हत्या कर रहे हैं, जो पंजाब में महिलाओं की इज्जत लूट रहे हैं जो धन लूट रहे हैं और तथाकथित राजनैतिक उद्देश्य के नाम पर अपने मस्तिष्क में उपजे समाज विरोधी क्रियाकलापों में लगे हुए हैं। विगत में अनेक बार ऐसी स्थितियां आईं जबकि हम पंजाब समस्या के समाधान के समीप पहुंच गए। मैं उसे भुला नहीं सकता। ब्लू स्टार आपरेशन के पश्चात् सरकार ने अकाली दल के तत्कालीन नेता, श्री लौंगोवाल के साथ एक समझौता किया था। राजीव-लौंगोवाल समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। उस समझौते के आधार पर चुनाव कराए गए थे। आतंकवादियों ने चुनाव का बहिष्कार करने की घोषणा की थी। परन्तु जनता ने भारी संख्या में चुनावों में भाग लिया और आतंकवादियों के पृथकतावादी कार्यों के खिलाफ स्पष्ट जनमत दिया। इस बार भी हम ऐसे अवसर को प्राप्त नहीं कर सके। इस प्रकार से जो लोकतांत्रिक सरकार बनी थी उसने कुछ उपाय किए थे। उस सरकार ने स्वर्ण मन्दिर को उग्रवादियों के कब्जे से मुक्त कराने के लिए मन्दिर में पुलिस भेजी थी। उस राज्य सरकार को केन्द्रीय सरकार से अपरिष्कृत व्यवहार मिला था। केन्द्रीय सरकार ने उस राज्य सरकार को भंग कर दिया था। उदारवादी अकालियों को केन्द्रीय सरकार अथवा सरकार की पार्टी से कोई प्रोत्साहन नहीं मिला। विगत में अनेक बार ऐसे अवसर आए और हमने स्वयं ही उन्हें गंवा दिया। इस बात में कोई शक नहीं है कि पंजाब में चुनाव कराए जाने चाहिए। परन्तु हम सभी और सभी राजनैतिक दल इस सदन में और इससे बाहर मौखिक रूप से यह बात करते रहते हैं कि पंजाब समस्या किसी पार्टी की समस्या नहीं है। इसे दलगत राजनीति से ऊपर समझा जाना चाहिए। परन्तु हम अभी भी इस बात पर आम सहमति कायम नहीं कर पाए हैं कि लोगों के मनों में विश्वास कैसे उत्पन्न किया जाए, आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए जनता में विरोध करने की भावना कैसे विकसित करें वहां के प्रशासन को दुरुस्त कैसे बनाया जाए जिस पर कि सब कुछ निर्भर करता है। मैं अत्यधिक दुःख के साथ कहता हूं कि आज हम पंजाब में चुनावों की अधिसूचना के रद्दकरण से सम्बन्धित विधेयक पर चर्चा कर रहे हैं परन्तु जब पंजाब में चुनाव कराने का निर्णय लिया गया था तो यह ईमानदारी से नहीं लिया गया था। जो लोग पंजाब में लड़ रहे हैं, जो अपने को न्योछावर कर रहे हैं, जो अपना खून बहा रहे हैं, उन्हें विश्वास में नहीं लिया गया था।

मैं जानता हूं कि हमारे दल ने पंजाब में इस प्रकार से चुनाव कराए जाने का विरोध किया था। हमने सुझाव दिया था कि कुछ सकारात्मक उपाय, जैसे पंजाब समझौते के कुछ उपबन्धों को लागू करना, किए जाने चाहिए। चण्डीगढ़ पंजाब को दिया जाए। सीमा विवाद का समाधान किया जाए। उसके लिए एक आयोग का गठन किया जाना चाहिए। हमने सुझाव दिया था कि नदी के पानी सम्बन्धी विवाद को निर्णय के लिए उच्चतम न्यायालय को प्रेषित किया जाना चाहिए। हमने यह भी कहा था कि उन अपराधियों के खिलाफ कार्यवाही की जानी चाहिए जो दिल्ली के दंगे कराने के लिए दोषी थे। दो सिखों के अपराध के लिए दिल्ली और अन्य स्थानों पर तीन हजार सिखों की निर्मम हत्या कर दी

गई थी परन्तु कुछ नहीं हुआ। यदि हम इस प्रकार के उपाय नहीं करेंगे तो हम पंजाब में शान्तिपूर्ण चुनाव कैसे करा सकते हैं? इसका उत्तर श्री चन्द्र शेखर जी द्वारा दिया जाना चाहिए, जिन्होंने इस चर्चा में भाग लिया था। यह समाजवादी जनता पार्टी की समस्या नहीं थी, यह कांग्रेस पार्टी अथवा सी० पी० आई० (एम०) अथवा भारतीय जनता पार्टी की समस्या नहीं है, यह सभी राष्ट्रवादी, देशभक्त दलों की समस्या है। हम सभी एक साथ मिलकर चुनाव कराए जाने के बारे में एक समान विचार व्यक्त क्यों नहीं करते? यह दो महीने पहले अथवा दो महीने बाद हो सकता है, इसकी क्या चिन्ता है? यह पंजाब की एक अत्यधिक गम्भीर स्थिति है। क्यों न वे सभी ताकतें एक साथ मिलकर कार्य करें जो भारत समर्थक हैं, तोड़फोड़ विरोधी हैं, और जो पृथकतावादियों के खिलाफ हैं?

मुझे इस बात पर अत्यधिक दुःख है कि इस देश में वे दल अपने को लोकतन्त्रवादी बताने का प्रयास कर रहे हैं जिनका एक भी कार्यकर्ता पंजाब में मारा नहीं गया है। हम जानते हैं कि हमारे कार्यकर्ता वहां जाते हैं। 26 जनवरी को अमृतसर में उग्रवादियों द्वारा बन्द की घोषणा के बावजूद भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने लोगों को एकजुट करने का प्रयास किया था। वहां पांच हजार लोग एकत्रित हुए। जो व्यक्ति वहां आए थे उनकी सुरक्षा के लिए एक भी पुलिस वाला वहां नहीं था। हमारे लोगों ने ही अपनी सुरक्षा की व्यवस्था की थी। ये वे लोग हैं जिन्हें विश्वास में लिया जाना चाहिए था।

पंजाब समस्या किसी एक दल की समस्या नहीं है। वहां चुनाव कराए जाएं। मैं अधिसूचना के रद्दकरण का विरोध नहीं कर रहा हूं परन्तु पंजाब की जनता के प्रति ईमानदारी के नाते हमें इसके साथ-साथ चुनाव की दूसरी तारीख की घोषणा करनी चाहिए। चुनाव कब होंगे यह सरकार की जिम्मेदारी होनी चाहिए।

वह बहुत आवश्यक है। अन्यथा लोग यह समझेंगे कि हम पंजाब के लोगों को लोकतांत्रिक अधिकार देने के विरुद्ध हैं। ऐसा नहीं है। मेरे मस्तिष्क में यह बात बिलकुल स्पष्ट है कि हम पंजाब की समस्या को केवल प्रशासनिक उपायों द्वारा ही हल नहीं कर सकते हैं। हमें इसके बारे में पूरा विश्वास है। प्रशासन के नवीकरण के लिए हमें कुछ उपाय करने होंगे।

श्री जार्ज फर्नान्डीज ने कुछ चीजों का उल्लेख किया है। मेरे पास भी उसकी एक कॉपी है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि अर्द्धसैनिक बल एक सराहनीय कार्य कर रहे हैं। वे एक कठिन स्थिति से गुजर रहे हैं। लेकिन इनमें कुछ गद्दार भी हो सकते हैं जिनके कुछ निहित स्वार्थ हैं। इनकी उग्रवादियों से सांठ-गांठ हो सकती है जो लोगों से धन एंठते हैं तथा उनकी हत्या करते हैं। इस प्रकार उनको पैसा मिल रहा है। मैं नहीं जानता, पर ऐसा हो सकता है। यदि हम ज्यादती के बारे में अपनी आवाज उठाते हैं तो इसका मतलब सम्पूर्ण पुलिस बल या अर्द्धसैनिक बलों की, जो वहां तैनात हैं, निन्दा करना नहीं है। इसका आशय सिर्फ विश्व को यह दिखाना है कि यहां जो भी किया जा रहा है वह एक उद्देश्य से किया जा रहा है न कि लोगों को हानि पहुंचाने के उद्देश्य से। यदि कुछ ज्यादती भी की गई हो तो उनके विरुद्ध कार्यवाही भी की जा रही है। यह बहुत आवश्यक है।

अभी हमारे पास कुछ वक्त है। ग्यारह नवम्बर को राष्ट्रपति शासन समाप्त हो जाएगा। इसलिए हमें एक साथ बैठकर इसका समाधान ढूंढना होगा। मेरे कहने का तात्पर्य है कि सभी राजनीतिक दलों को इस बारे में चर्चा करनी चाहिए। क्या इस अवधि के अन्दर चुनाव हो सकता है? सवाल इस बात

का है। हमें इस कार्य को बहुत लग्न से करना होगा। प्रत्येक राजनीतिक दलों को ऐसा करना चाहिए। मैं नहीं चाहता कि किसी भी व्यक्ति को पंजाब के चुनाव से अलग रखा जाए। यदि ऐसा होता है तो हमें एक या दो स्थान अधिक मिल सकते हैं लेकिन, जहां तक पंजाब में चुनाव का प्रश्न है तो मैं चाहता हूं कि कांग्रेस दल को भी इसमें भाग लेना चाहिए। वह सत्ताधारी दल है। वे चुनाव में क्यों नहीं भाग लेते हैं ? मैं इसका विरोध कर सकता हूं। यदि मैं छोटी और दलगत प्रवृति को अपने मन में रखकर ऐसा करता हूं, क्योंकि वे चुनाव में भाग नहीं ले रहे हैं, तो हमें दो स्थान और ज्यादा मिल जाएगा, लेकिन यह पंजाब के लिए उचित नहीं होगा। हमें एक साथ बैठना होगा। पंजाब में आज यही स्थिति है।

पंजाब में इन सभी कठिनाईयों का सामना करने के बावजूद भी वहां के लोग धर्म-निरपेक्ष हैं। वे लोग साम्प्रदायिक आधार पर एक दूसरे से नहीं लड रहे हैं। वे लोग आर्थिक कार्य भी कर रहे हैं। हमें ज्ञात हुआ है कि पिछले वर्ष की तुलना में खाद्य उत्पादन इस बार काफी अधिक हुआ है। खाद्य उत्पादन में वृद्धि हुई है। पंजाब में जनजीवन को रोकने के सभी प्रयासों के बावजूद वहां जनजीवन चल रहा है। यही हमारे प्रेरणा का स्रोत है। जब हमें यह पता चलता है कि आतंकवादियों ने किसी विशेष घर पर हमला किया और उनका मुकाबला किया गया तो हमें गर्व का अनुभव होता है। लेकिन, इन सभी मुकाबलों को उचित तरीके से प्रकाश में नहीं लाया जाता है।

दो या तीन दिन पूर्व पंजाब से करीब दस हजार लोग दिल्ली आए। आदमी, औरत और बच्चे सभी आए थे। वे पंजाब में शीघ्र चुनाव की मांग कर रहे थे। आप समझ सकते हैं कि ये लोग जो दिल्ली आकर पंजाब में चुनाव और शांति को बहाल करने की मांग कर रहे थे वे किस तरह के खतरे का सामना कर रहे हैं। वे आतंकवाद के विरुद्ध अपना विरोध प्रकट कर रहे हैं। इन सभी खतरों के बावजूद भी वे यहां आए। लेकिन हमारा प्रचार माध्यम इसे प्रकाश में लाने में असफल रहा है।

हमारे इलेक्ट्रानिक प्रचार माध्यमों की क्या भूमिका है ? हम हर समय राजनीति करते रहते हैं। क्योंकि एक विशेष दल इन लोगों को यहां लाया था, अतः उन्हें नहीं दिखाया जाना चाहिए—यही हमारी प्रवृति है। इस तरह की प्रवृति ने हमेशा हमारा नुकसान किया है तथा भविष्य में भी करेगा।

मैं सभा का ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता हूं। पंजाब में हमारे देश की एकता और अखण्डता को खतरा है। पंजाब में सामान्य स्थिति बहाल करने में चुनाव एक सहायक कारक है तथा वह उन बलों को तथा उन्हें, जो देश की एकता और अखण्डता में सहायक हैं, उसे मजबूती प्रदान करेगा। यदि ऐसा है, तो हमें लोगों का विश्वास पुनः बहाल करने के लिए कुछ प्रभावी कदम उठाने होंगे। गैर-जिम्मेदारीपूर्ण ढंग से कार्य करते समय, चुनाव के लिए प्रारम्भिक तैयारी किए बिना, चुनाव की तिथि की घोषणा करते समय, चुनाव का सामना करने के लिए देशभक्त ताकतों को एकजुट किए बिना, यह कहने से अधिक हानिकारक और कुछ नहीं हो सकता कि आप एक महान लोकतंत्रवादी हैं। लेकिन हम इसे और अधिक आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। हमारे पास वक्त है। कृपया इस दिशा में कदम उठायें तथा चुनाव की तिथि की घोषणा करें और प्रत्येक व्यक्ति को एकजुट कर उन्हें इसके लिए प्रेरित करें जिससे कि हम उन षडयन्त्रकारियों को जबरदस्त झटका दे सकें जो भारत से पंजाब को अलग करने का सपना देख रहा है। इन शब्दों के साथ ही मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

प्रो० प्रेम धूमल (हमीरपुर) : सभापति महोदय, दो विषयों पर बात चल रही है, एक बजट

का मामला जो इतना महत्वपूर्ण नहीं लगता, जितना पंजाब में जो राजनीतिक प्रक्रिया है। उसके सम्बन्ध में सरकार की ढुलमुल नीति है चुनाव रद्द करके परिस्थिति को और उलझाया जा रहा है। अनेकों उम्मीदवार जो लोक सभा और विधान सभा के लिए चुनाव लड़ रहे थे उनकी हत्याएं हुईं और जो अब भी उम्मीदवार हैं, इसका मामला अभी राजदेव सिंह हमारे साथ नवीं लोक सभा में सांसद थे, उनकी सुरक्षा विदड्रा कर ली गई और इस सदन में बार-बार यह मामला उठाने के बावजूद, अभी तक उनको सुरक्षा नहीं दी गई है।

मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि आप उन परिवारों को क्या उत्तर देंगे, जिनके लोग चुनाव में उम्मीदवार थे और वे मारे गए। जिन उम्मीदवारों ने धन व्यय किया, चुनाव प्रचार में और वोट पड़ने से कुछ घंटे पहले आपने अपनी पार्टी के हित को सर्वोपरि मानकर पंजाब में चुनाव रद्द कर दिए, क्योंकि किन्हीं कारणों से आपकी पार्टी ने गलत निर्णय लिए थे कि आप पंजाब के चुनाव में भाग नहीं लेंगे और जब आपकी सरकार दिल्ली में सत्ता में आने लगी तो आपने चुनाव को ही रद्द कर दिया। आपने कहा कि जब कंडीशंस कंडयुसिव हो जाएंगे, तो उसको आप डिफाइन करेंगे ? उस समय की कंडीशन आप कब मानेंगे कि पंजाब में चुनाव हो सकें।

सभापति महोदय, मैं याद दिलाना चाहता हूं सरकार को भी, आपके द्वारा, कि अमृतसर, जालंधर और लुधियाना, ये तीन जो बड़े प्रमुख शहर पंजाब के है वहां पर नगरपालिका के चुनाव इन्हीं गर्मियों में मई के महीने में हुए थे। नगरपालिका के चुनाव हो सकते हैं, कारपोरेशन के, निगम के चुनाव हो सकते थे तो फिर विधान सभा और लोक सभा के लिए क्यों नहीं हो सकते हैं। इसलिए मैं फिर आपसे यह प्रार्थना करूंगा कि कृपया आप इस बात को निश्चित मानिए कि हमारी पार्टी का समर्थन तभी आपके इस प्रस्ताव को मिल सकेगा, यदि आप एक निश्चित डेट की यहां पर घोषणा करेंगे कि इस तिथि को आप पंजाब में चुनाव कराए जायेंगे। जैसे माननीय सदस्य सैफुद्दीन साहब ने कहा, अब फिर 11 नवम्बर को राष्ट्रपति राज खत्म हो रहा है और हर बार जब पंजाब में राष्ट्रपति राज को बढ़ाने के लिए इस लोक सभा में प्रस्ताव आता था, तो हमेशा कहा जाता था कि आखिरी बार बढ़ा दो, आगे से चुनाव हो जाएंगे, लोकतांत्रिक प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और जब आप इस तरफ बैठा करते थे, तब तो आप बड़ी जोर से पूछते थे कि पंजाब में कब चुनाव होंगे और जब आपको मौका मिला तो आप मैदान छोड़कर भाग गए। इसलिए कृपया आप पंजाब के चुनाव के बारे में एक निश्चित तारीख की घोषणा करिए, तभी हम आपके इस बिल को समर्थन देंगे आप पंजाब में चुनाव रद्द करके क्या संकेत लोगों को देना चाहते हैं। आपने कहा कि :

[अनुवाद]

"यह केवल अभी की बात है। इस पर कौन विश्वास करेगा ? जब कभी भी पंजाब में राष्ट्रपति शासन बढ़ाया जाता है, तो यह हमेशा कहा जाता, 'यह केवल अभी की बात है, अगली बार राज्य में लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार होगी।'

[हिन्दी]

और फिर 6 महीने के बाद मुंह लटकाए हुए गृह मन्त्री आ जाते हैं कि 6 महीने के लिए और राष्ट्रपति का राज बढ़ा दो, इसलिए आपकी बात पर कोई विश्वास नहीं करेगा और इस कारण से नहीं करेगा कि आज जो आप पंजाब में कर रहे हैं, अगर यह एक गलत उदाहरण हम मध्य और कल

को आप सत्ता में रहें न रहें, दूसरी पार्टी के लोग सत्ता में आएं, जब चाहे कह देंगे कि किसी स्टेट में सुटेबल कंडीशंस नहीं हैं, परिस्थितियां अनुकूल नहीं हैं तो चुनाव को टालने की वह पार्टी कोशिश कर सकती है। इसलिए भी आप जो बिल लाए हैं उससे बैड उदाहरण कायम होगा। इसलिए उचित यही होगा कि आप पंजाब के बारे में एक निश्चित कार्यक्रम दें।

सभापति महोदय, अभी जार्ज साहब ने भी कहा, मैं भी कहना चाहता हूं कि जून में जो पंजाब में चुनाव होने थे, उसके लिए 100 करोड़ रुपए खर्च हुए, जो आंकड़े प्राप्त हुए हैं, उनके अनुसार। जून में चुनाव होने थे और चुनाव प्रक्रिया शुरू कराने के लिए देशभर से अर्द्धसैनिक बल वहां लाए गए, क्योंकि सारे देश में चुनाव पूरे हो चुके थे, उन सैनिक बलों को लाने में बहुत खर्चा हुआ। सारे वोटर्स को सुरक्षा देने का प्रबन्ध किया गया था। इस पर कितना पैसा खर्च हुआ, क्या इसका कोई हिसाब रखा गया है।

एक और महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूं। पंजाब में मिलिटेंट एक्टीविटीज और दूसरे जो अपराध हैं, उनमें अन्तर करिए। गृह मन्त्री जी यहां नहीं हैं, कानून मन्त्री जी हैं, मैं चाहूंगा कि आप उनको कहें कि पंजाब में पिछले कुछ वर्ष का क्राइम्स का रिकार्ड देखिए। वहां एक अंधा खाता खुला हुआ है, जो कोई क्राइम होता है, जुर्म होता है, उस सब को मिलिटेंट के खाते में डाल दिया जाता है। पंजाब में झगड़े पहले भी होते थे, मर्डर होते थे, जमीन-जायदाद के झगड़ों में मर्डर होते थे, आज हर क्राइम को मिलिटेंट के खाते में डाल दिया जाता है और उसकी आगे कोई जांच पड़ताल नहीं होती, जो ऐसे मामलों में होनी चाहिए, वह इन्क्वारी नहीं होती। इसलिए दोनों तरह के अलग-अलग जो अपराध हो रहे हैं, उनका हिसाब करिए, उनकी जांच करवाइए और जैसे बहुत से मामलों में दोष लगाया जाता है कि पुलिस उनमें सम्मिलित है, उसके कारण ऐसा होता है, अफसर-शाही पर इलजाम है कि वहां पर एक तरह की मौज लगी हुई है। यह बात सही है कि बड़ी विकट परिस्थितियों में लोग वहां काम कर रहे हैं, यह मैं मानता हूं, लेकिन भ्रष्टाचार भी बहुत दबाकर हो रहा है और उस भ्रष्टाचार के कारण भी कुछ वेस्टेड इन्टरेस्ट के लोग हैं जो चाहते हैं कि वहां चुनाव न हों। इस बात को भी आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि अल्टीमेटली, अन्ततः लोगों के प्रति उत्तरदायित्व ब्यूरोक्रेसी का नहीं है।

एक बात और आपके ध्यान में लाना चाहता हूं। पंजाब में लघु उद्योगों का आतंकवाद को रोकने में बहुत योगदान है। इनमें लोगों को रोजगार मिलता है, लेकिन आज उनमें आर्थिक संकट है। बाहर से माल उधार नहीं मिलता, नकद माल खरीदना होता है और उधार पर माल भेजना होता है। इसलिए लघु उद्योगों को अधिक सुविधाएं दी जानी चाहिए। सीमा पर जो 3 जिले हैं, फीरोजपुर, गुरदासपुर और अमृतसर, वहां पर तो लघु उद्योगों को विशेष सुविधाएं दीजिए, ये सुविधाएं जालंधर और लुधियाना में भी मिलनी चाहिए, क्योंकि अब उग्रवाद से पंजाब का कोई हिस्सा अछूता नहीं रहा है, इसलिए सारे प्रदेश में स्माल-स्केल इण्डस्ट्रीज को विशेष सुविधाएं उपलब्ध करवाएं।

एक बात मैं बार-बार कहता रहा हूं, आज फिर उसको दोहराना चाहूंगा। पंजाब, हरियाणा और हिमाचल तथा जम्मू का नौजवान शस्त्र को प्यार करता है। इतिहास उठा कर देख लीजिए। सर्वाधिक लोग पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और जम्मू के हैं, जो फौज में भर्ती होते हैं। आपने एक नियम बनाया कि प्रदेशों की जनसंख्या के आधार पर भर्ती होगी। इस कारण इन छोटे प्रदेशों में भर्ती बहुत कम हो गई। फौज में भर्ती कम हुई, अर्द्धसैनिक बलों में भर्ती कम हुई और इस कारण वहां बेरोजगारी बढ़ी। जो हथियार से प्यार करते थे, उनको अमर देश की रक्षा के लिए आप हथियार नहीं

देंगे तो कोई और शक्तियां उनको गलत काम करने के लिए हथियार दे देती हैं, इससे समस्या और बढ़ गई है। मेरा सुझाव है कि आप बजट में यह प्रावधान करिए कि पंजाब से सेना में और अर्द्धसैनिक बलों में पूर्वानुसार भर्ती की जाएगी, नहीं तो टेररिस्ट पैसा देकर भर्ती कर रहे हैं। आप 1000 रुपया तन्ख्वाह देते हैं, टेररिस्ट 5000 की बात करते हैं और भर्ती करते हैं। अगर आप उनको अर्ध-सैनिक बलों और सेना में भर्ती करोगे तो वे लोग हथियार दुश्मन के खिलाफ चलायेंगे। अगर आप उनकी अकांक्षाओं को समझेंगे नहीं तो फिर वे हथियार वहां से लेकर आपके खिलाफ चलायेंगे। इसलिए सबसे जरूरी जो बात है पंजाब में उद्योग के लिए और दूसरी बातों के अलावा बहुत बड़ी जो बात है, पंजाबी में एक गाना भी है "भर्ती हो जाना टुकड़े नहीं खटने" इसका मतलब है हर कोई जो बच्चा स्कूल में पढ़ता है वह सोचता है कि अल्टीमेटली मुझे फौज में जाना है। जब आपने वहां उनकी संख्या कम की है, पंजाब में उग्रवाद और बढ़ा है।

अन्त में, मैं यही कहूंगा कि एक सिल्वर लाईनिंग है, जिसका पहले भी जिक्र हुआ, वहां कोई साम्प्रदायिक तनाव नहीं है, साम्प्रदायिक झगड़ा नहीं है, हिन्दू और सिख का सवाल पैदा नहीं हो सकता, हालांकि कहीं हो गया, प्रयत्न हुआ कई बार, फिर भी वहां पर अगर एकता है, सद्भाव है तो उसका लाभ उठाइये और उसको ठीक चैनेलाइज करिए। हर राजनीतिक दल के कार्यकर्ता वहां मर रहे हैं। जो लोग देश की लड़ाई लड़ रहे हैं, जो देश के हक की बात करते हैं उनके खिलाफ उग्रवाद की तरफ से हमला होता है। लेकिन फिर भी वे शक्तियां बहुमत में हैं जो आज देश के लिए काम करने के लिए तैयार हैं। मेरा सुझाव रहेगा कि पंजाब के नौजवानों को सेना और अर्ध-सैनिक बलों में भर्ती करिए। साथ ही साथ, मन्त्री महोदय, अगर आप चाहते हैं कि आपका बिल पास हो और चुनाव वाली घोषणा रद्द हो तो साथ में डेट अनाउंस जरूर कीजिए कि अगले चुनाव कब होंगे। धन्यवाद।

6.42 अ० प०

श्री भोगेन्द्र झा (मधुबनी) : सभापति महोदय, पंजाब की समस्या पर हम पहले भी बात कर चुके हैं। अभी एक विधेयक पिछले चुनाव को रद्द करने के लिए है और साथ ही बजट भी लाया गया है। सभापति जी, पंजाब की स्थिति, इस चुनाव को रद्द करने पर हम आए हैं, हमने उस दिन इसका समर्थन किया था, पेश करने के समय। क्योंकि कोई दूसरा चारा नहीं था। लेकिन सभापति जी, जनतंत्र में बहुत खासियां हैं। मगर एक यह खूबी है कि जनतांत्रिक प्रणाली खुद कई रोगों का इलाज है। हम लोग कम्युनिस्ट पार्टी के गैर-कानूनी हालत में सोच नहीं सकते थे कि पूंजीवादी व्यवस्था में हम चुनाव में हिस्सा भी लेंगे। अगर कोई बात करते थे तो पार्टी के भीतर उनके प्रति बहुत कठोर शब्दों का प्रयोग होता था। लेकिन जनतांत्रिक प्रणाली में हम पड़े तो 1952 में गैर-कानूनी हालत में रह कर, छिपे हुए रह कर, रवि नारायण रेड्डी चार स्थानों से जीते थे, जिनका हाल ही में निधन हुआ है। फिर हम इस व्यवस्था के अन्दर अपने सिद्धान्तों के लिए लड़ते हैं। इसलिए यह चर्चा, कि जिन पर यह शक होगा, यह विश्वास होगा कि ये खालिस्तानी विचार के हैं, उग्रवादी हैं, ये विघटनकारी हैं, वे चुनाव में हिस्सा नहीं ले सकेंगे, यह जनतन्त्र के खिलाफ बहुत कठोर कदम होगा, जनतन्त्र के खिलाफ बहुत भयानक जुल्म होगा। क्योंकि मुमकिन है कोई आकर यहां बात करे। कहेंगे तो उनकी बात सुनी जाएगी, वे यहां का वातावरण देखेंगे। वह भी एक परिवर्तन का दौर होगा। ऐसे खतरे में आना मुनासिब नहीं है। हम दूसरों के खिलाफ जनतन्त्र का अधिकार छीन सकते हैं, वह अपने हक पर भी चला आता है। दुनियां का अनुभव इस का साक्षी है। अभी सोवियत संघ में जो कुछ हुआ और उसमें

जो जनतन्त्र पर कुछ ज्यादा कड़ाई की गयी, उससे उद्देश्य पर धक्का लगना शुरू हो गया कि ऐसा जुआ नहीं खेला जाना चाहिए।

सभापति जी, इसकी शुरूआत ही जनतन्त्र पर चोट करने पर शुरू हुई है। वर्तमान दौर की स्थिति, जब स्वर्गीय दरबारा सिंह जी पंजाब के मुख्यमन्त्री थे, वे 100 फीसदी असम्प्रदायिक व्यक्ति थे, स्वतन्त्रता सेनानी थे, कांग्रेस की भीतरी गुटबाजी के चलते उनकी सरकार को बर्खास्त किया गया, जबकि विधान सभा में उनका विशाल बहुमत था। उसके बाद पंजाब की विधायिका का जो हाल होता गया है उसको हम देख रहे हैं। साथ में विघटनकारी और स्थायीकरण की कार्यवाही केन्द्र से शुरू की, कांग्रेसवाद की भीतरी गुटबाजी के चलते पंजाब का भौगोलिक, राजनीतिक और सांप्रदायिक महत्व आपने आंखों से ओझल कर दिया।

उसके बाद से घटनाक्रम चलता रहा है। हमारे मित्र श्री जार्ज ने कहा कि वहां के राज्यपाल, जिनको आपने चुनाव कराने के लिए भेजा था तो ठीक अंतिम घड़ी में चुनाव का स्थगित हुआ। जब पंजाब के बारे में यहां पर बहस होती थी तो यहां की दीर्घाएं भरी रहती थी आज सुना है। अब उनकी रुचि नहीं रह गई है और न विश्वास रह गया है कि आप कितना अमल करेंगे। आखिरी घड़ी में चुनाव स्थगित करना गलत है। उसके चलते बरबादी हुई है और उनकी मांगें जायज हैं। जो प्रत्याशी मारे गए, उनके आश्रितों को हर्जाना मिलना था। क्या भारत सरकार ने यह सबक सीखा कि उसने जुर्म किया है। भारत सरकार यह प्रायश्चित करे कि वह पूरा मुआवजा नहीं होगा। लेकिन थोड़ा इस पर सोचें। इससे भविष्य का मतलब है। वहां के लोग भविष्य के लिए समझ जाएंगे कि इस सरकार के वचन का पालन होना है। पंजाब के लोगों को विश्वास नहीं होगा। ऐसी स्थिति में मेरा आग्रह होगा कि हम इस विधेयक का समर्थन कर रहे हैं, भारी हृदय से कर रहे हैं। दूसरा कोई इलाज नहीं है। हम यह शर्त बनाकर नहीं रख रहे हैं। हमारे बी०जे०पी० के मित्रों ने कहा कि यह आवश्यक है कि आप एलान करें। चुनाव समय से स्थगित निश्चित हो जाएगा तो खतरा होगा। खतरा अभी भी है। जान अभी भी जा रही है। आजादी और जनतन्त्र के लिए जान दी है। आगे भी जनतन्त्र के लिए अधिकार दे सकते हैं। किसी ने अधिकार नहीं दिया कि चुनाव स्थगित नहीं होने देंगे। असम में शांतिपूर्ण चुनाव हुआ। उससे ज्यादा हत्या और ज्यादा हुई हैं, ऐसी स्थिति में वह ऐलान जरूर होना चाहिए। अगर विधि मन्त्री ऐलान करने की हालत में नहीं होंगे तो मन्त्रिमण्डल में विचार हो। आज नहीं तो कल, यह ऐलान होना चाहिए। बार-बार जनतन्त्र की हत्या कराने के लिए पंजाब में राष्ट्रपति का शासन बढ़ाने के लिए फिर अगले सत्र में न आना पड़े। नवम्बर के पहले चुनाव की तारीख तय कीजिए ताकि हम चुनाव लड़ें। पंजाब में सम्प्रदाय का रूप होते हुए भी हमें वहां पर कई सभाओं में जाने का मौका मिला। वहां की सभाओं में जाना खतरे से खाली नहीं है और यह देश के लिए कम गौरव की बात नहीं है कि पंजाब के कम्युनिस्टों ने शहीदों की कतार लगा दी है। 250 के करीब कम्युनिस्ट राष्ट्र की एकता के लिए शहीद हुए हैं। जो हमारी पुरानी शहादत है वह अपनी जगह पर है। पंजाब की एकता के लिए कम्युनिस्ट शहीदों के दल बन गए हैं। लाल झंडा शहीदों का झंडा बन गया है राष्ट्र की एकता और बलिदान के लिए। उन सभी शहीदों के नाम पर इस सरकार से आग्रह है कि सम्प्रदायवाद के खिलाफ कदम उठाए। जिनकी मातृभाषा पंजाबी है, अगर वे सिख नहीं हैं तो उन्हें कहा जाता है कि हिंदी सीखो। इसकी शुरूआत आजादी के बाद 1951 से हुई है। क्या इससे हिन्दी की प्रतिष्ठा बढ़ती है। अगर सम्प्रदायवाद को बढ़ावा देते हैं तो उनकी भाषा पंजाबी है लेकिन बहुत से सिख कहते हैं कि हमारी मातृभाषा हिन्दी है। जो खालिस्तानी दिमाग वाले हैं उनके दुष्प्रचार में मदद

मिलती है। आज भी यह बातें हो रही हैं भाषा को हम सम्प्रदायवाद से जोड़ते हैं। खालिस्तानी सम्प्रदायवाद का क्या नाम दूं। हिन्दुस्तानी सम्प्रदायवाद का नाम हिन्दू मजहब नहीं है। हमारे कुछ मित्र उसको एक मजहब बनाने में लगे हुए हैं।'''(व्यवधान)

श्री राजबीर सिंह (आवला) : आपकी गलतफहमी दूर हो गई उसके लिए आपको धन्यवाद।

श्री भोगेन्द्र झा : इसका मैं जवाब नहीं दूंगा कि गलतफहमी थी या नहीं। आप इतना ही धन्यवाद कीजिए कि इसको धर्म बनाने का प्रयास न करें। वैसे गाली-गलौच से बेहतर तो धन्यवाद ही है।

उसी तरह कुछ चीजें जो हमारे लिए आवश्यक हैं, जैसा मैंने पहले भी कहा था यह मामला दो सैनिकों में कोई युद्ध का नहीं है। उससे ऐसे लोग ईमानदारी से बहक गए हैं जोकि भोले और ईमानदार हैं और वे यह विश्वास करते हैं खासकर इस बात पर कि अगर बाबरी मस्जिद तोड़ दी, अयोध्या में मस्जिद टूटेगी तो पटना के गुरुद्वारे का क्या होगा क्या वह भी तोड़ दिया जाएगा। (व्यवधान)

प्रो० प्रेम चमल : आप कहां से कहां जा रहे हैं।

श्री भोगेन्द्र झा : आप सुनिये। उनके दिमाग में आया है कि अगर अयोध्या की मस्जिद टूटेगी तो कल पटना का गुरुद्वारा टूटेगा। मैं यह इसलिए कहना चाहता हूं कि ये मन्दिर, मस्जिद और गुरुद्वारे तोड़कर आप चोट तो यहां करते हैं लेकिन वहां धमाका होता है।'''(व्यवधान)'''आप धैर्य से सुनिए। मेरा आपसे आग्रह है कि आप मेरी बात सुनिए। मैंने अमृतसर में जाकर पुतलीगढ़ की सभा को सम्बोधित किया। वहां पर कुछ खालिस्तान समर्थक युवकों से भी मिला। मैंने कहा कि आप चाहते हैं कि खालिस्तान अलग कर दो तो पटना साहब का क्या करोगे, जहां खालसा पंथ के जन्मदाता गुरु गोबिन्द सिंह जी का जन्म हुआ था। संसार का पहला गुरुद्वारा वही है क्या उसको छोड़ दोगे अगर उसको लेने की बात करोगे तो बिहार तक खालिस्तान का विस्तार करना पड़ेगा। इसलिए आप बताओ कि क्या करोगे ? फिर मैंने कहा कि आप नादेड़ के गुरुद्वारे का क्या करोगे, वहां के हमारे गृह मन्त्री जी हैं, अभी यहां मौजूद नहीं हैं, जहां गुरु गोबिन्द सिंह का निधन हुआ था और वह संसार का पांचवा गुरुद्वारा है। अगर नादेड़ को छोड़ दोगे तो खालिस्तान नाम कैसे सार्थक करोगे, अगर उसको ले लोगे तो कर्नाटक की सीमा तक लड़ाई लड़नी पड़ेगी। अगर आप और हममें कोई विवाद है तो उसको बातचीत मे आसानी से हल कर लेते हैं। उसके बाद जब मैं सभा समाप्त होने के पश्चात् बाहर निकल रहा था तो चार-पांच खालिस्तानी युवक जो बाहर बैठे चाय पी रहे थे और मुझे पहचान नहीं कर रहे थे उन्होंने आपस में कहा कि साले की इस बात से तो हम लोगों का भी दिमाग खराब हो गया। हालांकि साला शब्द गाली है, लेकिन वहां उस मौके पर उनका मुझे यह कहना एक प्रकार से इस बात को सिद्ध करता है कि उन्हें मेरी बात में तथ्य नजर आया।

इसलिए मैं कह रहा हूं कि वहां बहुत से लोग ऐसे हैं जो तस्कर हैं, अपराधी हैं जो दूसरे निरोह हैं जो लोगों पर हमला कराते हैं और रिश्वत के सहारे हमारी आरक्षी पुलिस से बचते हैं जो लोगों को गुमराह कर सकते हैं, उनकी पहचान करके उनसे पहले निपटना चाहिए। इसलिए मैं फिर जोर दूंगा कि पंजाब के मामले में मुख्य समाधान सैनिक नहीं है, मुख्य समाधान राजनैतिक और गुप्तचरी है। मैं वहां कई बार गया हूं और मैंने यह पाया है कि गुप्तचर सेवा बहुत ही निकम्मी हो चुकी है। वह असली

और नकली में फर्क नहीं कर पाती, कौन सही है और कौन गलत कौन देश को तोड़ना चाहता है कौन देश को जोड़ना चाहता है और कौन इस पेशे को कायम रखने के लिए उपद्रव करवा सकता है। कहीं उसकी हत्या हुई, हमारे आरक्षी बल, अर्द्ध-सैनिक बल, सैनिक बल पहुंचा और उसने गोली चलानी शुरू कर दी। जिन्होंने गांव में गोली चलायी थी, वे तो भाग गए और जो बेकुसूर थे, उनको मार दिया गया। इससे हमारी, हमारे देश की और हमारे संविधान की बदनामी हो रही है। मैं दूरदर्शन, आकाशवाणी और अखबारों से भी आग्रह करूंगा कि इस पहलू को बढ़ावा न दें। हमारे कई-कई मित्रों कांग्रेस और सेफुद्दीन ने कहा कि अभी हाल ही में दिल्ली में, पटना एवं अमृतसर में लाल झण्डे लेकर एक विशाल जुलूस हुआ था, इस हालत को इस देश के सामने नहीं रखेंगे···

सभापति महोदय : प्लीज कन्कलूड।

श्री भोगेन्द्र झा : तो अगर इसको बढ़ावा नहीं देंगे जो सारे देश में हो रहा है, केवल पंजाब में हत्याएं हो रही हैं, एकता के लिए कितने प्रयास बड़े पैमाने पर हो रहे हैं, इसके लिए दूरदर्शन, आकाशवाणी और अखबार वाले समाचार नहीं बनाते हैं। एक पुरानी कहावत है कि जब कुत्ता आदमी को काटे तो समाचार नहीं है, जब आदमी काटे कुत्ते को, तो यह समाचार बन जाता है जो हमारे लिए नुकसानदेह साबित होता है। विदेश का हाथ स्पष्ट है और उसके लिए कड़ाई करने की जरूरत है। खासतौर से अभी जनतांत्रिक प्रणाली की शुरुआत करें। सन् 1984 के दंगों में जो कुछ हुआ, उसमें इन्दिरा गांधी की हत्या हुई, स्वाभाविक तौर पर गुस्सा होना था लेकिन उसके बदले में दिल्ली में जो कुछ हुआ, और जगह हुआ, उसकी एक मिसाल दूंगा।

सभापति महोदय, मैं उस समय उस इलाके में था। दरभंगा में हनुमान जी की मूर्ति लेकर एक जुलूस निकला। मिर्जापुर में गुरुद्वारा को बदलकर हनुमान मन्दिर बनाने के लिए उस मौके पर रोकने वाला कोई नहीं था। इसलिए कि लोगों में गुस्सा तो था ही। सिक्ख तो वहां कम हैं और जो भी हैं, उस हालत में नहीं थे कि उनको रोका जाता। हम लोगों ने दखल दिया···

सभापति महोदय : आप विषय पर बोलिए, आपका समय हो गया है···

श्री भोगेन्द्र झा : आप जब कहेंगे, तब मैं बन्द कर दूंगा। तो हनुमान जी को छोड़कर भीड़ वाले भाग गए। छः महीने मूर्ति गिरफ्तार रही थाने में लेने वाला कोई नहीं आता है कि हम लोगों की मूर्ति है। हम लोगों ने ऐलान कराया कि जिसकी मूर्ति हो, कम से कम ले जाओ···

कई माननीय सदस्य : कहां ?

श्री भोगेन्द्र झा : दरभंगा में, मिर्जापुर में। सभापति जी, मैं इसलिए कहा रहा हूं कि दिल्ली में जो हत्याकांड हुआ, उसमें जो लोग मुजरिम बाकी हैं, उनको सजा दिलाने का काम होना चाहिए और पीलीभीत में···

सभापति महोदय : आपका समय हो गया।

श्री भोगेन्द्र झा : बस, थोड़ी देर में। पीलीभीत में जो कुछ हुआ है, उसके खिलाफ भी कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। मैं चाहूंगा कि सरकार पंजाब के लिए ऐलान करे कि राज्य स्तर पर सर्वदलीय

सलाहकार समिति और निचले स्तर पर वह समिति जाए। खासकर जो दल तैयार हैं देश को और पंजाब को बचाने के लिए, वह समिति बनायी जाए ताकि नौकरशाही का नंगा नृत्य न होने पाए, उनको सहयोग मिल सके। सभापति जी, जब मैं बोलने के लिए उठा था तो उस वक्त मेरे पास एक खत आया है···

सभापति महोदय : अब जाने दो।

श्री भोगेन्द्र झा : यह जरूरी है। फिरोजपुर में डी० आई० जी० पुलिस रेंज रात को मलहोत्र गांव में प्रीतम सिंह के घर पर उनके दो लड़कों को लेजाकर गोली से मार दिया। खबर उड़ा दी कि इनका सम्बन्ध आतंकवादियों से है। मलहोत्र का थानेदार अभी तक कागज पर या जबानी कहने के लिए तैयार नहीं है कि उनका लगाव था कि एक भूस्वामी और बड़े जमीदार की लड़ाई थी और डी० आई० जी० ने उसका काम किया। इस तरह से लोगों को एक तरफ तो हम लोगों के खिलाफ किया जा रहा है, हमारे देश के खिलाफ किया जा रहा है और दूसरी ओर हत्याओं का .ता चलता जा रहा है। इसलिए एक सर्वदलीय समिति का गठन ऊपर से नीचे तक तत्काल प्रारम्भ हो जाए। इस बजट के साथ मन्त्री जी इसका ऐलान करें और अगले चुनाव की अवधि निश्चित कर दी जाए कि उसके पहले चुनाव हो जाएगा और इस वायदे के साथ कि फिर चुनाव स्थगित नहीं होगा संविधान के तथ्य है कि हम चुनाव कराएंगे चाहे जान देनी पड़ेगी, हम जान दे देंगे, जैसे देश के लिए जान देते हैं। इतना कहकर मैं समाप्त करता हूं और इस विधेयक का समर्थन करता हूं इस समझ के साथ कि सरकार जल्दी चुनाव कराएगी।

7.00 अ० प०

सभापति महोदय : श्री रेड्डय्या अब बोलेंगे।

श्री के० पी० रेड्डय्या यादव (मछलीपट्टनम) : सभापति महोदय, मैं तेलगु में बोलना चाहूंगा।

महोदय, जनसभा में वरिष्ठ नेताओं को बाद में और कनिष्ठों को प्रारम्भ में बोलने का अवसर दिया जाता है। लेकिन यहां की प्रथा बिल्कुल विपरीत है; वरिष्ठों को पहले और कनिष्ठों को बाद में बोलने को कहा जाता है। यहां पर भी हमारे जैसे लोगों को पहले और वरिष्ठ लोगों को बाद में बोलने का अवसर दिया जाना चाहिए।

मैं, अपने दल की तरफ से पंजाब में चुनाव टालने का विरोध करता हूं।

*महोदय, सभापति महोदय से मेरा निवेदन यह है कि सार्वजनिक बैठकों में सामान्यत: वरिष्ठ नेताओं को अन्त में और कनिष्ठ नेताओं को पहले बोलने का अवसर दिया है।

सभापति महोदय : आपके दल को पांच मिनट मिले हैं।

श्री के० पी० रेड्डय्या : यहां यह परम्परा बदल दी गयी है। आपने वरिष्ठ नेताओं को पहले और कनिष्ठ नेताओं को अन्त में बुलाया।

*मूलत: तेलुगु में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

महोदय, हम तेलुगु देशम पार्टी के सदस्य पंजाब में चुनाव स्थगित किए जाने का विरोध करते हैं।

महोदय, माननीय सदस्य, जिन्होंने चर्चा में भाग लिया है, पहले ही काफी कुछ कह चुके हैं।

महोदय, चर्चा केवल इस एक बात तक ही सीमित नहीं होनी चाहिए कि क्या पंजाब में चुनाव कराए जाने चाहिए या उन्हें अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया जाना चाहिए। वर्ष 1991 में पूरे देश में चुनाव हुए थे। कांग्रेस का पुनः सत्ता में आना पंजाब के लोगों के लिए अनिष्टकारी सिद्ध हुआ है। कांग्रेस ऐसे समय में सत्ता में लौटी है जब लोगों का कांग्रेस पार्टी और उसकी सरकार से विश्वास उठ गया था। यह न केवल पंजाब की जनता के लिए बल्कि सम्पूर्ण देश के लिए भी दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने सत्ता में लौटने के तुरन्त बाद, बल्कि सत्ता सम्भालने से पूर्व ही पंजाब में चुनाव रद्द करा दिए। निस्संदेह उन्होंने एक बार फिर अपनी अदूरदर्शिता, कुटिलता और स्वार्थता का प्रदर्शन किया है। प्रधान मन्त्री ने 12.50 म० प० पर शपथ ग्रहण की और कांग्रेस सरकार ने शपथ ग्रहण समारोह से पूर्व पंजाब में चुनाव स्थगित करने के आदेश दे दिए। चुनाव स्थगित करने की घोषणा से लोकतन्त्र को दबाने, संकीर्णता, राष्ट्र की तुलना में पार्टी को तरजीह देने की कांग्रेस संस्कृति एक बार पुनः विश्व के समक्ष उजागर हो गयी। महोदय, पंजाब के लोगों को राष्ट्र-विरोधी, समाज विरोधी और आतंकवादी बताया जा रहा है। उनके विरुद्ध बार-बार यह अतिरंजित टिप्पणी की जाती है। इस वक्तव्य से अधिक असत्य बात और क्या हो सकती है। सिख राष्ट्र की एकता और अखण्डता में विश्वास रखते हैं। उन्होंने राष्ट्र की रक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान किया है। बाहरी आक्रमणों से राष्ट्र की रक्षा करने, के उनके साहसिक कारनामों से इतिहास भरा पड़ा है। वे स्वयं को इस शानदार भूमि का नागरिक कहलाने में गर्व का अनुभव करते है। ऐसा एक भी उदाहरण नहीं है जिससे यह सिद्ध हो सके कि पूर्ण सिख समुदाय राष्ट्र विरोधी है। वे अलगाववाद में रुचि नहीं रखते हैं। यह कांग्रेस पार्टी ही देश की दुःखद स्थिति के लिए पूर्णतया जिम्मेदार है। चाहे वह आंध्र प्रदेश में नक्सलवाद की समस्या हो या पंजाब में आतंकवाद की, कांग्रेस संस्कृति और कांग्रेस शासन ही उसके लिए पूर्णतया जिम्मेदार है। कांग्रेस के लंबे शासन से हताश होकर ही आंध्र प्रदेश के निराश युवकों ने सामाजिक अन्याय से लड़ने के लिए शस्त्र उठाए हैं।

पंजाब में भी यही हालत है। सिख युवक कभी भी देश मे अलग होना नहीं चाहते थे। उनके दिल में अलगाववाद का कोई विचार नहीं है। वास्तव में वे एक स्वतन्त्र खालिस्तान के लिए कभी नहीं लड़े या लड़ रहे हैं। वास्तव में वे अपने साथ हुए अन्याय के विरुद्ध लड़ रहे है। उन्हें अपने ही राज्य में शासन से वंचित किया गया। उन्हें कोई अवसर नहीं दिया गया। महोदय, आज प्रातः की ही बात है कि माकपा के एक माननीय सदस्य बोलने का अवसर देने के लिए अध्यक्ष महोदय से अनुरोध कर रहे थे। चूंकि बोलने वाले अनेक अन्य सदस्य थे इसलिए उन्हें मौका नहीं दिया गया और अध्यक्ष महोदय ने उन्हें अपना स्थान ग्रहण करने के लिए कहा। उत्तेजित सदस्य अध्यक्षपीठ से अपने बारे में बहस करते रहे। परन्तु जब एक बार अध्यक्ष महोदय ने उन्हें बोलने का अवसर दे दिया तो सब कुछ शान्त हो गया। सदस्य ने अध्यक्ष महोदय का अति आभार व्यक्त किया। इस अकेली घटना से ही यह बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है कि यदि लोगों को एक बार अवसर दिया जाए तो और तनाव नहीं होगा। राष्ट्रीय स्तर की राजनीति में भी यही दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए। मैं केन्द्र में सत्तारूढ़ कांग्रेस सरकार

1 से यह पूछना चाहता हूं कि वह राष्ट्र के लिए सर्वोच्च बलिदान करने वाले उन देशभक्त सिख भाइयों को संवैधानिक अधिकार देने से कब तक मना करती रहेगी? वह पंजाब के लोगों को अपनी सरकार चुनने के लिए संविधान के अन्तर्गत उन्हें दिए गए वैध अधिकार से कब तक वंचित रखेगी? देश में कोई भी अपने साहसिक कार्यों को कैसे भुला सकता है? भगत सिंह आज भी इस देश में देशभक्ति के प्रेरणा स्रोत हैं। पाकिस्तान के साथ 1965 के युद्ध में मातृभूमि की रक्षा के लिए हजारों सिखों ने अपना खून बहाया था। यहां तक कि देश की रक्षा के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में महिलाओं और बच्चों ने भी दूसरी रक्षा पंक्ति बना ली थी। उन्होंने युद्धरत सैनिकों के लिए भोजन आदि की व्यवस्था की थी। फिर भी यह सब कुछ भुलाकर सरकार ने उन्हें अपने राज्य का प्रशासन चलाने के लिए अपनी सरकार चुनने के मूल अधिकार से वंचित कर दिया है। क्यों उन्हें दिन रात राष्ट्र विरोधी करार दिया जा रहा है? राष्ट्र विरोधी कौन है? क्या कांग्रेस नहीं है जिसने देश को लूट लिया और बी० सी० सी० आई और बहु-राष्ट्रीय कम्पनियों के माध्यम से देश को इस कगार पर ला खड़ा किया? केवल इतना ही नहीं बल्कि उन्होंने किसी भी प्रणाली को जड़ जमाने नहीं दी। उन्होंने किसी दल को भी कांग्रेस का विकल्प नहीं बनने दिया। उनकी धूर्त और चालाकी भरी राजनीति ने प्रत्येक प्रणाली को नष्ट कर दिया। राजनीति में कुछ गलत नहीं है परन्तु उसे ऐसे स्थान में लाना घृणित है जहां वह लोकतन्त्र के विकास में बाधक बने। भले ही कांग्रेस इस देश पर और सौ साल राज्य करे। मुझे कोई आपत्ति नहीं है। परन्तु उन्हें घटिया राजनीति पर नहीं उतरना चाहिए और लोकतन्त्र की बुनियाद को नष्ट नहीं करना चाहिए। उन्हें अपनी राजनीति और कृत्यों में देश को अस्थिर नहीं करना चाहिए। महोदय, द्रविण मुनेत्र कषगम ने अन्नादुर्रै और नायकर जैसे अनुभवी नेताओं के नेतृत्व में कुछ समय तक द्रविड़स्तान के लिए आंदोलन किया था। उस दौरान राज्य में चुनाव नहीं हुए। पण्डित नेहरू की सरकार ने यह कहते हुए वहां चुनाव नहीं कराए कि वे एक पृथक देश के लिए आन्दोलन कर रहे हैं। बाद में कांग्रेस पार्टी की चालबाजी से द्रमुक पार्टी का विघटन हो गया। अब उसी कांग्रेस पार्टी का अन्नाद्रमुक के साथ गठबोड़ है जो द्रमुक की ही एक शाखा है। उन्होंने किसी विकल्प को उभरने नहीं दिया।

महोदय, 1983 में हमारे प्यारे नेता, श्री एन० टी० रामाराव ने आन्ध्र प्रदेश में तेलुगु देशम की स्थापना की। उन्होंने भारी बहुमत से जीत कर सत्ता सम्भाली। आन्ध्र प्रदेश में कांग्रेस शासन का एक विकल्प सामने आया। यह हर प्रकार से अप्रत्याशित था। कांग्रेस, जो श्री एन० टी० रामाराव का सामना नहीं कर पाई, अब तेलुगु देशम का विभाजन करने के लिये पुनः सक्रिय है। वे अपने प्रयास में सफल रहे और तेलुगु देशम दो भागों में विभाजित हो गयी—तेलुगु देशम (नादेन्दला भास्कर राव, और तेलुगु देशम (एन० टी० आर०)। यह कांग्रेस संस्कृति का असली रंग है। इसी प्रकार राष्ट्रीय स्तर पर लोकदल (अजित सिंह) और लोकदल (बहुगुणा) थे। राष्ट्रीय मोर्चे के विखण्डन के लिए भी कांग्रेस ही उत्तरदायी है। आन्ध्र प्रदेश में पृथक तेलंगाना के लिए एक आन्दोलन किया गया था। कांग्रेस पार्टी ने तेलंगाना के कुछ नेताओं को उभरने नहीं दिया। जैसाकि सभी जानते हैं असन्तुष्ट, कांग्रेसियों ने पृथक राज्य के लिए आन्दोलन किया था। पंजाब की भी वही स्थिति है। श्री तारासिंह, प्रकाशसिंह बादल और सुरजीतसिंह बरनाला जैसे राष्ट्रीय नेताओं को प्रथम पंक्ति के नेताओं के रूप में नहीं उभरने दिया गया। अकाली दल में भी विभाजन हो गए। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? कांग्रेस है। अकाली दल को कार्य नहीं करने दिया गया। महोदय, यही कारण है कि सिख आतंकवादी गतिविधियों के द्वारा केन्द्रीय नेतृत्व को सबक सिखाना चाहते हैं। वे अपनी दबी भावना और हताशा को निकाल रहे हैं। पंजाब में आतंकवादी गतिविधियों का यही एक मुख्य कारण है। उनमें देश विरोधी कोई बात नहीं है। महोदय, मैं यह सब कुछ इसलिए बता रहा हूं कि विगत में कांग्रेसियों को केवल यह स्मरण कराया गया

है कि उन्हें अपना उत्तरदायित्व बुद्धिमता और दूरदर्शिता से निभाना चाहिए। एक राष्ट्रीय दल के रूप में उनके कंधों पर भारी उत्तरदायित्व है। उसे दूसरों का पथ प्रदर्शक बनना चाहिए। मैं चाहता हूं कि अपना संगठन एक ऐसा आदर्श संगठन बने जिसका अन्य लोग अनुकरण करें। कांग्रेसियों को पंजाब में ऐसा आचरण नहीं करना चाहिए, जैसाकि अखिल भारतीय कांग्रेस समिति में करते हैं। पंजाब में ऐसी राजनीति नहीं चलेगी। पंजाब बहादुर लोग हैं और वे तुच्छ राजनीति सहन नहीं करते। महोदय, हम कहते हैं कि हमारे यहां लोकतन्त्र है। लोकतन्त्र के मूल सिद्धान्त क्या हैं ? यह है समस्याओं का बातचीत के द्वारा समाधान करना। यदि आप बात करेंगे तो कुछ तो समाधान निकलेगा। क्या आपने कभी उनके साथ बैठने का प्रयास किया है ? आप उन्हें आतंकवादी कहते हैं परन्तु मैं उन्हें ऐसा नहीं कहता। वे भारत माता के महान सबूत हैं। नक्सलवादी भी पृथक राज्य की वकालत नहीं करते। कांग्रेस शासन ने उन्हें इस स्थिति तक पहुंचा दिया है। प्रधान मन्त्री के लिए कुछ अलग कानून है और आम जनता के लिए कुछ अलग। उद्योगपतियों के लिए अलग कानून है और भूखे मर रहे करोड़ों लोगों के लिए अलग। करोड़पति तो देश लूटने के लिए स्वतन्त्र हैं परन्तु यदि कोई भूखा मर रहा व्यक्ति खाने के लिए मामूली सी चोरी भी कर लेता हैं तो राज्य का पूरा प्रशासन उस पर टूट पड़ता है। कानून केवल विनम्र, दुर्बल, भूखे तथा दलित लोगों पर ही लागू किया जाता है। इसलिए आज जो चिन्गारी चीजें हो रहीं हैं इस देश का युवक उन्हें सहन न करने के कारण हथियार उठा रहा है तथा हिंसा के माध्यम से अपनी समस्याओं का हल करने का प्रयास कर रहा है। यही कारण है कि बहुत से शिक्षित लोग सरकारी दमन के विरुद्ध सशस्त्र संघर्ष का सहारा ले रहे हैं। फिर भी, उन्हें राष्ट्रविरोधी, नक्सलवादी या आतंकवादी कहा जा रहा है। आश्चर्य की बात यह है कि वर्तमान वित्त मन्त्री बैंक फार क्रेडिट एण्ड कामर्स इन्टरनेशनल का समर्थन कर रहे हैं जबकि बहुत से देश पहले ही इसके क्रियाकलापों की भर्तसना कर चुके हैं। सरकार के इस प्रकार के दृष्टिकोण से युवक तो क्रुद्ध होंगे ही। वे उन राजनीतिज्ञों तथा अधिकारियों से हिंसात्मक तरीके से बदला लेना चाहते हैं जो इस प्रकार की दयनीय स्थिति के लिए जिम्मेवार हैं। यदि वे ऐसा सोचते हैं तो इसमें कोई गलत बात नहीं हैं। महोदय, मैं इस सरकार से एक अपील करना चाहता हूं कि वह पंजाब के लोगों को अपनी सरकार चुनने के लिए एक अवसर दें।

मुझे यकीन है कि वे भारत से बाहर नहीं जाएंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि वे खालिस्तान नहीं बनाएंगे। वे शेष लोगों से कहीं अधिक देशभक्त हैं। वे निश्चय ही कांग्रेस-जनों से बेहतर हैं। महोदय, देश आज संकट का सामना कर रहा है। स्थिति और बिगड़ती जा रही है। अनुभवी नेता श्री अटल जी ने केवल आज सुबह ही इस बारे में उल्लेख किया था। कांग्रेस-जनों से मेरी अपील है कि वे दलगत राजनीति को त्याग कर राष्ट्र के बारे में सोचें। आज श्री मदन लाल खुराना काफी आश्वस्त दिखाई दे रहे हैं। कल को कांग्रेसजन यह देखना चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी जैसे अनुशासित दल का भी बी० जे० पी० (अटलजी) तथा बी० जे० पी० (आडवाणीजी) में विभाजन हो जाए। दलों का विभाजन करने के लिए पर्दे के पीछे हर प्रकार का कार्य किया जाता है। मुझे डर है कि वह दिन दूर नहीं है। यदि सभी दल मिलकर कार्य करें तो हम भारत को एक अग्रणी राष्ट्र बना सकते हैं। कांग्रेस जनों से मेरी अपील है कि वे देश की सबसे पहले सोचें ? महोदय, आन्ध्र प्रदेश में श्री एन० टी० रामाराव के नेतृत्व में तेलुगु देशम जब सत्ता में थी तो वहां एक भी साम्प्रदायिक दंगा नहीं हुआ। कांग्रेस दल के सत्ता में आते ही प्राचीन हैदराबाद नगर साम्प्रदायिक दंगों की आग में झुलस गया। श्री एन० टी० रामाराव के 7 वर्ष के स्वर्णिम शासन के दौरान राज्य तनाव मुक्त था। मैं एक बार पुनः सरकार से अपील करता हूं कि वह जल्द से जल्द पंजाब में चुनाव करवाए। यदि वे निर्णय लेने में देरी करेंगे तथा राजनीति खेलेंगे तो स्थिति सदा-सदा के लिए बिगड़ जाएगी।

साथ ही मैं इस गरिमापूर्ण सभा के माध्यम से अपने सिख भाइयों से अपील करता हूं कि वे निर्दोष व्यक्तियों को पीड़ा न पहुंचाएं। निर्दोष व्यक्तियों, महिलाओं तथा बच्चों को बक्शा जाए। उन्हें किसी भी प्रकार से नुक्सान न पहुचाएं। आप उन राजनीतिज्ञों तथा अधिकारियों को तंक कर सकते हैं, उन्हें यातनाएं दे सकते हैं जिन्होंने इस समाज को अपने लौह-जूतों के नीचे कुचल डाला किन्तु आप कृपया निर्दोष लोगों को कुछ न कहें।

इन शब्दों के साथ, महोदय मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं तथा बोलने का अवसर प्रदान करने के लिए आपका धन्यवाद करता हूं।

श्री अन्ना जोशी (पुणे) : महोदय, मैं सभी तीनों मदों—16, 17 तथा 18 का विरोध करता हूं। ये तीनों मदें पंजाब की स्थिति से सम्बन्धित हैं। इसलिए, यदि हम पंजाब की स्थिति पर विचार करें तो इसके तीन पहलू हैं। एक ओर तो है पंजाब के शान्तिप्रिय लोगों के विरुद्ध आतंकवादियों की गतिविधियां तथा पाकिस्तान से और पाकिस्तान के माध्यम से दूसरे देशों से उन्हें मिलने वाला समर्थन।

दूसरा है—पंजाब के लोगों को राष्ट्रीय मुख्यधारा में रखने का हमारा उद्देश्य, जिसके लिए पंजाब में चुनाव कराना तथा उन्हें स्वःशासन के लिए लोकतन्त्रीय शासन प्रदान करना।

तीसरा पहलू है—वर्तमान प्रशासन तथा उनके सामने आने वाली कठिनाइयां।

वर्ष-दर-वर्ष हम पंजाब राज्य के बजट पर इस सभा में चर्चा करते आ रहे हैं जबकि पंजाब के निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा पंजाब विधान सभा में इस पर चर्चा की जानी चाहिए। जैसाकि मेरे सम्माननीय मित्र प्रो० धूमाल ने कहा है कि एक ओर तो आप स्वशासी सरकार तथा निगमों के लिए चुनाव करवा रहे हैं तथा लोग बाहर जा रहे हैं। धमकियों के बावजूद वे मतदान कर रहे हैं तथा उनके नेता वहां पर कार्य कर रहे हैं तथा वे स्वशासी सरकार का कार्य कर रहे हैं। दूसरी ओर आप कहते हैं कि वहां स्थिति ऐसी है कि चुनाव नहीं कराए जा सकते। यह कुछ परस्पर विरोधी बात है। जब आप अमृतसर तथा होशियारपुर में नगर निगमों का चुनाव करवा सकते हैं जहां लोगों ने मतदान किया, तो उन्हीं लोगों ने ही तो लोक सभा तथा विधान सभा के चुनावों में मतदान करना है। इसीलिए यह तर्क देना ठीक नहीं है कि वहां चुनाव कराने के लिए स्थिति उचित नहीं है। कम से कम हम सरकार पर विश्वास करेंगे तथा प्रस्ताव के पक्ष में तभी मतदान करेंगे, जैसाकि श्री झा ने कहा है, जब इन्हें असीमित समय के लिए स्थगित नहीं किया जाएगा। आप अभी यहां बताएं कि आप कितने माह के भीतर वहां चुनाव करवाने जा रहे हैं। केवल तभी हम इस प्रस्ताव का समर्थन करेंगे।

महोदय, पंजाब में मुख्य समस्या यह है कि वहां आतंकवादी गतिविधियां हो रही हैं तथा विभिन्न केन्द्रों द्वारा इन गतिविधियों को समर्थन दिया जा रहा है, बढ़ावा दिया जा रहा है तथा धन प्रदान किया जा रहा है। इस सभा के पास यह सूचना है कि पाकिस्तानी क्षेत्र में ऐसे लगभग 51 केन्द्रों की स्थापना की गयी है जहां से इन आतंकवादियों को हथियार, गोला-बारूद तथा रुपया-पैसा आदि दिया जाता है। उन्हें वहां रहने की जगह तथा प्रशिक्षण दिया जाता है। इसी के साथ ही ये ऐसे केन्द्र हैं वहां से पाकिस्तान द्वारा प्रशिक्षित आतंकवादियों द्वारा नशीले पदार्थ भारतीय क्षेत्र में तस्करी से लाए जाते हैं। इसीलिए, यदि हमारी सरकार आतंकवादियों की समस्या से छुटकारा पाना चाहती है तो इसका पहला कर्तव्य यह होना चाहिए कि वह इन केन्द्रों को नष्ट करे फिर चाहे वो भी कुछ हो।

कुछ ही रोज पहले हम पंजाब समस्या के बारे में बातचीत कर रहे थे। हम कह रहे थे कि भारत-पाक सीमा के साथ-साथ 1 किलोमीटर चौड़ी पट्टी ऐसी बनाएंगे जो किसी की भी भूमि नहीं मानी जाएगी ताकि हम अधिक निगरानी रख सकें और इसके साथ ही भूतपूर्व सैनिकों का पुनर्वास भी आवश्यक है ताकि ऐसी गतिविधियों पर रोक लगाई जा सके।

अगली समस्या बन्धकों की है। यह समस्या केवल भारत में ही नहीं है बल्कि यह आज पूरे विश्व में है और बढ़ती जा रही है। आतंकवादियों को जेल से रिहा कराने के लिए लोगों को बन्धक बनाया जाता है। यह समस्या अब इतनी बढ़ गई है कि हमारी सरकार ने विशेषरूप से असम सरकार ने 500 आतंकवादियों को छोड़ा। दो तीन रोज पहले समाचारपत्रों में एक कार्टून भी आया था मुख्य मन्त्री का एक निजी सहायक अपने हाथ में टेलीफोन लिए हुए था तथा मुख्य मन्त्री से बात कर रहा था। उसने कहा "महोदय, आतंकवादियों को जेल से छोड़ने की शर्त को तब तक पूरा नहीं किया जा सकता जब तक कि हम कुछ आतंकवादियों को गिरफ्तार न करें तथा उन्हें जेल में न रखें ताकि हम उन्हें छोड़ सकें।" तो स्थिति यह है। आतंकवादियों की गतिविधियों को कैसे रोका जा सकता है यह सरकार पर है या दलों के नेताओं द्वारा एक साथ बैठकर निर्णय करने की बात है। किन्तु आतंकवादियों के सामने एक बात स्पष्ट कर देनी चाहिए कि यदि किसी व्यक्ति को बन्धक बनाया गया या उसे मार दिया गया या उसके साथ कुछ बुरा किया गया तो उस व्यक्ति को जिसके लिए उसे बन्धक बनाया गया है अगले दिन जिन्दा नहीं छोड़ा जाएगा। यदि इस प्रकार की चेतावनी उन्हें दे दी जाए तो आतंकवादियों की गतिविधियों पर काबू पाया जा सकता है।

अगली बात है प्रशासन तथा लोगों को विश्वास में लेना। मेरे विचार से पहला कदम यह होना चाहिए कि हम निर्वाचन की तारीख की घोषणा करें तभी हम लोगों का विश्वास जीत सकते हैं। जो भी स्थिति होगी हमें उसका सामना करना पड़ेगा तथा किसी भी दशा में इस निर्दिष्ट तारीख से पूर्व निर्वाचन कराना पड़ेगा। अतः पंजाब के लोगों में विश्वास पैदा करने के लिए यह पहला कदम होगा।

अब मैं दूसरे पहलू पर आता हूं। हमारे प्रशासन के लिए सर्वोत्तम तरीका क्या है इसके लिए मैं एक पैरा पढ़ना चाहता हूं। यह बात स्पष्ट रूप से समझ लेनी चाहिए कि खालिस्तान के पक्ष में कोई भी तर्क केवल सभ्य तरीके से ही दिया जा सकता है। मैं यहां स्पष्ट कर दूं कि मैं अपनी सेना तथा पुलिस की आलोचना नहीं कर रहा। यदि कुछ अत्याचार होते हैं तथा यदि लोग यह समझते हैं कि ये अत्याचार आतंकवादियों के नाम पर किए गए हैं तो हमें यह देखना चाहिए कि अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करने के लिए दृढ़ निश्चय के साथ समस्या के हल हेतु केवल किसी सभ्य तरीके का ही प्रयोग किया जाए। दुर्भाग्यवश, आज जो तरीके अपनाए जा रहे हैं वे न तो सभ्य ही प्रतीत होते हैं न ही वे राष्ट्र विरोधी ताकतों के विरुद्ध हैं और न ही उन देशों के विरुद्ध है जो देश उनके पीछे हैं। महोदय, राज्यपाल या सरकार की ताकत की परीक्षा इस बात से नहीं होगी कि सुरक्षा कर्मियों द्वारा कितने आतंकवादी मारे गए या गिरफ्तार किए गए बल्कि इनकी इस योग्यता से होगी कि वे पंजाब में ऐसा माहौल पैदा करें कि पंजाब के लोग इस देश से अलग होने का अवसर दिए जाने पर भी अलग होने से मना कर दें।

श्री चित्तबसु (बारसाट) : सभापति महोदय, हमारा देश लगभग एक दशक से पंजाब में एक अत्यन्त जटिल समस्या का सामना कर रहा है। हालांकि यह समस्या पंजाब से सम्बन्धित है, किन्तु यह

केवल पंजाब की ही न होकर सम्पूर्ण राष्ट्र की समस्या है। यह समस्या केवल पंजाब और राष्ट्र की ही नहीं बल्कि हमारे देश की अखण्डता और एकता की समस्या है।

महोदय, यदि आप मुझे इस समस्या के मूल और अभी तक इसका कोई हल न होने के बारे में पूछें तो मैं कहूंगा कि आज जो स्थिति है उसके लिए कांग्रेस (इ०) की भेदभावपूर्ण और संकीर्ण नीतियां जिम्मेदार हैं।

स्थिति अत्यन्त गम्भीर है। यह स्थिति विशेष रूप से इसलिए गम्भीर हुई हैं क्योंकि सीमा पार की ताकतों ने हमारे देश के भीतर अस्थिरता उत्पन्न करने के लिए अपनी दुष्ट गतिविधियां तीव्र कर दी हैं। इसके साथ-साथ पंजाब में आतंकवादियों और विघटनकारियों ने अपहरण, हत्याओं, धन एंठने के रूप में भी अपनी गतिविधियां तीव्र कर दी हैं। महोदय, उच्चपदों पर तैनात पुलिस अधिकारियों के भ्रष्टाचार में लिप्त होने के कारण यह समस्या और अधिक जटिल हो गई है। इन सभी बातों के कारण पंजाब की समस्या असाध्य हो गई है। इस समस्या का हल बन्दूक की नोक पर पुलिस या सेना के पास नहीं है। इस समस्या का हल राजनैतिक ही है। यह राजनैतिक हल, पंजाब में लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार का गठन करके होना चाहिए।

महोदय, यह दुर्भाग्यपूर्ण ही है कि पंजाब के बजट पर लगातार इस सदन में चर्चा की जा रही है न कि पंजाब की विधान सभा में। पहले, वहां चुनाव हुआ करते थे।

वास्तव में मैं उस विधेयक का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं जो पंजाब में चुनाव की प्रक्रिया को रद्द करने के लिए विचाराधीन है। इस विधेयक का समर्थन करने के अतिरिक्त कोई चारा नहीं है। इस माह की 25 तारीख तक पंजाब में चुनाव करवाना सम्भव नहीं है। इस देश में लोकतन्त्र की परम्परा के लिए जिम्मेदार लोगों के पास इसे स्वीकार करने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं है। इसलिए, मैं बड़े बेमन से इसका समर्थन करता हूं। किन्तु इसके साथ ही इस विधेयक का गलत अर्थ निकाला जाएगा और पंजाब के लोगों को गलत संकेत मिलेगा।

मेरे विचार से, सरकार सहित हम में से कोई भी यह नहीं चाहता कि पंजाब के लोगों या आतंकवादियों को गलत संकेत मिले। यदि इससे यह संकेत मिलता है कि सरकार चुनाव करवाने की इच्छुक नहीं है तो यह ठीक नहीं होगा। इसलिए पंजाब के लोगों को सही संकेत देने के लिए आपको तारीख की घोषणा करनी चाहिए। यदि आप कहते हैं कि चुनाव "जल्द से जल्द" कराए जाएंगे, तो इससे पंजाब के लोगों को सही संकेत नहीं मिलता। इसलिए इस विधेयक के साथ आपको चुनावों की तारीख की भी घोषणा करनी चाहिए। यदि हम चुनाव की प्रक्रिया को रद्द करते हैं और यह कहते है, कि जब भी स्थिति सही होगी 'जब भी सम्भव हुआ' चुनाव कराए जाएंगे तो महोदय, इससे गलत सन्देश जाएगा और मैं इसमें सहभागी नहीं बन सकता। क्योंकि इस सन्देश से देश की एकता और अखण्डता नष्ट हो जाएगी। इससे खालिस्तानी ताकतों को बल मिलेगा जो विदेशी साम्राज्यवादी ताकत की सहायता से हमारे देश को अस्थिर करना चाहते हैं।

इसलिए, सही संदेश जाना चाहिए। सही संदेश देने के उद्देश्य से, मैं चाहता हूं कि मन्त्री महोदय, जो यह विधेयक प्रस्तुत कर रहे हैं, को अपने उत्तर में स्पष्ट रूप से बताना चाहिए कि फलां-फलां तारीख को चुनाव कराए जाएंगे।

तुरन्त चुनाव कराना सम्भव नहीं है । किन्तु उसके लिए उपयुक्त परिस्थितियां पैदा करनी हैं। मेरा सुझाव है कि सरकार द्वारा तुरन्त राजनीतिक पहल की जानी चाहिए अर्थात, पंजाब में सुरक्षा बलों को बढ़ाना, चण्डीगढ़ पंजाब को सौंपकर राजीव-लोंगोवाल समझौता तुरन्त लागू करना, नदी जल विवाद को फैसले के लिए सर्वोच्च न्यायालय को भेजना, सीमा सम्बन्धी निपटारे के लिए आयोग की नियुक्ति, 1984 के सिख-विरोधी दंगाइयों को सजा, पंजाब में बेरोजगारी की समस्या को कम करने के लिए नए आर्थिक पैकेज तथा भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए अन्य आर्थिक समस्याओं का हल किया जाना, इस समस्या के प्रति व्यापक तथा बहुआयामी दृष्टिकोण होगा।

यह कुछ ऐसे तात्कालिक कदम हैं जो तुरन्त उठाए जाने चाहिएं ताकि स्वतन्त्र और निष्पक्ष चुनावों के लिए उपयुक्त परिस्थितियां तैयार हो सकें और एकता और अखण्डता के पक्ष में जनमत तैयार किया जा सके।

महोदय, सबसे अंत में मेरा, सरकार तथा देश के सभी दलों से अनुरोध है कि चुनाव एक ही घोषणा पत्र के आधार पर होने चाहिएं। वह घोषणा पत्र है देश की एकता और अखण्डता का। यह चुनाव देश की एकता और अखण्डता की पक्षधर ताकतों और उन ताकतों के बीच होना चाहिए जो देश को अस्थिर करना चाहती है और उसे नष्ट करना चाहती है। केवल यही एक घोषणा पत्र होना चाहिए। मेरे विचार से देशभक्तों, राष्ट्रवादियों, लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष ताकतों को आतंकवादियों और विघटनकारियों के साथ लड़ने के लिए एकजुट हो जाना चाहिए। यही पंजाब को और भारत को बचाने का एकमात्र रास्ता है। धन्यवाद।

सभापति महोदय : यदि आप इस वाद-विवाद को समाप्त करना चाहते हैं तो मैं माननीय मन्त्री महोदय को उत्तर देने की अनुमति दूं।

श्री शांताराम पोतदुखे।

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शांताराम पोतदुखे) : सभापति महोदय, मैं माननीय सदस्यों का आभारी हूं जिन्होंने अपने मुद्दे रखे हैं। उन्होंने उपयोगी सुझाव भी दिए हैं। जहां तक पंजाब का सम्बन्ध है, वहां कानून और व्यवस्था की कठिनाईयों के बावजूद सब कुछ ठीक चल रहा है, हालांकि वहां भय का वातावरण व्याप्त है।

जहां तक पंजाब के बजट का सम्बन्ध है, बजट में 1010 करोड़ रुपए के योजनागत परिव्यय का प्रावधान किया गया है और केन्द्रीय सरकार योजना के लिए धन देने हेतु 600 करोड़ रुपए की विशेष सहायता उपलब्ध कराएगी। जहां तक योजनागत परिव्यय का सम्बन्ध है, वर्ष 1990-91 में योजनागत परिव्यय 905 करोड़ रुपए था और वास्तविक कार्यनिष्पादन 945 करोड़ रुपए का हुआ। छठी योजना में विकास दर 5.08% थी और सातवीं योजना में यह दर बढ़कर 6.40% हो जाएगी। जहां तक योजनागत परिव्यय में वृद्धि का सम्बन्ध है, यह 11.6% है। योजनागत परिव्यय में इतनी वृद्धि हुई है।

जहां तक कृषि का सम्बन्ध है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि पंजाब, जिसकी जनसंख्या भारत की जनसंख्या का केवल 2.5 प्रतिशत है और जिसका क्षेत्र देश के कुल क्षेत्र का 1.54 प्रतिशत है, देश के कुल उत्पादन का 23 प्रतिशत गेहूं, 24 प्रतिशत कपास, 9 प्रतिशत चावल पैदा करता है। वर्ष

1990-91 में गेहूं का उत्पादन 121 लाख टन और धान का उत्पादन 65 लाख टन आंका गया है। केन्द्रीय पूल में पंजाब का अंशदान सबसे अधिक अर्थात गेहूं के लिए 60 प्रतिशत और चावल के लिए 50 प्रतिशत रहा है।

जहां तक उद्योगों का सम्बन्ध है, हाल के वर्षों में औद्योगिक क्षेत्र ने भी बहुत अच्छी प्रगति की है। 31-3-1991 तक लघु इकाइयों की कुल संख्या 1.60 लाख थी और इसमें 6.68 लाख लोगों को रोजगार मिला हुआ था। इसी प्रकार मध्यम और बड़े पैमाने वाली इकाईयों की सं० 372 थी जिनमें 1.74 लाख लोगों को रोजगार मिला हुआ था। वर्ष 1987-88 में जारी किए गए आशय/पंजीकरण पत्रों की संख्या केवल 85 थी जो वर्ष 1989-90 में बढ़कर 229 हो गई।

जहां तक विद्युत का सम्बन्ध है, मैं आपको बता दूं कि ताप विद्युत संयंत्र पर्याप्त संयंत्र भार गुणक (प्लांट लोड फैक्टर) पर कार्य कर रहे हैं और कुल विद्युत का 46 प्रतिशत उपयोग कृषि के लिए किया जाता है। उद्योगों के लिए पर्याप्त विद्युत की पूर्ति सुनिश्चित की गई है। रोपड़ ताप विद्युत संयंत्र, चरण-III, जिसकी क्षमता 420 मेगावाट है, वर्ष 1992-93 में अपना कार्य शुरू कर देगा। उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अतिरिक्त धनराशि के निवेश की जरूरत पड़ेगी। बांध परियोजना भी सुचारु और यथेष्ठ रूप से कार्य कर रही है। वर्ष 1991-92 के परिव्यय के लिए 170 करोड़ रुपए के साथ-साथ पर्याप्त मात्रा में परिव्यय की व्यवस्था की जा रही है।

महोदय, पंजाब में विकेन्द्रीकृत योजना है। पिछले वर्ष एक मुख्य नई बात यह शुरू की गई कि जिला स्तर पर योजना का विकेन्द्रीकरण किया गया। जिला योजना बोर्डों के विवेक पर जिलों को विभिन्न विकास योजनाओं पर खर्च करने के लिए वार्षिक योजनागत परिव्यय से, 284 करोड़ रुपए उपलब्ध कराये जा रहे हैं। इन बोर्डों में निर्वाचित जिला परिषदों की अनुपस्थिति में बोर्डों में सरपंच और ग्राम पंचायतों का प्रतिनिधित्व करने की व्यवस्था है। इनमें प्रत्येक खण्ड से चार सरपंच होंगे। इसके अतिरिक्त, प्रमुख राजनैतिक दलों के प्रतिनिधि भी बोर्ड के सदस्य होते हैं। इन बोर्डों को उपलब्ध कराई गई धनराशि का उपयोग लोगों द्वारा अनुभव की गई आवश्यकताओं तथा स्थानीय प्राथमिकताओं को मद्देनजर रखते हुए सम्बन्धित क्षेत्रों की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप किया जाता है। यह व्यवस्था जनसाधारण से स्वैच्छिक अंशदान को भी प्रोत्साहन देती है।

जहां तक रोजगार का सम्बन्ध है, लगभग 5000 लोगों को डेरी, मुर्गीपालन, सुअरपालन और मछलीपालन आदि के लिए दिए गए ऋणों पर राजसहायता दी गई। सीमावर्ती क्षेत्रों में युवकों की ओर विशेषकर ध्यान दिया गया है और उन्हें 1 लाख रुपए तक का ऋण देने की व्यवस्था की गई जिस पर सरकार द्वारा 15 प्रतिशत राजसहायता दी जा रही है। विभिन्न शिल्पों में प्रशिक्षण देने तथा सामाजिक एकता की दृष्टि से भी युवकों का चयन करने के उद्देश्य से एक पंजीकृत सोसाइटी के रूप में एक युवा प्रशिक्षण और रोजगार केन्द्र की स्थापना की गई है। वर्ष 1990-91 में प्रशिक्षित किए गए 4,304 युवकों में से 2,330 को सेना, अर्धसैनिक बलों, विभिन्न निगमों और निजी क्षेत्र की इकाईयों में प्रशिक्षण के लिए चुना गया है।

जहां तक सहायता और पुनर्वास का संबंध है, सरकार आतंकवादी हिंसा से प्रभावित परिवारों, 1984 के दंगों के पश्चात पंजाब आए सिखों तथा राज्य के अन्दर आंतरिक प्रवासियों को भी बड़े पैमाने पर सहायता उपलब्ध करा रही है। 1-5-1990 से आतंकवादियों द्वारा मारे गए व्यक्तियों की

विधवाओं के लिए भरण-पोषण भत्ता 250 रुपए से बढ़ाकर 1000 रुपए प्रतिमाह कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त अविवाहित बेटियों के लिए विवाह अनुदान और रोजगार के लिए प्राथमिकता देना जैसी अन्य कुछ सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। आतंकवादी हिंसा में मारे गए लोगों के परिवारों के लिए अनुग्रह राशि की रकम 20,200 से बढ़ाकर 50,000 रुपए कर दी गई है। उन परिवारों जिन्होंने अपने घर छोड़ दिए हैं और पंजाब से बाहर चले गये हैं, की वापसी को आसान बनाने के लिए अनेक प्रकार की सुविधाएं दी गई हैं जिसमें पंजाब वापसी के खर्च की प्रतिपूर्ति के लिए 2,000 रुपए प्रति परिवार के हिसाब से अनुग्रह राशि, 500 रुपए का परिवहन अनुदान और नई जगह पर निजी मकान किराए पर लेने के लिए 300 रुपए प्रतिमाह किराए जैसी सुविधाएं सम्मिलित हैं। ये सुविधाएं आंतरिक प्रवासियों को भी पंजाब में उनके नये निवास स्थानों पर दी जाती हैं। आतंकवादी हिंसा में मारे गए 7,057 व्यक्तियों के परिवारों को अब तक 34 करोड़ रुपए से अधिक की राशि एकमुश्त अनुग्रहपूर्वक अनुदान के रूप में दी गई है। जून, 1991 तक 14,000 से अधिक आंतरिक प्रवासी परिवारों को 7.41 करोड़ रुपए नकद राहत के रूप में दिए गए हैं।

महोदय, इस चर्चा के दौरान माननीय सदस्यों ने कुछ मुद्दे उठाए थे। श्री जार्ज फर्नान्डीज ने कहा है कि वर्ष 1991-92 में ब्याज प्राप्तियों, लाभ और लाभांशों से, 1,439 करोड़ रुपए की प्राप्ति हुई है जबकि वर्ष 1990-91 में यह प्राप्ति केवल 60 करोड़ रुपए की थी। उन्होंने यह भी कहा है कि ऊर्जा के लिए वर्ष 1991-92 में 4,355 करोड़ रुपए दिए गए हैं जबकि वर्ष 1990-91 में 1,700 करोड़ रुपए दिए गए थे। महोदय, पंजाब सरकार ने ग्रामीण···के लिए छूट देने का वायदा किया है···

(व्यवधान)

श्री जार्ज फर्नान्डीज : महोदय, मन्त्री महोदय मेरे सभी आंकड़ों को गलत समझ रहे हैं। मैंने जो कहा है वह इस प्रकार है। सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट में बताया गया है कि गत बजट के 60 करोड़ रुपए की तुलना में चालू बजट में ब्याज से प्राप्तियों की वास्तविक प्राप्ति, लाभांशों और लाभों जिसमें से अकेले ब्याज से प्राप्तियां 1,439 करोड़ रुपए हैं। आप 1438 करोड़ रुपए बता रहे हैं। जहां तक ऊर्जा का सम्बन्ध है, वर्ष 1990-91 में इसके लिए कोई धनराशि आबंटित नहीं की गयी थी जबकि वर्ष 1989-90 में इसके लिए 1000 करोड़ रुपए रखे गए थे। आप चालू बजट में 1377 करोड़ रुपए आवंटित कर रहे हैं। परन्तु आपने गलत आंकड़े प्रस्तुत किए हैं। आपने वे आंकड़े बताए हैं जिनका मैंने जिक्र नहीं किया है।

श्री शांताराम पोतदुखे : पंजाब सरकार ने पंजाब राज्य विद्युत परिषद को ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए छूट देने का वायदा किया है। परन्तु गत समय में कभी भी यह राशि नहीं दी गई। पंजाब राज्य विद्युत परिषद ने पंजाब सरकार द्वारा दिए गए ऋणों पर ब्याज की अदायगी में भी बादाखिलाफी की है। इस वर्ष सरकार ने इसका समायोजन करने का निर्णय किया है···(व्यवधान)

श्री जार्ज फर्नान्डीज : हमें कोई तो बताए कि 1400 करोड़ की राशि कहां से आयी ?

(व्यवधान)

सभापति महोदय (श्री शरद दिघे) : उन्हें पूरा करने दीजिए। आप उनकी पूरी बात सुनें।

(व्यवधान)

श्री आर्च फर्नान्डीज : मैं मन्त्री महोदय की बात समझ सकता हूं जो यह बता रहे हैं कि धन कैसे खर्च किया जा रहा है ? परन्तु यह धन कहां से आया ? आपने कहा था कि यह धन ब्याज के रूप में आया था । यह किस पर ब्याज था ? (व्यवधान)

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : वह ऋण जो सरकार द्वारा विद्युत विभाग को दिया गया था ।

(व्यवधान)

श्री आर्च फर्नान्डीज : तब, आप इसे ऋण कहिए न कि ब्याज । वास्तव में, आप सदन को गुमराह कर रहे हैं । (व्यवधान)

श्री शांताराम पोतदुखे : महोदय, इस वर्ष सरकार ने दो बकाया धनराशियों अर्थात ब्याज और छूट का समायोजन करने का निर्णय किया है और इसके परिणामस्वरूप प्राप्तियां और व्यय मद में पंजाब राज्य विद्युत परिषद को 1377 करोड़ रुपए देने का उपबंध किया गया है । ये प्रविष्टियां केवल किताबी प्रविष्टियां थी परन्तु इसे प्रदान करना और इस पर संसद की अनुमति प्राप्त करना आवश्यक था । इस प्रकार यद्यपि इसे गैर-योजना खर्च के रूप में वर्गीकृत किया गया था परन्तु यह वेतनों और भत्तों के भुगतान के लिए नहीं है ।

श्री आर्च फर्नान्डीज : महोदय, मैं आपका संरक्षण चाहता हूं । बजट पत्रों में बताया गया है··· (व्यवधान) महोदय, हम जानना चाहते हैं कि यह राशि कहां से आयी और इसका वितरण कहां किया जाएगा ?

सरकारी दस्तावेज के पृष्ठ 1 पर एक विशिष्ठ प्रविष्टि है । प्रविष्टि "ख-गैर-कर राजस्व जिसमें अन्य वित्तीय सेवाएं"—उसमें कुछ भी नहीं है, "ब्याज प्राप्तियां लाभांश और लाभ" उप-शीर्षक है । तब, सरकार विशेष रूप से कहती है कि ब्याज से प्राप्तियां 14,39,22,77 रुपए है । (व्यवधान) अभी आपने कहा है कि इस वर्ष । अब, आप बता रहे हैं कि यह तो एक किताबी प्रविष्टि है । आप कह रहे हैं कि यह तो ब्याज से प्राप्ति है । अब आप बता रहे हैं कि यह किताबी प्रविष्टि है । तब आप दूसरी तरफ ऊर्जा शीर्ष के अंतर्गत 137736 लाख रुपए का व्यय दिखा रहे है ।

अब, आप मुझे यह बता रहे हैं कि इसको माफ किया जा रहा है । उस समय आपने यह कहा था कि ये खाता प्रविष्टि है । क्या इसका कोई मतलब है ? इसका कोई मतलब नहीं है ।

श्री शांताराम पोतदुखे : इन्हें प्राप्तियों और व्यय दोनों ओर समायोजित किया गया है ।

श्री आर्च फर्नान्डीज : महोदय, यह समायोजन नहीं है । आपने इसे किसी शीर्ष विशेष के अन्तर्गत रखने के लिए कहा था । आपने कहा कि यह ब्याज के रूप में प्राप्त हुआ है । ब्याज से प्राप्तियां पिछले वर्ष के 60 करोड़ रुपए की तुलना में इस वर्ष 1439 करोड़ रुपया है । पिछले वर्ष ब्याज से प्राप्तियां 60,11,00,000 करोड़ रुपया था जबकि इस वर्ष यह 14,39,22,00,000 करोड़ रुपया है । आप ऐसा नहीं कह सकते कि ये खाता प्रविष्टियां हैं । आप ब्याज प्राप्तियों के विशिष्ट मुद्दे पर हैं । ब्याज किस पर ? कहां से ? या तो वह किसी के गले मढने को सोच रहे हैं या इसको समाप्त करने को

कहीं कोई चाल है। महोदय, इन दो में से कोई एक चीज यहां हो रही है। सरकार को यह स्पष्ट करना चाहिए कि वस्तुतः यह क्या है मेरे समझ में यह नहीं आ रहा है।

श्री संकुहीन चौधरी (कटवा) : महोदय, हम उन्हें कुछ वक्त दे सकते हैं।

श्री आर्थर फर्नान्डीज : महोदय, उन्हें कल तैयारी से आने दें। महोदय, आप सभा को स्थगित कर दें। उन्हें कल तैयारी से आने दें। लेकिन हमें इस सम्बन्ध में स्पष्टीकरण चाहिए। हमें इसका उत्तर चाहिए···(व्यवधान)

श्री हरिश चरण तोपदार (बैरकपुर) : यदि मन्त्री महोदय इसके लिए तैयार नहीं हैं तो सभा को स्थगित किया जाना चाहिए। महोदय, यह एक प्रासंगिक प्रस्ताव है···(व्यवधान)

सभापति महोदय : वह इसे स्पष्ट करने का भरसक प्रयास कर रहे हैं···

(व्यवधान)

श्री शीताराम पोतदुखे : महोदय, पंजाब राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा पंजाब सरकार के प्रति बकाया धनराशि को ब्याज की प्राप्तियां के रूप में लिया गया है तथा पंजाब सरकार द्वारा पंजाब राज्य विद्युत बोर्ड के प्रति उतनी ही धनराशि का बकाया को व्यय के रूप में लिया गया है···(व्यवधान)

श्री आर्थर फर्नान्डीज : दूसरे शब्दों में, आपने अपने सभी व्यय को माफ कर दिया। आपके कहने का तात्पर्य यही है···(व्यवधान)

श्री रंगराजन कुमारमंगलम : महोदय, माननीय मन्त्री महोदय की अनुमति से क्या मैं हस्तक्षेप कर सकता हूं? मेरे विचार से यदि माननीय सदस्य शब्दावली को समझ नहीं पा रहे हैं तो हम इस विषय को बाद में ले सकते हैं। इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन बात यह है कि जो बात वह कह रहे हैं वह वास्तविक प्राप्तियां तथा वास्तविक व्यय नहीं है। यह ऐसे खाते के समायोजन की बात है जहां पहले बकाया दिखाया गया है तथा इसे व्यय भी दिखाया जा रहा है वह यही कहने की कोशिश कर रहे हैं। यदि वे इसकी बारीकियों के बारे में जानना चाहते हैं तो वह भी इन बातों का जवाब देने के लिए तैयार हैं···(व्यवधान)

श्री आर्थर फर्नान्डीज : महोदय, मेरे और कनिष्ठ मन्त्री महोदय के बीच कुछ भी छिपा नहीं है। उन्होंने जो कहा है उसे सभा को बताना है। (व्यवधान)

श्री रंगराजन कुमारमंगलम : महोदय, ऐसा करने का तरीका यह नहीं है जैसाकि किया जा रहा है। मैंने कभी भी बजट पर ऐसे चर्चा होते नहीं देखा। इतने वर्षों के अनुभव के बाद, हमें बजट पर चर्चा करना नहीं सिखाएं···(व्यवधान)

श्री ए० चार्ल्स (त्रिवेन्द्रम) : महोदय, मैं अपने व्यवस्था के प्रश्न पर हूं।

सभापति महोदय : हां, आपका व्यवस्था का प्रश्न क्या है?

श्री ए० चार्ल्स : महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि क्या 'कनिष्ठ मन्त्री' जैसी कोई

तथ्यात्मक है यदि है, तो इसका स्पष्टीकरण किया जाना चाहिए कि कौन कनिष्ठ मन्त्री है और कौन वरिष्ठ मन्त्री···(व्यवधान)

सभापति महोदय : इसमें कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : माननीय सदस्य को स्पष्टीकरण पूछने का हक है तथा प्रभारी मन्त्री को इसको स्पष्ट करना आवश्यक है, तथा हमें यह देखना है कि अन्ततः इसका क्या निचोड़ निकलता है।

(व्यवधान)

श्री बूटा सिंह (जालौर) : महोदय, मैं अध्यक्षपीठ की अनुमति से इस सभा को सूचित करता हूं कि पूरे देश के सभी राज्यों में विद्युत बोर्ड स्वायत्त निकाय हैं और वे सम्बन्धित राज्य सरकारों से ऋण लेकर अपने दिन प्रतिदिन के कार्य चलाते हैं तथा इन ऋणों को सरकारी खातों में प्राप्तियां और व्यय के रूप में दिखाया जाता है। माननीय मन्त्री महोदय ने स्थिति स्पष्ट करके सभा को सन्तुष्ट कर दिया है और जो कुछ बताया गया है हम उससे सन्तुष्ट हैं। (व्यवधान)

श्री शांताराम पोतदुखे : महोदय, एक बात और है। श्री मदन लाल खुराना ने बजट पत्र के बारे में कहा है। 1991-92 के पंजाब बजट के सम्बन्ध में जो बजट दस्तावेज सभा में प्रस्तुत किए गए हैं वे राष्ट्रपति शासन के अधीन किसी राज्य के बारे में प्रस्तुत बजट पत्रों के समान ही हैं। इनमें :—

(एक) वार्षिक वित्तीय विवरण;

(दो) अनुदानों की मांगें;

(तीन) व्यय ज्ञापन; और

(चार) लेखानुदान शामिल हैं।

किसी अन्य दस्तावेज को प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है।

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना : ···(व्यवधान) पिछले साल कितना दिया गया था और कितना खर्च हुआ तो पिछले साल की परफारमेंस रिपोर्ट और एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट बहुत जरूरी होती है। हमको वह सप्लाई नहीं हुई है, क्यों नहीं हुई, मैं यह जानना चाहता हूं।···(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री शांताराम पोतदुखे : महोदय, मैं माननीय सदस्य श्री मदन लाल खुराना को इसकी जानकारी दे दूंगा।

सभापति महोदय : आप एक पत्र लिख दें।

(व्यवधान)

श्री रंगराजन कुमारमंगलम : सभापति महोदय, मैं माननीय सदस्य श्री मदन लाल खुराना, श्री पवन कुमार बंसल, भूतपूर्व प्रधान मन्त्री श्री चन्द्र शेखर, श्री जार्ज फर्नान्डीज, श्री के० डी० सुल्ताव-पुरी, श्री सैफुद्दीन चौधरी, श्री प्रेम धूमल, श्री भोगेन्द्र झा, श्री अन्ना जोशी और उन सभी का अत्यन्त आभारी हूं जिन्होंने चर्चा में भाग लिया तथा विधेयक पर अपने विचार व्यक्त किए।

वक्ताओं में से कुछ ने वास्तव में विधेयक का समर्थन किया, कुछ ने अनिच्छा से तथा कुछ ने पूरी तरह समर्थन किया है। परन्तु वास्तविकता यह है कि अधिकांश वक्ताओं ने अपने-अपने तरीके से कहा है कि अधिसूचना को निरस्त करने वाले विधेयक को पारित करने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं है।

मुझे यकीन है कि सभा और सदस्यों को यह समझ लेना चाहिए कि सरकार के सामने दूसरे विकल्प भी थे। एक तो साधारण खण्ड अधिनियम का प्रयोग करके व्याख्यात्मक प्रक्रिया था और यह कहना कि अधिसूचना की शक्ति के साथ उसे निरस्त करने की शक्ति है। हमने उसे नहीं किया क्योंकि हमने यह अनुभव किया था कि इसमें कानूनी खामियां हैं और वास्तव में यह ऐसे मामलों में व्यवहारिक नहीं है। दूसरा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में संशोधन करना और ऐसे मामलों में शक्ति प्रदान करना था जब ऐसे हालात पैदा हो जाएं जहां राष्ट्रपति वास्तव में मन्त्रिपरिषद के परामर्श पर चुनावों को निरस्त करने के बारे में निर्णय करता है। परन्तु, क्योंकि सरकार ने अनुभव किया कि यह उपयुक्त नहीं हो सकता क्योंकि चुनाव को रद्द करना एक अत्यधिक महत्वपूर्ण मामला है, हमने इसे नहीं किया।

चूंकि यह पहला मौका है कि किसी राज्य में इस प्रकार का आम चुनाव होने जा रहा है, अतः हमने अनुभव किया है कि इस बात का उदाहरण कायम किया जाए कि चुनावों का निरस्तीकरण संसद के एक विशेष विधेयक, एक विशेष संविधि द्वारा किया जाना चाहिए ताकि जनता की प्रभुसत्ता का प्रतिनिधित्व करने वाली सर्वोच्च लोकतान्त्रिक संस्था संसद ऐसी परिस्थितियों में निर्णय कर सके तथा जो निरस्तीकरण के लिए आवश्यक हों।

हमारे कुछ माननीय सदस्यों, विशेषकर स्पष्ट वक्ता सदस्यों ने जो बातें कहीं है उनका तथ्य यह है कि अनेक सदस्यों के मन में यह धारणा है कि मुख्य चुनाव आयुक्त ने चुनाव के स्थगन का जो निर्णय लिया था, वह सरकार का निर्णय था। यह हमारा निर्णय नहीं था। न ही यह सरकार का निर्णय है, जब भी हम सत्ता में थे, मैं पुनः कहता हूं कि यदि हम सत्ता में भी होंगे तो हमें यह मानना चाहिए कि कांग्रेस सरकार ने 21 को शपथ नहीं ली थी परन्तु सरकार ने वास्तव में 19 को शपथ ली, तो भी किसी चुनाव की स्थगित करने की शक्ति पूरी तरह से एक स्वायत्त निकाय के पास है जिसे मुख्य चुनाव आयुक्त के नाम से जाना जाता है। और उन्होंने अपने यह कार्य अपने पास उपलब्ध अनेक रिपोर्टों पर विचार करके किया था और मैं समझता हूं कि मेरे लिए यह उचित नहीं है कि मैं खड़ा होकर यह बताऊं कि इन कारणों से उन्होंने ऐसा किया, चाहे वे उचित हैं अथवा अनुचित। परन्तु अपने पास उपलब्ध अनेक रिपोर्टों की बाद में जांच करने के पश्चात् हम स्वयं अनुभव करते हैं कि यह उचित था। परन्तु इसके अलावा, हमारे सामने अत्यधिक महत्वपूर्ण मामला चुनाव का स्थगन है, इसका प्रभाव चुनावों की आम प्रवृत्ति पर होगा। हमें विशेषकर पंजाब में हजारों उम्मीदवारों की सुरक्षा की दृष्टि से भी देखना है और 25 सितम्बर तक उनकी सुरक्षा करना आसान नहीं है। चुनावों के स्थगन से पूर्व और वास्तव में चुनावों के ठीक पूर्व हमने काफी हिंसा देखी थी। अनेक सदस्यों ने पंजाब में हिंसा

में हुई वृद्धि और हिंसा के स्वरूप में हुए परिवर्तन के बारे में भी कहा है। आतंकवाद ने यहां रूप ले लिया है। हम देख रहे हैं कि आतंकवाद में अपहरण एक नया तरीका है, एक ओर तो अपहरण फिरौती के लिए, जो धन प्राप्ति का एक तरीका है, के लिए किया जाता है तथा दूसरे अपने साथियों, आतंकवादियों और सशस्त्र उग्रवादियों को छुड़ाने के लिए अपहरण किया जाता है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (लखनऊ) : कामरेड ?

श्री रंगराजन कुमारमंगलम : बिल्कुल, वे कामरेड हैं···(व्यवधान) 'कामरेड' कोई ऐसी पवित्र चीज नहीं है जिसे केवल कम्युनिस्ट ही रखते हैं। (व्यवधान) मैं इसके लिए क्षमा चाहता हूं, मैं कहता हूं कि यह अनुचित है। आप ऐसा नहीं कह सकते कि यह केवल कम्युनिस्ट आन्दोलन से ही सम्बन्धित है (व्यवधान) बात यह है कि उनमें से कुछ व्यक्ति आजकल इसका प्रयोग नहीं करते हैं। (व्यवधान) परन्तु महत्वपूर्ण और विचार करने योग्य बात यह है कि आज पंजाब में वास्तव में ऐसे हालात हैं कि इन्हें तुरन्त ठीक किए बिना वहां चुनाव नहीं कराए जा सकते। हमें इसके लिए अधिक समय नहीं चाहिए परन्तु कुछ समय चाहिए। परन्तु अधिकांश सदस्यों ने कहा है कि पंजाब में ऐसी स्थिति नहीं रहने दे सकते जिसमें हम कभी भी चुनाव न करा सकें। चुनाव कराए जाएंगे और जब तक चुनाव नहीं कराए जाते तब तक हम पंजाब में पूर्ण अमन चैन नहीं ला सकते। वह ठीक है और सरकार उसी के अनुरूप कार्य कर रही है। जितनी जल्दी सम्भव होगा हम वहां चुनाव कराएंगे।

कुछ माननीय सदस्य : कब ? (व्यवधान)

श्री रंगराजन कुमारमंगलम : क्या आप मुझे बोलने देंगे ?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : एक निश्चित तारीख क्यों नहीं बताते ?

श्री रंगराजन कुमारमंगलम : मैं आपको बताता हूं कि मैं क्यों नहीं बता सकता। (व्यवधान) श्री वाजपेयी काफी वरिष्ठ नेता हैं। श्री जार्ज फर्नान्डीज ने एक अंग्रेजी संसदीय शब्द का प्रयोग करते हुए मुझे एक 'कनिष्ठ मन्त्री' कहा है। दुर्भाग्य से मैं इतना कनिष्ठ नहीं हूं, मैं इन दोनों के बीच आता हूं। परन्तु इसकी कोई बात नहीं है। महत्वपूर्ण मुद्दा चुनाव कराने की एक विशेष तारीख की घोषणा करना है। यहां मैं यह नहीं कर सकता। यह कहा जा सकता है कि सम्बन्धित उपबन्धों के अन्तर्गत है···

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : सरकार को मुख्य चुनाव आयुक्त से सिफारिश करनी होगी।

श्री रंगराजन कुमारमंगलम : सरकार मुख्य चुनाव आयुक्त से सिफारिश नहीं करती है।

(व्यवधान)

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मैं सभी तकनीकों के बारे में जानता हूं। परन्तु आप सभा में एक निश्चित तारीख का संकेत दे सकते हैं।

श्री रंगराजन कुमारमंगलम : सरकार मुख्य चुनाव आयुक्त से इसकी सिफारिश नहीं करती है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मैं सभी तकनीकों के बारे में जानता हूं। मन्त्री महोदय आप

तकनीकों के बारे में कह रहे हैं। मैं जानता हूं कि अधिसूचना राष्ट्रपति द्वारा जारी की जाती है। परन्तु सरकार क्या कर रही है? क्या आप चुनाव चाहते हैं?

श्री रंगराजन कुमारमंगलम: अब आपने एक विशेष प्रश्न पूछा है। (**व्यवधान**)

श्री जार्ज फर्नान्डीज: यदि आप नवम्बर में चुनाव कराना चाहते हैं तो आपको सदन में संशोधन प्रस्तुत नहीं करना चाहिए अथवा आप कोई अध्यादेश जारी नहीं करेंगे। (**व्यवधान**)

श्री रंगराजन कुमारमंगलम: सभापति महोदय, आपने ध्यान दिया होगा कि मैंने श्री जार्ज फर्नान्डीज के सामने समर्पण नहीं किया है। उनकी यह प्रकृति है कि ये मन्त्रियों को सहमत होने के लिए कहे बिना ही उन पर हावी होने की कोशिश करते हैं फिर संसदीय आचार की बातें करते हैं। यह उचित नहीं है। लेकिन मैं यह कहना चाहूंगा कि यदि आप यह पूछ रहे हैं कि हम क्या सोच रहे हैं तो मैं आपको यह बता देना चाहता हूं कि मैं इस बारे में बिलकुल स्पष्ट हूं।

8.00 म० प०

पंजाब में हम जल्द ही चुनाव कराना चाहेंगे।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी: आप कितनी जल्दी चुनाव कराना चाहेंगे?

श्री रंगराजन कुमारमंगलम: राष्ट्रपति की अधिसूचना 11 नवम्बर, 1991 तक वैध है। आज हम आपके समक्ष राष्ट्रपति शासन को बढ़ाने का कोई वैधानिक प्रस्ताव लेकर नहीं आए हैं। यदि आप यह पूछ रहे हैं कि चुनाव कितने जल्दी होंगे तो यह कह नहीं हो सकता और हम यह कह चुके है कि वातावरण ऐसा है···(**व्यवधान**)

श्री जार्ज फर्नान्डीज: क्या मंत्री महोदय यह आश्वासन देंगे कि सरकार संसद के अगले सत्र के पूर्व पंजाब में चुनाव करवाने के लिए एक अधिसूचना जारी करेगी?

श्री रंगराजन कुमारमंगलम: सभापति महोदय, मैं उनके समक्ष समर्पण नहीं रहा हूं तथा मैं आपसे यह अनुरोध करता हूं कि आप उनके वक्तव्य को कार्यवाही वृत्तांत में से निकाल दें क्योंकि उन्हें हम लोगों को सहमत कराने का तरीका सीखना होगा। मैं ऐसा करने को तैयार हूं। वे क्यों नहीं वह शिष्टाचार दिखा सकते हैं?, (**व्यवधान**)

श्री जार्ज फर्नान्डीज: क्या मन्त्री महोदय एक मिनट के लिए सुनेंगे? मुझे इस बात से खुशी है कि वह अत्यन्त कठोर ससदीय कार्यप्रणाली का पालन कर रहे हैं।

श्री रंगराजन कुमारमंगलम: यह कठोर कार्यप्रणाली नहीं है; इसका आशय दूसरे को समान रूप से आदर करना है।

श्री जार्ज फर्नान्डीज: मैं एक विशेष प्रश्न करना चाहता हूं। क्या मन्त्री महोदय सभा को यह विश्वास दिलाएंगे कि आज और संसद के अगले सत्र के बीच—यदि संसद का अगला सत्र नवम्बर के महीने के बाद होता है—सरकार पंजाब में राष्ट्रपति शासन को आगे बढ़ाने के लिए कोई अध्यादेश नहीं लाएगी?

श्री रंगराजन कुमारमंगलम : मेरे विचार से माननीय सदस्य कानून के बारे में कुछ स्पष्ट नहीं हैं। उन्हें संविधान के सम्बद्ध अनुच्छेद को देखना चाहिए; तभी वह यह जान पाएंगे कि हम इस सम्बन्ध में अध्यादेश ला सकते हैं या नहीं। उन्हें इस सम्बन्ध में बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। तब मैं इस संबंध में उत्तर दूंगा।

आज मैं केवल इतना ही कह सकता हूं तथा और ज्यादा कुछ कहना, मैं समझता हूं कि मेरे लिए उचित नहीं है। यदि मैं इससे आगे बोलता हूं तो मैं संविधान की परम्पराओं और शिष्टाचारों का उल्लंघन करूंगा। इस बारे में हम बिल्कुल स्पष्ट हैं कि ज्योंहि पंजाब की स्थिति में सुधार होगा त्योंहि हम सभी राजनैतिक दलों के सहयोग से वहां शीघ्र चुनाव कराएंगे। (व्यवधान)

श्री आर्क फर्नान्डीज : सभापति महोदय, मुझे दुःख है कि मंत्री महोदय का उत्तर मुझे सन्तुष्ट नहीं कर सका। इसलिए, इसके विरोध में हम लोग सभा से बाहर जा रहे हैं।

8.04 म० प०

तत्पश्चात् श्री आर्क फर्नान्डीज तथा कुछ अन्य सदस्य सभा-भवन से बाहर चले गए

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना (दक्षिण दिल्ली) : चूंकि इन्होंने निश्चित डेट नहीं बताई है, इसलिए हम वाक-आउट कर रहे हैं।

तत्पश्चात् श्री मदन लाल खुराना तथा कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा-भवन से बाहर चले गए

[अनुवाद]

श्री सैफुद्दीन चौधरी : क्या मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह प्रश्न कर सकता हूं जो उत्तर दे रहे हैं, कि पंजाब में चुनाव की तिथि निश्चित करने के लिए वह या उनकी सरकार इस मुद्दे पर चर्चा हेतु शीघ्र ही एक सर्वदलीय बैठक बुलाएगी ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री के० विजय भास्कर रेड्डी) : महोदय, इस मुद्दे पर हम लोग बिल्कुल स्पष्ट हैं। हम इस सम्बन्ध में एक सर्वदलीय बैठक बुलाएंगे। यह एक महत्वपूर्ण तथा राष्ट्रीय मुद्दा है। जैसाकि प्रधानमन्त्री ने स्पष्ट किया है कि राष्ट्रीय मुद्दे पर आम सहमति के लिए वे सभी राजनैतिक दलों से परामर्श करेंगे। हम आप लोगों को बुलाकर शीघ्र ही पंजाब की स्थिति पर चर्चा करेंगे तथा चुनाव की तिथि के बारे में निर्णय लेंगे। हम शीघ्र ही ऐसा करेंगे।

श्री रंगराजन कुमारमंगलम : महोदय, श्री पवन कुमार बंसल ने उचित ही इस दिशा में शीघ्र कदम उठाने की आवश्यकता पर बल दिया है। ऐसे समान विचार वाले सभी दलों का एक संयुक्त मोर्चा बनाया जाना चाहिए जो पंजाब में खुशहाली लाने के लिए शांति और सामान्य स्थिति बनाए रखना चाहते हैं। समान विचार वाले ऐसे दलों की एक छोटी बैठक की जा चुकी है तथा हमें आशा है कि इसका विस्तार कर सभी दल एक साथ बैठेंगे तथा उठाए जाने वाले भावी कदम पर एक साथ विचार करेंगे।

1991-92 के एक भाग की सेवाओं के लिए पंजाब राज्य की संचित निधि में से कतिपय राशियों के निकाले जाने का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष 1991-92 के एक भाग की सेवाओं के लिए पंजाब राज्य की संचित निधि में से कतिपय राशियों के निकाले जाने का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री शांताराम पोतदुखे : मैं विधेयक को पुर.स्थापित* करता हूं ।

श्री शांताराम पोतदुखे : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि वित्तीय वर्ष 1991-92 के एक भाग की सेवाओं के लिए पंजाब राज्य की संचित निधि में से कतिपय राशियों के निकाले जाने का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए ।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष 1991-92 के एक भाग की सेवाओं के लिए पंजाब राज्य की संचित निधि में से कतिपय राशियों के निकाले जाने का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

सभापति महोदय : सभा अब विधेयक पर खण्डवार विचार करेगी ।

प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 और 3 विधेयक के अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड 2 और 3 विधेयक में जोड़ दिए गए ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि अनुसूची, खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

---

*राष्ट्रपति की सिफारिश से पुरःस्थापित/पेश किया गया ।

**दिनांक 16-11-1991 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खण्ड 2 में प्रकाशित ।

अनुसूची, खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

श्री शांताराम पोतदुखे : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : अब सभा नियम 377 के अधीन मामले लेगी।

8.10 म० प०

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) उड़ीसा में बृजराज नगर स्थित ओरियंट पेपर मिल्स के श्रमिकों की शिकायतों की जांच करने की आवश्यकता

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही (देवगढ़) : सभापति महोदय, उड़ीसा के बृजराज नगर स्थित ओरियंट पेपर मिल्स पुराने तथा महत्वपूर्ण उद्योगों में से एक है। कर्मकारों की ईमानदारी तथा मेहनत के कारण यह उद्योग लगातार लाभ दिखा रहा है। किन्तु इस कारखाने के कर्मकारों की उचित देखभाल नहीं की जा रही। 20 प्रतिशत बोनस अदा करने की मांग को प्रबन्धकों द्वारा नहीं माना जा रहा। काफी समय से यह मामला औद्योगिक अधिकरण के विचाराधीन लम्बित पड़ा है। दूसरे, प्रबन्धकों ने उनकी एक दिन की मजदूरी काटकर दण्डित किया क्योंकि वे पूर्व प्रधानमन्त्री, श्री राजीव गांधी की खबर सुनकर शोक मनाने के कारण काम पर नहीं गए। प्रबन्धकों के इस प्रकार के रवैये के कारण इस कारखाने के कर्मकारों में भी असंतोष तथा क्षोभ व्याप्त है। इसीलिए मैं केन्द्रीय सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह इस बारे में तुरन्त आवश्यक कार्यवाही करे।

[हिन्दी]

(दो) मध्य प्रदेश के बस्तर जिले में नक्सलवादियों द्वारा मारे गए आदिवासियों तथा अन्य लोगों को मुआवजा देने की आवश्यकता

श्री मनकूराम सोढ़ी (बस्तर) : सभापति महोदय, मैं नियम 377 के अधीन सूचना देना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश के बस्तर जिला में नक्सलवादियों द्वारा कत्ल किये गए आदिवासी हरिजन तथा अन्य ग्रामीणों के परिवारजनों को आर्थिक मुआवजा देने की आवश्यकता है। सन् 1985 से नक्सलवादियों

द्वारा सशस्त्र मुठभेड़ों में कई पुलिसकर्मी मारे गए हैं। उनमें से प्रत्येक के परिवारजनों को शासन द्वारा एक-एक लाख रुपए की सहायता दी गई है।

नक्सलवादियों के विरुद्ध चलाए जाने वाले अभियानों में जो आदिवासी पुलिस के साथ सहयोग करते हैं उन्हें बाद में नक्सली जान से मार देते हैं। ऐसे लगभग एक दर्जन से अधिक लोगों की अब तक हत्या की गयी है। उनके परिवारजनों को शासन ने आज तक कोई मुआवजा नहीं दिया है। ऐसे में ये आदिवासी अब शासन से सहयोग करने में कतराने लगे हैं।

अतः केन्द्र शासन से अनुरोध है कि अब तक मारे गए प्रत्येक के परिवारजनों को एक-एक लाख रुपये मुआवजा दिलवाने की व्यवस्था कर भुगतान करें।

(तीन) बरेली जंक्शन (उत्तर प्रदेश) के रेलवे प्लेटफार्मों पर शेडों का निर्माण करने की आवश्यकता

श्री राजवीर सिंह (आंवला) : सभापति महोदय, मैं नियम 377 के अन्तर्गत निम्नलिखित विषय प्रस्तुत करना चाहता हूं :—

"बरेली जंक्शन रेलवे स्टेशन पर प्लेटफार्म नं० 2, 3 व 4 पर पर्याप्त शेड नहीं होने के कारण यात्रियों को वर्षा, धूप, लू तथा ठण्ड का भयंकर सामना रेल प्रतीक्षा हेतु करना पड़ता है जिसके लिए मैं सरकार से बारम्बार अनुरोध करता चला आ रहा हूं। यहां पर शेड बनाए जाने हेतु सरकार द्वारा आश्वासन भी दिए गए किन्तु स्थिति वहीं की वहीं है। इस दिशा में कोई प्रगति नहीं की गई है। इसके अतिरिक्त यात्रियों की रेल प्रतीक्षा हेतु बनाया गया प्रतीक्षालय बहुत ही छोटा है जिसको बड़े रूप में परिवर्तित किया जाना भी बहुत जरूरी है। इन कार्यों को पूर्ण किए जाने हेतु जनता लगातार अपनी मांग करती चली आ रही है जबकि सरकार उपेक्षा बरतती जा रही है।

अतः मेरी जनहित में मांग है कि बरेली जंक्शन के उक्त प्रथम श्रेणी प्लेटफार्म पर शेड-शीघ्र बनाए जाने हेतु प्रभावी कार्रवाई कराएं तथा प्रतीक्षालय को भी बड़े रूप में परिवर्तित करा दें।"

[हिन्दी]

(चार) सीतामढ़ी को राष्ट्रीय महत्व के पर्यटन स्थल के रूप में विकास करने की आवश्यकता

श्री नवल किशोर राय (सीतामढ़ी) : सभापति महोदय, "राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त जगत जननी मां सीता की जन्मस्थली सीतामढ़ी में राष्ट्रीय स्तर के पर्यटन स्थल का निर्माण कर समुचित विकास किया जा सकता है। यहां प्रतिदिन मां जानकी के दर्शन के लिए आए पर्यटकों की भीड़ रहती है। होटलों की समुचित व्यवस्था नहीं होने से दूसरे राज्यों से आए हुए पर्यटकों को काफी परेशानी होती है। इसलिए सरकार वहां होटल निर्माण कर पर्याप्त मात्रा में धन अर्जित करने के साथ बेरोजगारी की समस्या भी हल कर सकती है। मुजफ्फरनगर से सीतामढ़ी रेल लाईन का निर्माण कर सीधे दिल्ली से जोड़कर पर्यटकों की संख्या में और भी वृद्धि की जा सकती है।

अतः केन्द्र सरकार विशेष अनुदान एवं विशेष राशि का आबंटन योजना के अन्तर्गत विशेष राशि-

स्वीकृत कर सीतामगढ़ी में राष्ट्रीय स्तर का पर्यटन स्थल का निर्माण कराए ताकि मां सीता की जन्म-स्थली का विकास हो सके।"

[अनुवाद]

(पांच) श्रमिकों के आश्रितों को परिवार पेंशन योजना के अन्तर्गत परिवार पेंशन का भुगतान सुनिश्चित करने की आवश्यकता

श्री हाराधन राय (आसनसोल) : ऐसा समझा गया है कि परिवार पेंशन योजना के अन्तर्गत एकत्र 3500 करोड़ रुपए की धनराशि देश में एक घोटाला बन गया है। 1971 में शुरू हुई इस योजना के अन्तर्गत लाखों कर्मकार परिवार पेंशन से वंचित रह रहे हैं जबकि उन्होंने इस योजना के अन्तर्गत अपना अंशदान दिया है। योजना के प्रशासन में अव्यवस्था होने के कारण पेंशन न मिलने से उनकी विधवाओं को कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। इस बात की जांच करना जरूरी है कि इतनी बड़ी राशि कैसे संचित हुई और कर्मकारों को उनकी वैध पेंशन से कैसे वंचित किया गया।

अब मैं समझता हूं कि इस भारी राशि से भविष्य निधि संगठन द्वारा तैयार की गई नई पेंशन योजना के लिए एक संग्रह बनाया जायेगा। मैं यह जानना चाहता हूं कि इस बात की क्या गारण्टी है कि कर्मकारों के अंशदान फिर वही हश्र नहीं होगा।

मैं यह चाहता हूं कि सरकार यह सुनिश्चित करे कि जिन कर्मकारों के परिवारों को, लाभ नहीं मिले हैं, उन्हें देय पेंशन मिल जाए। अन्यथा भारत सरकार की विश्वसनीयता दाव पर लग जायेगी और कर्मकारों की सामाजिक सुरक्षा योजना पर विश्वास नहीं रहेगा।

(छह) इरिंजलकुडा में कडुप्पसेरी में एक शाखा डाकघर खोलने की आवश्यकता

प्रो० सावित्री लक्ष्मणन (मुकुन्दपुरम) : महोदय, मैं नियम 377 के अधीन निम्नलिखित मामला उठाना चाहती हूं :

कडुप्पीसेरी दक्षिण इरिंजलकुडा से 8 किलोमीटर दूर है और यह सबसे बड़ी हरिजन कालोनियों में से एक है। सबसे नजदीकी थुम्बूर जंक्शन भी शाखा डाकघर से जुड़ा हुआ नहीं है। यहां के ग्रामवासी किस शाखा डाकघर के बिना कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। वर्ष 1982 में, कडुप्पीसेरी दक्षिण के निवासियों द्वारा डाक प्राधिकारियों को एक सामूहिक याचिका भेजी गई थी।

वर्ष 1984 में, इरिंजलकुडा के अधीक्षक (डाक) ने इस मामले की जांच की थी और उन्होंने पाया था कि यह एक सही मामला है। अधिकारी ने इस मामले को अन्तिम मंजूरी प्रदान करने के लिए संचार मंत्रालय को भेज दिया। लेकिन वित्तीय साधनों की कमी के कारण इस प्रस्ताव को अगले 5 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया।

वर्ष 1989 में एक बार फिर इस मामले को संसद में उठाया गया था जहां सरकार द्वारा यह पूर्णरूप से आश्वासन दिया गया था कि इसको पहले ही मंजूरी दी जा चुकी है और मार्च, 1990 तक कडुप्पीसेरी मे शाखा डाकघर अपना कार्य शुरू कर देगा। लेकिन 27-1-1991 तक बार-बार भेजे

गए समाचारपत्रों का कोई जवाब नहीं मिला। अन्त में 28-1-1991 को कोचीन के महाडाकपाल ने याचिकाओं का उत्तर दिया कि दिल्ली के उच्च डाक अधिकारियों से टेलीफोन के माध्यम से आदेश मिला है कि आम चुनाव के कारण नये डाकघर खोलने से सम्बन्धित सभी कार्यवाहियों को रोक दिया जाए।

अब आम चुनाव समाप्त हो गए हैं। अत: मैं सरकार से अनुरोध करती हूं कि वह इस सम्बन्ध में तुरन्त आवश्यक आदेश जारी करें ताकि कडुप्पीसेरी में उक्त डाकघर खोला जा सके।

[हिन्दी]

(सात) राजकोट और दिल्ली के बीच नियमित वायु सेवा उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता

श्रीमती भावना चीखलिया (जूनागढ़) : सभापति महोदय, गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र के जूनागढ़, पोरबन्दर, जामनगर, अमरेली, राजकोट, सुरेन्द्रनगर संसदीय क्षेत्रों से दिल्ली आने के लिए कोई सीधी हवाई जहाज सर्विस नहीं है। पहले राजकोट से एक दैनिक हवाई सेवा थी लेकिन उसे बाद में बन्द कर दिया गया है।

यदि राजकोट-दिल्ली नियमित दैनिक हवाई जहाज सेवा कर दी जाये तो उपरोक्त सब संसदीय क्षेत्र एवं जिला क्षेत्रों को उसका लाभ मिल सकेगा क्योंकि इन सबके बीच में राजकोट है जो करीब एक डेढ़ घण्टे में सब अपने-अपने क्षेत्र से राजकोट पहुंचकर दिल्ली के लिए हवाई जहाज ले सकते हैं और सब संसद सदस्यों को सुविधा मिल सकेगी और अपना संसदीय कार्य सुचारू रूप से कर सकेंगे।

इतना ही नहीं अब धीरे-धीरे इन सब क्षेत्रों में उद्योग धंधा बड़े पैमाने पर बढ़ गया है, व्यापारी एवं उद्योग में लगे लोगों को भी न सिर्फ दिल्ली बल्कि उत्तर भारत के लिए हवाई जहाज की सुविधा मिल जायेगी।

हवाई जहाज पट्टी एवं अन्य सब सुविधा राजकोट हवाई अड्डे पर है ही क्योंकि पहले भी राजकोट-दिल्ली हवाई सेवा थी। इसलिए कोई नया खर्च भी नहीं करना पड़ेगा।

अन्त में हम सब सौराष्ट्र क्षेत्र के संसद सदस्यों तथा जनता की मांग है कि राजकोट-दिल्ली की एक नियमित हवाई जहाज सेवा चालू कर दी जाए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब सभा की बैठक स्थगित होती है और सभा कल 11.00 म० पू० पर पुन: समवेत होगी।

8.21 म० प०

तत्पश्चात् लोक सभा मंगलवार, 17 सितम्बर, 1991/26 भाद्र, 1913 (शक) के ग्यारह बजे म० पू० तक के लिए स्थगित हुई।

मुद्रक : दि इण्डियन प्रैस, देहली।

पी०एम०एस०-48/5/47/91 (एन०)
225

© 1991 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों (सातवां संस्करण)
के नियम 379 और 382 के अन्तर्गत प्रकाशित और
प्रबन्धक इण्डियन प्रेस, दिल्ली मुद्रणालय द्वारा मुद्रित ।